2016 का विधेयक संख्यांक 326

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

खंड

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. अधिनियम का लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

भाग 2

बोर्ड और साधारण प्रशासन की स्थापना

अध्याय 1

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्डों की स्थापना

4. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना ।
5. समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड का गठन ।

अध्याय 2

साधारण प्रशासन

6. महानिदेशक, पोत परिवहन ।
7. सर्वेक्षक ।
8. रेडियो निरीक्षक ।
9. वाणिज्यिक समुद्री विभाग ।
10. पोत परिवहन कार्यालय ।
11. समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय ।
12. समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी ।

भाग 3

जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

13. भाग का लागू होना ।

अध्याय 1

भारतीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

14. रजिस्टर कराने की बाध्यता ।
15. भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार ।
16. रजिस्ट्री के लिए आवेदन ।
17. रजिस्ट्री से पूर्व जलयान का चिन्हांकन, सर्वेक्षण और माप ।
18. इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने वाले भारतीय जलयान के हक की जांच करने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।
19. रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र का दिया जाना ।
20. प्रमाणपत्र की अभिरक्षा ।

खंड

21. स्वामित्व के परिवर्तन का प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन ।
22. भारतीय जलयान के खो जाने या भारतीय जलयान न रहने पर प्रमाणपत्र का परिदत्त किया जाना ।
23. भारतीय पोत का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण ।
24. भारतीय जलयान या अंशों का अंतरण ।
25. अंतरण के रजिस्ट्रीकरण ।
26. मृत्यु, दिवाला आदि की दशा में भारतीय पोत में स्वत्व का पारेषण ।
27. जलयान के भारतीय जलयान न रह जाने की दशा में विक्रय के लिए आदेश ।
28. न्यायालय के आदेश से विक्रय होने पर जलयान का अंतरण ।
29. जलयान या अंश का बंधक ।
30. बंधकदार के अधिकार ।
31. दिवालिएपन से बंधक का प्रभावित न होना ।
32. बंधकों का अंतरण ।
33. कतिपय परिस्थितियों में बंधक हित का अंतरण ।
34. भारतीय जलयान के नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या का वर्णन ।
35. परिवर्तनों की रजिस्ट्री ।
36. जहां जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किया जाना है, वहां अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन ।
37. स्वामित्व में परिवर्तन पर नए सिरे से रजिस्ट्री ।
38. रजिस्ट्री का अंतरण ।
39. परित्यक्त जलयान की पुन: रजिस्ट्री पर निर्बंधन ।
40. भारतीय जलयानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज ।
41. भारतीय स्वरूप को छिपाना या विदेशी स्वरूप को ग्रहण करना ।
42. भारतीय जलयान के रूप में अमान्यताप्राप्त जलयान के दायित्व ।
43. जलयान के समपहरण की कार्यवाहियां ।
44. स्वामियों का दायित्व ।
45. रजिस्ट्री बही, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य ।
46. रजिस्ट्री का बंद किया जाना ।

अध्याय 2

चार्टर पर लेने वाले भारतीय द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

47. इस अध्याय का लागू होना ।
48. परिभाषाएं ।
49. अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान का रजिस्ट्रीकरण ।
50. इस भाग में के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 4

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र

51. समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ।
52. सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र ।
53. सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रशिक्षण ।
54. प्रमाणपत्रों के प्रदान के लिए परीक्षा ।
55. सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना ।
56. अन्य देशों में प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

खंड

57. विदेशी जलयानों का प्रमाणपत्रित समुद्र यात्रा वृत्तिकों के बिना न चलना ।
58. कतिपय प्रमाणपत्र धारकों की सरकार या किसी भारतीय जलयान में सेवा करने की बाध्यता ।
59. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 5

समुद्र यात्रा वृत्तिक

60. इस भाग का लागू होना ।
61. परिभाषाएं ।
62. समुद्र यात्रा वृत्तिकों का वर्गीकरण, सामुद्रिक श्रम मानक और न्यूनतम मापमान का विहित किया जाना ।
63. समुद्र यात्रा वृत्तिकों और पोतों को सामुद्रिक श्रम मानकों का लागू होना ।
64. पोत परिवहन मास्टरों के कर्तव्य ।
65. समुद्र यात्रा वृत्तिकों के नियोजन कार्यालयों का कारबार ।
66. समुद्र यात्रा वृत्तिकों का प्रदाय या भर्ती या नियुक्ति ।
67. समुद्र यात्रा वृत्तिकों के साथ करार ।
68. सामुद्रिक श्रम अभिसमय के प्रवर्तन के लिए नियम बनाने की शक्ति ।
69. ध्वंश, रुग्णता, आदि के लिए सेवा की समाप्ति पर मजदूरी ।
70. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति, काम करने से इनकारी या कारावास के दौरान मजदूरी का प्रोद्भूत न होना ।
71. समुद्र यात्रा वृत्तिकों को समयपूर्व सेवोन्मुक्ति पर प्रतिकर ।
72. मजदूरी की बिक्री और उस पर प्रभार पर निर्बंधन ।
73. समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सेवोन्मुक्ति ।
74. मृतक समुद्र यात्रा वृत्तिकों और छोड़ दिए गए समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी और संपत्ति ।
75. विदेशी पत्तन पर सेवा की समाप्ति पर समुद्र यात्रा वृत्तिक का संप्रत्यावर्तन ।
76. कतिपय असंवितरित रकमों का उपयोग समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण के लिए किया जाना ।
77. पोत परिवहन मास्टरों द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय ।
78. पोत परिवहन मास्टर की पोत के कागजपत्र पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
79. मजदूरी के लिए संक्षिप्त कार्यवाहियां ।
80. मजदूरी के लिए वादों पर निर्बंधन ।
81. मजदूरी का कतिपय दशाओं में भारत के बाहर वसूली करने योग्य न होना ।
82. मजदूरी, संवितरण आदि के लिए मास्टर के उपचार ।
83. समुद्र यात्रा वृत्तिक और उनके नियोजकों के बीच विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।
84. अपने पोत के साथ नष्ट हो गए समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी, आदि की वसूली ।
85. नामनिर्देशन ।
86. कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक का उपचार और भरणपोषण ।
87. कष्ट का साक्ष्य ।
88. पोत परिवहन मास्टर द्वारा निरीक्षण ।
89. मुकद्दमेबाजी की बाबत समुद्र यात्रा वृत्तिक के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध ।
90. परिवाद लाने की सुविधाएं ।
91. उद्धारण के समनुदेशन या विक्रय का अविधिमान्य होना ।

खंड

92. पोत पर अनुज्ञा के बिना चढ़ने का प्रतिषेध ।

93. जीवन या पोत को खतरे में डालने वाले अवचार ।

94. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति ।

95. अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध ।

96. समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा माल की तस्करी ।

97. अधिकृत लॉग बुक में अपराधों की प्रविष्टि ।

98. अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट ।

99. विदेश में अभित्यजन की प्रविष्टियां और प्रमाणपत्र ।

100. मजदूरी के समपहरण के लिए कार्यवाहियों में अभित्यजन साबित करने के लिए सुविधाएं ।

101. समपहरण का उपयोजन ।

102. मजदूरी के लिए वादों में समपहरण और कटौती के प्रश्नों का विनिश्चय ।

103. पोत परिवहन मास्टर के साथ करार के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय ।

104. समुद्र यात्रा वृत्तिक को अभित्यजन के लिए फुसलाया जाना ।

105. भराई करने वालों और समुद्र यात्रा वृत्तिक का विवशता के अधीन वहन ।

106. मास्टर के परिवर्तन पर दस्तावेजों का उत्तराधिकारी को सौंपा जाना ।

107. विदेशों पोतों के अभित्याजक ।

108. अधिकृत लॉग बुक ।

109. इस भाग के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 6

बचाव और सुरक्षा

110. भाग का लागू होना ।

111. परिभाषाएं ।

112. बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं ।

113. घटनाओं की रिपोर्ट का किया जाना ।

114. संकट संकेत प्राप्त होने और खतरे में पड़े व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की बाध्यता ।

115. तलाशी और बचाव सेवाएं ।

116. रेडियो संसूचना अपेक्षाएं ।

117. जलयान के स्थिरत्व की जानकारी ।

118. भार रेखाओं का डूब जाना ।

119. जलयान द्वारा प्रमाणपत्र के बिना यात्रियों का वहन न करना ।

120. जलयान का विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना प्रस्थान न करना ।

121. अपराध ।

122. जलयान द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन न करना ।

123. अतरण्य जलयान का समुद्र में न भेजा जाना ।

124. जल यात्रा के योग्य होने के संबंध में स्वामी की समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रति बाध्यता ।

125. बचाव और सुरक्षा प्रबंधन ।

126. नियंत्रण उपाय और जलयानों का निरोध ।

खंड

127. जलयान को निरुद्ध करने की दशा में लागतों और नुकसान के लिए दायित्व ।

128. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 7

जलयान से प्रदूषण का निवारण और रोकथाम तथा प्रतिक्रिया

129. इस भाग का लागू होना ।

130. परिभाषाएं ।

131. समुद्र में बहिस्राव या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।

132. प्रदूषण को निवारित करना और उसकी रोकथाम की अपेक्षाएं तथा प्रतिक्रिया ।

133. जलयानों का समुद्र में वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।

134. अभिलेख पुस्तिकाएं ।

135. ग्रहण सुविधाएं ।

136. प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लिए उपाय करने की और घटनाओं की रिपोर्ट करने की शक्तियां ।

137. केंद्रीय सरकार की कतिपय जलयानों या व्यक्तियों को कतिपय सेवा प्रदान करने के लिए निदेश देने की शक्ति ।

138. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 8

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन

139. सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन ।

140. प्रमाणपत्र ।

141. सर्वेक्षक की शक्ति ।

142. अभिसमय उपबंधों का अनुपालन ।

143. भारत से बाहर जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

144. भारत में विदेशी जलयानों को और विदेशों में भारतीय जलयानों को प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।

145. इस भाग के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 9

सामुद्रिक उत्तरदायित्व और प्रतिकर

अध्याय 1

समुद्र में टक्कर, दुर्घटना और उत्तरदायित्व

146. लागू होना ।

147. दायित्व का प्रभाजन ।

148. वैयक्तिक क्षति के लिए नुकसानी ।

149. अभिदाय करने का अधिकार ।

150. टक्कर की दशा में जलयान के मास्टर का सहायता करने का कर्तव्य ।

151. अधिकृत लाग बुक में टक्करों की प्रविष्टि का किया जाना ।

152. जलयानों की दुर्घटनाओं की केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट ।

153. भारतीय जलयान के नुकसान की केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट का दिया जाना ।

अध्याय 2

समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा

154. लागू होना और परिभाषाएं ।

खंड

155. कतिपय दावों के संबंध में नुकसानी के लिए दायित्व की परिसीमा ।

156. परिसीमन को अपवर्जित करने का आचरण ।

157. प्रति दावे ।

158. दायित्व की परिसीमाएं ।

159. यात्री दावों के लिए सीमा ।

160. दावों का संकलन ।

161. परिसीमा निधि का गठन किए बिना दायित्व की परिसीमा ।

162. परिसीमन निधि का गठन ।

163. निधि का संवितरण ।

164. अन्य कार्रवाई का वर्जन ।

165. आवेदन का स्कोप ।

166. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 3

तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

167. इस अध्याय का लागू होना ।

168. परिभाषाएं ।

169. स्वामी का दायित्व ।

170. पोतों के लिए संयुक्त और पृथक् दायित्व ।

171. दायित्व की परिसीमा ।

172. परिसीमा निधि का गठन ।

173. प्रत्यासन द्वारा प्रतिकर के लिए अधिकार का अर्जन ।

174. दावों का समेकन और निधि का वितरण ।

175. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रत्याभूति ।

176. भारत से बाहर जारी किए गए प्रमाणपत्र का प्रतिग्रहण ।

177. प्रमाणपत्र के बिना भारतीय पत्तन में प्रवेश करने या उसे छोड़ने पर रोक ।

178. वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

179. परिसीमा अवधि ।

180. सरकारी पोत ।

181. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 4

बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

182. इस अध्याय का लागू होना ।

183. परिभाषाएं ।

184. बंकर तेल प्रदूषण के लिए दायित्व ।

185. दायित्व से छूट ।

186. दायित्व की परिसीमा के प्रति स्वामी का अधिकार ।

187. दायित्व की परिसीमा का अवधारण ।

188. दावों का समेकन और रकम का वितरण ।

189. दावों के अधिकार का निर्वापण ।

190. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखना ।

खंड

191. वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

192. प्रमाणपत्र जारी करना ।

193. प्रमाणपत्र के बिना पत्तन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक ।

194. अवलंबन का अधिकार ।

195. न्यायालय के विनिश्चय की मान्यता और उसका प्रवर्तन ।

196. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 5

अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि

197. लागू होना ।

198. परिभाषाएं ।

199. निधि में अभिदाय ।

200. निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय अभिदाय ।

201. निधि का दायित्व ।

202. सूचना की मांग करने की शक्ति ।

203. निधि के विरुद्ध दावे और न्यायालयों की अधिकारिता ।

204. दावों का निर्वापण ।

205. प्रत्यासन और अवलंब का अधिकार ।

206. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 10

अन्वेषण और जांच

207. सामुद्रिक दुर्घटनाएं और उनकी रिपोर्ट ।

208. केन्द्रीय सरकार की कार्यवाहियां आरंभ करने की शक्ति ।

209. समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रमाणपत्र को रद्द करने, निलंबित करने आदि की शक्ति ।

210. पुनः सुनवाई ।

भाग 11

ध्वंसावशेष और उद्धारण

अध्याय 1

ध्वंसावशेष

211. इस अध्याय का ध्वंसावशेषों को लागू होना ।

212. परिभाषाएं ।

213. ध्वंसावशेष के प्रापक ।

214. ध्वंसावशेषों की रिपोर्ट देने का कर्तव्य ।

215. परिसंकट का अवधारण ।

216. ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाना और उसे चिन्हित करना ।

217. आसन्न क्षेत्रों से गुजरने की शक्ति ।

218. ध्वंसावशेष के संबंध में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध ।

219. ऐसी दशा में तलाशी वारंट जहां ध्वंसावशेष अंतर्वलित है ।

220. ध्वंसावशेष को हटाने को सुकर बनाने के लिए उपाय ।

221. स्वामी का दायित्व ।

222. बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों को बनाए रखना ।

खंड

223. दायित्व का अपवाद ।

224. ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे ।

225. लागतों की वसूली के दावों के अधिकार का निर्वापन ।

अध्याय 2

उद्धारण

226. इस अध्याय का उद्धारण को लागू होना ।

227. परिभाषाएं ।

228. उद्धारण पुरस्कार ।

229. जलयान, स्थोरा ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।

230. सरकार या पत्तन और लोक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित उद्धारण प्रचालन ।

231. उद्धारण संविदाएं ।

232. उद्धारकर्ता, स्वामी और मास्टर के कर्तव्य ।

233. उद्धारण प्रचालनों के संबंध में केंद्रीय सरकार के अधिकार और कर्तव्य ।

234. उद्धारकर्ताओं के अधिकार ।

235. विवादों का न्यायनिर्णयन ।

236. दावों का निर्वापन ।

237. व्यावृत्तियां ।

238. ध्वंसावशेष और उद्धारण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 12

तटीय व्यापार में लगे भारतीय जलयानों और विदेशी जलयानों का नियंत्रण

239. भाग का लागू होना ।

240. जलयानों का अनुज्ञापन ।

241. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या उपांतरण ।

242. जब तक अनुज्ञप्ति पेश न की जाए तब तक पत्तन निकासी न देना ।

243. निदेश देने की शक्ति ।

244. अनुचित विदेशी हस्तक्षेपों से भारतीय पोतों के हितों की संरक्षा करने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां ।

245. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 13

चलत, मछली पकड़ने वाले और अन्य जलयान

246. इस भाग का लागू होना ।

247. इस संबंध में विनिश्चय कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है ।

248. संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण और बीमा के लिए अपेक्षाएं ।

249. किसी जलयान का विधिमान्य प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।

250. जलयानों के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखना ।

251. स्थोरा के माल प्रक्षेपण की जांच ।

252. समुचित अधिकारी द्वारा जलयान को निरुद्ध करना ।

253. समुद्र में न जाने योग्य जलयानों को निरुद्ध करना ।

254. छूट देने की शक्ति ।

255. नियम बनाने की शक्ति ।

खंड

भाग 14

शास्तियां और प्रक्रिया

256. शास्तियां ।
257. विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।
258. दंड की बाबत विशेष उपबंध ।
259. अपराधों का संज्ञान ।
260. कंपनी द्वारा अपराध ।
261. जब साक्षी को पेश न किया जा सके तब अभिसाक्ष्यों का साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना ।
262. नुकसान करने वाले विदेशी जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।
263. जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।
264. जंगम संपत्ति या जलयान के करस्थम् द्वारा मजदूरी आदि का उद्ग्रहण ।
265. विदेशी जलयान की बाबत की गई कार्यवाहियों का कौंसलीय प्रतिनिधि को सूचना देना ।
266. दस्तावेजों की तामील ।
267. यात्रा के दौरान जलयान फलक पर व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु ।
268. जलयान पर मृत्यु के कारण के बारे में या भारतीय जलयान से लापता व्यक्ति के बारे में जांच ।
269. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना ।
270. अन्वेषण, आदि करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों की शक्तियां ।
271. वैकल्पिक उपबंध और व्यवस्था को अनुज्ञात करने की शक्ति ।
272. परमाणु जलयान का नियंत्रण और सुरक्षा उपाय ।
273. विदेशी और भारतीय जलयानों को छूट ।
274. छूट देने की शक्ति ।
275. नियम बनाने की साधारण शक्ति ।
276. नियमों की बाबत उपबंध ।
277. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
278. अन्य देशों के साथ करार ।
279. कठिनाइयों का निराकरण ।

भाग 16

निरसन और व्यावृत्ति

280. निरसन और व्यावृत्ति ।

2016 का विधेयक संख्यांक 326

[दि मर्चेंट शिपिंग बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016

समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों जिनमें भारत एक पक्षकार है के अधीन देश की बाध्यताओं के अनुपान को सुनिश्चित करने को तथा राष्ट्रीय हितों के सर्वोत्तम उपयुक्त रीति की पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के प्रभावी अनुरक्षण को भी सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. (1) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम के ऐसे उपबंध, जो--

(क) ऐसे किसी जलयान को लागू होते हैं, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है ; या

(ख) ऐसे किसी जलयान को लागू होते हैं जो इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित है,

जहां यह भी वैसे ही लागू होंगे ।

(2) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम के ऐसे उपबंध जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयानों से भिन्न जलयानों को लागू होते है इस प्रकार केवल तब लागू होंगे जब ऐसा कोई जलयान भारत के भीतर है या भारत की अधिकारिता के भीतर जल में हों ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए और जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो इस अधिनियम के उपबंध भारतीय नियंत्रित टन भार जलयान को लागू नहीं होंगे ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "1992 दायित्व अभिसमय" से अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल दायित्व पर अभिसमय, 1992 अभिप्रेत है ;

(2) "कलुषित रोधी प्रणाली अभिसमय" से अंतरराष्ट्रीय पोतों पर अपहानिकर कलुषित रोधी प्रणाली के नियंत्रण पर अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है ;

(3) "संपरीक्षा" से अवधारण की कोई सुव्यवस्थित और स्वतंत्र प्रणाली अभिप्रेत है, चाहे वह योजना व्यवस्था के साथ अनुपालन किए जाने के लिए सुरक्षा अभिसमय में यथा उपबंधित प्रबंध प्रणाली और ऐसी व्यवस्थाओं का प्रभावी अनुपालन और वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है ;

(4) "स्थिरक जल प्रबंध अभिसमय" से पोत स्थिरक जल तलछट के नियंत्रण और प्रबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2004 अभिप्रेत है ;

(5) "सक्षमता का प्रमाणपत्र" या "प्रवीणता का प्रमाणपत्र" से धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त, यथास्थिति, सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(6) "तट" के अंतर्गत संकरी खाड़ी के तट और ज्वारीय जल भी है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए "ज्वारीय जल" से समुद्र का कोई भाग और सामान्यतया नदी के ज्वार-भाटे के प्रवाह के भाटे और ज्वार के भीतर नदी का कोई भाग अभिप्रेत है और जिसमें बंदरगाह नहीं होगा ;

(7) "भारत का तटीय व्यापार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के किसी अन्य पत्तन या स्थान को माल, यात्रियों का समुद्र द्वारा वहन ; या

(ख) भारत की अधिकारिता में जल के भीतर किसी सेवा का अनुपालन करना जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अधीन यथा परिभाषित जोन भी है ; 1976 का 80

(8) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है ; 2013 का 18

(9) "अभिसमय" से सामुद्रिक विषयों पर कोई अंतरराष्ट्रीय अभिसमय या संधि या करार और नवाचार अभिप्रेत है जिसमें भारत एक पक्षकार है ;

(10) "अभिसमय प्रमाणपत्र" से किसी अभिसमय के उपबंधों के अधीन जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(11) किसी कार्यवाही के संबंध में "न्यायालय" जिसके अंतर्गत मामले में अधिकारिता रखने वाला कोई न्यायालय भी है जिससे कार्रवाइयां संबंधित है ;

(12) "महानिदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक पोत परिवहन अभिप्रेत है ;

(13) "कष्टग्रस्त समुद्रयात्रा वृत्तिक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया कोई समुद्रयात्रा वृत्तिक अभिप्रेत है जो सेवा से उन्मुक्त हो जाने या पीछे छोड़ जाने अथवा परित्यक्त जिसके अंतर्गत विधि के अनुसरण में नहीं बंदी स्थिति या पोत भंग के कारण कष्टग्रस्त है ;

(14) किसी जलयान के संबंध में "उपस्कर" के अंतर्गत नावें, नौकों उपकरण, मशीनरी, बायलर, स्थोरा, हथालन, गियर, पंप और कोई फिटिंग मस्तूल प्रोपेलर, परिधान फर्नीचर, प्रत्येक प्रकार के जीवन रक्षा साधित्र बल्लियां, मस्तूल, रिंगिग और पाल, कोहरे के संकेत, बत्तियां, शेपें तथा कष्ट संकेत, औषधियां तथा भेषज और शल्य चिकित्सा संबंधी भंडार, साधित्र, चार्ट, रेडियों संस्थापन, आग रोकने, पता लगाने या बुझाने के साधित्र, बाल्टियां, कंपास, कुल्हाड़ियां, लालटेंने, लदाई और उतराई के गियर तथा सभी प्रकार से साधित्र और सभी अन्य भंडार और पुर्जे या वस्तुएं भी है जो पोत की हों या पोत के नौपरिवहन और सुरक्षा, प्रदूषण रोकने के संबंध में उपयोगी या आवश्यक हों ;

(15) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,--

(i) किसी पुरुष की दशा में, उसकी पत्नी, उसकी संतान, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उस पर आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और संतान :

परंतु यदि कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि उसकी पत्नी, उसे शासित करने वाली ऐसी स्वीय विधि या समुदाय की ऐसी रुढ़िजन्य विधि के अधीन जिससे पति या पत्नी संबंधित हैं, भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं रह गई हैं तो वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति के कुटुंब की सदस्य नहीं समझी जाएगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति तत्पश्चात् लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को अभिव्क्त रूप से यह सूचित नहीं कर देता है कि उसे उसी रूप में माना जाए ; और

(ii) किसी महिला की दशा में, उसका पति, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और संतान :

परंतु यदि कोई महिला, केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुंब से अपवर्जित करने के लिए इच्छा प्रकट करती है तो उसका पति, उसके पति पर आश्रित माता-पिता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे महिला के कुटुंब के सदस्य नहीं समझे जाएंगे, जब तक कि ऐसी महिला तत्पश्चात् ऐसी सूचना को लिखित रूप से रद्द नहीं कर देती है ।

स्पष्टीकरण--उपर्युक्त दोनों दशाओं में से किसी में, यदि किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, संतान या उसके मृत पुत्र की संतान, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दत्तक-ग्रहण कर ली जाती है और यदि दत्तक की स्वीय विधि के अधीन दत्तक-ग्रहण वैध रूप से मान्य है तो ऐसी संतान प्रथम वर्णित व्यक्ति के कुटुंब से अपवर्जित समझी जाएगी ;

(16) "मछली पकड़ने का जलयान" से कोई यान जलयान अभिप्रेत है जो अनन्यता

समुद्र में मछली पकड़ने में लगा हुआ है ;

(17) "सकल टन भार" से इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसरण में किसी यान के अवधारण संपूर्ण आकार की माप अभिप्रेत है ;

(18) "जलयान" के संबंध में, "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अपीली अधिकारिता की सीमाओं के भीतर–

(क) जलयान का रजिस्ट्री पत्तन स्थित हैं ; या

(ख) जलयान उस समय है ; या

(ग) वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उद्भूत हुआ है ;

(19) "भारतीय कौंसलीय आफिसर" से केन्द्रीय सरकार द्वारा महाकौंसल, कौंसल, उप-कौंसल, कौंसलीय अभिकर्ता और प्रो-कौंसल के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा महाकौंसल, कौंसल, उप-कौंसल, कौंसलीय अभिकर्ता और प्रो-कौंसल के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी है ;

(20) "भारतीय नियंत्रित टन भार जलयान" से किसी मछली पकड़ने वाली नौका या चलत जलयान से भिन्न धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन भारत से भिन्न किसी देश में किसी पत्तन या स्थान पर रजिस्ट्रीकृत कोई भारतीय जलयान अभिप्रेत है ;

(21) "भारतीय पोत या भारतीय जलयान" से जो धारा 14 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सारतः स्वामित्व में है, यथास्थिति, कोई पोत या जलयान अभिप्रेत है ;

(22) "सा.दा.दा.प.अभिसमय" से सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय, 1996 अभिप्रेत है ;

(23) "सामुद्रिक श्रमिक अभिसमय" से सामुद्रिक श्रमिक अभिसमय 2006, अभिप्रेत है ;

(24) "मारपोल अभिसमय" से पोतों से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय 1973 और इसके नवाचार अभिप्रेत है ;

(25) "मास्टर" से पोत का समावेशन या उसका भारसाधक ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत (पायलट या किसी बंदरगाह मास्टर के सिवाय) भी है ;

(26) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" शब्द का तदनुसार अर्थ होगा ;

(27) किसी जलयान के संबंध में "स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका वह जलयान है या जिसका जलयान में कोई अंश है ;

(28) "यात्री" से निम्नलिखित के सिवाय ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे जलयान पर सवार करके ले जाया जाता है,-

(क) ऐसा व्यक्ति जो जलयान के कारबार के लिए किसी भी हैसियत से जलयान पर नियोजित है या लगा हुआ है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो या तो मास्टर पर अधिरोपित इस बाध्यता के अनुसरण में कि उसे जलयान ध्वस्त, कष्टग्रस्त या अन्य व्यक्तियों को ले जाना होगा, या किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन्हें मास्टर या चार्टर, यदि कोई है, न तो रोक सकता था न निवारित कर सकता था, पोत पर है ;

(ग) एक वर्ष से कम आयु का बालक ;

(29) "यात्री जलयान" से बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला जलयान अभिप्रेत है ;

(30) "प्रदूषण क्षति" से निम्न अभिप्रेत है,--

(क) जलयान से स्थोरा, तेल या किसी अन्य सामग्री के बाहर निकलने, निस्सरण या बहने के परिणामस्वरूप यान के बाहर होने वाली नुकसान या क्षति चाहे ऐसे निकलने, निस्सरण या बहने के कारण हुआ है ; या

(ख) निवारक उपायों की लागत और इसके अतिरिक्त निवारक उपायों द्वारा कारित हानि या क्षति ;

(31) "प्रदूषण निवारण अभिसमय" से जलयानों से प्रदूषण के निवारण से संबंधित कोई अभिसमय अभिप्रेत है जिसमें भारत एक पक्षकार है, जिसके अंतर्गत मारपोल अभिसमय, कलुषित रोधी प्रणाली अभिसमय और स्थिरक जल प्रबंध अभिसमय भी है ;

1908 का 15

(32) "पत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (4) में यथापरिभाषित पत्तन अभिप्रेत है ;

(33) "पत्तन प्राधिकरण" से निम्न अभिप्रेत है,--

(क) किसी महापत्तन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उक्त पत्तन के गठन के संबंध में, यथास्थिति, न्यासी बोर्ड या निदेशक बोर्ड ;

1908 का 15

(ख) किसी अन्य पत्तन के संबंध में भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 7 के अधीन नियुक्त पत्तन का संरक्षक ;

(ग) किसी टर्मिनल या स्थान के संबंध में जो किसी पत्तन के भाग के रूप में नहीं है, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अधीक्षण में टर्मिनल या स्थान प्रचालित है ;

(34) किसी जलयान या चलित जलयान, मछली पकड़ने के जलयान या किसी अन्य जलयान के संबंध में, "रजिस्ट्री पत्तन" से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जहां उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया जाना है ;

(35) "निहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(36) "प्रधान अधिकारी" इस अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(37) "कार्यवाही" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन कोई वाद, अपील या आदेश भी है ;

(38) "समुचित अधिकारी" से किसी पत्तन या स्थान पर और ऐसे किसी विषय की बाबत जिसके प्रति इस अधिनियम के ऐसे किन्हीं उपबंधों में, जिसमें वह पद आता है, निर्देश किया गया हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(39) "समुचित वापसी पत्तन" से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिस पर समुद्र यात्रा वृत्तिक और उसके नियोजक ने करार में या अन्यथा या करार की अनुपस्थिति में पत्तन जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजित किया गया है या जलयान में सम्मिलित किया गया है ;

(40) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की और उसके संबंध में, "संपत्ति" जिसके अंतर्गत उसका व्यक्तिगत सामान भी है ;

(41) किसी पत्तन, टर्मिनल, पोत यार्ड, पोत मरम्मत सुविधाएं या पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के संबंध में, "स्वागत सुविधाएं" से प्रदूषण निवारण अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी पदार्थ के बहने या उसके जमा करने की पत्तन, टर्मिनल पोत यान, पोत मरम्मत सुविधाएं या पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं उपयोग के लिए जलयान को सक्षम करने की सुविधाएं अभिप्रेत है ;

(42) "रजिस्ट्रार" से धारा 15 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(43) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से जलयान के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों अभिप्रेत है ;

(44) "हटाया जाना" से किसी भग्न पोत द्वारा सृजित किसी परिसंकट को रोकने, न्यूनीकरण करने के लिए या उसे हटाने का कोई प्ररूप अभिप्रेत है और "हटाना", "हटा दिया गया" और "हटाया जाना" पदों का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा ;

(45) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(46) "सुरक्षा अभिसमय" से समुद्र में सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 और इसके नवाचार अभिप्रेत है ;

(47) "चलित जलयान" से केवल पालों से नौपरिवहन के लिए पर्याप्त पाल क्षेत्र सहयुक्त पुराना बना हुआ लकड़ी का जलयान अभिप्रेत है चाहे उसमें नोदन के यांत्रिक साधन लगे हो या नहीं किंतु इसके अंतर्गत क्रीड़ा नौका नहीं है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजन के लिए "पुराना बना हुआ लकड़ी का जलयान" से पारंपरिक लकड़ी का जलयान अभिप्रेत है जो प्राथमिक रूप से नौदित नहीं है ;

(48) "उद्धारण" से किसी जलयान या जो किसी नाव्य जल या किसी अन्य जल चाहे वह कोई भी हो, खतरे में कोई अन्य संपत्ति की सहायता के लिए किया गया कोई कार्य या क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(49) "उद्धारण अभिसमय" से उद्धारण पर अंतरराष्ट्रीय उद्धारण अभिसमय, 1989 अभिप्रेत है ;

(50) "उद्धारक" से उद्धारक प्रचालन से सीधे संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(51) जलयान के संबंध में "समुद्रगामी" से जल से या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किए गए सागर खंड से परे जाने वाला या जाने के लिए आशयित कोई जलयान अभिप्रेत है ;

(52) "समुद्र यात्रा वृत्तिक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी समुद्र में जाने वाले जलयान के फलक पर नियोजित है या किसी भी हैसियत में नियोजित है या कार्य करता है किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,--

(i) कोई व्यक्ति जो किसी युद्धपोत या किसी सैनिक या गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी सरकारी जलयान में नियोजित कोई व्यक्ति है किसी भी क्षमता में फलक पर नियोजित या लगाया गया या कार्यरत है ; या

(ii) कोई अन्य व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;

(53) "समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय अभिप्रेत है ;

(54) "समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है ;

(55) किसी जलयान के संबंध में "यात्रा योग्यता" से इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सभी विधिमान्य प्रमाणपत्र होना अभिप्रेत है और क्या सामग्री या संरचना, हल और उपस्करों की दशा, ऊर्जा और मशीनरी ; संरक्षा, सुरक्षा और प्रदूषण निवारण के प्रबंध ; स्थिरक भार या स्थोरा का भरण ; जलयात्रा या सेवा के लिए उपयुक्त जिसके अंतर्गत जलयान के नौआरोहण की कार्यकारी निवास और कार्य की दशाएं जलयान के समुद्र यात्रा वृत्तिक की स्वास्थ्य संरक्षा, सुरक्षा या कल्याण के लिए आसन्न संकट भी है, संख्या और अन्य प्रत्येक संदर्भ में उपयुक्त है ;

(56) "पोत" से जल के अन्दर या जल के ऊपर चलने वाले जलयानों में कोई स्वयं नोदित नौचालन में उपयोग किए जाने वाला या उपयोग का सामर्थ्य रखने वाला कोई जलयान अभिप्रेत है ; किंतु जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने वाला या नौचालन जलयान नहीं है ;

(57) "पोत स्वामी" से स्वामी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी अनावृत नौका चार्टर, प्रबंधक और प्रचालक भी है ;

(58) "पोत परिवहन मास्टर" से धारा 10 के अधीन नियुक्त पोत परिवहन मास्टर अभिप्रेत है :

परंतु धारा 89 के प्रयोजन के लिए किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के संबंध में उक्त धारा में निर्दिष्ट कोई पोत परिवहन मास्टर से निम्न अभिप्रेत है,--

(क) पत्तन के लिए जिस पर समुद्र यात्रा वृत्तिक करार करता है या करार करने का विश्वास रखता है ; या

(ख) जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक उसकी नवीनतम जलयात्रा के पूर्ण होने पर भारत में अपना करार नहीं करता हैं पत्तन के लिए जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक वापस लौटेगा या लौटने की संभावना है ;

(59) "पोत परिवहन कार्यालय" से धारा 10 के अधीन स्थापित पोत परिवहन कार्यालय अभिप्रेत है ;

(60) "विशेष व्यापार" से एसटीपी करार में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर समुद्र द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों का प्रवहन अभिप्रेत है :

स्पष्टीकरण--"एसटीपी करार" पद से विशेष व्यापार यात्री पोत करार, 1971 और विशेष व्यापार यात्री पोत के लिए स्थान अपेक्षा पर नवाचार, 1973 अभिप्रेत है ;

(61) "विशेष व्यापार यात्री" से ऐसा यात्री अभिप्रेत है जिसे विशेष व्यापार यात्री पोत में खुले डैक या ऊपरी डैक या ऐसे डैकों के उन रिक्त स्थानों में ले जाया जाता है जहां आठ से अधिक यात्रियों के लिए स्थान है ;

(62) "विशेष व्यापार यात्री पोत" से तीस से अधिक विशेष व्यापार यात्रियों को ले जाने वाला यंत्र चालित पोत अभिप्रेत है ;

(63) "प्र.नि.मा. अभिसमय" से समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1978 अभिप्रेत है ;

(64) "सर्वेक्षक" "विशेष व्यापार यात्री पोत" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन

नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(65) "टैंकर" से कोई जलयान जिसके स्थोरा स्थान में थोक में द्रव या गैस को वहन करने को प्राथमिक रूप से निर्मित या अंगीकृत किया गया जलयान अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई सम्मिलित वाहक और किसी अन्य प्रकार का जलयान जब वह कोई स्थोरा वहन करता है या उसका स्थोरा का कोई भाग थोक में द्रव या गैस है ;

(66) "टिंडल" से चलत जलयान का समनुदेशन करने वाला या उसका भारसाधक अभिप्रेत है ;

(67) "अधिकरण" से धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(68) "यात्रा अयोग्य जलयान" वह जलयान है जो यात्रा योग्य नहीं है ;

(69) "जलयान" जिसके अंतर्गत समुद्री पर्यावरण में उपयोग होने वाले या उपयोग होने के लिए प्रत्येक विवरण के सक्षम जलयान जैसे पोत, नाव, चलत जलयान, मछली पकड़ने के जलयान, पनडुब्बी, अर्ध-पनडुब्बी, जलतरणी, गैर-स्थानांतरित जलयान, जल स्थल जलयान, वायु से भूमि जलयान, आमोद-प्रमोद के जलयान, बजरा, माल नौका, चल अपतट भेदन इकाइयां, चल अपतट इकाइयां या किसी अन्य विवरण का कोई जलयान भी हैं ;

(70) "मजदूरी" के अंतर्गत परिलब्धियां भी है ;

(71) "ध्वंसावशेष" के अंतर्गत निम्नलिखित सामुद्रिक दुर्घटनाएं भी है, अर्थात् :--

(क) कोई डूबा हुआ या उत्कूलित जलयान ;

(ख) किसी डूबे हुए या उत्कूलित जलयान का कोई भाग जिसके अंतर्गत कोई वस्तु, माल या स्थोरा जो ऐसे किसी जलयान के बोर्ड पर है या था ;

(ग) कोई वस्तु या माल या स्थोरा जो किसी जलयान से समुद्र में खो गया है और वह समुद्र में उत्कूलित, डूबा हुआ या बहता हुआ है ;

(घ) कोई जलयान जो संकटग्रस्त है या होने वाला है या डूबने या उत्कूलित होने की युक्तियुक्त संभावना है जहां जलयान या संकटग्रस्त किसी संपत्ति की सहायता के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा सके हैं ; या

(ङ) कोई जलयान जिसकी प्रतिउद्धरण की आशा या आशय के बिना परित्यक्त कर दिया गया है ।

भाग 2

बोर्ड और साधारण प्रशासन की स्थापना

अध्याय 1

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्डों की स्थापना

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् पोत परिवहन बोर्ड कहा गया है) स्थापित करेगी ।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) संसद् द्वारा निर्वाचित छह सदस्य, जिसमें से चार लोक सभा द्वारा और दो राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होंगे ;

(ख) सोलह से अनधिक अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा पोत परिवहन बोर्ड में,--

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) पोत स्वामी ;

(iii) समुद्र यात्रा वृत्तिक ; और

(iv) ऐसे अन्य हितों जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए,

का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करना ठीक समझे :

परंतु पोत परिवहन बोर्ड ने पोत स्वामी और समुद्र यात्रा वृत्तिक को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति समान संख्या में रखे जाएंगे ।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि संसद् के किसी सदस्य की जिसके लिए वह निर्वाचित है, के समाप्त हो जाने पर यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक को पोत परिवहन बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(5) पोत परिवहन बोर्ड,--

(क) भारतीय पोत परिवहन से संबंधित विषयों पर जिसके अंतर्गत उसका विकास भी है ; और

(ख) इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले अन्य विषयों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट करें,

केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा ।

(6) पोत परिवहन बोर्ड को अपनी प्रतिक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--

(क) पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि ;

(ख) पोत परिवहन बोर्ड में रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ग) पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते ;

(घ) पोत परिवहन बोर्ड में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके सेवा के निबंधन और शर्तें ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड का गठन ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण का संवर्द्धन करने के लिए उपायों पर साधारणतः और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् कल्याण बोर्ड कहा गया है) गठन करेगी, अर्थात् :--

(क) समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए होस्टल या आवास और वास गृहों की स्थापना ;

(ख) समुद्र यात्रा वृत्तिक की प्रसुविधा के लिए क्लबों, कैंटीन, पुस्तकालयों और अन्य समान सुख सुविधाओं की स्थापना ;

(ग) समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए अस्पतालों और चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाओं की

स्थापना ;

(घ) समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं का उपबंध करना ;

(ङ) संकटग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(च) समुद्र यात्रा वृत्तिक जो विदेशी है किंतु भारतीय अधिकारिता के भीतर जल में परित्यक्त की दशा में किए जाने वाले उपाय ;

(छ) समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण के प्रवर्धन के लिए किए जाने वाले कोई अन्य उपाय ।

(2) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी,--

(क) कल्याण बोर्ड की संरचना और उनको सदस्यों की पदावधि ;

(ख) कल्याण बोर्ड द्वारा कारबार के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) कल्याण बोर्ड के सदस्य को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(घ) समुद्र यात्रा वृत्तिक को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के प्रयोजन के लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक के स्वामियों द्वारा संदेय फीस के उद्ग्रहण की दर और समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण के लिए किए जाने वाले अन्य उपाय ;

(ङ) प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई फीस कोई अन्य फीस जिसमें ऐसी फीस के आगमों का संग्रहण वसूली और रीति की प्रक्रिया हो सकेगी, संग्रहण की लागत की कटौती के पश्चात् खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

अध्याय 2

साधारण प्रशासन

महानिदेशक, पोत परिवहन ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियां प्राधिकार या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन के लिए महानिदेशक, पोत परिवहन नियुक्त कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के किन्हीं ऐसे उपबंधों के अधीन या उनके संबंध में, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कोई शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य है, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, महानिदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होगी ।

(3) महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निर्दिष्ट कर सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन महानिदेशक को प्रदत्त या प्रत्यायोजित किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता का और अधिरोपित किसी कर्तव्य का, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसी उस पर अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाएगा, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी महानिदेशक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

सर्वेक्षक ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पत्तनों पर या स्थानों पर, जहां वह आवश्यक समझे, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के

लिए सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थोरा पोतों की दशा में, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जैसे वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक या सर्वेक्षकों के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "स्थोरा जलयान" से कोई जलयान अभिप्रेत है जो यात्री जलयान नहीं है ।

(3) सर्वेक्षक, नौ सर्वेक्षक, पोत सर्वेक्षक, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक या कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक होंगे और जिसके अंतर्गत नौ उप सलाहकार, उप मुख्य सर्वेक्षक, उप मुख्य पोत सर्वेक्षक, प्रमुख अधिकारी, मुख्य पोत सर्वेक्षक, मुख्य सर्वेक्षक और नौ सलाहकार भी हैं ।

(4) ऐसे पत्तन या स्थान पर, जहां इस धारा के अधीन नियुक्त कोई सर्वेक्षक उपलब्ध न हो, केन्द्रीय सरकार, किसी अर्हित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

रेडियो निरीक्षक ।

8. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने रेडियो निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षानुसार रेडियो संचार से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

वाणिज्यिक समुद्री विभाग ।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए भारत में मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोच्चि, कांडला और अन्य ऐसे पत्तन या स्थानों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालय स्थापित कर सकेगी और बनाए रखेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोच्चि, कांडला और अन्य ऐसे पत्तन या स्थानों पर, वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालयों का मुख्य अधिकारी भारसाधक होगा और अन्य पत्तनों या स्थानों के कार्यालयों का भारसाधक ऐसा अधिकारी होगा जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

पोत परिवहन कार्यालय ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में ऐसे प्रत्येक पत्तन में, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, एक पोत परिवहन कार्यालय स्थापित कर सकेगी और वहां एक पोत परिवहन मास्टर और उतने उपपोत परिवहन मास्टर तथा सहायक पोत परिवहन मास्टर नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे पत्तन पर जिस पर कोई पृथक् पोत परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, पोत परिवहन कार्यालय का कारबार, संपूर्ण रूप या भागतः सीमाशुल्क कार्यालय में या पत्तन अधिकारी के कार्यालय में या किसी ऐसे अन्य कार्यालय में, जैसा केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, संचालित होगा और तदुपरि ऐसे कारबार का संचालन तदनुसार किया जाएगा ।

(3) उप पोत परिवहन मास्टर, सहायक पोत परिवहन मास्टर और ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे पोत परिवहन कार्यालय का कारबार उपधारा (2) के अधीन सुपुर्द किया गया है, या उसके समक्ष किए गए सब कार्यों का वही प्रभाव होगा मानो वे पोत परिवहन मास्टर द्वारा या उसके समक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए हैं ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में प्रत्येक ऐसे पत्तन पर जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, एक समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय स्थापित कर सकेगी और वहां एक निदेशक और उतने उप निदेशक तथा सहायक निदेशक नियुक्त कर सकेगी जितने वह

आवश्यक समझे ।

(2) निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक केन्द्रीय सरकार के या किसी ऐसे मध्यवर्ती प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे पत्तन पर जहां कोई पृथक् समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय के कृत्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जाएगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और तदुपरि इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का कार्यालय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस पत्तन पर स्थापित समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही सभी विद्यमान समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय स्थापित हुए समझे जाएंगे ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार भारत में या उसके बाहर ऐसे पत्तनों पर, जहां वह आवश्यक समझे, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी–

(क) भारत में किसी पत्तन पर नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी की दशा में, समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण संबंधी ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं ;

(ख) भारत के बाहर किसी पत्तन पर नियुक्ति किसी ऐसे अधिकारी की दशा में, समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण संबंधी ऐसे कृत्यों का और भाग 7 के अधीन भारतीय कौंसलीय आफिसर के ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समनुदेशित करे ।

(3) यदि भारत के बाहर किसी पत्तन पर नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी भाग 5 के अधीन भारतीय कौंसलीय अधिकारी को समनुदेशित किन्हीं कृत्यों का पालन करता है तो ऐसे कृत्यों का वही प्रभाव होगा मानो उनका पालन भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा उस भाग के प्रयोजनों के लिए किया गया था ।

स्पष्टीकरण–शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही सभी विद्यमान समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार अधिकारी इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार अधिकारी नियुक्त हुए समझे जाएंगे ।

भाग 3

जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

भाग का लागू होना ।

13. यह भाग चलत जलयानों को लागू होगा ।

अध्याय 1

भारतीय जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्टर कराने की बाध्यता ।

14. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान भारत में किसी पत्तन या स्थान पर जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पत्तन के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगा :

परंतु तटीय जलयान अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान इस भाग

के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस भाग के उपबंधों के अधीन पुनः रजिस्ट्रीकृत होंगे :

1838 का 39

परंतु यह और कि तटीय जलयान अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान के सिवाय इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन भारत के किसी पत्तन पर इस अधिनियम के प्रारंभ पर रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और किसी भारतीय जलयान के रूप में मान्यताप्राप्त होगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, किन्हीं छूटों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, सीमाशुल्क प्राधिकारियों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों, तटीय पुलिस और अन्य पुलिस अभिकरणों के सभी जलयान इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई भारतीय जलयान, जो विहित की जाए, भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत विहित ऐसी दशाओं के अधीन हो सकेगा ।

(3) कोई जलयान, भारतीय जलयान या कोई भारतीय नियंत्री टन भार जलयान नहीं होगा जब तक कि ऐसा जलयान निम्नलिखित किन्हीं व्यक्तियों के सारतः स्वामित्व में नहीं है, अर्थात् :--

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई कंपनी या निकाय जिसका कारबार का प्रधान स्थान भारत में है ; या

1912 का 2

(ग) कोई सहकारी सोसाइटी जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सारतः स्वामित्व" से किसी जलयान के स्वामित्व के शेयरों में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करना अभिप्रेत है ।

(4) यदि कोई भारतीय जलयान रजिस्ट्री के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना समुद्र में जाता है, ऐसे भारतीय जलयान को निरुद्ध कर लिया जाएगा जब तक कि वह समुचित अधिकारी को रजिस्ट्री का अपना विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार ।

15. (1) किसी पत्तन के वाणिज्य पोत परिवहन विभाग का प्रमुख अधिकारी उक्त पत्तन के भारतीय जलयान के रजिस्ट्रार होंगे और भारत के अन्य स्थानों पर ऐसे प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त पत्तन पर भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करे ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार एक रजिस्ट्रीकरण बही रखेगा और उक्त बही में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के अभिलेखों को रखेगा, उनका अनुरक्षण ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ।

रजिस्ट्री के लिए आवेदन ।

16. किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्री के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

रजिस्ट्री से पूर्व जलयान का चिन्हांकन, सर्वेक्षण और माप ।

17. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान का स्वामी जिसने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है रजिस्ट्री से पूर्व ऐसे जलयान का चिन्हांकन, सर्वेक्षण और माप कराएगा तथा उसके टन भार का सर्वेक्षक द्वारा ऐसी रीति में अभिनिश्चित कराएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सर्वेक्षक जलयान के टन भार, निर्माण के प्रकार को तथा जलयान की पहचान के विवरण से युक्त ऐसी अन्य विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक प्रमाणपत्र देगा और सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र रजिस्ट्री से पहले ही रजिस्ट्रार को परिदत्त किया जाएगा ।

इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने वाले भारतीय जलयान के हक की जांच करने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।

18. (1) जहां रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले भारतीय जलयान के हक की कोई शंका उत्पन्न होती है वह अपने समाधान के लिए साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त जलयान किसी भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार है ।

(2) यदि रजिस्ट्रार को उसके समाधानप्रद रूप में कोई साक्ष्य नहीं दी जाती है कि जलयान उपधारा (1) के अधीन भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार है जलयान समपहरण के लिए दायी होगा ।

रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र का दिया जाना ।

19. (1) किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्री पूरी हो जाने पर, रजिस्ट्रार एक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र देगा जिसमें वे विशिष्टियां होंगी जो रजिस्ट्रीकरण बही में प्रविष्टि की गई है ।

(2) प्रत्येक जलयान को एक टन भार प्रमाणपत्र जारी होगा जिसमें सकल टन भार और कुल टन भार जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया जाए ।

(3) किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के विरूपित या विकृत हो जाने की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के जलयान का रजिस्ट्रार स्वामी द्वारा प्रमाणपत्र उसे देने या इस प्रभाव से कि किसी घोषणा के किए जाने पर कि प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी करेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "सकल" टन भार से इस निमित्त बनाए गए नियमों के अंतरण में किसी जलयान की उपयुक्त क्षमता का माप का अवधारण अभिप्रेत है ।

प्रमाणपत्र की अभिरक्षा ।

20. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग केवल जलयान के विधिपूर्ण नौपरिवहन के लिए किया जाएगा, और किसी स्वामी, बंधकदार या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका जलयान पर कोई हक, धारणाधिकार, प्रभार या उसमें कोई हित है या जो उसका दावा करता है, उसके आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को परिरुद्ध नहीं कर सकेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे जलयान में उसका हित है या नहीं, जिसके कब्जे या नियंत्रण में पोत का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है, पोत को विधिपूर्ण नौपरिवहन के प्रयोजन के लिए उक्त प्रमाणपत्र को अभिरक्षा में रखने के हकदार व्यक्ति द्वारा, या किसी रजिस्ट्रार, सीमाशुल्क कलक्टर या ऐसे परिदान की अपेक्षा विधि द्वारा करने के हकदार अन्य व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उक्त प्रमाणपत्र को उचित कारण के बिना परिदत्त करने से इंकार या लोप नहीं करेगा ।

(3) यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर या स्वामी किसी पोत की बाबत विधिपूर्वक न दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस जलयान के परिवहन के उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयास करेगा तो वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा और जलयान समपहृत किए जाने के दायित्व के अधीन होगा ।

स्वामित्व के परिवर्तन का प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन ।

21. किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है, भारतीय जलयान का स्वामित्व का संरक्षण के पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र देगा जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में पृष्ठांकन करेगा, जो विहित की जाए ।

भारतीय जलयान के खो जाने या भारतीय जलयान न रहने पर प्रमाणपत्र का परिदत्त किया जाना ।

22. किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान के वस्तुतः या आन्वयिक खो जाने या शत्रु द्वारा ले जाए जाने या भारतीय जलयान के किसी अन्य कारण से भारतीय पोत न रहने की दशा में या तत्संबंधित समय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की दशा में, जलयान का प्रत्येक स्वामी घटना की जानकारी प्राप्त होने के तत्काल पश्चात्, यदि रजिस्ट्रार को इसकी सूचना पूर्व में नहीं दी गई है, रजिस्ट्री के अपने जलयान के रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देगा और उक्त रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में इसकी प्रत्येक प्रविष्टि अंकित करेगा तथा रजिस्ट्री में उक्त बही, उसमें प्रविष्टि किसी असमाधानप्रद बंधक के सिवाय बंद कर दी गई मानी जाएगी ।

भारतीय पोत का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण ।

23. (1) यदि कोई जलयान किसी पत्तन या स्थान पर, किसी भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार हो जाता है,--

(क) रजिस्ट्रार ; या

(ख) भारतीय काउंसिल आफिसर ; या

(ग) भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,

ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में छह मास से अनधिक अवधि की किसी अवधि के लिए रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और रजिस्ट्री का ऐसा अनंतिम प्रमाणपत्र रजिस्ट्री के किसी प्रमाणपत्र का प्रभाव रखेगा :

परंतु रजिस्ट्रार अनंतिम प्रमाणपत्र की विधिमान्यता किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो तीन मास से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अनंतिम प्रमाणपत्र निरस्त करने के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त करना होगा जहां किसी जलयान का स्थायी रजिस्ट्रीकरण हो जाता है ।

(3) जहां कोई जलयान अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत है और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसका रजिस्ट्रीकरण पूर्ण नहीं होता है तो जलयान के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण (किसी असंतुष्ट बंधक की प्रविष्टि के संबंध के सिवाय) रजिस्ट्रीकरण समाप्त समझा जाएगा, और रजिस्ट्रार रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करेगा ।

भारतीय जलयान या अंशों का अंतरण ।

24. (1) जब कोई व्यक्ति, किसी ऐसे समय जिसके दौरान युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है और जिसके दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भारतीय जलयान या उसमें किसी अंश या हित का अंतरण या अर्जन नहीं करेगा और इस उपबंध के उल्लंघन में किया गया कोई संव्यवहार शून्य और अप्रवर्तनीय होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह भारतीय पोत परिवहन के टन भार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो आदेश द्वारा किसी ऐसे अंतरण या अर्जन का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगी ।

(3) किसी भारतीय जलयान का अंतरण या अर्जन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि,--

(क) उसके रजिस्टर में प्रविष्ट सभी बंधकों का समाधान नहीं हो जाता है या बंधकदार और नया स्वामी जलयान के अंतरण के लिए अपनी लिखित में सहमति नहीं दे देता है ;

(ख) उस जलयान पर समुद्र यात्रा वृत्तिक के नियोजन के संबंध में उनको देय सभी मजदूरी और अन्य रकमों का संदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न कर दिया गया हो ;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा जलयान के अंतरण या किसी व्यवहार के प्रतिषिद्ध करने के लिए किए गए किसी आदेश की अस्तित्वशील प्रविष्टि ;

(घ) कोई असंदत्त कानूनी फीस जो जलयान पर उद्ग्रहणीय हो सकेगी और रजिस्ट्रार को लिखित में सूचना की गई हो ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भारतीय जलयान का या उसमें किसी अंश का अंतरण केवल लेखबद्ध लिखत द्वारा किया जाएगा ।

(5) लिखत में जलयान का वही ब्यौरा होगा जो सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र में है या कोई अन्य

विवरण होगा जो भारतीय जलयान के रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो और लिखत ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए और अंतरक द्वारा कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित की जाएगी और उन साक्षियों द्वारा सत्यापित की जाएगी ।

अंतरण के रजिस्ट्रीकरण ।

25. (1) भारतीय जलयान या उसमें के किसी अंश के अंतरण की प्रत्येक लिखत जब सम्यक् रूप से निष्पादित हो जाए, तब जलयान के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की जाएगी और तब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री बही में अंतरिती का नाम यथास्थिति, पोत या अंश के स्वामी के रूप में प्रविष्ट करेगा और यह तथ्य कि प्रविष्टि कर ली गई है प्रविष्टि करने की तारीख और समय के साथ लिखत पर पृष्ठांकित करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी लिखत रजिस्ट्री बही में उसी क्रम में प्रविष्ट की जाएगी जिसमें वह रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की जाती है ।

मृत्यु, दिवाला आदि की दशा में भारतीय पोत में स्वत्व का पारेषण ।

26. (1) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु हो जाने या उसके दिवालिया हो जाने पर किसी भारतीय जलयान या उसमें के अंश के स्वत्व का पारेषण किसी व्यक्ति को किया गया है अथवा किसी ऐसे विधिपूर्ण साधन द्वारा अंतरण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन अंतरण से भिन्न है, वहां,--

(क) वह व्यक्ति जलयान की पहचान बताते हुए विहित रूप में एक घोषणा (जिसे इस अधिनियम में पारेषण घोषणा कहा गया है) करेगा तथा उस रीति के बारे में जिसमें, तथा उस व्यक्ति के बारे में जिसको स्वत्व का पारेषण किया गया है, एक विवरण भी देगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा तथा पारेषण को प्राधिकृत करेगा ;

(ख) यदि पारेषण दिवालिएपन के परिणामस्वरूप हुआ है तो पारेषण घोषणा के साथ ऐसे दावे का उचित सबूत भी दिया जाएगा ;

(ग) यदि पारेषण मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ है तो पारेषण घोषणा के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति भी दी जाएगी । 1926 का 39

(2) रजिस्ट्रार, अपेक्षित दस्तावेजों सहित, ऐसी पारेषण घोषणा प्राप्त होने पर पारेषण के अधीन उस जलयान या उसके अंश के, जिसका स्वत्व पारेषित हुआ है, स्वामी के रूप में हकदार व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री बही में प्रविष्ट करेगा तथा जहां एक से अधिक व्यक्ति हों वहां उन सभी व्यक्तियों के नाम प्रविष्ट करेगा किंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी भी क्यों न हो, स्वामियों के रूप में रजिस्टर किए जाने का दावा करने वाले व्यक्तियों की संख्या की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए, एक ही व्यक्ति माने जाएंगे :

परंतु यदि उसकी यह राय है कि पारेषण के कारण जलयान, भारतीय जलयान नहीं रहा है तो इस उपधारा की कोई बात रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्टर बही में इस धारा के अधीन कोई प्रविष्टि करे ।

जलयान के भारतीय जलयान न रह जाने की दशा में विक्रय के लिए आदेश ।

27. (1) जहां मृत्यु या दिवालिएपन के कारण या किसी जलयान या उसमें के अंश के किसी स्वत्व के पारेषण के कारण कोई जलयान भारतीय जलयान नहीं रह जाता है तो उस जलयान के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, जिसमें जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है, केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर भारत के किसी नागरिक या कंपनी या निकाय या सहकारी सोसाइटी को विक्रय के निवेश के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा :

परंतु कोई आवेदन तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि

केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय का यह समाधान कर देती है कि उक्त अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के पर्याप्त कारण थे ।

(3) उच्च न्यायालय आवेदन के समर्थन में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे और वह ऐसा आदेश ऐसे निबंधनों और शर्तों पर कर सकेगा जैसे वह न्यायोचित समझे या यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जलयान, भारतीय जलयान ही बना हुआ है तो उस दशा में आवेदन को खारिज कर सकेगा ; तथा उस दशा में जब जलयान या अंश को विक्रय करने का आदेश दिया जाता है तब उच्च न्यायालय यह निदेश देगा कि विक्रय के आगमों को, उस पर हुए व्ययों की कटौती करने के पश्चात् ऐसे पारेषण के अधीन या अन्यथा हकदार व्यक्ति को संदत्त कर दिए जाएं ।

न्यायालय के आदेश से विक्रय होने पर जलयान का अंतरण ।

28. जहां कोई न्यायालय, चाहे धारा 27 के अधीन या अन्यथा, किसी जलयान या उसमें के किसी अंश के विक्रय का आदेश देता है वहां न्यायालय के आदेश में, उस जलयान या अंश के अंतरण के अधिकार को ऐसे व्यक्ति में निहित करने को, उच्च न्यायालय नामनिर्दिष्ट करे, एक घोषणा रहेगी और तदुपरि वह व्यक्ति जलयान या अंश को उसी रीति से और उसी विस्तार तक अंतरित करने के लिए हकदार होगा मानो वह उसका रजिस्ट्रीकृत स्वामी है, तथा प्रत्येक रजिस्ट्रार किसी ऐसे अंतरण की बाबत इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की अध्यपेक्षा का उसी विस्तार तक पालन करेगा मानो ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत स्वामी है ।

जलयान या अंश का बंधक ।

29. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत जलयान या उसमें का कोई अंश ऋण के लिए प्रतिभूति या अन्य मूल्यवान प्रतिफल बनाया जा सकता है और प्रतिभूति का सृजन करने वाली लिखत (जिसे इस अधिनियम में बंधक कहा गया है), विहित प्ररूप में, या परिस्थितियों के अनुरूप उससे मिलते-जुलते प्ररूप में होगी तथा ऐसी लिखत के पेश किए जाने पर पोत के रजिस्ट्रीकृत पत्तन का रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्री बही में अभिलिखित करेगा ।

(2) किसी जलयान को बंधक करने के लिए या बंधक ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध अंश जो बंधक नहीं है, के लिए जहां तक यह आवश्यक होगा, के सिवाय अपने बंधक के कारण जलयान या उसके अंश का स्वामी समझा जाएगा, बंधकदार नहीं, न ही बंधककर्ता अपने स्वामित्व से विरत हुआ समझा जाएगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत बंधक का उन्मोचन किया जाता है वहां रजिस्ट्रार, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित बंधक, धन की रसीद के पृष्ठांकन सहित बंधपत्र पेश किए जाने पर, रजिस्ट्री बही में इस आशय की प्रविष्टि करेगा कि बंधक का उन्मोचन हो गया है और ऐसी प्रविष्टि की जाने पर ऐसी संपदा, यदि कोई है, जो बंधककर्ता में निहित हो गई थी, उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी जिसमें वह (मध्यवर्ती कार्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए) बंधक न किए जाने की दशा में निहित होती ।

(4) यदि एक ही जलयान या अंश की बाबत एक से अधिक बंधकें अभिलिखित की गई हैं तो उनको बंधकदारों को, किसी अभिव्यक्ति, विवक्षित या आन्वयिक सूचना के होते हुए भी, उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक रजिस्ट्री बही में अभिलिखित की गई है न कि उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक की गई है पूर्विकता होगी ।

बंधकदार के अधिकार ।

30. (1) जहां किसी जलयान या अंश का केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है, वहां वह बंधक के अधीन रकम को उच्च न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना बंधक पोत या अंश का विक्रय करके वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (2) में उपबंधित उच्च न्यायालय में इस प्रकार देय रकम को वसूल करने से बंधकदार को निवारित नहीं करेगी ।

(2) जहां जलयान या अंश के दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार हैं वहां वे बंधक के अधीन देय रकम को उच्च न्यायालय में वसूल करने के हकदार होंगे ।

(3) किसी जलयान या अंश का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार, जो उपधारा (2) के अधीन बंधक जलयान या अंश का विक्रय करके बंधक के अधीन देय रकम को वसूल करने का आशय रखता है जलयान के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को ऐसे विक्रय के संबंध में पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचना के साथ मजदूरी के संदाय का सबूत होगा ।

दिवालिएपन से बंधक का प्रभावित न होना ।

31. जलयान या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक पर बंधक अभिलिखित किए जाने की तारीख के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा किए गए दिवालिएपन के किसी कार्य का इस बात को होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं होगा कि दिवालिएपन के प्रारंभ पर बंधककर्ता का जलयान या अंश पर कब्जा था या वह जलयान या अंश के बारे में आदेश देने का या उसका व्ययन करने का हकदार था या वह उसका ख्यात स्वामी था, तथा बंधकदार को दिवालिए के अन्य लेनदारों या किसी न्यासी या उसके समनुदेशिती के किसी अधिकार, दावे या हित की अपेक्षा अधिमानता होगी ।

बंधकों का अंतरण ।

32. (1) किसी जलयान या अंश के किसी रजिस्ट्रीकृत बंधक को किसी भी व्यक्ति को अंतरित किया जा सकेगा और अंतरण को प्रभावी करने वाला लिखत ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए या उन परिस्थितियों में यथा अनुज्ञात निकटतम होगा और ऐसे लिखत के पेश किए जाने पर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री बही में जलयान या अंश के बंधकदार के रूप में अंतरिती का नाम प्रविष्ट करके उसे अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर से ज्ञापन द्वारा अंतरण के लिखत पर, अभिलेख के दिन और समय का कथन करते हुए यह अधिसूचित करेगा कि उसे उसके द्वारा अभिलिखित किया गया है ।

(2) वह व्यक्ति, जिसे ऐसा कोई बंधक अंतरित किया गया है, अधिमान के उसी अधिकार का उपभोग करेगा जिसका उपभोग अंतरणकर्ता द्वारा किया गया था ।

कतिपय परिस्थितियों में बंधक हित का अंतरण ।

33. (1) जहां किसी जलयान या अंश के किसी बंधकदार के हित का अंतरण मृत्यु या दिवालियापन या इस अधिनियम के अधीन किसी अंतरण से भिन्न किन्हीं विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया है, वहां अंतरण ऐसे व्यक्ति की घोषणा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिसको हित का अंतरण किया गया है, जिसमें उस रीति का, जिसमें और उस व्यक्ति का, जिसको स्वत्व अंतरित किया गया है, कथन होगा और उसके साथ उसी प्रकार का साक्ष्य होगा, जो किसी जलयान या अंश के स्वामित्व के तत्स्थानी अंतरण की दशा में इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है ।

(2) रजिस्ट्रार, घोषणा की प्राप्ति पर और उपधारा (1) में निर्दिष्ट साक्ष्य के पेश किए जाने पर अंतरणाधीन हकदार व्यक्ति का नाम, जलयान या अंश के बंधकदार के रूप में रजिस्ट्री बही में प्रविष्ट करेगा ।

भारतीय जलयान के नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या का वर्णन ।

34. प्रत्येक भारतीय जलयान का ऐसा नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या ऐसी रीति में वर्णित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

परिवर्तनों की रजिस्ट्री ।

35. जब किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वह रजिस्ट्री बही में अंतर्विष्ट उसके टन भार या वर्णन से संबंधित विशिष्टियों के समरूप नहीं है, तो यदि परिवर्तन किसी ऐसे पत्तन पर किया गया है, जिसका रजिस्ट्रार है, वह रजिस्ट्रार, या यदि उसे किसी अन्य स्थान पर किया गया है, तो उस पहले पत्तन का रजिस्ट्रार, जहां जलयान परिवर्तन के पश्चात् पहुंचता है, उसके समक्ष परिवर्तन की विशिष्टियों का कथन करते हुए, स्वामी द्वारा किए

गए आवेदन पर या तो परिवर्तन को रजिस्टर कराएगा या जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किए जाने का निदेश देगा ।

जहां जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किया जाना है, वहां अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन ।

36. जहां कोई रजिस्ट्रार, जलयान के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार नहीं होने के कारण किसी जलयान में परिवर्तन के बारे में आवेदन पर जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किए जाने का निदेश देता है, वहां वह या तो जलयान को परिवर्तित किए जाने के रूप में वर्णन करते हुए अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या विद्यमान प्रमाणपत्र पर परिवर्तन की विशिष्टियों को अनंतिम रूप से पृष्ठांकित करेगा ।

स्वामित्व में परिवर्तन पर नए सिरे से रजिस्ट्री ।

37. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन जहां किसी भारतीय जलयान के स्वामित्व में परिवर्तन होता है, वहां उस पत्तन का रजिस्ट्रार, जहां पर जलयान रजिस्ट्रीकृत है, जलयान के स्वामी के आवेदन पर जलयान को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नए सिरे से रजिस्टर कर सकेगा, यद्यपि नए सिरे से रजिस्ट्री इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित नहीं है ।

रजिस्ट्री का अंतरण ।

38. किसी जलयान की रजिस्ट्री को, रजिस्टर में जलयान के हितबद्ध स्वामियों या बंधकदारों के रूप में प्रकट सभी व्यक्तियों की लिखित घोषणा द्वारा जलयान की रजिस्ट्री के विद्यमान पत्तन के रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आवेदन पर एक रजिस्ट्री पत्तन से दूसरे को अंतरित किया जा सकेगा । किन्तु ऐसा अंतरण उन व्यक्तियों या उनमें से किसी के अधिकारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और वे अधिकार सभी प्रकार से उसी रीति में चालू रहेंगे मानो ऐसा कोई अंतरण प्रभावी नहीं हुआ था ।

परित्यक्त जलयान की पुन: रजिस्ट्री पर निर्बंधन ।

39. जहां कोई जलयान ध्वस्त हो जाने या परित्यक्त किए जाने के कारण या शत्रु द्वारा पकड़े जाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गया है, वहां जलयान को तब तक पुन: रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक उसका रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के व्यय पर किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया जाता है और उसके द्वारा उसे समुद्री यात्रा योग्य प्रमाणित नहीं किया जाता है ।

भारतीय जलयानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज ।

40. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा सभी भारतीय जलयानों के लिए और सरकार के स्वामित्वाधीन सभी जलयानों के लिए उचित राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर सकेगी और जलयानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न ध्वजों की घोषणा की जा सकेगी ।

(2) इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान,--

(क) भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक दल के किसी जलयान द्वारा उसको किए गए किसी संकेत पर ;

(ख) किसी पत्तन में प्रवेश करते या उसको छोड़ते समय,

उचित राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा ।

(3) यथास्थिति, भारतीय नौसेना का कोई कमीशन्ड अधिकारी या भारतीय तटरक्षक दल का कोई अधिकारी, कोई सर्वेक्षक या कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर किसी ऐसे जलयान पर प्रवेश कर सकेगा, जिस पर इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई ध्वज फहराया जाता है और ध्वज को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा, जो सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

(4) किसी ऐसे जलयान पर, जो भारतीय जलयान नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसे भारतीय जलयान के रूप में प्रतीत होने वाला बनाने के प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तब तक उपयोग नहीं करेगा, जब तक भारतीय स्वरूप का ग्रहण किया जाना दुश्मन द्वारा या किसी विदेशी युद्ध जलयान द्वारा किसी युद्धमान अधिकार के प्रयोग में पकड़े जाने से बचने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है ।

भारतीय स्वरूप को छिपाना या विदेशी स्वरूप को ग्रहण करना ।

41. किसी भारतीय जलयान का कोई भी स्वामी या मास्टर जानबूझकर जलयान के भारतीय स्वरूप को छिपाने के आशय से उसकी जांच करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा हकदार किसी व्यक्ति से या जलयान के लिए किसी विदेशी स्वरूप को ग्रहण किए जाने के आशय से या इस प्रकार हकदार किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने के आशय से कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा या कोई भी कागजपत्र या दस्तावेज नहीं ले जाएगा या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

भारतीय जलयान के रूप में अमान्यताप्राप्त जलयान के दायित्व ।

42. जहां इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि किसी भारतीय जलयान को उस रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, वहां वह भारतीय जलयानों द्वारा सामान्यतया उपभोग किए जाने वाले किन्हीं भी विशेषाधिकारों, प्रसुविधाओं, सहुलियतों या संरक्षण का या भारतीय जलयान के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का या भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण करने का, हकदार नहीं होगा :

परंतु देयों के संदाय, जुर्माने और समपहरण दायित्व तथा ऐसे जलयान के फलक पर या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के दंड के लिए ऐसे जलयान के साथ सभी प्रकार से उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा मानो वह मान्यताप्राप्त भारतीय जलयान था ।

जलयान के समपहरण की कार्यवाहियां ।

43. जहां कोई जलयान इस भाग के अधीन पूर्णत: या उसके किसी अंश के बारे में समपहरण के अध्यधीन हो जाता है, वहां भारतीय नौसेना का कमीशन्ड आफिसर, भारतीय तटरक्षक दल का कोई भी अधिकारी, कोई भी भारतीय कौंसलीय आफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जलयान को अभिगृहीत या निरुद्ध कर सकेगा और उसे न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष ला सकेगा और तदुपरि उच्च न्यायालय जलयान को उसके उपस्कर सहित सरकार को समपहृत कर सकेगा और मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा, जो उच्च न्यायालय को न्यायोचित लगे तथा जलयान को न्यायनिर्णयन के लिए लाने वाले अधिकारी को जलयान या उसमें किसी अंश के विक्रय के आगमों का ऐसा भाग पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सकेगा, जो उच्च न्यायालय उचित समझे ।

स्वामियों का दायित्व ।

44. जहां कोई व्यक्ति, स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान या जलयान के अंश में बंधक से भिन्न किसी रीति के तौर पर फायदाप्रद रूप में हितबद्ध है, वहां ऐसे हितबद्ध व्यक्ति के साथ ही साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी, इस बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि ऐसी किन्हीं शास्तियों के प्रवर्तन की कार्यवाहियां, उक्त दोनों पक्षकारों या उनमें से किसी के विरुद्ध संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से की जा सकेंगी, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा जलयान या उसमें के अंश के स्वामियों पर अधिरोपित सभी धनीय शास्तियों के अध्यधीन होंगे ।

रजिस्ट्री बही, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य ।

45. (1) कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर और ऐसी फीस के संदाय करने पर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्री बही का निरीक्षण कर सकेगा और रजिस्ट्री बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(2) किसी रजिस्ट्री बही में कोई प्रमाणित प्रति किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और सभी आशयों के लिए उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्री बही की उस मूल प्रविष्टि का है, जिसकी वह प्रतिलिपि है ।

रजिस्ट्री का बंद किया जाना ।

46. किसी भारतीय जलयान का स्वामी रजिस्ट्रार को अपनी रजिस्ट्री बंद करने का आवेदन कर सकेगा परंतु ऐसा तब जब,--

(क) उसके रजिस्टर में किसी अतुष्ट बंधक की प्रविष्टि नहीं है ;

(ख) मजदूरी की बाबत जलयान के मास्टर या समुद्र यात्रा वृत्तिक के कोई ऐसे बकाया

दावे नहीं है, जिनकी सूचना दी गई हो ।

(2) किसी भारतीय जलयान का स्वामी उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए आवेदन में जलयान का नाम, आशयित पत्तन और रजिस्ट्री का देश (यदि लागू हो) या अन्यथा बंद किए जाने का कारण विनिर्दिष्ट करेगा और उसे जलयान की रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन और उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार यदि उसका समाधान हो जाता है तो आदेश द्वारा जलयान की रजिस्ट्री को बंद कर देगा और रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि कर देगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वामी" के अंतर्गत कोई अंतरिती या किसी भारतीय जलयान में स्वत्व के अंतरण के अधीन हकदार कोई व्यक्ति आता है ।

अध्याय 2

चार्टर पर लेने वाले भारतीय द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

इस अध्याय का लागू होना ।

47. यह अध्याय भारत से भिन्न किसी देश की विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर चार्टर पर लेने वाले किसी भारतीय द्वारा चार्टर पर लिए हुए किसी जलयान को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

48. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा" से अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर किसी जलयान को चार्टर पर लेने के लिए लिखित संविदा अभिप्रेत है ;

(ख) "चार्टर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान जलयान को अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिया गया है ;

(ग) "चार्टर पर लेने वाले भारतीय" से धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर कोई जलयान चार्टर पर लिया है ।

अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान का रजिस्ट्रीकरण ।

49. (1) चार्टर पर लेने वाले किसी भारतीय द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान का इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा ।

(2) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर लिए गए जलयान के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

(3) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा के अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध होंगे, अर्थात् :--

(क) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान को भाड़े पर लेने की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी ;

(ख) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान का कब्जा और नियंत्रण, जिसके अंतर्गत मास्टर और अन्य समुद्र यात्रा वृत्तिक की नियुक्ति का अधिकार भी है, चार्टर पर लेने वाले भारतीय में निहित होगा ; और

(ग) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान का स्वामित्व चार्टर अवधि के पश्चात् चार्टर पर लेने वाले भारतीय को अंतरित हो जाएगा ।

(4) अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर चार्टर पर लिए गए किसी जलयान का

रजिस्ट्रीकरण चार्टर अवधि की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है तो ऐसे जलयान के रजिस्ट्रीकरण को चार्टर अवधि से पहले बंद किया जा सकेगा ।

(5) रजिस्ट्रार, अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर चार्टर पर लिए गए किसी जलयान के रजिस्ट्रीकरण करने और रजिस्ट्रीकरण बंद करने के पश्चात् ऐसे, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण करने या रजिस्ट्रीकरण बंद करने की सूचना उस देश के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजेगा, जहां ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है ।

(6) इस अध्याय के अधीन अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर लिया गया जलयान भारतीय ध्वज को फहराने का हकदार कोई भारतीय जलयान होगा ।

(7) यदि अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा करार के भंग के कारण या किसी अन्य कारण से चार्टर अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, तो चार्टर पर लेने वाला भारतीय रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री को बंद कर देगा और उस देश के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचना भेज देगा जहां ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है ।

(8) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी भारतीय जलयान के किसी स्वामी से संबंधित उपबंध ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के लिए चार्टर पर लेने वाले भारतीय को लागू होंगे ।

इस भाग में के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति ।

50. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टियां और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन किसी भारतीय जलयान के लिए शर्तें ;

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर बही रखना और उनमें प्रविष्टियां करने और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के अभिलेखों को रखने की रीति ;

(ग) धारा 16 के अधीन किसी भारतीय जलयान की रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(घ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी भारतीय जलयान के टन भार के चिह्नांकन, सर्वेक्षण, माप और अभिनिश्चय की रीति ;

(ङ) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन जलयान के पहचान के वर्णनात्मक की अन्य विशिष्टियां ;

(च) धारा 21 के अधीन पृष्ठांकन करने की रीति ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए प्रक्रिया ;

(ज) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जलयान के वर्णन के लिए लिखत का प्ररूप ;

(झ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी घोषणा और हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्ररूप ;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन बंधक का प्ररूप ;

(ट) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अंतरणों को प्रभावी बनाने वाले लिखत का प्ररूप ;

(ठ) धारा 34 के अधीन भारतीय जलयान का नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या का वर्णन करने की रीति ;

(ड) धारा 37 के अधीन जलयान के नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की रीति ;

(ढ) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री बही के निरीक्षण और रजिस्ट्री बही की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के लिए फीस ;

(ण) धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ;

(त) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए ।

भाग 4

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र

समुद्र यात्रा वृत्तिकों द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ।

51. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान को ऐसे कर्मीदल मापमान के, जो विहित किया जाए, समुद्र यात्रा वृत्तिक उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(2) समुद्र यात्रा वृत्तिक जलयान में अपने स्थान के लिए समुचित प्रवर्ग या उच्चतर प्रवर्ग का ऐसा प्रमाणपत्र रखेगा, जो विहित किया जाए :

परंतु भिन्न-भिन्न प्रवर्ग के जलयान, क्षेत्रों और प्रचालन के प्रकारों के संबंध में ऐसे भिन्न-भिन्न कर्मीदल मापमान उपबंधित किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु यह और कि ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, सक्षमता के विदेशी प्रमाणपत्र वाले भारतीय राष्ट्रिक या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा सक्षमता के विदेशी प्रमाणपत्र वाले विदेशी राष्ट्रिक भारतीय जलयानों पर सेवा कर सकेंगे ।

(3) प्रत्येक जलयान पर, चाहे समुद्र में हो या किसी भी पत्तन या स्थान पर हो, व्यक्तियों की ऐसी संख्या का और ऐसी अर्हताओं सहित, जो विहित की जाएं, कर्मीदल होगा ।

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र ।

52. (1) केंद्रीय सरकार, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के उपबंधों के अध्यधीन, समुद्र यात्रा वृत्तिको के ऐसे भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए ऐसी आवश्यकताओं और ऐसी प्रक्रियाओं सहित, जो विहित की जाएं, यथास्थिति, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसार सेवा, आयु-सीमा, चिकित्सक दृष्टया योग्यता, प्रशिक्षण, अर्हताएं और परीक्षा की बाबत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार ऐसी अन्य अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं सहित, जो विहित की जाएं, ऐसे अन्य सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रदान किया गया, यथास्थिति, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जो विहित किए जाएं, तथा ऐसे प्रमाणपत्र का अभिलेख ऐसी रीति में रखा

जाएगा, जो विहित की जाए ।

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए प्रशिक्षण ।

53. (1) महानिदेशक, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और निर्धारण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और उसको मानीटर करेगा ।

(2) महानिदेशक, धारा 52 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन की रीति का अनुमोदन करेगा :

परंतु कोई भी सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे प्रमाणपत्र के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दे दिया गया हो ।

(3) महानिदेशक, इस भाग के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस निमित्त इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) महानिदेशक, उपधारा (3) के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान ने इस भाग के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन ऐसे सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूर किया गया अनुमोदन निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

प्रमाणपत्रों के प्रदान के लिए परीक्षा ।

54. (1) केंद्रीय सरकार धारा 52 के अधीन प्रमाणपत्रों को अभिप्राप्त करने की वांछा वाले व्यक्तियों की अर्हताओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(2) सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा संचालन की रीति, प्रभारित की जाने वाली फीस और उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परीक्षकों को किए जाने वाले संदाय ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(3) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र ऐसे प्रत्येक आवेदक को प्रदान करेगा, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परीक्षकों द्वारा, परीक्षा में समाधानप्रद रूप में सफल होने और जलयान के फलक पर अपने संयम, अनुभव और योग्यता तथा साधारण सदाचरण का समाधानप्रद साक्ष्य देने के लिए सम्यक् रूप से रिपोर्ट की गई है :

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि रिपोर्ट असम्यक् रूप से की गई है, तो प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले आवेदक की पुन: परीक्षा की अपेक्षा कर सकेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक के शंसापत्र और चरित्र की जांच करना भी है ।

(4) यदि केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि धारा 52 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रदान किए गए किसी प्रमाणपत्र को रखने वाले किसी व्यक्ति ने उसे मिथ्या या गलत सूचना के आधार पर अभिप्राप्त किया है या वह अवचार का दोषी है या केंद्रीय सरकार को अक्षमता की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है या प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा या प्रदूषण निवारण के संबंध में लोप या कारित किए जाने का ऐसा कोई कार्य किया है या उसके लिए जोखिम कारित की है, जो जीवन या संपत्ति या पर्यावरण को संकट में डाल सकता है, तो वह सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत, निलंबित या रद्द कर सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट शक्तियों के अनुसरण में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र या

प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रभावित करने वाले उपधारा (4) के अधीन किए गए सभी आदेशों का टिप्पण धारा 52 के अधीन रखे गए प्रमाणपत्र की प्रति पर प्रविष्ट किया जाएगा ।

(6) जब कभी इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी प्रमाणपत्र को रखने वाला कोई व्यक्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसका ऐसा प्रमाणपत्र खो गया है या उसे उससे वंचित कर दिया गया है, तो जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रदान करेगा और ऐसी प्रति के सभी प्रभाव मूल के समान होंगे ।

सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना ।

55. (1) प्रत्येक जलयान का मास्टर समुचित अधिकारी को मांग करने पर कर्मीदल की सूची सहित जलयान के समुद्र यात्रा वृत्तिकों के सक्षमता प्रमाणपत्र, मास्टर, मेटों और इंजीनियरों के प्रमाणपत्रों के प्रवर्गों की विशिष्टियों और रेटिंग सहित पेश करेगा ।

(2) कोई सर्वेक्षक किसी भी युक्तियुक्त समय पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिक वास्तविक रूप से नियुक्त किए गए हैं और उपस्थित हैं, ऐसे जलयान के फलक पर जा सकेगा, जिसको इस भाग के कोई उपबंध लागू होते हैं और वह पत्तनों और समुद्र में कर्तव्यों की निगरानी के लिए ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिकों की उपयुक्तता के लिए अपना समाधान करेगा ।

अन्य देशों में प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

56. (1) जहां भारत से भिन्न किसी देश में, उस देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के समरूप है, तो यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,--

(क) वे शर्तें, जिनके अधीन उस देश में कोई भी सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित शर्तों से अनिम्न सक्षमता के मानकों की पूर्ति करती हैं ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए प्रमाणपत्र उस देश की विधियों के अधीन प्रदान किए गए तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के बदले उस देश में स्वीकार किए जाते हैं,

तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि उस देश में प्रवृत्त विधियों के अधीन प्रदान किए गए किसी भी सक्षमता प्रमाणपत्र को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए तत्स्थानी सक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(2) समतुल्य के रूप में उपधारा (1) के अधीन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र, पृष्ठांकन के ऐसे प्रमाणपत्र के साथ जारी किया जा सकेगा जो विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकन का प्रमाणपत्र रखने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्रमाणपत्रित समझा जाएगा ।

विदेशी जलयानों का प्रमाणपत्रित समुद्र यात्रा वृत्तिकों के बिना न चलना ।

57. (1) किसी विदेशी जलयान का प्रत्येक मास्टर, भारत में किसी पत्तन या स्थान पर समुद्र में जाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान में समुचित प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों की ऐसी अपेक्षित संख्या है जो सुरक्षा अभिसमय और एसटीसीडब्ल्यू में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) कोई सर्वेक्षक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी युक्तियुक्त समय पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि सुरक्षा अभिसमय और एसटीसीडब्ल्यू के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिक वास्तविक रूप से नियुक्त किए गए हैं और उपस्थित हैं, ऐसे जलयान के फलक पर जा सकेगा और वह पत्तनों और समुद्र में कर्तव्यों की निगरानी के लिए ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिकों की उपयुक्तता के लिए अपना

समाधान करेगा ।

(3) यदि सर्वेक्षक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट में किसी विदेशी जलयान में सुरक्षा अभिसमय और एसटीसीडब्ल्यू की अपेक्षाओं के संबंध में कोई कमी प्रकट होती है और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे जलयान का समुद्र में जाना असुरक्षित होगा तो उस जलयान को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षाएं पूरी किए जाने तक निरुद्ध किया जा सकेगा ।

कतिपय प्रमाणपत्र धारकों की सरकार या किसी भारतीय जलयान में सेवा करने की बाध्यता ।

58. किसी भी ऐसे समय पर, जिसके दौरान भारत की सुरक्षा को संकट है या संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन जारी आपात की उद्घोषणा के दौरान इस अधिनियम के अधीन जारी भारतीय सक्षमता प्रमाणपत्र या मान्यता प्रमाणपत्र रखने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भारतीय जलयान पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

59. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टिया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कर्मीदल मापमान ;

(ख) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन समुचित श्रेणी का प्रमाणपत्र ;

(ग) धारा 51 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन जलयान के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों, क्षेत्रों और प्रचालन के प्रकारों के संबंध में भिन्न-भिन्न कर्मीदल मापमान ;

(घ) धारा 51 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन शर्तें और निर्बंधन ;

(ङ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन जलयान में काम में लगाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और अर्हताएं ;

(च) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अपेक्षा और प्रक्रिया ;

(छ) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अपेक्षा और प्रक्रिया ;

(ज) धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप, फीस, ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्य अवधि और वह रीति, जिसमें प्रमाणपत्र की प्रतियां रखी और अभिलिखित की जाएंगी ;

(झ) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा संचालित करने की रीति, प्रभारित की जाने वाली फीस और परीक्षकों को किया जाने वाला संदाय ;

(ञ) धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन प्रमाणपत्र, यदि खो जाने या वंचित कर दिए जाने पर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फीस ;

(ट) धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकन ;

(ठ) कोई अन्य विषय, जिसका किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 5

समुद्र यात्रा वृत्तिक

इस भाग का लागू होना ।

60. जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह भाग निम्नलिखित को लागू होगा-

(क) प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक ;

(ख) भर्ती और नियोजन सेवाएं ;

(ग) पोत के स्वामी ।

परिभाषाएं ।

61. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र" से केंद्रीय सरकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा सामुद्रिक श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ख) "भर्ती और नियोजन सेवा" से पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन अभिप्रेत है, जो नियोजकों की ओर से समुद्र यात्रा वृत्तिकों की भर्ती या नियोजकों के साथ समुद्र यात्रा वृत्तिकों का नियोजन करने में लगा हुआ है ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों का वर्गीकरण, सामुद्रिक श्रम मानक और न्यूनतम मापमान का विहित किया जाना ।

62. (1) केंद्रीय सरकार, विभिन्न प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों के वर्गीकरण, ऐसे प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों के न्यूनतम कर्मीदल मापमान और पोतों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मापमान के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध किसी पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में नियोजित या नियुक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक को लागू होंगे ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों और पोतों को सामुद्रिक श्रम मानकों का लागू होना ।

63. (1) सामुद्रिक श्रम अभिसमय में यथा अंतर्विष्ट मानक सभी समुद्र यात्रा वृत्तिकों और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोतों को लागू होंगे किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,--

(क) ऐसे पोत, जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग में या ऐसे परिरक्षित जलमार्गों या क्षेत्रों के भीतर या निकट पार्श्वस्थ, जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि लागू होती है, के भीतर जलमार्गों में चलते हैं ;

(ख) मछली पकड़ने के कार्याकलापों में लगे पोत ;

(ग) परंपरागत रूप से बनाए गए पोत जैसे ढो और जंग ;

(घ) युद्ध या नौसेना सहायक पोत ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय सरकार, महानिदेशक की सिफारिश पर उक्त उपधारा के उपबंधों का विस्तार किसी पोत के ऐसे प्रवर्ग तक ऐसे अपवादों और उपांतरणों के साथ कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक भारतीय पोत, जहां कहीं भी है और भारत की अधिकारिता के भीतर रहते समय किसी भारतीय पोत से भिन्न प्रत्येक पोत के पास ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, सामुद्रिक श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया प्रमाणपत्र होगा ।

(4) कोई भी जलयान तब तक समुद में नहीं जाएगा, जब तक उसके पास उपधारा (3) के

अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र न हो ।

पोत परिवहन मास्टरों के कर्तव्य ।

64. पोत परिवहन मास्टरों का--

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में समुद्र यात्रा वृत्तिकों की नियुक्ति और सेवोन्मुक्ति को मानीटर करने ;

(ख) ऐसे निरन्तर निर्वहन प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिकों के पहचान दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, जारी करने ;

(ग) पोत के किसी मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता और पोत के किसी ऐसे कर्मी के बीच, जिसके अंतर्गत धारा 77 के अधीन के कर्मी भी हैं, विवादों को सुनने और विनिश्चित करने ;

(घ) भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र में, भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत के विदेशी समुद्र यात्रा वृत्तिक के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के साथ किसी विवाद की शिकायत को रजिस्ट्रीकरण के देश के सक्षम प्राधिकारी को पारेषित करने और ऐसी शिकायत की एक प्रति अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक को अग्रेषित करने ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों और वाणिज्यिक पोतो से संबंधित ऐसे अन्य कर्तव्यों को, जो केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पालन करने,

का कर्तव्य होगा ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों के नियोजन कार्यालयों का कारबार ।

65. समुद्र यात्रा वृत्तिक के नियोजन कार्यालयों का निम्नलिखित कारबार होगा,--

(क) निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना और भर्ती और नियोजन सेवा का विनियमन और नियंत्रण करना,--

(i) कि समुद्र यात्रा वृत्तिकों की भर्ती और नियोजन के लिए कोई फीस या अन्य प्रभार समुद्र यात्रा वृत्तिकों द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अथवा पूर्णत: या भागत: वहन नहीं किए गए है ;

(ii) कि भर्ती और नियोजन सेवाओं के क्रियाकलापों से संबंधित शिकायतों के अन्वेषण के लिए यथोचित मशीनरी और प्रक्रियाएं, यदि आवश्यक हों, विद्यमान हैं ;

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों का प्रदाय या भर्ती या नियुक्ति ।

66. (1) समुद्र यात्रा वृत्तिक की नियुक्ति केवल निम्नलिखित द्वारा की जाएगी,--

(क) धारा 65 के उपबंधों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रखने वाली भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा ;

(ख) भारतीय जलयान की दशा में, स्वामियों के स्वामित्वाधीन जलयान के लिए स्वामियों द्वारा ;

(2) भारतीय जलयान के स्वामी के स्वामित्वाधीन जलयान के संबंध में स्वामी से भिन्न कोई व्यक्ति भर्ती और नियोजन सेवा का कारबार तब तक नहीं करेगा, जब तक उसके पास धारा 65 के अधीन जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति न हो ।

(3) कोई व्यक्ति किसी पोत पर इस अधिनियम के अधीन कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक तब तक नियुक्त नहीं करेगा, जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक के पास, उनके सिवाय, जो अन्यथा छूट प्राप्त हैं, उपधारा (4) के अधीन जारी किया गया निरन्तर निर्वहन प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिक की पहचान के दस्तावेज न हों ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट निरन्तर निर्वहन प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिकों की पहचान

का दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित किए जाएं, जारी किया जाएगा ।

(5) किसी पोत पर सोलह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति को किसी भी हैसियत से नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसे कार्य के लिए समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा ।

(6) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि साधारण समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रा वृत्तिकों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग को किसी भी हैसियत से इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी पोत पर या पोतों के किसी वर्ग पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा, जब तक उनमें से प्रत्येक के पास ऐसी अर्हताएं न हो, जो विहित की जाएं ।

(7) उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, किसी व्यक्ति को किसी भी हैसियत से केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी पोत पर या पोतों के किसी वर्ग पर नियुक्त किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा या कार्य के लिए समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा, जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक के पास ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विहित किए जाएं, प्रदान किया गया इस प्रभाव का प्रमाणपत्र न हो कि वह उस हैसियत से नियोजित किए जाने के लिए चिकित्सिक दृष्टतया योग्य है ।

(8) कोई भी व्यक्ति, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक से या समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में नियोजन चाहने वाले किसी व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी व्यक्ति से इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत फीस से भिन्न किसी पारिश्रमिक, संदान या फीस या किसी भी प्रकार के अनिवार्य अभिदान, जो ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में किसी व्यक्ति के नियोजन के कारण माना जा सके, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: की मांग नहीं करेगा या उन्हें प्राप्त नहीं करेगा ।

(9) समुद्र यात्रा वृत्तिकों के साथ किसी पोत के फलक पर उनकी भर्ती और नियुक्ति के लिए,--

(क) समुद्र यात्रा वृत्तिकों के हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी विशिष्ट संघ में उनकी सदस्यता के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा और ऐसे संघ में सदस्यता पूर्व शर्त नहीं होगी ;

(ख) उस प्रशिक्षण संस्थान के, जहां से उन्होंने प्रशिक्षण अभिप्राप्त किया है या उनके निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने के स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

(10) केंद्रीय सरकार या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि राष्ट्रीय हित में या समुद्र यात्रा वृत्तिक के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के मास्टर या स्वामी या उसके अभिकर्ता को ऐसे पोत पर किसी व्यक्ति को समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(11) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी फीस नियत कर सकेगी, जो समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सभी नियुक्तियों और सेवोन्मुक्तियों पर संदेय होंगी ।

(12) उपधारा (1) के उल्लंघन में नियुक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवाओं को भाग 4 के अधीन प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों के साथ करार ।

67. (1) किसी भारतीय पोत का मास्टर या प्रत्येक भारतीय पोत का स्वामी अथवा उसका अभिकर्ता ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के साथ, जिसे वह नियुक्त करता है, करार अनुच्छेद करेगा और उसकी एक प्रति पोत परिवहन मास्टर को

प्रस्तुत करेगा ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर किसी पत्तन में रजिस्ट्रीकृत किसी भारतीय पोत का मास्टर या ऐसे पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता, जिसने उस पत्तन की या ऐसे पत्तन की, जिसमें उसके समुद्र यात्रा वृत्तिक नियुक्त किए गए हैं, विधि के अनुसार सम्यक् प्ररूप में किए गए समुद्र यात्रा वृत्तिकों के साथ करार किया है, भारत में के किसी पत्तन में ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को नियुक्त कर सकेगा,--

(क) जो भारत का नागरिक नहीं है और जो, यथास्थिति, उस देश के, जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत है या उस देश के, जिसमें उक्त करार किया गया था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र या पहचान का कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज रखता है ; या

(ख) जो भारत का नागरिक है और जो इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र रखता है,

और खंड (क) और खंड (ख) द्वारा नियुक्त कोई भी समुद्र यात्रा वृत्तिक पूर्वोक्त करार पर हस्ताक्षर कर सकेगा और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी करार पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) समुद्र यात्रा वृत्तिक के--

(क) मजदूरी और रसद के अधिकार का आरंभ या तो उस समय पर, जब वह कार्य प्रारंभ करता है या उसके कार्य प्रारंभ करने के लिए करार में विनिर्दिष्ट समय पर या फलक पर उसकी उपस्थिति के समय, इनमें जो भी पहले होता है, हुआ माना जाएगा ;

(ख) मजदूरी का अधिकार मालभाड़े के उपार्जन पर निर्भर नहीं होगा और समुद्र यात्रा वृत्तिक इस बात के होते हुए भी कि मालभाड़े का उपार्जन नहीं हुआ है, उसकी मांग करने या उसे वसूल करने के हकदार होंगे ।

(4) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, किसी भी करार द्वारा पोत पर अपना धारणाधिकार समपहृत नहीं करेगा या उसे उसकी मजदूरी की वसूली के लिए किसी उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसका, करार के अभाव में वह हकदार होगा और वह पोत की हानि की दशा में किसी भी करार द्वारा अपने मजदूरी के अधिकार का परित्याग नहीं करेगा या ऐसे किसी अधिकार का परित्याग नहीं करेगा, जो वह उद्धारण के रूप में रख सके या अभिप्राप्त कर सके और किसी भी करार में इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत प्रत्येक अनुबंध शून्य होगा ।

सामुद्रिक श्रम अभिसमय के प्रवर्तन के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

68. केंद्रीय सरकार, सामुद्रिक श्रम संगठन के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजन अधिकारियों से संबंधित मामलों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--

(क) मजदूरी का संदाय ;

(ख) कार्य के घंटे और श्रम के घंटे ;

(ग) छुट्टी की हकदारी ;

(घ) संप्रत्यावर्तन ;

(ङ) प्रतिकर, यदि पोत का नुकसान या गलाई ;

(च) कर्मीदल स्तर ;

(छ) सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत कौशल विकास और अवसर भी हैं ;

(ज) वास-सुविधा, मनोरंजन प्रसुविधाएं, खाद्य और खानपान ;

(झ) स्वास्थ्य संरक्षण, चिकित्सा प्रसुविधाएं, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो सामुद्रिक श्रम अभिसमय की अनुपालना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित किया जाना हो या अपेक्षित किया जाए ।

ध्वंश, रुग्णता, आदि के लिए सेवा की समाप्ति पर मजदूरी ।

69. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवा पोत के ध्वंश, हानि या परित्याग के कारण या उसके समुद्र यात्रा पर जाने में अयोग्यता या असमर्थता पर इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए प्रमाणपत्र के अधीन भारत के बाहर किसी स्थान के तट पर छोड़ दिए जाने के कारण करार में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले समाप्त हो जाती है तो समुद्र यात्रा वृत्तिक-

(क) पोत के ध्वंश, हानि या परित्याग की दशा में,--

(i) ऐसी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस पर, उस तारीख से, जिसको उसकी सेवा इस प्रकार समाप्त की गई थी, तब तक, जब वह समुचित वापसी पत्तन पर लौटता है तथा पहुंचता है, की अवधि के लिए उसकी सेवा के समाप्त किए जाने की तारीख को हकदार था :

परंतु वह अवधि, जिसके लिए वह मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा, एक मास से कम की नहीं होगी ; और

(ii) उसकी चीजबस्त की हानि के लिए,--

(अ) तटीय व्यापार में लगे हुए किसी पोत पर नियोजित समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में एक मास से अनधिक की मजदूरी ; और

(आ) विदेशगामी पोत पर नियोजित किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में तीन मास से अनधिक की मजदूरी,

प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) समुद्र यात्रा पर जाने के लिए अयोग्य या असमर्थ होने की दशा में उसकी सेवा समाप्त करने की तारीख से, तब तक, जब वह समुचित वापसी पत्तन पर लौटता है और पहुंचता है, अवधि के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(2) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन मजदूरी प्राप्त करने का हकदार किसी ऐसी अवधि की बाबत नहीं होगा, जिसके दौरान--

(क) वह यथोचित रूप से नियोजित था या नियोजित किया जा सकता था ; या

(ख) उपेक्षा के कारण वह दीन या हीन समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में अनुतोष के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने में असफल हो गया ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय किसी रकम को समुद्र यात्रा वृत्तिक को, या मृतक समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में उसके द्वारा धारा 81 के अधीन इस निमित्त नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को या यदि उसने ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन शून्य है या हो गया है, तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को संदाय करने के लिए भारत में नियुक्ति पत्तन पर पोत परिवहन मास्टर के पास जमा किया जाएगा ।

(4) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक ऐसे समय तक, जब वह घर लौटता है, उसी दर से निरंतर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा यदि ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को बंदी बना लिया गया है, जिसके अंतर्गत उसके नियोजन के दौरान जल दस्युता की दशा भी है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए

विदेशगामी पोत से भारत में किसी पत्तन या स्थान और भारत से बाहर किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच या भारत से बाहर के पत्तनों या स्थानों के बीच व्यापार में नियोजित कोई पोत अभिप्रेत है ।

छुट्टी के बिना अनुपस्थिति, काम करने से इनकारी या कारावास के दौरान मजदूरी का प्रोद्भूत न होना ।

70. (1) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक किसी ऐसी अवधि के लिए,--

(क) जिसके दौरान वह छुट्टी के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित होता है ; या

(ख) जिसके दौरान वह, जब अपेक्षा की जाए, काम करने से विधि-विरुद्धतया इनकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है ; या

(ग) जब तक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, ऐसी अवधि, जिसके दौरान वह विधिपूर्ण रूप से कारावास में रहा है,

मजदूरी का हकदार नहीं होगा ।

(2) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान उसने कर्तव्य पालन नहीं किया था, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह ऐसा करने में रुग्णता, उपहति या क्षति के कारण असमर्थ था, मजदूरी का दावा करने के हक से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाए कि,-

(क) उसकी रुग्णता, उपहति या क्षति उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम या उसके स्वयं के कदाचार द्वारा हुई थी ; या

(ख) उसकी रुग्णता संसर्ग प्राप्त थी या उसकी उपहति या क्षति उचित वापसी पत्तन पर हुई थी और उसके नियोजन के कारण हुई नहीं मानी गई थी ; या

(ग) उसने अयुक्तियुक्त रूप से अपनी रुग्णता, उपहति या क्षति के लिए भेषजीय या शल्य उपचार करवाने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसके जीवन को कोई अनुभवगम्य जोखिम अंतर्वलित नहीं थी ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों को समयपूर्व सेवोन्मुक्ति पर प्रतिकर ।

71. (1) यदि किसी ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को, जिसने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके निबंधनों के अनुसार सेवोन्मुक्त किए जाने से अन्यथा, उसकी ओर से सेवोन्मुक्ति को न्यायोचित ठहराने वाले किसी व्यतिक्रम के बिना या उसकी सहमति के बिना सेवोन्मुक्त किया जाता है तो वह मास्टर, पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता से उसे सेवोन्मुक्ति द्वारा कारित नुकसानी के लिए शोध्य प्रतिकर के रूप में, उसके द्वारा उपार्जित किसी मजदूरी के अतिरिक्त, ऐसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जो पोत परिवहन मास्टर सेवोन्मुक्ति से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत करे :

परंतु इस प्रकार संदेय प्रतिकर ऐसे किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में,--

(क) जिसे समुद्री यात्रा के प्रारंभ से पहले सेवोन्मुक्त किया गया है, एक मास की मजदूरी ; और

(ख) जिसे समुद्री यात्रा के प्रारंभ के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है, तीन मास की मजदूरी,

से अधिक नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन संदेय किसी प्रतिकर की वसूली मजदूरी के रूप में की जा सकेगी ।

मजदूरी की बिक्री और उस पर प्रभार पर निर्बंधन ।

72. (1) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को शोध्य या प्रोद्भूत मजदूरी के बारे में यह है कि--

(क) उसे किसी न्यायालय के आदेश द्वारा कुर्की के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ;

(ख) उसके प्रोद्भूत होने से पहले किया गया उसका कोई समनुदेशन उसे करने वाले व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगा ;

(ग) उसकी प्राप्ति के लिए मुख्तारनामा या प्राधिकार अप्रतिसंहरणीय नहीं होगा ;

(घ) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को मजदूरी का संदाय, उन मजदूरियों के किसी पूर्व समनुदेशन या उसके किसी कुर्की या उसके किसी विल्लंगम के होते हुए भी विधिमान्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंध किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की उतनी मजदूरी को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी निधि या स्कीम में अभिदाय के माध्यम से उसके पश्चात् समनुदेशित किया गया है या समनुदेशित है, जिसका मुख्य प्रयोजन समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा प्रसुविधाएं हैं और उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (घ) के उपबंध किसी ऐसे समनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए की गई या की जाने वाली किसी बात को लागू नहीं होंगे ।

(3) इस धारा की कोई बात आबंटन टिप्पणों की बाबत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सेवोन्मुक्ति ।

73. (1) किसी भारतीय पोत पर सेवा करने वाले किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को उसकी नियुक्ति की समाप्ति पर ऐसी रीति में सेवोन्मुक्त किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) यदि किसी भारतीय पोत को उस समय अंतरित या व्ययनित किया गया है, जब वह भारत के बाहर किसी पत्तन के लिए समुद्र यात्रा पर है या पत्तन पर है, तो उस पोत से संबंधित प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक को तब तक उस पत्तन पर सेवोन्मुक्त किया जाएगा, जब तक वह पोत की समुद्र यात्रा, यदि चालू है तो उसे पूरी करने के लिए लिखित में सहमत नहीं हो जाता है ।

(3) यदि किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को किसी भारतीय पोत से उपधारा (1) के अधीन सेवोन्मुक्त किया जाता है तो धारा 75 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवा उसकी सहमति के बिना, उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक को नियुक्त किया गया था या वह बाध्य था, से पहले समाप्त कर दी गई हो ।

(4) उपधारा (2) के निबंधनानुसार सेवोन्मुक्त प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक, यदि वह समुद्र यात्रा, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, चालू नहीं रहती है, ऐसी मजदूरी का हकदार होगा, जो वह हकदार होता यदि उसकी सेवा उस अवधि की समाप्ति से पहले, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक नियुक्त किया गया था, स्वामी द्वारा दोषपूर्वक समाप्त कर दी जाती ।

(5) किसी भारतीय पोत का मास्टर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी के प्राधिकार के बिना--

(क) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को उस अवधि की समाप्ति से पहले, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, तब तक सेवोन्मुक्त नहीं करेगा, जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक उसकी सेवोन्मुक्ति के लिए सहमत नहीं हो गया हो ;

(ख) उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के सिवाय किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को छोड़कर नहीं जाएगा,

और पूर्वोक्त अधिकारी समुद्र यात्रा वृत्तिक के साथ करार में यह प्रमाणित करेगा कि उसने ऐसा प्राधिकार प्रदान किया है और सेवोन्मुक्त किए गए समुद्र यात्रा वृत्तिक या छोड़े हुए समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए कारण भी देगा ।

(6) पूर्वोक्त अधिकारी, जिसको उपधारा (5) के निबंधनानुसार प्राधिकार के लिए आवेदन किए जाते हैं, उन आधारों का अन्वेषण करेगा, जिन पर समुद्र यात्रा वृत्तिक को सेवोन्मुक्त किया जाना है या समुद्र यात्रा वृत्तिक को छोड़ दिया जाना है और अपने विवेकानुसार ऐसा प्राधिकार प्रदान कर सकेगा या प्रदान करने से इनकार कर सकेगा :

परंतु वह प्राधिकार प्रदान करने से तब इनकार नहीं करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक युक्तियुक्त कारण के बिना,-

(क) अपने पोत पर जाने से या उसमें समुद्र में जाने से असफल हुआ है या उसने इनकार किया है ; या

(ख) अपने पोत से समुद्र यात्रा के प्रारंभ पर या उसकी प्रगति के दौरान अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए छुट्टी से अनुपस्थित हो गया है ।

(7) पूर्वोक्त अधिकारी उसके प्राधिकार से सेवोन्मुक्त या छोड़ दिए गए सभी समुद्र यात्रा वृत्तिकों का अभिलेख रखेगा ; और जब कभी किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध धारा 94 के अधीन कोई आरोप लगाया जाता है, तो यह तथ्य कि ऐसा कोई प्राधिकार इस प्रकार अभिलिखित नहीं किया गया है, इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा कि उसे प्रदान नहीं किया गया था ।

मृतक समुद्र यात्रा वृत्तिकों और छोड़ दिए गए समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी और संपत्ति ।

74. यदि कोई भी समुद्र यात्रा वृत्तिक छोड़ दिया गया है या फलक से गायब हो गया है या मर गया है, तो मास्टर उस समय, जब समुद्र यात्रा वृत्तिक छोड़ दिया गया था या गायब हो गया था या मर गया था, मजदूरी की बाबत उसको शोध्य रकम या उसके द्वारा फलक पर छोड़ी गई समस्त संपत्ति का विवरण शासकीय लाग बुक में प्रविष्ट करेगा और ऐसी संपत्ति को अपने प्रभार में ले लेगा तथा संपत्ति का इस प्रकार निपटान किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

विदेशी पत्तन पर सेवा की समाप्ति पर समुद्र यात्रा वृत्तिकों का संप्रत्यावर्तन ।

75. (1) जब किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवा भारत के बाहर किसी पत्तन पर उक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक की सहमति के बिना और ऐसी अवधि के अवसान से पहले, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक की नियुक्ति की गई थी, समाप्त की जाती है, तो पोत का मास्टर, स्वामी या उसका अभिकर्ता उनमें से किसी पर इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित किसी अन्य संबंधित बाध्यता के अतिरिक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक के रैंक या रेटिंग के अनुसार उसके भरण-पोषण के लिए और उस समुद्र यात्रा वृत्तिकों के उचित वापसी पत्तन पर लौटने की यथोचित व्यवस्था करेगा ।

(2) यदि पोत का मास्टर, स्वामी या उसका अभिकर्ता युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (1) की अनुपालना करने में असमर्थ होता है तो भरण-पोषण और उचित वापसी पत्तन तक यात्रा के खर्चे, यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा चुकाए गए हैं, उसको शोध्य मजदूरी के रूप में वसूलनीय होंगे और यदि भारतीय काउंसलीय कार्यालय द्वारा चुकाए गए हैं, तो उन्हें धारा 86 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के भीतर आने वाले खर्चों के रूप में माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण--उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए उक्त खर्चों की व्यवस्था करने में असमर्थता को युक्तियुक्त कारण नहीं माना जाएगा ।

कतिपय असंवितरित रकमों का उपयोग समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण के लिए किया जाना ।

76. ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा किए गए आबंटन टिप्पण के अनुसार संदाय करने के लिए या किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक या उसके नामनिर्देशिती को संदाय किए जाने के लिए मजदूरी के रूप में पोत परिवहन मास्टर के पास जमा या उसके द्वारा वसूल की गई किसी रकम का उपयोग, यदि ऐसी रकम पोत परिवहन मास्टर के पास छह वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अदावाकृत रहती है,ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार निदेश करे, समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा ।

पोत परिवहन मास्टरों द्वारा

77. (1) जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक के साथ करार के अधीन भारत में किसी पत्तन पर किसी पोत के मास्टर, स्वामी या उसके अभिकर्ता तथा पोत के किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के बीच कोई

प्रश्नों का विनिश्चय ।

विवाद उत्पन्न होता है तो उसके पोत परिवहन मास्टर के पास भेजा जाएगा ।

(2) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान पर किसी भारतीय समुद्र यात्रा वृत्तिक का पोत के मास्टर, स्वामी या उसके अभिकर्ता के साथ विवाद की कोई शिकायत पोत परिवहन मास्टर को भेजी जा सकेगी ।

(3) पोत परिवहन मास्टर उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा निर्दिष्ट विवाद की सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा तथा अधिनिर्णय देगा जो पक्षकारों के अधिकारों के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे विवाद से संबंधित कोई भी दस्तावेज और स्वयं अधिनिर्णय उसका प्रथमदृष्टतया साक्ष्य होगा ।

(4) पोत परिवहन मास्टर द्वारा इस धारा के अधीन किए अधिनिर्णय द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिनिर्णय की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा और प्रधान अधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकेगा ।

(5) प्रधान अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक को द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन किए गए अधिनिर्णय को, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट उसी रीति में प्रवृत्त कर सकेगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा मजदूरी के संदाय का कोई आदेश किया जाता है ।

1996 का 26

(7) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में की कोई बात किसी पोत परिवहन मास्टर को इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए भेजे गए किसी मामले को लागू नहीं होगी ।

पोत परिवहन मास्टर की पोत के कागजपत्र पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।

78. किसी पोत परिवहन मास्टर के समक्ष इस अधिनियम के अधीन मजदूरी, दावों या किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवोन्मुक्ति से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में पोत परिवहन मास्टर, स्वामी, मास्टर, उसके अभिकर्ता या किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक से उसके कब्जे या शक्ति में कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी मामले से संबंधित कोई लाग बुक, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और मामले में उन व्यक्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा और मामले में उनकी परीक्षा कर सकेगा, जो उस समय वहां पर उस स्थान पर है या उसके समीप हैं ।

मजदूरी के लिए संक्षिप्त कार्यवाहियां ।

79. (1) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति जैसे ही उसको शोध्य कोई मजदूरी संदेय हो जाती है, किन्तु संदत्त नहीं की जाती है, उस स्थान की या उसके समीप, जहां पर उसकी सेवा समाप्त की गई हैं या जहां पर उसे सेवोन्मुक्त किया गया है या हां पर ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर दावा किया गया है, रहता है या निवास करता है, की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति, किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट मामले का संक्षिप्तत: विचारण करेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा उस मामले में किया गया आदेश अंतिम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा ।

मजदूरी के लिए वादों पर निर्बंधन ।

80. समुद्र यात्रा वृत्तिक को शोध्य मजदूरी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा या उसकी ओर से वहां के सिवाय संस्थित नहीं की जाएगी, जहां,--

(क) पोत का स्वामी दिवालिया घोषित कर दिया जाए ;

(ख) पोत किसी न्यायालय के प्राधिकार से बंदी बना लिया जाए या विक्रय कर दिया जाए ;

(ग) यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट दावा न्यायालय को निर्दिष्ट कर दे ।

मजदूरी का कतिपय दशाओं में भारत के बाहर वसूली करने योग्य न होना ।

81. जहां किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को ऐसी समुद्री यात्रा के लिए नियुक्त किया जाता है जिसका पर्यवसान भारत में होना है तो वह तब तक अपनी मजदूरी के लिए भारत के बाहर किसी न्यायालय में वाद नहीं ला सकेगा जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित मंजूरी से, तथा मास्टर की लिखित सहमति से, सेवोन्मुकत नहीं कर दिया जाता है या वह मास्टर की ओर से, या उसके प्राधिकार से, ऐसा दुर्व्यवहार साबित नहीं कर देता है, जिससे उसके फलक पर बने रहने की दशा में उसके जीवन को खतरे की उचित आशंका हो ।

मजदूरी, संवितरण आदि के लिए मास्टर के उपचार ।

82. (1) अपनी मजदूरी की वसूली के लिए पोत के मास्टर को, जहां तक मामले में संभव हो, वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक को इस अधिनियम या किसी विधि या रूढ़ि के अधीन प्राप्त हैं ।

(2) पोत के मास्टर को, और पोत मास्टर के रोगग्रस्त हो जाने या बीमारी के कारण असमर्थ हो जाने के कारण पोत के मास्टर के रूप में विधिपूर्वक कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जहां तक मामले में संभव हो, पोत की बाबत उसके द्वारा उचित रूप से किए गए संवितरणों या उपगत दायित्वों की वसूली के लिए वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे, जो मास्टर को अपनी मजदूरी की वसूली के लिए प्राप्त हैं ।

(3) यदि मास्टर की ऐसी मजदूरी, संवितरण या दायित्व की बाबत दावे के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में कोई मुजरा दावा किया जाता है या कोई प्रतिदावा किया जाता है तो न्यायालय कार्यवाही के पक्षकारों के बीच तब उठने वाले या विद्यमान और अनिर्णीत सब प्रश्नों पर विचार करेगा और उनका अधिनिर्णय करेगा तथा सब हिसाबों को तय करेगा और यदि कोई अतिशेष शोध्य पाया जाता है तो उसके संदाय का निर्देश देगा ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक और उनके नियोजकों के बीच विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

83. (1) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे पोतों के, जिनमें समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजित हैं या उनके नियोजित किए जाने की संभावना है, समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रा वृत्तिकों के किसी वर्ग या समुद्र यात्रा वृत्तिक की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है तथा ऐसा विवाद समुद्र यात्रा वृत्तिकों के नियोजन से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी विषय की बात है तो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का एक अधिकरण गठित कर सकेगी, जिन्हें समुद्रीय विषयों का ज्ञान हो, और विवाद को अधिनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा । 1908 का 5

(3) अधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों द्वारा भी आबद्ध नहीं होगा । 1872 का 10

(4) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-- 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेज पेश कराना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

1860 का 45

(5) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(6) विवाद का कोई पक्षकार, कार्यवाही के अन्य पक्षकार या पक्षकारों की सहमति और अधिकरण की इजाजत के सिवाय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में इस बात का हकदार नहीं होगा कि कोई विधि व्यवसायी उसका प्रतिनिधित्व करे ।

(7) अधिकरण, ऐसी अवधि के भीतर, जो उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, निर्देश का निपटारा करेगा और अपना अधिनिर्णय केंद्रीय सरकार को भेजेगा ।

(8) केंद्रीय सरकार, अधिनिर्णय प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित कराएगी और अधिनिर्णय ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रर्वतनीय हो जाएगा :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिनिर्णय को या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना लोक आधार पर समीचीन नहीं होगा, वहां वह उस उक्त तीस दिन की अवधि के पर्यवसान के पूर्व, राजपत्र में आदेश द्वारा, अधिनिर्णय को या तो नामंजूर कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, तथा जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करती है वहां अधिनिर्णय, यथास्थिति, प्रवर्तनीय नहीं होगा या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रवर्तनीय होगा ।

(9) जो अधिनिर्णय इस धारा के अधीन प्रवर्तनीय हो गया है, वह,--

(क) विवाद के सभी पक्षकारों पर ;

(ख) जहां विवाद का कोई पक्षकार पोत का स्वामी है, वहां उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर,

आबद्धकर होगा ।

(10) अधिनिर्णय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनिर्णय उसके प्रवर्तनीय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और तत्पश्चात् उस तारीख से, जिस तारीख को अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय को पर्यवसित करने के अपने आशय की सूचना दी जाती है, दो मास की अवधि बीत जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(11) जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, अधिकरण, अधिनिर्णय के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

(12) किसी अधिनिर्णय के अधीन पोत के स्वामी से समुद्र यात्रा वृत्तिक को शोध्य कोई रकम मजदूरी के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

1947 का 14

(13) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की कोई बात उन पोतों के, जिनमें कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजित है या नियोजित किए जा सकते हैं, ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रा वृत्तिकों के किसी वर्ग या समुद्र यात्रा वृत्तिकों की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच किसी विवाद को लागू नहीं होगी ।

(14) इस धारा के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,--

(क) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रा वृत्तिकों का वर्ग या समुद्र यात्रा वृत्तिकों की यूनियन हड़ताल नहीं करेगी या हड़ताल पर नहीं रहेगी या अन्यथा कोई कार्य ऐसी रीति से नहीं करेगी, जिसमें उन पोतों के, जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजित है या नियोजित किए जा सकते हैं, सामान्य कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़े ; और

(ख) पोत का कोई स्वामी,--

(i) विवाद से संबंधित समुद्र यात्रा वृत्तिक को ऐसी कार्यवाही के आरंभ के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ; या

(ii) विवाद से संबंधित किसी विषय की बाबत किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को सेवोन्मुक्त या दंडित नहीं करेगा ।

अपने पोत के साथ नष्ट हो गए समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी, आदि की वसूली ।

84. (1) जहां कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक अपने पोत के साथ नष्ट हो जाए, वहां केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, पोत के मास्टर या स्वामी या उसके अभिकर्ता से उसे शोध्य मजदूरी और प्रतिकर उसी न्यायालय में और उसी रीति में वसूल कर सकेगा, जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी वसूल की जा सकती है तथा उस मजदूरी की बाबत उसी रीति में कार्यवाही करेगा, जैसी अन्य मृत समुद्र यात्रा वृत्तिकों को शोध्य मजदूरी और प्रतिकर के बारे में इस अधिनियम के अधीन की जाती है ।

(2) मजदूरी और प्रतिकर की वसूली के लिए किसी कार्यवाही में यदि किसी शासकीय अभिलेख से या अन्य साक्ष्य से यह दिखाया जाता है कि पोत ने, कार्यवाही संस्थित किए जाने के बारह मास या उससे अधिक पूर्व, कोई पत्तन छोड़ा था तो उसके बारे में तब तक, जब तक यह दर्शित नहीं किया जाता है कि छूटने के पश्चात् बारह मास के भीतर उसके बारे में कुछ सुना गया है, यह समझा जाएगा कि वह या तो उस समय के ठीक पश्चात् जब उसके बारे में अंतिम बार कुछ सुना गया था या ऐसी पश्चात्वर्ती किसी तारीख से, जिसे मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय संभाव्य समझे, खो गया है ।

नामनिर्देशन ।

85. (1) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक धारा 69 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा :

परंतु यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक का कुटुंब है तो वह पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए केवल अपने कुटुंब के एक या अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा और यदि किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक का, ऐसे नामनिर्देशन के पश्चात् कुटुंब हो जाता है तो नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा ।

(2) वह प्ररूप, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन किया जा सकेगा, ऐसे किसी नामनिर्देशन का रद्दकरण या परिवर्तन (जिसके अंतर्गत नया नामनिर्देशन किया जाना है) और ऐसे नामनिर्देशनों से संबंधित सभी अन्य विषय ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक का उपचार और भरणपोषण ।

86. (1) कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक जिस स्थान पर कष्टग्रस्त हो वहां का या उस स्थान के आसपास का भारतीय कौंसिलीय आफिसर कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस समुद्र यात्रा वृत्तिक को समुचित वापसी पत्तन तक वापस भेजने की व्यवस्था, तथा जब तक उक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक ऐसे पत्तन पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसके लिए आवश्यक कपड़े और भरणपोषण की व्यवस्था भी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा ।

(2) कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक को, नियमों में उपबंधित विस्तार तक और शर्तों पर के

सिवाय, भरणपोषण का या समुचित वापसी पत्तन पर भेजे जाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत, अपवादित व्ययों से भिन्न, सभी ऐसे संप्रत्यावर्तन व्यय केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण होंगे और उस पोत का स्वामी या अभिकर्ता उसके लिए दायी होगा, जिसमें वह समुद्र यात्रा वृत्तिक, जिसकी बाबत व्यय उपगत किया गया है, अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था तथा स्वामी या अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृत्तिक से कोई ऐसी रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा, जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण होगा, जिसके लिए वह समुद्र यात्रा वृत्तिक, जिसकी बाबत वे उपगत किए गए हैं, और उस पोत का, जिसमें वह समुद्र यात्रा वृत्तिक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था, स्वामी या अभिकर्ता उसके लिए संयुक्त: तथा पृथक्त: दायी होंगे तथा स्वामी या अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृत्तिक से ऐसी कोई रकम वसूल करने का हकदार होगा, जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार को संदत्त की गई हो, तथा समुद्र यात्रा वृत्तिक की शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग, जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा ।

(5) किसी कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक की बाबत उस पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा, जिसका वह समुद्र यात्रा वृत्तिक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय स्वामी या अभिकर्ता को शोध्य ऋण होगा, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक दायी होगा और स्वामी या अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृत्तिक को शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग, जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा ; किंतु वह अपवादस्वरूप व्ययों से भिन्न कोई संप्रत्यावर्तन व्यय समुद्र यात्रा वृत्तिक से वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) किन्हीं ऐसे व्ययों की, जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के अर्थ में केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण है, वसूली के लिए किसी कार्यवाही में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके निदेश के अधीन व्ययों के हिसाब का पेश किया जाना तथा उन व्ययों के संदाय का सबूत इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा कि व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत किए गए थे ।

(7) केंद्रीय सरकार को इस धारा के अधीन शोध्य कोई ऋण उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति से ऐसी रीति में वसूल किया जा सकेगा, जिस रीति में धारा 79 के अधीन मजदूरी वसूल की जा सकती है ।

(8) केंद्रीय सरकार भारत के बाहर किसी स्थान में कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सहायता, भरण पोषण और समुचित वापसी पत्तन को वापसी की बाबत तथा उन परिस्थितियों की बाबत, जिनमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए समुद्र यात्रा वृत्तिकों को मुक्त किया जा सकेगा तथा इस भाग के अधीन मार्ग व्यय की व्यवस्था की जा सकेगी, और कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिकों से संबंधित इस भाग के उपबंधों को साधारणतया क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अपवादित व्यय" से उन दशाओं में उपगत संप्रत्यावर्तन व्यय अभिप्रेत है, जब समुद्र यात्रा वृत्तिक को पीछे छोड़ देने का कारण अभित्याग या छुट्टी बिना अनुपस्थिति या

अवचार के कारण कारावास या अवचार के आधार पर जलयान से मुक्ति है ;

(ख) "संप्रत्यावर्तन व्यय" से किसी कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक को समुचित वापसी के पत्तन तक भेजने में, और तब तक, जब तक वह ऐसे पत्तन पर पहुंच नहीं जाता है, आवश्यक कपड़े और भरण-पोषण उपलब्ध कराने पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ध्वस्त पोत समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में, जलयान के ध्वस्त हो जाने के पश्चात् उसे पत्तन तक ले जाने में, और इस प्रकार ले जाते समय उसके भरण-पोषण पर उपगत व्ययों का प्रतिसंदाय भी है ।

कष्ट का साक्ष्य ।

87. इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में केंद्रीय सरकार का या ऐसे अधिकारी का, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, इस आशय का प्रमाणपत्र कि प्रमाणपत्र में नामित कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक कष्टग्रस्त है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि ऐसा समुद्र यात्रा वृत्तिक इस अधिनियम के अर्थ में कष्टग्रस्त है ।

पोत परिवहन मास्टर द्वारा निरीक्षण ।

88. (1) पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी, भारतीय कौंसलीय आफिसर या किसी पत्तन पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,--

(क) किसी ऐसे पोत की दशा में, जिस पर समुद्र यात्रा वृत्तिक को उस पत्तन पर सवार किया गया है, किसी भी समय पोत के फलक पर प्रवेश कर सकेगा ; तथा

(ख) किसी भारतीय पोत की दशा में, किसी भी समय पोत के फलक पर प्रवेश कर सकेगा और यदि मास्टर या कर्मीदल में से तीन या अधिक व्यक्ति ऐसा निवेदन करें, तो फलक पर प्रवेश करेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन पोत पर उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित,--

(i) रसद और जल ;

(ii) बाट और माप ;

(iii) समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए स्थान सुविधाओं तथा भोजन और जल के भंडारण और धराल उठाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थान और उपस्कर तथा रसोईघर और भोजन तैयार करने और परोसने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों का भी ;

(iv) समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा का,

निरीक्षण करेगा ।

(2) अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे या किसी पत्तन या पत्तनों के बीच प्रचालित समस्त पोत, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा को रखेंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नहीं आने वाले पोत, जब तक उनको केंद्रीय सरकार से छूट प्रदान नहीं की जाए, ऐसा प्रमाणपत्र, ऐसी रीति और प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखेंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल भारत में किसी पत्तन पर किसी पोत के फलक पर लेने से किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को रोकने के प्रयोजन के लिए कोई पोत परिवहन मास्टर या उप पोत परिवहन मास्टर या सहायक पोत परिवहन मास्टर या समुद्र यात्रा वृत्तिक के नियोजन कार्यालय का कोई निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक किसी भी समय किसी ऐसे पोत के फलक पर, जिस पर उसे यह विश्वास है कि उस समुद्र यात्रा वृत्तिक को सवार किया गया है, प्रवेश कर सकेगा और उसमें नियोजित कई एक समुद्र यात्रा वृत्तिकों की हाजिरी और परीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा" से किसी पोत के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा जारी ऐसी घोषणा अभिप्रेत है कि वह समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों में वर्णित अपेक्षाओं और मानकों को पूरा करता है ;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा" से भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान को या विपर्यत: या भारत के बाहर किन्हीं पत्तनों के बीच समुद्र यात्रा अभिप्रेत है ।

मुकद्दमेबाजी की बाबत समुद्र यात्रा वृत्तिकों के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध ।

89. (1) समुद्र यात्रा वृत्तिक को, कर्मीदल के साथ किए गए करार की तारीख को प्रारंभ होने वाली और समुद्र यात्रा वृत्तिक को ऐसे करार से अंतिम रूप से उन्मोचित करने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इन उपबंधों के प्रयोजन के लिए सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक समझा जाएगा ।

(2) यदि किसी न्यायालय में कोई वादपत्र, आवेदन या अपील पेश करने वाले किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि विपक्षियों में से कोई सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है तो वह वादपत्र, आवेदन या अपील में तदनुसार कथन करेगा ।

(3) यदि किसी कलक्टर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा समुद्र यात्रा वृत्तिक, जो साधारणतया उसके जिले में निवास करता है या उस जिले में उसकी संपत्ति है और जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में पक्षकार है, वहां हाजिर होने में असमर्थ है या वह सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है तो कलक्टर इन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर सकता है ।

(4) यदि कलक्टर ने उपधारा (3) के अधीन यह प्रमाणित किया है या न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, जो न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है, वहां हाजिर होने में असमर्थ है या सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है तो न्यायालय कार्यवाही को विलंबित कर देगा और उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को देगा :

परंतु न्यायालय कार्यवाही को निलंबित करने और सूचना देने से विरत रह सकता है, यदि,--

(क) कार्यवाही ऐसी है जो समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा अकेले ही या अन्य के साथ संयुक्त रूप से, अग्रक्रयाधिकार को प्रवर्तित कराने के उद्देश्य से संस्थित की गई है या लाई गई है ; या

(ख) कार्यवाही में समुद्र यात्रा वृत्तिक के हित, न्यायालय की राय में, या तो कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार के हित के समान हैं और ऐसे अन्य पक्षकार द्वारा उनका यथेष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, या केवल औपचारिक प्रकृति के हैं ।

(5) यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, यह प्रतीत हो कि यद्यपि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, किंतु कार्यवाही के परिणाम से तात्त्विक रूप से संबंधित है और हाजिर होने में असमर्थता के कारण उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो वह न्यायालय कार्यवाही को विलंबित कर सकेगा और उसकी सूचना पोत मास्टर को देगा ।

(6) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर यदि पोत परिवहन मास्टर न्यायालय को यह प्रमाणित करता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक, सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है तो न्यायालय तदुपरि समुद्र यात्रा वृत्तिक की बाबत कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे :

परंतु यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक की निरंतर गैर-हाजिरी के कारण कार्यवाही को और आगे निलंबित करने का प्रश्न उठता है तो न्यायालय ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने में इस अधिनियम के उपबंधों के उन प्रयोजनों को ध्यान में रखेगा, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक को मुकदमेबाजी की बाबत विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं ।

(7) यदि पोत परिवहन मास्टर यह प्रमाणित करता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक तत्समय सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक नहीं है या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, कार्यवाही को चालू रख सकेगा ।

(8) जहां न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध, तब जब वह सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है, कोई डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाता है तो समुद्र यात्रा वृत्तिक, या यदि सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि उक्त न्यायालय को उस डिक्री या आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और, यदि न्यायालय का, विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह अपेक्षित है कि उस डिक्री या आदेश को, जहां तक वह समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध है, अपास्त किया जाना चाहिए तो न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझता है, तदनुसार आदेश कर सकेगा, और यदि उसे यह प्रतीत होता है कि कार्यवाही का कोई विरोधी पक्षकार उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे विरोधी पक्षकार के विरुद्ध नुकसानी अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन आवेदन के लिए परिसीमाकाल उस तारीख से, जिसको समुद्र यात्रा वृत्तिक डिक्री या आदेश पारित किए जाने के पश्चात् प्रथम बार सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक नहीं रहता है, या जहां उस कार्यवाही में, जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया है, समुद्र यात्रा वृत्तिक पर समन या सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं की गई है, वहां उस तारीख से, जिस तारीख को आवेदक को डिक्री या आदेश की जानकारी हुई है, दोनों तारीखों में से जो पश्चातवर्ती हो, साठ दिन होगी, और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबंध ऐसे आवेदनों को लागू होंगे । 1963 का 36

(10) जहां वह डिक्री या आदेश, जिसकी बाबत उपधारा (8) के अधीन आवेदन किया गया है, ऐसी प्रकृति का है कि उसे केवल समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता है तो वह सभी पक्षकारों या उनमें से ऐसों के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध डिक्री या आदेश किया गया है, अपास्त किया जा सकेगा ।

(11) जहां न्यायालय किसी डिक्री या आदेश को इस धारा के अधीन अपास्त करता है वहां वह, यथास्थिति, उस वाद, अपील या आवेदन में, जिसकी बाबत डिक्री या आदेश पारित किया गया था, कार्यवाही के लिए दिन नियत करेंगी ।

(12) न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए, जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक पक्षकार है, पूर्वगामी उपबंधों में या भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 में या तत्समय 1963 का 36
प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित परिसीमाकाल की गणना करने में वह अवधि या वे अवधियां, जिसके या जिनके दौरान समुद्र यात्रा वृत्तिक सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक रहा है तथा यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक की मृत्यु सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में कार्य करने के दौरान हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख से उस तारीख तक की अवधि, जिसको उसके निकट संबंधी को पोत परिवहन मास्टर द्वारा या अन्यथा प्रथम बार समुद्र यात्रा वृत्तिक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, अपवर्जित कर दी जाएगी :

परंतु यह धारा अग्रक्रयाधिकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से संस्थित या किए गए किसी वाद, अपील या आवेदन की दशा में, ऐसे क्षेत्रों और ऐसी परिस्थितियों में के सिवाय, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी ।

(13) यदि किसी न्यायालय को इस बारे में संदेह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक किसी विशेष समय या किसी विशेष अवधि के दौरान सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है या था कि नहीं तो वह उस प्रश्न को पोत परिवहन मास्टर को निर्दिष्ट कर सकेगा और पोत परिवहन मास्टर का प्रमाणपत्र उस प्रश्न पर निश्चायक साक्ष्य होगा ।

परिवाद लाने की सुविधाएं ।

90. यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक मास्टर से यह कथन करता है कि वह उसके विरुद्ध या कर्मीदल में से किसी के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष परिवाद लाना चाहता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति,--

(क) यदि पोत उस समय ऐसे स्थान पर है, जहां, यथास्थिति, कोई प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य समुचित प्राधिकारी है, तो ऐसा कथन किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र पोत की यात्रा में संभव हो, और

(ख) यदि पोत उस समय ऐसे स्थान पर नहीं है तो ऐसे स्थान पर उसके प्रथम बार पहुंचने के पश्चात् यथा शीघ्र पोत की यात्रा में संभव हो,

परिवादी को किनारे जाने की अनुज्ञा देगा या उसे समुचित संरक्षण के अधीन किनारे भेजेगा, जिससे वह परिवाद लाने में समर्थ हो सके ।

उद्धारण के समनुदेशन या विक्रय का अविधिमान्य होना ।

91. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुद्र यात्रा वृत्तिक को देय उद्धारण का उसके उद्धत होने के पूर्व किया गया कोई समनुदेशन, समनुदेशन करने वाले व्यक्ति को आबद्ध नहीं करेगा, तथा किसी ऐसे उद्धारण की प्राप्ति के लिए कोई मुख्तारनामा या प्राधिकार अप्रतिसंहरणीय नहीं होगा ।

पोत पर अनुज्ञा के बिना चढ़ने का प्रतिषेध ।

92. जब पोत समुद्र यात्रा की समाप्ति पर भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंच जाता है तब यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में नहीं है या इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, पोत के मास्टर की अनुज्ञा के बिना पोत के फलक पर जाता है, तो पोत का मास्टर उसे अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा और, यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही के लिए उसे तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा ।

जीवन या पोत को खतरे में डालने वाले अवचार ।

93. भारतीय पोत का, चाहे वह पोत जहां भी हो, या किसी अन्य पोत का, जब वह पोत भारत में हो, कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक जानबूझकर,--

(क) ऐसी कोई बात नहीं करेगा, जिसकी प्रवृत्ति पोत को तुरंत हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करने या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की हो अथवा पोत के या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन को तुरंत खतरा या क्षति पहुंचाने की हो ; या

(ख) पोत को तुरंत हानि होने, नष्ट होने या उसका गंभीर नुकसान होने से परिरक्षण के लिए या पोत की या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन की क्षति से परिरक्षण के लिए उसके द्वारा किए जाने के लिए उचित और अपेक्षित किसी विधिपूर्ण कार्य को करने से इंकार नहीं करेगा या उसका लोप नहीं करेगा ।

छुट्टी के बिना अभित्यजन और

94. (1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक,--

(क) अपने पोत का अभित्यजन नहीं करेगा ; या

(ख) उचित कारण के बिना पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में या अपने पोत में यात्रा पर अग्रसर होने में उपेक्षा नहीं करेगा या उससे इंकार नहीं करेगा, समुद्र यात्रा के प्रारंभ पर या यात्रा के दौरान पत्तन से पोत के चलने के चौबीस घंटे के भीतर किसी समय छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा, या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना किसी समय अनुपस्थित नहीं रहेगा । अनुपस्थिति ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह तथ्य कि वह पोत, जिस पर समुद्र यात्रा वृत्तिक को नियुक्त किया गया है या जिसका वह है, समुद्र यात्रा के अयोग्य है, एक उचित कारण समझा जाएगा :

परंतु यह तब जब समुद्र यात्रा वृत्तिक ने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में असफल रहने या इंकार करने या अपने पोत में यात्रा पर अग्रसर होने से पूर्व या पोत के स्वयं को अनुपस्थित रखने या अनुपस्थित होने से पूर्व मास्टर को या पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय कौंसलीय आफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी पत्तन पर इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह शिकायत की हो कि पोत समुद्र यात्रा के अयोग्य है ।

(3) यदि पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जाता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक ने अपने पोत का अभित्यजन किया है या वह अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा है तो पोत परिवहन मास्टर महानिदेशक को इस आशय की तुरंत रिपोर्ट देगा जो तदुपरि यह निदेश कर सकेगा कि समुद्र यात्रा वृत्तिक का चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या समुद्र यात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज उतनी अवधि के लिए, जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिसंहृत किया जाए ।

(4) यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक अपने पोत का अभित्यजन करता है या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है तो पोत का मास्टर, कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, स्वामी या स्वामी का अभिकर्ता ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकेगी, उस समुद्र यात्रा वृत्तिक का अपने पोत के फलक पर प्रवहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग करा सकेगा, जितना मामले की परिस्थितियों में उचित हो ।

(5) भारतीय पोत पर नियुक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक यदि समुद्र यात्रा के प्रारंभ या उसके दौरान, भारत के बाहर अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अपराध करता है या अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो मास्टर, कोई मेट, स्वामी या स्वामी का अभिकर्ता तब, और वहां तक जहां तक कि उस स्थान पर लागू विधियों द्वारा अनुज्ञात हो, पहले कोई वारंट उपाप्त किए बिना ही उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

(6) कोई व्यक्ति अनुचित या अपर्याप्त कारण से किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को गिरफ्तार नहीं करेगा या फलक पर उसका प्रवहण नहीं करेगा ।

(7) जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक को अभित्यजन या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति या अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध के आधार पर किसी न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, और मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसी अपेक्षा करे तो न्यायालय उस अपराध के लिए सुपुर्द करने और दंडादिष्ट करने के बजाय समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए उसे उसके पोत के फलक पर प्रवहन करा सकेगा या उसे इस प्रकार प्रवहन किए जाने के लिए पोत के मास्टर या किसी मेट, स्वामी या उसके अभिकर्ता को सौंप देगा, तथा ऐसे मामले में आदेश कर सकेगा कि मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे प्रवहन के कारण उचित रूप से उपगत कोई खर्चे और व्यय अपराधी द्वारा संदत्त किए जाएं तथा, यदि आवश्यक हो तो, उस मजदूरी में से, जो उसने तब अर्जित की है या उस समय अस्तित्वशील नियोजन के आधार पर आगे अर्जित की जाए, कटौती कर

ली जाए ।

अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध ।

95. विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक अनुशासन के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा, यदि वह निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करेगा, अर्थात् :--

(क) यदि वह पोत के परिदान पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् और उसे सुरक्षा में रखे जाने के पूर्व छुट्टी के बिना पोत को छोड़ देता है ;

(ख) यदि वह जानबूझकर किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर निरंतर अवज्ञा का या कर्तव्य की जानबूझकर निरंतर उपेक्षा का दोषी है ;

(ग) यदि वह विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर निरंतर अवज्ञा का या कर्तव्य की जानबूझकर निरंतर उपेक्षा का दोषी है ;

(घ) यदि वह मास्टर पर या पोत के किसी अन्य अधिकारी या किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक पर हमला करता है ;

(ङ) यदि वह विधिपूर्ण आदेशों की अवज्ञा के लिए या कर्तव्य की उपेक्षा के लिए या पोत के नौवहन में अड़चन डालने के लिए या समुद्र यात्रा की प्रगति में बाधा डालने के लिए कर्मीदल में से किसी के साथ मिल जाता है ;

(च) यदि वह अपने पोत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या उसके भंडार या स्थोरा की बाबत आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग करता है या उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है ;

(छ) यदि वह अपने करार के आधार पर अग्रिम संदाय प्राप्त करता है और जानबूझकर या अवचार द्वारा अपने पोत की देखभाल करने में असफल रहता है या उसके प्रति शोध्य संदाय के पूर्व वहां से अभित्यजन करता है ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा माल की तस्करी ।

96. (1) यदि विधिपूर्वक नियुक्त किया गया समुद्र यात्रा वृत्तिक किसी माल की तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके कारण पोत के मास्टर या स्वामी को हानि या नुकसान हो जाता है तो वह समुद्र यात्रा वृत्तिक, मास्टर या स्वामी को उस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त राशि के संदाय का दायी होगा और उसकी पूरी मजदूरी या उसका कोई भाग, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दायित्व की तुष्टि के लिए प्रतिधारित की जा सकेगी या किया जा सकेगा ।

(2) यदि विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक अफीम, भांग या किसी अन्य स्वापक औषधि या स्वापक पदार्थ की तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो महानिदेशक यह निदेश दे सकेगा कि समुद्र यात्रा वृत्तिक का सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज रद्द कर दिया जाए या उतनी अवधि के लिए जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर दिया जाए ।

अधिकृत लॉग बुक में अपराधों की प्रविष्टि ।

97. यदि इस अधिनियम के अर्थ में अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है अथवा अवचार का कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जिसके लिए अपराधी का करार जुर्माना अधिरोपित करता है और यह आशयित है कि जुर्माना वसूल किया जाए तो,--

(क) अधिकृत लाग बुक में उस अपराध या कार्य की प्रविष्टि की जाएगी और मास्टर, निगरानी करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ; और

(ख) अपराधी को, यदि वह पोत में ही है तो पोत के पश्चातवर्ती किसी पत्तन पर पहुंचने के पूर्व, या यदि पोत उस समय पत्तन में है तो उसकी वहां से प्रस्थान के पूर्व, उस प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और उसे सुभिन्न और सुश्रव्य रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी,

वह तदुपरि उसका ऐसा उत्तर दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ; और

(ग) प्रविष्टि की प्रति का इस प्रकार से दिए जाने और पढ़कर सुनाए जाने का विवरण तथा यदि अपराधी ने कोई उत्तर दिया है तो उसे उसी प्रकार प्रविष्ट किया जाएगा और उपरोक्त रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ; और

(घ) इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियां किसी पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाही में, यदि साध्य हो तो, पेश या साबित की जाएंगी, और इस प्रकार पेश किए जाने या साबित किए जाने में व्यतिक्रम की दशा में, मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय, स्वविवेकानुसार, अपराध या अवचार के कार्य के साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा ।

अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट ।

98. किसी भारतीय पोत पर भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक यदि अभित्यजन करता है या भारत में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो पोत का मास्टर ऐसे अभित्यजन या अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के अड़तालीस घंटे के भीतर उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केंद्रीय सरकार, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, देगा यदि उस बीच में अभित्याजक या अनुपस्थित समुद्र यात्रा वृत्तिक लौट नहीं आता है ।

विदेश में अभित्यजन की प्रविष्टियां और प्रमाणपत्र ।

99. (1) जब कोई भारतीय पोत भारत के बाहर किसी स्थान पर हो तब उससे अभित्यजन के प्रत्येक मामले की दशा में मास्टर, अधिकृत लॉग बुक में अभित्यजन की प्रविष्टि को उस स्थान के भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष पेश करे और वह अधिकारी तदुपरि प्रविष्टि की एक प्रति तैयार और प्रमाणित करेगा ।

(2) मास्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित ऐसी प्रति को तुरंत उस पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को संप्रेषित करेगा, जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक को पोत परिवहन किया गया था और यदि अपेक्षित हो तो मास्टर उसे किसी विधिक कार्यवाही में पेश कराएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित तैयार की गई और प्रमाणित की गई तात्पर्यित प्रति ऐसे अभित्यजन से संबंधित विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य होगी ।

मजदूरी के समपहरण के लिए कार्यवाहियों में अभित्यजन साबित करने के लिए सुविधाएं ।

100. (1) जब कभी यह प्रश्न उठता है कि किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी पोत से अभित्यजन के लिए समपहृत की गई है या नहीं तो समपहरण पर जोर देने वाले व्यक्ति के लिए यह दर्शाना पर्याप्त होगा कि समुद्र यात्रा वृत्तिक को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था या वह पोत पर था, तथा उसने या तो समुद्र यात्रा अथवा नियोजन पूर्ण होने के पूर्व पोत छोड़ दिया था यदि, समुद्र यात्रा का पर्यवसान भारत में होना था और पोत लौटा नहीं था तो यह कि वह पोत से अनुपस्थित था और उसके पहुंचने पर अधिकृत लाग बुक में सम्यक् रूप से प्रविष्टि की गई है ।

(2) तदुपरि वह अभित्यजन, जहां तक उसका संबंध इस भाग के अधीन मजदूरी के किसी समपहरण से है, तब तक साबित कर दिया गया समझा जाएगा जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक सेवोन्मुक्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप से अन्यथा यह नहीं दर्शाता है कि उसके पास पोत छोड़ने के पर्याप्त कारण थे ।

समपहरण का उपयोजन ।

101. (1) जहां कोई मजदूरी या अन्य संपत्ति पोत से अभित्यजन के लिए इस अधिनियम के अधीन समपहृत की जाए, वहां उसका उपयोजन अभित्यजन के कारण पोत के मास्टर या स्वामी या उसके पोत के अभिकर्ता को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा और, ऐसी प्रतिपूर्ति के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी ।

(2) मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता, मजदूरी को, यदि वह मजदूरी अभित्यजन के पश्चात् अर्जित की गई हो तो ऐसी प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए उसी रीति में वसूल कर सकता है जैसे अभित्याजक समपहरण न होने की दशा में उसे वसूल कर सकता था और ऐसी मजदूरी से संबंधित किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय तदनुसार उनका संदाय करने का आदेश दे सकेगा ।

मजदूरी के लिए वादों में समपहरण और कटौती के प्रश्नों का विनिश्चय ।

102. समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी के समपहरण या उनमें से कटौतियों से संबंधित कोई प्रश्न, उस मजदूरी की बाबत विधिक रूप से संस्थित की गई किसी कार्यवाही में, इस बात के होते हुए भी अवधारित किया जा सकेगा कि वह अपराध, जिसकी बाबत प्रश्न उठा है, यद्यपि वह इस अधिनियम द्वारा कारावास तथा समपहरण, दोनों से ही दंडनीय है, किसी दांडिक कार्यवाही का विषय नहीं बनाया गया है ।

पोत परिवहन मास्टर के साथ करार के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय ।

103. (1) किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक पर अवचार के किसी कार्य के लिए उसके करार के अधीन अधिरोपित प्रत्येक जुर्माने की कटौती और संदाय निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) यदि अपराधी को भारत में किसी पत्तन या स्थान पर सेवोन्मुक्त किया जाता है और वह अपराध, उसकी बाबत ऐसी प्रविष्टियां, जैसी ऊपर कही गई हैं, पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो मास्टर या स्वामी ऐसे जुर्माने की कटौती अपराधी की मजदूरी में से करेगा और उसका संदाय ऐसे पोत परिवहन मास्टर को करेगा ; और

(ख) यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवोन्मुक्ति भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर की जाती है और वह अपराध ऐसी प्रविष्टियां, जैसी ऊपर कही गई हैं, उस भारतीय कौंसलीय अधिकारी के, जिसकी मंजूरी से समुद्र यात्रा वृत्तिक को इस प्रकार सेवोन्मुक्त किया जाता है, समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो तदुपरि उस जुर्माने की कटौती उपरोक्त प्रकार से की जाएगी, और ऐसी कटौती की प्रविष्टि अधिकृत लॉग बुक में की जाएगी और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा पोत की भारत वापसी पर मास्टर या स्वामी ऐसे जुर्माने का संदाय उस पोत परिवहन मास्टर को करेगा ।

(2) अवचार का वह कार्य, जिसके लिए ऐसा कोई जुर्माना किया गया है और संदत्त किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा दंडनीय नहीं होगा ।

(3) पोत परिवहन मास्टर द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त किए गए सभी जुर्मानों के आगम समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग में लाए जाएंगे, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक को अभित्यजन के लिए फुसलाया जाना ।

104. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को उसके पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने या समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने की उपेक्षा करने या इंकार करने या पोत का अभित्याग करने के लिए या उसे उसके कर्तव्य से अन्यथा अनुपस्थित रहने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को, जिसने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने से जानबूझकर उपेक्षा की है या इंकार किया है या अपने पोत का अभित्यजन किया है, यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि समुद्र यात्रा वृत्तिक ने ऐसा किया है, उसे संश्रय नहीं देगा या नहीं छिपाएगा :

परंतु इस धारा के उपबंधों का विस्तार उस मामले में नहीं होगा, जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक के पति या पत्नी द्वारा संश्रय दिया गया है या छिपाया गया है ।

भराई करने वालों और समुद्र यात्रा वृत्तिक का विवशता के अधीन वहन ।

105. (1) कोई व्यक्ति पोत में स्वयं को नहीं छिपाएगा और स्वामी, अभिकर्ता या मास्टरों या मेट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, जो सम्मति देने के लिए हकदार है, पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक, जिसे पोत का मास्टर इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के प्राधिकार के अधीन पोत पर सवार करने और वहन करने के लिए बाध्य है तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपरोक्त सम्मति के बिना पोत में समुद्र यात्रा पर जाता है, अनुशासन बनाए

रखने के लिए उन्हीं विधियों के अधीन तथा अनुशासन भंग के कारण होने वाले अपराधों या अनुशासन भंग करने की प्रवृत्ति रखने वाले अपराधों के लिए वैसे ही जुर्मानों के और दंडों के अध्यधीन होगा, मानो वह कर्मीदल का सदस्य है और अपने साथ करार पर हस्ताक्षर किया है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति के बिना किसी पोत पर समुद्र यात्रा पर चला जाता है तो भारत में, या भारत के बाहर, किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचने वाले किसी भारतीय पोत का मास्टर और भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत का मास्टर उस तथ्य की रिपोर्ट पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र समुचित अधिकारी को लिखित में देगा ।

मास्टर के परिवर्तन पर दस्तावेजों का उत्तराधिकारी को सौंपा जाना ।

106. (1) यदि समुद्र यात्रा के दौरान किसी भारतीय पोत के मास्टर को हटा दिया जाता है या अतिष्ठित कर दिया जाता है या वह किसी अन्य कारण से पोत को छोड़ देता है और कमान किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उक्त मास्टर पोत के नौवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और पोत के कर्मीदल को, जो उसकी अभिरक्षा में है, और सूचीबद्ध किए गए ऐसे दस्तावेजों को सौंपे जाने संबंधी टिप्पण को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगा ।

(2) ऐसे दस्तावेज और सौंपे जाने संबंधी टिप्पण प्राप्त होने पर उत्तराधिकारी उस प्रभाव की अधिकृत लॉग बुक में प्रविष्टि करेगा, जिसे पूर्वाधिकारी द्वारा भी पृष्ठांकित किया जाएगा ।

विदेशों पोतों के अभित्याजक ।

107. (1) जहां केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि भारत के बाहर किसी देश की सरकार द्वारा भारतीय पोतों से उस देश में अभित्यजन करने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिकों को बरामद करने और उन्हें पकड़ने के लिए सम्यक् सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएगी, वहां केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अधिकथित करते हुए कि ऐसी सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी, यह घोषित कर सकेगी कि वह धारा ऐसे देश के पोतों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों को, ऐसी परिसीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू होगी ।

(2) जहां यह धारा किसी देश के पोत के समुद्र यात्रा वृत्तिकों को लागू होती है और किसी ऐसे पोत से, जब तक वह भारत में हो, कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक अभित्यजन करता है तो कोई भी न्यायालय, जो तब मामले का संज्ञान कर सकता था, यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक ने भारतीय पोत से अभित्यजन किया होता, उस देश के कौंसलीय आफिसर के आवेदन पर, अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देगा और उस प्रयोजन के लिए, शपथ पर दी गई जानकारी पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा तथा अभित्यजन का सबूत दिए जाने पर उसका उसके पोत पर प्रवहन किए जाने का या उस पोत के मास्टर या मेट या स्वामी या उसके अभिकर्ता को अभित्याजक का इस प्रकार के प्रवहन किए जाने के लिए परिदत्त किए जाने का आदेश देगा और कोई ऐसा वारंट या आदेश तदनुसार निष्पादित किया जा सकेगा ।

अधिकृत लॉग बुक ।

108. (1) दो सौ सकल टन भार से कम के पोत के सिवाय, प्रत्येक पोत में, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अधिकृत लॉग बुक, रखी जाएगी ।

(2) प्रत्येक पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अधिकृत लॉग बुक का रखा जाना अपेक्षित है, अधिकृत लॉग बुक को पोत परिवहन मास्टर को, जब कभी पोत परिवहन मास्टर द्वारा अपेक्षा की जाए, परिदत्त करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति पोत के उन्मोचन के अंतिम पत्तन पर पहुंचने से पूर्व हुई किसी घटना के संबंध में, उसकी पहुंच के चौबीस घंटे से अधिक पश्चात्, अधिकृत लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं करेगा या उसमें प्रविष्टि किए उपाप्त या सहायता नहीं करेगा ।

इस भाग के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

109. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे

नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 63 की उपधारा (3) के अधीन शर्तें ;

(ख) धारा 64 के खंड (ख) के अधीन सेवोन्मुक्ति की चालू प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिक के पहचान दस्तावेज ;

(ग) धारा 65 के खंड (ख) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिक के नियोजन कार्यालयों के अन्य कृत्य और कर्तव्य ;

(घ) धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिक के पहचान दस्तावेजों का प्ररूप, जारी करने की रीति तथा ऐसे सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र और पहचान दस्तावेजों के लिए फीस ;

(ङ) धारा 66 की उपधारा (6) के अधीन किसी पोत पर किसी हैसियत में लगाया गया या समुद्र में ले जाए जाने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिक की अर्हताएं ;

(च) धारा 66 की उपधारा (7) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा धारण किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप और वह प्राधिकारी, जो इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रदत्त करेगा, कि समुद्र यात्रा वृत्तिक चिकित्सक दृष्टया योग्य है ;

(छ) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन करार का प्ररूप और करार करने की रीति ;

(ज) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवा से सेवोन्मुक्ति की रीति ;

(झ) धारा 74 के अधीन संपत्ति के उन्मोचन की रीति ;

(ञ) धारा 76 के अधीन पोत परिवहन मास्टर के पास जमा की गई या उसके द्वारा वसूल की गई किसी धनराशि के उपयोजन के लिए निर्बंधन और शर्तें ;

(ट) धारा 83 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन अधिकरण के कृत्यों से संबंधित कोई अन्य विषय ;

(ठ) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन नाम निर्देशन का प्रारूप, ऐसे नामनिर्देशन का रद्दकरण या परिवर्तन और नामनिर्देशनों से संबंधित अन्य विषय ;

(ड) धारा 88 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप और ऐसे प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की रीति ;

(ढ) धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन लॉग बुक का प्ररूप और रखे जाने की रीति ;

(ण) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 6

बचाव और सुरक्षा

भाग का लागू होना ।

110. यह भाग, जब तक अन्यथा छूट प्राप्त न हो, निम्नलिखित को लागू होगा,--

(क) बचाव और सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में, भाग 13 के अंतर्गत आने वाले जलयानों के सिवाय, भारतीय जलयानों को ;

(ख) भारतीय जलयानों से भिन्न जलयानों को, जब ऐसे जलयान भारत के भीतर हों, जिसके अंतर्गत बचाव और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर भारत की अधिकारिता के भीतर का जलक्षेत्र भी है ;

(ग) सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में पत्तन सुविधा को ;

(घ) जलयान के बचाव और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कंपनी को ।

परिभाषाएं ।

111. इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "कंपनी" से जलयान का स्वामी या ऐसा कोई संगठन या प्रबंधक या भाड़े पर बेयरबोट लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने जलयान के स्वामी से जलयान के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर सुरक्षा अभिसमय के अधीन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध कोड द्वारा अधिरोपित सभी कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने की सहमति दी है ;

(ख) "पत्तन सुविधा" से ऐसा कोई अवस्थान या क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत लंगर स्थान या प्रतीक्षा घाट या समुद्र की ओर से ऐसे पहुंच स्थान भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए गए हैं जहां किन्हीं जलयानों या किसी जलयान और पत्तन के बीच अंतरापृष्ठ होता है ;

(ग) "समुद्र यात्रा" से जलयान के प्रस्थान के पत्तन या स्थान से उसकी पहुंच के अंतिम पत्तन या स्थान तक की संपूर्ण दूरी अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो धारा 112 के अधीन यथा निर्दिष्ट अभिसमयों में उनके हैं ।

बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं ।

112. (1) प्रत्येक जलयान, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित अभिसमयों या करार के उपबंधों का, जो लागू हों, पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) सुरक्षा अभिसमय ;

(ख) भार रेखा अभिसमय ;

(ग) विशेष व्यापार यात्री पोत करार, 1971 ;

(घ) समुद्र में टक्कर रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियमों पर अभिसमय, 1972 ;

(ङ) समुद्रीय तलाशी और बचाव पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1979 ;

(च) टनभार माप अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 ;

(छ) अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित आद्यान अभिसमय, 1972 ;

(ज) बचाव या सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई अन्य अभिसमय या करार अथवा कोई संधि, जिसका भारत पक्षकार है :

परंतु ऐसे जलयान, जिनको उपरोक्त अभिसमयों के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ऐसे बचाव और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेंगें, जो विहित की जाएं ।

(2) भिन्न-भिन्न वर्गों के जलयान के बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं और ऐसे जलयान द्वारा धारण किए जाने वाले प्रमाणपत्र ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

घटनाओं की रिपोर्ट का किया जाना ।

113. (1) जब किसी जलयान पर बचाव और सुरक्षा से संबंधित कोई घटना घटित हो तो जलयान का मास्टर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करेगा ।

(2) जब जलयान पर से समुद्र में पैकेट बंद खतरनाक माल को या बड़ी मात्रा में समुद्र में ठोस रूप में खतरनाक माल को फेंके जाने से हानि होने या हानि होने की संभावना से संबंधित कोई

घटना घटित हो, सुरक्षित नौपरिवहन में अड़चन डालने वाली कोई घटना घटित हो तो प्रत्येक जलयान का मास्टर, ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जलयान का परित्याग कर दिया जाए या ऐसे जलयान की रिपोर्ट पूरी न हो तो केंद्रीय सरकार जलयान के मास्टर की जिम्मेदारी निश्चित करेगी ।

संकट संकेत प्राप्त होने और खतरे में पड़े व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की बाध्यता ।

114. (1) भारतीय जलयान का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान किसी स्रोत से कोई संकट संकेत या ऐसा जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, तब के सिवाय जब वह असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसा करना अनुचित या अनावश्यक है या तब के सिवाय जब उसे उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन ऐसी बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होगा (और यदि संभव हो तो संकटग्रस्त व्यक्तियों को यह जानकारी भी देगा कि वह ऐसा कर रहा है) ।

(2) जहां किसी संकटग्रस्त जलयान के मास्टर ने किसी भारतीय जलयान से अध्यपेक्षा की और उसने उसके संकेत का उत्तर दिया है तो अध्यपेक्षित जलयान के मास्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह तब के सिवाय, जब उसे उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, से संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होते हुए अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।

(3) जैसे ही किसी मास्टर को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके जलयान से भिन्न एक या अधिक जलयानों की अध्यपेक्षा की गई है और अध्यपेक्षित जलयान या जलयानों द्वारा अध्यपेक्षा का अनुपालन किया जा रहा है, वैसे ही मास्टर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा ।

(4) मास्टर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा और यदि उसके जलयान की अध्यपेक्षा की गई है तो, उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा यदि संकटग्रस्त व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे जलयान के मास्टर द्वारा, जो संकटग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंच चुका है, यह जानकारी दी जाती है कि आगे और सहायता अपेक्षित नहीं है ।

(5) यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान कोई संकट संकेत या किसी स्रोत से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए जाने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसी सहायता के लिए जाना अनुचित या अनावश्यक है तो वह तुरंत अधिकृत लॉग बुक में उन व्यक्तियों की सहायता के लिए न जाने के कारणों का कथन दर्ज कराएगा या यदि कोई अधिकृत लॉग बुक नहीं है तो उसका कोई अन्य अभिलेख रखेगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक भारतीय जलयान का मास्टर जिस जलयान के लिए अधिकृत लॉग बुक अपेक्षित है, प्रत्येक संकट संकेत को या ऐसे संदेश को कि कोई जलयान, वायुयान या व्यक्ति समुद्र में संकट में है, अधिकृत लॉग बुक में दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा ।

(7) प्रत्येक भारतीय जलयान का मास्टर, तब के सिवाय जब वह सहायता देने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि उसके अपने जलयान को या उस पर के व्यक्तियों को गंभीर खतरे में डाले बिना ऐसी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्रदान करेगा, जो समुद्र में मिले और जिसके खो जाने का खतरा हो ।

(8) यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर, ऐसे व्यक्ति को, जो समुद्र में मिलता है और जिसके खो जाने का खतरा है, सहायता देने के लिए अग्रसर होने में असमर्थ है या ऐसा करना

अनुचित समझता है तो वह उस व्यक्ति को सहायता देने के लिए अग्रसर न होने के कारणों का कथन अधिकृत लॉग बुक में दर्ज कराएगा या, यदि कोई अधिकृत लॉग बुक नहीं है तो उन कारणों का अन्य अभिलेख रखेगा ।

तलाशी और बचाव सेवाएं ।

115. केंद्रीय सरकार, समुद्र में, जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या उससे लगा हुआ कोई ऐसा सामुद्रिक क्षेत्र, जिस पर राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत की अधिकारिता है या हो सकती है या अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय तलाशी और बचाव अभिसमय, 1979 और ऐसे संबंधित करार के अधीन ऐसे राज्यक्षेत्र भी हैं, संकट की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तलाशी और बचाव सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगी और ऐसी सेवाओं में बचाव समन्वय केंद्रों और उपकेंद्रों के स्थापन भी सम्मिलित होंगे ।

1976 का 80

रेडियो संसूचना अपेक्षाएं ।

116. प्रत्येक भारतीय जलयान संसूचना उपस्करो, संकट और सुरक्षा उपस्कर से सज्जित होगा और उनका अनुरक्षण करेगा तथा उसमें ऐसे प्रमाणित प्रचालक उपलब्ध होंगे, जैसे विहित किए जाएं ।

जलयान के स्थिरत्व की जानकारी ।

117. ऐसे प्रत्येक भारतीय जलयान पर, जलयान के स्थिरत्व संबंधी ऐसी जानकारी का और जलयान के जलरोधी स्थिरता को हुए किसी नुकसान के प्रभाव, उसके नियंत्रण, यान की जलरोधी अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामान्य सावधानियों से संबंधित ऐसी जानकारी का वहन किया जाएगा, जो सुरक्षा अभिसमय और भार रेखा अभिसमय के उपबंधों के अधीन अपेक्षित हो या जो धारा 112 के उपबंधों के अनुसार बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भार रेखा अभिसमय से अंतरराष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 और उसके प्रोटोकाल अभिप्रेत हैं ।

भार रेखाओं का डूब जाना ।

118. (1) भार रेखा से संबंधित इस भाग के उपबंध से छूट प्राप्त किसी जलयान से भिन्न किसी जलयान को इस प्रकार से नहीं लादा जाएगा कि जब पोत में कोई सूची न हो तब उसके प्रत्येक ओर की उपयुक्त भार रेखाएं, अर्थात् वे भार रेखाएं, जो उस अधिकतम गहराई को दर्शाती हैं या दर्शाने के लिए तात्पर्यित है, जहां तक जलयान उस समय भार रेखा नियमों के अधीन लदान करने का हकदार है, लवण जल में डूब जाएं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई जलयान, जिसका लदान इस धारा के उल्लंघन में किया जाता है, तब तक निरूद्ध रखा जा सकेगा, जब तक ऐसा लदान बंद नहीं कर दिया जाता है ।

जलयान द्वारा प्रमाणपत्र के बिना यात्रियों का वहन न करना ।

119. (1) कोई जलयान, भारत में के पत्तनों या स्थानों के बीच या भारत में के किसी पत्तन या स्थान को या उससे भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से या उस तक यात्रियों का वहन तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास इस भाग के अधीन अपेक्षित प्रवृत्त सभी प्रमाणपत्र न हों ।

(2) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी :--

(क) यात्री स्थान सुविधा ;

(ख) यात्रियों और कर्मीदल को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुख सुविधाओं का मापमान ;

(ग) किसी जलयान पर का स्थान या उस पर ऐसे स्थान का अनुज्ञात न किया जाना ;

(घ) उपलब्ध करवाई जाने वाली रसद और जल का मापमान ;

(ङ) चिकित्सालय स्थान सुविधा और चिकित्सीय सुविधाएं ;

(च) स्थोरा और पशुओं का वहन करने संबंधी शर्तें ; और

(छ) इस भाग के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य विषय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी यात्रा पर जाने वाले या प्रस्थान करने वाले किसी यात्री जलयान का मास्टर, ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, जलयान पर के यात्रियों के बारे में एक कथन करेगा ।

जलयान का विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना प्रस्थान न करना ।

120. कोई जलयान समुद्र में तब तक प्रस्थान नहीं करेगा, जब तक ऐसे जलयान के संबंध में धारा 112 में निर्दिष्ट अभिसमय या करार के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रवृत्त न हों ।

अपराध ।

121. (1) कोई व्यक्ति, जो,--

(क) मत्त या उपद्रवी होते हुए किसी जलयान में प्रवेश करने का प्रयास करेगा ; या

(ख) फलक पर सवार किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करेगा या उत्पीड़ित करता रहेगा ; या

(ग) किराए का संदाय किए बिना यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा ; या

(घ) गंतव्य स्थान पर आगमन के पश्चात् जानबूझकर जलयान को छोड़ने से इंकार करेगा या छोड़ने की उपेक्षा करेगा ; या

(ङ) मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपना टिकट दिखाने में असफल रहेगा ; या

(च) फलक पर सवार व्यक्तियों को क्षोभ या क्षति पहुंचाने के लिए किसी रीति में अपने स्वयं का अवचार करेगा ; या

(छ) ऐसे पदार्थों का वहन करेगा, जिससे जलयान, फलक पर सवार व्यक्तियों या सामान्य वातावरण की रक्षा या सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है,

वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) मास्टर, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जलयान पर सवार होने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति सवार है तो उसे किनारे पर उतार सकेगा और ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रवेश से इंकार किया जाए या जिसे किनारे पर उतार दिया जाए, ऐसे किसी किराए को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, जो उसने संदत्त किया है ।

(3) किसी ऐसे जलयान का मास्टर या अन्य अधिकारी और मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा सहायता के लिए बुलाए गए सभी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को, जो इस धारा के अधीन अपराध करता है, वारंट के बिना निरुद्ध कर सकेंगे और अपराधी को सुविधाजनक शीघ्रता से निकटतम पुलिस थाने के समक्ष विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए ले जा सकेगा ।

जलयान द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन न करना ।

122. (1) कोई जलयान धारा 120 के उल्लंघन में स्थोरा का वहन नहीं करेगा या वहन का प्रयास नहीं करेगा या उस पर या उसके फलक पर या उसके किसी भाग पर ऐसे स्थोरा को नहीं रखेगा, जो जलयान द्वारा धारित प्रमाण-पत्रों के अनुसार नहीं है ।

(2) कोई जलयान धारा 120 के उल्लंघन में यात्रियों का वहन नहीं करेगा या वहन का प्रयास नहीं करेगा या उस पर या उसके फलक पर या उसके किसी भाग पर यात्रियों की ऐसी संख्या, जो

जलयान द्वारा धारित प्रमाण-पत्रों में दी गई संख्या से अधिक है, का वहन नहीं करेगा ।

(3) यदि जलयान का मास्टर, जो इस धारा के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन करता है या वहन का प्रयास करता है, वह उसके सक्षमता के प्रमाण-पत्र को ऐसी कालावधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने का दायी होगा ।

अतरण्य जलयान का समुद्र में न भेजा जाना ।

123. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी जलयान को, जो जल यात्रा करने की स्थिति में नहीं है, समुद्र में भेजता है या भेजने का प्रयास करता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में पड़ने की संभावना है, सिवाय तब जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसने उसके समुद्र में तरण योग्य स्थिति में भेजने के लिए सभी युक्तियुक्त साधनों का उपयोग किया है या उसका समुद्र में अतरण्य स्थिति में भेजा जाना युक्तियुक्त और न्यायोचित परिस्थितियों के अधीन था, वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) जलयान का प्रत्येक मास्टर, जो जानबुझकर किसी जलयान को, जो जल यात्रा के योग्य स्थिति में नहीं है, लेता है जिससे उससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होने की संभावना है, तब जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसका समुद्र में तरण्य अयोग्य स्थिति में भेजा जाना युक्तियुक्त और न्यायोचित परिस्थितियों के अधीन था, वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) ऐसा सबूत देने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन आरोपित प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य साक्षी के समान रीति में साक्ष्य दे सकेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी लिखित सहमति के संस्थित नहीं होगा ।

जल यात्रा के योग्य होने के संबंध में स्वामी की समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रति बाध्यता ।

124. (1) किसी जलयान के स्वामी और मास्टर या उसके किसी अन्य समुद्र यात्रा वृत्तिक के बीच सेवा की अभिव्यक्त या विवक्षित सेवा की संविदा के प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी स्वामी पर यह बाध्यता होगी कि ऐसे जलयान की लदाई या समुद्र के लिए उसे तैयार करने या समुद्र में उसे भेजने के लिए प्रभारित ऐसा स्वामी और मास्टर तथा प्रत्येक अभिकर्ता समुद्र यात्रा के समय ऐसे जलयान की जल यात्रा के लिए योग्यता का सुनिश्चय करने के लिए सभी युक्तियुक्त साधनों का समुद्र यात्रा आरंभ करने के समय उपयोग करेगा और समुद्र यात्रा के दौरान उसे समुद्र यात्रा के योग्य स्थिति में रखेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, यह सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, या तो स्वामी या अन्यथा के अनुरोध पर समुद्रगामी जलयान के हल, उपस्कर या मशीनरी के किसी सर्वेक्षक या उस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण का प्रबंध करेगी ।

बचाव और सुरक्षा प्रबंधन ।

125. (1) यथास्थिति, प्रत्येक जलयान, कंपनी या पत्तन प्रसुविधा बचाव प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं ।

(2) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए जलयान, कंपनी या पत्तन प्रसुविधा की संपरीक्षा के लिए इंतजाम करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सुरक्षा के विभिन्न स्तर रख सकेगा और उनकी ऐसी सूचना पत्तन सुविधाओं और पत्तन प्रसुविधा में प्रविष्ट होने वाले सभी जलयानों को उपलब्ध कराएगा ।

नियंत्रण उपाय और जलयानों का निरोध ।

126. (1) कोई जलयान किसी पत्तन, टर्मिनल, लंगर स्थान या पत्तन सुविधा, भारतीय अपतट सुविधा या भारतीय राज्यक्षेत्रीय जल में बीमा, वर्गीकरण और जलयान की स्थिति या इस भाग के प्रयोजनों के लिए सुसंगत अपेक्षाओं, जो विहित की जाएं, का अनुपालन किए बिना प्रविष्ट

नहीं होगा या उससे बाहर नहीं जाएगा या उनमें प्रचालन नहीं करेगा ।

(2) सर्वेक्षक इस भाग के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी पत्तन या स्थान पर भारतीय जलयान या भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान का निरीक्षण कर सकेगा और किसी निरीक्षण में यह पाए जाने पर कि जलयान इस भाग या किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसमें भारत एक पक्षकार है, के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो सर्वेक्षक उसकी प्रधान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रधान अधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत ऐसे जलयान को उस समय तक निरुद्ध करना सम्मिलित है, जब तक कि जलयान, यथास्थिति, इस अधिनियम या लागू अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन उपबंधों का अनुपालन नहीं कर लेता है और बचाव या सुरक्षा या वातावरण को अनुचित चुनौती प्रस्तुत किए बिना समुद्र गमन कर सकता है ।

जलयान को निरुद्ध करने की दशा में लागतों और नुकसान के लिए दायित्व ।

127. (1) यदि यह प्रतीत होता है कि जलयान की स्थिति के अनुसार या स्वामी या मास्टर के कृत्य या व्यतिक्रम के कारण जलयान को निरुद्ध करने के लिए कोई युक्तियुक्त या संभावित कारण नहीं है तो केंद्रीय सरकार जलयान के स्वामी को जलयान को निरुद्ध करने की लागतों या उससे अनुषंगी लागतों और निरुद्ध किए जाने के कारण से उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का भी संदाय करने की दायी होगी ।

(2) यदि जलयान को इस भाग के अधीन जलयान की स्थिति या स्वामी या मास्टर के कृत्य या व्यतिक्रम के कारण निरुद्ध किया जाता है तो जलयान का स्वामी केंद्रीय सरकार को निरुद्ध करने और उससे अनुषंगी और जलयान का सर्वेक्षण करने की लागत का संदाय करने का दायी होगा तथा जलयान को तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लागतों का संदाय नहीं कर दिया जाता है और त्रुटियों को ठीक नहीं कर दिया जाता है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

128. (1) केंद्रीय सरकार जलयान, कंपनी या पत्तन सुविधा को इस भाग के अधीन लागू बचाव और सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,--

(क) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें और उस धारा की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं ;

(ख) विभिन्न वर्ग के जलयानों के लिए सुरक्षा और बचाव अपेक्षाएं तथा धारा 112 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र ;

(ग) घटनाओं की विशिष्टियों को रिपोर्ट की जाने वाली रीति और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी विशिष्टियों की रिपोर्ट की जानी है ;

(घ) घटनाओं की विशिष्टियों को रिपोर्ट की जाने वाली रीति और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 113 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी विशिष्टियों की रिपोर्ट की जानी है ;

(ङ) संचार उपस्कर, विपत्ति और सुरक्षा उपस्कर, जिनसे सुसज्जित किया जाना है और जिनका अनुरक्षण किया जाना है तथा धारा 116 के अधीन उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाणीकृत प्रचालन ;

(च) धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन बचाव प्रबंधन या सुरक्षा प्रबंधन की

अपेक्षाएं ;

(छ) बीमा, वर्गीकरण और जलयान की स्थिति के संबंध में उपबंध या धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन कोई अन्य सुसंगत अपेक्षाएं ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित किया जाना है या विहित किया जाए ।

भाग 7

जलयान से प्रदूषण का निवारण और रोकथाम तथा प्रतिक्रिया

इस भाग का लागू होना ।

129. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह भाग—

(क) प्रत्येक भारतीय जलयान ;

(ख) भारतीय जलयान से भिन्न प्रत्येक जलयान ;

(ग) जलयान, जो भारतीय ध्वज लगाने के पात्र नहीं है किंतु जो भारतीय प्राधिकरण के अधीन प्रचालन करते हैं ;

(घ) किसी जलयान को, जो भारतीय पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल या भारत में स्थान या भारतीय राज्यक्षेत्रीय जल या उससे संलग्न किन्हीं सामुद्रिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है जिन पर राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में भारत की अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकेगी ;

(ङ) किसी सामुद्रिक अपघटन की घटना या ऐसे अपघटन से संबंधित कोई कृत्य जिससे भारतीय तट रेखा या भारत के सामुद्रिक खंडों या संबंधित हितों को प्रदूषण या समुद्र या वायु प्रदूषण या तेल, रोड़ी पत्थर जल, अपायकर तरल पदार्थ, कूडा कर्कट, मल अपशिष्ट, हानिप्रद संदूषण रोधी पदार्थों, हानिप्रद उत्सर्जन या अन्य हानिप्रद पदार्थ, जिसके अंतर्गत उच्च सागरों में होने वाली ऐसी घटनाएं हैं, से गंभीर और आसन्न प्रदूषण की आशंका ; और

(च) पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल को प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

130. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "तटीय जल" से भारत के राज्यक्षेत्रीय जल का कोई भाग या उससे संलग्न कोई सामुद्रिक क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में भारत की अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकेगी ;

(ख) "हानिप्रद पदार्थ" से कोई पदार्थ या ऊर्जा का रूप अभिप्रेत है, जिसको यदि समुद्र या वायु में मिलाया जाए तो उससे मानव स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होगा, जीवित संसाधनों और सामुद्रिक जीवन को नुकसान होगा, सुविधाओं या प्रसुविधाओं को नुकसान होगा या समुद्र, वायु के अन्य विधिमान्य उपयोगों में हस्तक्षेप होगा और इसके अंतर्गत किसी भी अभिसमय, जिसका भारत पक्षकार है, के नियंत्रणाधीन रहते हुए कोई पदार्थ सम्मिलित है ;

(ग) "जलयान" से किसी भी किस्म का जलयान अभिप्रेत है, जो समुद्री या जलीय वातावरण में प्रचालन कर रहा है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफाइल नौकाएं, एयरकुशन यान, सबमर्सीबल, प्लवमान क्राफ्ट, स्थिर या प्लवमान मंच, प्लवमान भंडारण इकाइयां और प्लवमान उत्पादन, भंडारण और ऑफ लोडिंग इकाईयां सम्मिलित हैं ।

समुद्र में बहिस्राव

131. (1) सिवाय अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के, सभी जलयान परिसंकटमय पदार्थों

या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।

के बहिस्राव या उत्सर्जन या मिश्रणों, जिनमें ऐसे पदार्थ अंतर्विष्ट हैं, के निवारण की बाध्यता के अधीन होंगे और उस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार भारतीय जलयान से ऐसे उपस्करों से सुसज्जित होने की और ऐसे जलयान के उपस्करों के और ऐसे जलयान के ढांचे के सर्वेक्षण तथा इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व शर्तें विनिर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए नियम बना सकेंगी ।

(2) यह सुनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए कि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, केंद्रीय सरकार या तो स्वामी के अनुरोध पर या अन्यथा किसी जलयान के हल, उपस्कर या मशीनरी का किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण कराने का इंतजाम करेगी और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में ऐसे प्ररूप और ऐसी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, एक प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार जलयानों द्वारा समुद्र में अपशिष्ट और अन्य पदार्थ के पाटन द्वारा, जिनसे मानव स्वास्थ्य के लिए परिसंकट उत्पन्न हो सकता है, जिनसे जीवित संसाधनों और सामुद्रिक जीवन को क्षति हो सकती है, जिनसे प्रसुविधाओं को नुकसान हो सकता है या जो समुद्र के अन्य विधिमान्य उपयोग के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, से समुद्र के प्रदूषण को निवारित करने के लिए सभी कदम उठा सकेगी ।

प्रदूषण को निवारित करना और उसकी रोकथाम की अपेक्षाएं तथा प्रतिक्रिया ।

132. प्रत्येक जलयान ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित यथा लागू अभिसमयों के उपबंधों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :--

(क) एमएआरपीओएल अभिसमय ;

(ख) संदूषण रोधी प्रणालियां अभिसमय, 2001 ;

(ग) रोड़ी, पत्थर, जल प्रबंधन अभिसमय ;

(घ) कोई अन्य प्रदूषण निवारण अभिसमय या करार या कोई संधि, जिसका भारत एक पक्षकार है :

परंतु यह कि जलयान, जिसे पूर्वोक्त अभिसमयों के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ऐसी प्रदूषण नियंत्रण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो विहित की जाएं :

परंतु यह और कि कोई जलयान, जलयान की किस्म, आकार, प्रकृति और उसके प्रचालन के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र और दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, रख सकेगा ।

जलयानों का समुद्र में वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।

133. कोई जलयान तब तक समुद्र को अग्रसर नहीं होगा जब तक कि उस जलयान के पास धारा 132 में निर्दिष्ट अभिसमय या करार या संधि के अधीन अपेक्षित प्रवृत्त प्रमाणपत्र न हों ।

अभिलेख पुस्तिकाएं ।

134. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान अभिलेख की ऐसी पुस्तिकाएं, ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगा, जो विहित की जाएं ।

(2) वह रीति, जिसमें अभिलेख पुस्तिकाएं रखी जाएंगी, उनमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, उनकी अभिरक्षा और निपटान तथा उनसे संबंधित सभी अन्य विषय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

ग्रहण सुविधाएं ।

135. (1) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को गणना में लेते हुए, पत्तन, पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधाएं और टर्मिनल ऐसी ग्रहण सुविधाएं और सर्वेक्षण,

पर्यवेक्षण और दिशानिर्देश उपलब्ध कराएंगे, जो विहित किया जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, पत्तन प्राधिकारियों, पोत प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधाएं और टर्मिनलों द्वारा उनके क्षेत्रों में समुचित उपाय करने के लिए अनुपालन किए जाने के लिए निदेश दे सकेगी, जो यह अपेक्षा करते हो कि प्रचालन, जलयानों की मरम्मत और अनुरक्षण, प्रबंधन करने के दौरान सृजित अपशिष्ट का अभिक्रिया और व्ययन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति में किया जाए ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की संरक्षा की जा सके ।

(3) भारत में प्रत्येक पत्तन या स्थान के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पत्तन प्राधिकारी या ऐसे व्यक्तियों की शक्तियों, जिनके अधीन ऐसे स्थान का प्रचालन किया जाता है, में अभिसमय की अपेक्षाओं के अनुसार ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने की शक्ति सम्मिलित होगी ।

(4) ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पत्तन प्राधिकारी या पत्तन प्राधिकारी के साथ इंतजाम के माध्यम से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति सुविधाओं के उपयोग के लिए ऐसी दरों पर प्रभार अधिरोपित कर सकेगा और उनके उपयोग के संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो पत्तन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित की जाएं ।

(5) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी पत्तन, पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा और टर्मिनल में भारत में किसी पत्तन या किसी स्थान पर कोई ग्रहण सुविधाएं नहीं है या ऐसे पत्तन या स्थान पर उपलब्ध सुविधाएं ऐसे पत्तन या स्थान पर जलयान को बुलाने में समर्थ होने के लिए अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को ऐसी ग्रहण सुविधाएं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपलब्ध कराने या उनके उपबंध के लिए प्रबंध कराने के लिए निदेश दे सकेगी ।

प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लिए उपाय करने की और घटनाओं की रिपोर्ट करने की शक्तियां ।

136. (1) जब कोई घटना, जिसमें इस भाग या प्रदूषण नियंत्रण अभिसमय के अधीन आने वाले स्थोरा या परिसंकटमय पदार्थ निकल रहे हैं या उनके निकलने की संभावना है और जो वायु भारत के तट के किसी भाग या अपतटीय जल में प्रदूषण कारित कर सकते हैं या कारित करने की आशंका है तो प्रत्येक जलयान का मास्टर ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयान के त्यजन किए जाने पर या ऐसे जलयान से रिपोर्ट के अपूर्ण होने पर केंद्रीय सरकार जलयान के मास्टर पर उत्तरदायित्व नियत करेगी ।

(3) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस भाग या प्रदूषण निवारण अभिसमय के अधीन आने वाला स्थोरा या परिसंकटमय पदार्थ निकल रहे हैं या उनके निकलने की संभावना है और जो भारत के तट के किसी भाग या भारत के अपतटीय जल में वायु प्रदूषण कारित कर सकते हैं या कारित करने की संभावना है तो वह जलयान के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर, चार्टरकर्ता, प्रचालक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी पर निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए सूचना की तामील कर सकेगा :--

(क) जलयान से परिसंकटमय पदार्थों, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निकलने का निवारण करने के लिए ;

(ख) जलयान से स्थोरा या तेल या अपायकर तरल पदार्थ या परिसंकटमय पदार्थ को ऐसी रीति में और ऐसे स्थान को, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हटाने के लिए ;

(ग) जलयान को ऐसे स्थान के लिए हटाना, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) जलयान से स्थोरा या समुद्र की सतह पर चिकने तेल या अपायकर तरल पदार्थ या परिसंकटमय पदार्थ को, यदि कोई हों, को ऐसी से हटाना, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ङ) जलयान, जिसके अंतर्गत उसमें स्थोरा या कोई भंडारण भी है, को सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान से हटाए जाने का प्रतिषेध करना ।

(4) उप पैरा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार की यह राय है कि परिसंकटमय पदार्थों द्वारा कारित या उनके निकलने की संभावना से कारित होने वाला प्रदूषण तट रेखा या संबंधित हित को प्रदूषण या प्रदूषण की आशंका से गंभीर और आसन्न संकट प्रस्तुत करता है तो वह ऐसे उपाय करने के लिए अग्रसर हो सकेगी, जो ऐसी आशंका या खतरे को निवारित करने के लिए, दूर करने के लिए या उसका अनुमोदन करने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाएं और इस प्रकार किए गए उपायों को इस धारा के अधीन किया गया समझा जाएगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन उस पर तामील की गई सूचना का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है या उसके किसी भाग का अनुपालन करने में असफल रहता है तो केंद्रीय सरकार इस बात के बावजूद कि क्या ऐसा व्यक्ति अनुपालन करने में इस प्रकार सफल रहने के कारण से इस भाग के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है या नहीं, निम्नलिखित के लिए ऐसी कार्रवाई करना कारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे--

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना में दिए गए विनिर्देशों को पूरा करने के लिए ; और

(ख) भारत के तट के किसी भाग में जलयान से निकले किसी परिसंकटमय पदार्थ या निकलने की आशंका वाले परिसंकटमय पदार्थ द्वारा पहले से ही कारित किए गए प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए या कारित किए जाने वाले प्रदूषण की संभावना को रोकने के लिए ।

(6) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी ऐसे जलयान के संबंध में, जिस पर उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी की गई है, उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग किए जाने में या किए जाने के कारण उपगत कोई व्यय या दायित्व ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन पर सूचना की तामील की गई थी, केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण होगा और वह, यथास्थिति, उस व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी से वसूलनीय हो सकेगा और वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सभी या किसी जलयान पर प्रभार होगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि उस रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता ।

(7) उपधारा (3) से उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सामुद्रिक दुर्घटना या उच्च सागरों में ऐसी दुर्घटना से संबंधित कृत्यों, जिनसे भारतीय तटीय जल के मुख्य हानिकर परिणामों के होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकेगी, के पश्चात् प्रदूषण या प्रदूषण की आंशका से तट रेखा या संबंधित हितों को गंभीर और आसन्न खतरे का निवारण करने, न्यूनीकरण करने या उन्मूलन करने के लिए केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो आवश्यक हों ।

(8) राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन खंडों में होने वाली प्रदूषण घटनाओं के लिए तत्परता से और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रणाली स्थापित कर सकेगी ।

केंद्रीय सरकार की

137. (1) धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन कोई उपाय करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय

कतिपय जलयानों या व्यक्तियों को कतिपय सेवा प्रदान करने के लिए निदेश देने की शक्ति ।

सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी भारतीय जलयान, टग, बैराज या किसी अन्य उपस्कर के स्वामी को ऐसी सेवाएं या सहायता प्रदान करने का निदेश दे सकेगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) किसी जलयान, टग, बैराज या अन्य उपस्कर का स्वामी, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है, विद्यमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त दरों पर मालभाड़े और चार्टर भाड़े के लिए टैरिफ दरों का हकदार होगा :

परंतु जहां मालभाड़े की टैरिफ दरें नियत नहीं की गई हैं या जहां, यथास्थिति, चार्टर भाड़े, मालभाड़े के लिए युक्तियुक्त दर के संबंध में कोई विवाद है तो चार्टर भाड़े का संदाय उन दरों पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे साक्षियों, दस्तावेजों और लेखाओं, जो वह आवश्यक समझें, की जांच द्वारा मालभाड़े या चार्टर भाड़े की ऐसी दरों की तर्कसंगतता के अवधारण के अधीन रहते हुए ऐसी दरों पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा नियत करे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

138. (1) केंद्रीय सरकार, प्रदूषण निवारण अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस भाग के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,--

(क) प्रमाणपत्र का प्ररूप और अवधि और शर्तें, जिन पर धारा 131 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा ;

(ख) वे शर्तें, जिनका धारा 132 के अधीन अभिसमयों के उपबंधों को पूरा करने के लिए अनुपालन किया जाना है ;

(ग) धारा 132 के पहले परंतुक के अधीन प्रदूषण निवारण अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 132 के दूसरे परंतुक के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र और दस्तावेज ;

(ङ) धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख पुस्तिका का प्ररूप और उनको रखे जाने की रीति ;

(च) धारा 135 की उपधारा (1) के अधीन ग्रहण सुविधाओं से संबंधित सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देश ;

(छ) धारा 135 की उपधारा (1) के अधीन ग्रहण सुविधाएं, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देश ;

(ज) धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन घटनाओं की रिपोर्ट किए जाने की रीति और प्राधिकारी ; और

(झ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ;

भाग 8

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन ।

139. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल, जब तक कि अन्यथा छूट न प्रदान की गई हो, की ऐसी अपेक्षाओं, जो विहित की जाएं, के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण या संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, सर्वेक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी जलयान, कंपनी, पत्तन सुविधा पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण पोत

मरम्मत यूनिट, अपटत सुविधाएं या टर्मिनल की इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार या अभिसमय द्वारा यथा अपेक्षित लागू होने के परिमाण तक सर्वेक्षण या संपरीक्षा की गई है तो, यथास्थिति, ऐसे जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल के संबंध में समुचित प्रमाणपत्र, दस्तावेज जारी किया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन किसी जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल का, यथास्थिति, कोई सर्वेक्षण या संपरीक्षा पूरी की गई है तो ऐसे जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर सर्वेक्षण या संपरीक्षा के अधीन आने वाले ढांचें, उपस्कर, सज्जजाओ, इंतजामों, सामग्री, प्रणालियों या पदार्थों में केंद्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई फेरफार नहीं करेगा ।

(4) यदि केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अंतिम सर्वेक्षण या संपरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ढांचें, उपस्कर, सज्जजाओ, इंतजामों, सामग्री, प्रणालियों या पदार्थों में परिवर्तन किए गए हैं या उनको कोई नुकसान हुआ है या अन्यथा वह अपर्याप्त पाए गए हैं तो केंद्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति यह अपेक्षा कर सकेगा कि जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल का उस सीमा तक, जिस तक वह उचित समझे, पुन: सर्वेक्षण या संपरीक्षा की जाए या प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित, प्रतिसंहरण या निलंबित या रद्द या अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(5) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त किसी छूट के अधीन रहते हुए, कोई जलयान समुद्र को तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक जलयान का स्वामी या मास्टर फलक पर इस अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित लागू सभी प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों को नहीं रखता है ।

स्पष्टीकरण—इस भाग के लिए, "कंपनी" या "पत्तन सुविधा" का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश: धारा 111 के खंड (क) यी खंड (ख) के अधीन है ।

प्रमाणपत्र ।

140. प्रत्येक जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल सिवाय जब तक छूट न दी जाए, ऐसे प्रमाणपत्र, जो विहित किए जाएं, रखेंगे ।

सर्वेक्षक की शक्ति ।

141. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई सर्वेक्षक किसी युक्तियुक्त समय पर किसी जलयान के फलक पर जा सकेगा और जलयान और उसके किसी भाग, ढांचें, उपस्करों, सज्जजाओ, इंतजामों, सामग्रियों, प्रणालियों या पदार्थों, स्थोरा, रसद, भंडार, प्रमाणपत्रों और फलक पर समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रमाणपत्रों की जांच कर सकेगा :

परंतु वह अनुचित रूप से जलयान के प्रचालन में रुकावट नहीं करेगा या अनुचित रूप से उसे किसी यात्रा पर अग्रसर होने से निरुद्ध नहीं करेगा या विलंब नहीं करेगा ।

(2) जलयान का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या प्रत्येक अधिकारी सर्वेक्षक को सर्वेक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जलयान तथा उसके ढांचें, उपस्कर, सज्जजाओं, इंतजामों, सामग्रियों, पदार्थों, प्रणालियों, स्थोरा, रसद, भंडार, प्रमाणपत्रों और समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रमाणपत्रों के संबंध में जैसा सर्वेक्षक युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे, उपलब्ध कराएगा ।

अभिसमय उपबंधों का अनुपालन ।

142. धारा 139 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक जलयान,

कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल का निम्नलिखित अभिसमयों में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणीकरण किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) सुरक्षा अभिसमय ;

(ख) एमएआरपीओएल अभिसमय ;

(ग) संदूषण रोधी प्रणालियां अभिसमय ;

(घ) रोड़ी, पत्थर, जल प्रबंधन अभिसमय ;

(ङ) भार रेखा अभिसमय ;

(च) टन भार माप अभिसमय, 1969 ;

(छ) विशेष व्यापार यात्री पोत करार, 1971 और उसका प्रोटोकाल ;

(ज) समुद्र में टक्करों का निवारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमों पर अभिसमय, 1972 ;

(झ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभिसमय, 1979 (एसएआर 1979) ;

(ञ) समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 ; और

(ट) सर्वेक्षण, संपरीक्षा या प्रमाणन से संबंधित कोई अन्य अभिसमय :

परंतु, यथास्थिति, यदि प्रत्येक जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल पूर्वोक्त अभिसमय के उपबंधों के अधीन नहीं आता है तो, यथास्थिति, ऐसा जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन के लिए ऐसी अपेक्षाओं का और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुपालन करेगा :

परंतु यह और कि जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल के विभिन्न वर्गों का सर्वेक्षण, संपरीक्षा या प्रमाणन ऐसी अपेक्षाओं के साथ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

भारत से बाहर जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

143. भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान के संबंध में किसी देश की सरकार द्वारा, जिससे वह जलयान संबंधित है, को किसी अभिसमय के अधीन जारी वैध प्रमाणपत्र ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसा केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, का भारत में वही प्रभाव होगा, जो भारतीय जलयान के संबंध में जारी तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के अधीन है ।

भारत में विदेशी जलयानों को और विदेशों में भारतीय जलयानों को प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।

144. (1) केंद्रीय सरकार किसी देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसको अभिसमय लागू होता है, उस देश में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले जलयान के संबंध में समुचित अभिसमय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना कारित करेगी, यदि उसका उसके समान रीति में यह समाधान हो जाता है कि किसी भारतीय जलयान की दशा में ऐसा प्रमाणपत्र समुचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसे अनुरोध पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, उसमें एक कथन अंतर्विष्ट होगा कि वह इस प्रकार जारी किया गया है ।

(2) केंद्रीय सरकार उस देश की सरकार को, जिसको अभिसमय लागू होता है, भारत में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले जलयान के संबंध में समुचित अभिसमय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और ऐसे अनुरोध के अनुसरण में कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और उसमें यह कथन अंतर्विष्ट है कि वह इस प्रकार जारी किया गया है उसका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह प्रभाव होगा कि मानो वह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया

था ।

इस भाग के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

145. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल के सत्यापन की अपेक्षाएं ;

(ख) किसी जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल के सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन की रीति तथा धारा 139 की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का उपांतरण, प्रतिसंहरण, निलंबन, रद्द करना या अभ्यर्पण ;

(ग) धारा 140 के अधीन किसी जलयान, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ;

(घ) धारा 142 के पहले उपबंध के अधीन सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन का अनुपालन करने की रीति ;

(ङ) धारा 142 के दूसरे परन्तुक के अधीन जलयानों के विभिन्न वर्गों, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधाओं या टर्मिनल के सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन की अपेक्षाएं और रीति ;

(च) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

भाग 9

सामुद्रिक उत्तरदायित्व और प्रतिकर

अध्याय 1

समुद्र में टक्कर, दुर्घटना और उत्तरदायित्व

लागू होना ।

146. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होगा,--

(क) भारतीय पोत ; और

(ख) भारतीय पोत से भिन्न कोई अन्य पोत, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हो, जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय समुद्र या उससे संलग्न कोई सामुद्रिक क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है या इसके पश्चात् अधिकारिता हो सकेगी ।

1976 का 80

दायित्व का प्रभाजन ।

147. (1) यदि टक्कर, नुकसान या हानि किसी एक जलयान की त्रुटि द्वारा कारित की जाती है तो नुकसान की पूर्ति करने का दायित्व त्रुटि करने वाले जलयान का है ।

(2) जब भी दो या अधिक जलयानों की त्रुटि के कारण उनमें से एक या अधिक को या उनमें से किसी एक या अधिक के स्थोरा को या उनमें से किसी एक या अधिक की किसी संपत्ति को नुकसान कारित होता है तो नुकसान या हानि की पूर्ति का प्रभाजन प्रत्येक जलयान की त्रुटि की

डिग्री में किया जाएगा :

परंतु यह कि—

(क) मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्रुटि की विभिन्न डिग्रियों को स्थापित करना संभव नहीं है, तो दायित्व का प्रभाजन समान रूप से किया जाएगा ;

(ख) इस धारा में किसी बात का प्रचालन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिससे किसी जलयान को किसी हानि या नुकसान के लिए इस प्रकार दायी ठहराया जाए, जो उसकी त्रुटि के कारण नहीं हुआ ;

(ग) इस धारा की कोई बात किसी संविदा के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी या उसका अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जैसे किसी व्यक्ति पर ऐसा दायित्व अधिरोपित किया जाए, जिसके प्रति उसे किसी संविदा द्वारा या विधि के किसी उपबंध द्वारा छूट प्रदान की गई है या जो किसी व्यक्ति के उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को विधि में उपबंधित रीति में प्रभावित करती है ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जलयान के नुकसान या हानि कारित करने के लिए त्रुटि के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन ऐसे किया जाएगा जैसे उसके अंतर्गत किसी उद्धारण या अन्य व्यय के प्रति निर्देश सम्मिलित है, जो उस त्रुटि के परिणामस्वरूप तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में नुकसानों के माध्यम से वसूलनीय है ।

वैयक्तिक क्षति के लिए नुकसानी ।

148. (1) जब भी किसी जलयान के फलक पर उस जलयान या किसी अन्य जलयान या जलयानों की त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को कोई जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति होती है तो संबंधित जलयानों के स्वामियों का दायित्व संयुक्त और पृथक-पृथक होगा ।

(2) इस धारा की किसी बात का अर्थान्वयन किसी व्यक्ति को उसके बचाव करने के अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जिस पर वह उसके विरुद्ध क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा या जीवन की ऐसी हानि के संबंध में वाद लाने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई में अपना बचाव करने के लिए निर्भर करता या वह किसी व्यक्ति के उन मामलों में, जिससे यह धारा संबंधित है, में उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को सीमित करने के प्रति नहीं लगाया जाएगा ।

अभिदाय करने का अधिकार ।

149. (1) जब भी किसी जलयान के फलक पर उस जलयान या किसी अन्य जलयान या जलयानों की त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को कोई वैयक्तिक हानि होती है और नुकसान का एक अनुपात उस जलयान के स्वामी से वसूल किया जाता है जो उसकी त्रुटि के अनुपात से अधिक है तो वह स्वामी अभिदाय के माध्यम से आधिक्य रकम को अन्य जलयान या जलयानों के स्वामियों से उस परिमाण तक जिस तक क्रमश: वह जलयान त्रुटि पर थे, वसूल कर सकेगा :

परंतु इस प्रकार किसी रकम की वसूली नहीं की जाएगी, जो किसी कानूनी या संविदायी परिसीमन या उससे छूट, दायित्व के कारण वसूल नहीं की जाती या वह किसी अन्य कारण से प्रथमतः नुकसान के रूप में तत्पश्चात् वाद लाने के लिए हकदार व्यक्तियों से वसूल की गई है ।

(2) तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन किसी अभिदाय के हकदार व्यक्ति को अभिदाय की वसूली करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान अधिकार और शक्तियां होंगी, जो प्रथमत: नुकसानी के लिए वाद लाने के हकदार व्यक्तियों को हैं ।

टक्कर की दशा में जलयान के मास्टर का सहायता करने

150. दो जलयानों के बीच टक्कर के प्रत्येक मामले में प्रत्येक जलयान के मास्टर या भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक वह उसके स्वयं के जलयान, कर्मी दल और

का कर्तव्य ।

यात्रियों को खतरे, यदि कोई हो, में डाले बिना, --

(क) अन्य जलयान, उसके मास्टर, कर्मी दल और यात्रियों, यदि कोई हों, को ऐसी सहायता, जो व्यवहार्य हो, और उन्हें टक्कर द्वारा कारित किसी खतरे से बचाने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराए और अन्य जलयान के साथ खड़ा रहे जब तक कि उसने यह पता न लगा लिया हो कि उसे और सहायता की आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) अन्य जलयान के मास्टरों या भारसाधक व्यक्तियों को अपने जलयान का और उस पत्तन, जिससे वह संबंध रखता है तथा उन पत्तनों, जिनसे वह आया है और जिनको वह जाएगा, नाम देना ।

अधिकृत लॉग में टक्करों की प्रविष्टि का किया जाना ।

151. टक्कर के प्रत्येक मामले में, जिसमें ऐसा किया जाना व्यवहार्य हो तो प्रत्येक जलयान का मास्टर टक्कर होने के तुरंत पश्चात् उसका एक विवरण और उन परिस्थितियों, जिनके अधीन टक्कर हुई है, अधिकृत लॉग पुस्तिका, यदि कोई हो, में दर्ज करेगा और प्रविष्टि पर मास्टर और निगरानी अधिकारी या किसी एक समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

जलयानों की दुर्घटनाओं की केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट ।

152. जब किसी भारतीय जलयान की कोई दुर्घटना होती है या उसमें कोई दुर्घटना की गई है, जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति होती है या उसे कोई तात्विक नुकसान होता है तो उसकी समुद्र यात्रा योग्यता या उसकी दक्षता पर या तो उसके हल में प्रभाव पड़ता है या उसकी मशीनरी के किसी भाग में इस प्रकार फेरफार होता है, जो इस अधिनियम के अधीन जलयान को जारी प्रमाणपत्रों में अंतर्विष्ट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है तो स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता दुर्घटना या नुकसान होने के चौबीस घंटें के भीतर या तत्पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, केंद्रीय सरकार को या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना या नुकसान की और उसके संभाव्य कारण की जलयान के नाम, उसकी शासकीय संख्या, यदि कोई हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के पत्तन तथा वह स्थान जहां वह है, की एक रिपोर्ट पारेषित करेगा ।

भारतीय जलयान के नुकसान की केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट का दिया जाना ।

153. यदि भारतीय जलयान के स्वामी या अभिकर्ता को जलयान के हाजिर न होने के कारण या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण यह आशंका हो कि जलयान पूर्णतया खो गया है, वह सुविधाजनक रूप से यथाशीघ्र केंद्रीय सरकार को लिखित में खो जाने और उसके संभावित कारण की जलयान के नाम, उसकी शासकीय संख्या, यदि कोई हो और उसके रजिस्ट्रीकरण के पत्तन का कथन करते हुए सूचना देगा ।

अध्याय 2

समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा

लागू होना और परिभाषाएं ।

154. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होगा,--

(क) भारतीय पोत ; और

(ख) भारतीय पोत से भिन्न कोई अन्य पोत, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हो, जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय समुद्र या उससे संलग्न कोई सामुद्रिक क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है या इसके पश्चात् अधिकारिता हो सकेगी ।

कतिपय दावों के संबंध में नुकसानी के लिए दायित्व की परिसीमा ।

155. (1) पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता या कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य असावधानी या त्रुटि से, यथास्थिति, पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी है और उत्तरदायित्व का बीमाकर्ता ऐसे दावों के लिए अपने उत्तरदायित्व को यथा उपबंधित के अनुसार सीमित कर सकेगा,--

(क) फलक या जलयानों के प्रचालन के सीधे संबंधित या उद्धरण प्रचालनों और उनसे

पारिणामिक हानि के कारण जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति या संपत्ति की हानि या उसे नुकसान, जिसके अंतर्गत बंदरगाह, संकर्म, बेसिन और जलमार्ग तथा नौवहन सहायक हैं, को हानि के दावे ;

(ख) स्थोरा, यात्रियों या उनके समान को समुद्र में वहन में विलंब के परिणामस्वरूप हानि के दावे ;

(ग) संविदा अधिकारों से भिन्न अन्य अधिकारों के अतिलंघन के परिणामस्वरूप जलयान के प्रचालन से सीधे संबंधित या उद्धरण प्रचालनों से संबंधित अन्य हानियों के दावे ;

(घ) किसी जलयान, जो डूब गया है, ध्वंस हो गया है, उत्कूलित या त्यजित जलयान को नष्ट करना, हटाना, विध्वंस करना या उसे अहानिकर बनाने, जिसके अंतर्गत जो ऐसे जलयान के फलक पर है या रहा है, से कोई दावे ;

(ङ) किसी जलयान के स्थोरा को हटाने, विध्वंसित करने या अहानिकर बनाने के संबंध में दावे ;

(च) नुकसान से बचने या न्यूनतम करने के लिए, जिसके लिए दायी व्यक्ति अभिसमय के अनुसार अपने दायित्व को सीमित कर सकेगा, किए गए उपायों के संबंध में दायी व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति के दावे और ऐसे उपायों द्वारा कारित की गई और हानि ;

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए दावे दायित्व की परिसीमा के अधीन होंगे, यदि किसी संविदा या अन्यथा अवलंब या क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी लाए गए हों :

परंतु उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में दिए गए दावे उस सीमा तक दायित्व की परिसीमा के अधीन नहीं होंगे, जहां तक वह दायी व्यक्ति के साथ किसी संविदा के अधीन पारिश्रमिक से संबंधित हैं ।

(3) इस तरह की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :--

(क) उद्धारण के दावे, जिसके अंतर्गत, यदि लागू हो, उद्धारण अभिसमय के अनुच्छेद 14 के अधीन विशेष प्रतिकर का दावा या साधारण औसत में अभिदाय,

(ख) तेल उत्पादन नुकसान के लिए सिविल दायित्व से संबंधित इस भाग के अध्याय 3 के अधीन तेल प्रदूषण नुकसान के लिए दावे,

(ग) न्यूक्लियर नुकसान के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या दायित्व की परिसीमा को शासित या उसका प्रतिषेध करने वाले राष्ट्रीय विधान के अधीन रहते हुए दावे,

(घ) किसी न्यूक्लियर पोत के स्वामी के विरुद्ध न्यूक्लियर नुकसान के लिए दावे,

(ङ) किसी पोत या उद्धारणकर्ता के सेवक के दावे, जिसके कर्तव्य पोत या उद्धारण प्रचालनों से संबद्ध है, जिसके अंतर्गत उनके उत्तराधिकारियों, आश्रितों या ऐसे दावे करने के लिए हकदार अन्य व्यक्तियों के दावे सम्मिलित हैं, यदि पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता और ऐसे सेवकों के बीच सेवा की संविदा का प्रशासन करने वाली विधि के अधीन पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता ऐसे दावों के संबंध में अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं है या उसे ऐसी विधि द्वारा केवल उसे एलएलएमसी अभिसमय या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में उपबंधित से बड़ी रकम के लिए उसके दायित्व को सीमित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए दायित्व की परिसीमा का अवलंब लेने का

कृत्य दायित्व को मानने का कृत्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी पोत स्वामी के दायित्व में स्वयं पोत के विरुद्ध लाई गई कार्रवाई में दायित्व सम्मिलित होगा,

(ख) "पोत स्वामी" से किसी समुद्रगामी जलयान का स्वामी, चार्टरकर्ता, प्रबंधक या प्रचालक अभिप्रेत है ।

परिसीमन को अपवर्जित करने का आचरण ।

156. धारा 155 के अधीन दायी व्यक्ति उसके दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं होगा यदि यह साबित कर दिया जाता है कि नुकसान या हानि उसके वैयक्तिक कृत्य या लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो ऐसी हानि या असावधानी के कारण और इस जानकारी के साथ कारित की गई है कि ऐसी हानि संभाव्यता होगी ।

प्रति दावे ।

157. जहां किसी व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन दावे की परिसीमा का हकदार है, का दावाकर्ता के विरुद्ध दावा है, जो उसी घटना से उदभूत हुआ है, उनके क्रमश: दावों का प्रत्येक के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और इस अध्याय के उपबंध शेष, यदि कोई हो, को लागू होंगे ।

दायित्व की परिसीमाएं ।

158. (1) धारा 159 में वर्णित से भिन्न अन्य दावों, जो किसी सुभिन्न अवसर पर उदभूत हो रहे हैं, के दायित्व की परिसीमाओं की संगणना एलएलएमसी अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु उन मामलों में, जहां एलएलएमसी अभिसमय के उपबंध लागू नहीं होते हैं, दायित्व की परिसीमा वह होगी, जो विहित की जाए ।

(2) जहां जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के संबंध में अवधारित रकम ऐसे दावों का पूर्णतया संदाय करने के लिए अपर्याप्त है, अन्य दावों के संबंध में अवधारित रकम को जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के संबंध में दावे के असंदत्त शेष का संदाय करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसा असंदत्त शेष अन्य दावों के संबंध में दावों के साथ आकलनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बंदरगाह संकर्म, बेसिन, जलमार्गों और नौवहन सहायकों को नुकसान के संबंध में दावों की अन्य दावों पर पूर्विकता होगी ।

(4) किसी उद्धारणकर्ता, जो किसी जलयान से प्रचालन नहीं करता है या किसी जलयान से एकमात्र रूप से प्रचालन कर रहे उद्धारणकर्ता के लिए दायित्व की परिसीमा या उसके लिए, जिसके लिए वह उद्धारण सेवाएं प्रदान कर रहा है, की संगणना 1,500 की समग्र टनधारिता के अनुसार की जाएगी ।

यात्री दावों के लिए सीमा ।

159. किसी सुभिन्न अवसर पर किसी पोत के यात्रियों की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति से उदभूत दावों के लिए उस पोत के स्वामी के दायित्व की परिसीमा वह रकम होगी, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी सुभिन्न अवसर पर किसी पोत के यात्रियों के जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति से उदभूत दावे" से उस पोत पर निम्नलिखित के अधीन वहन किए जा रहे किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त लाए गए ऐसे दावे अभिप्रेत हैं,--

(क) यात्री वहन संविदा के अधीन ; या

(ख) जो उसके वाहक की सहमति से किसी यान या जीवित पशुओं के साथ है, जो

वस्तुओं के वहन के लिए संविदा के अधीन आते हैं ।

दावों का संकलन ।

160. (1) धारा 158 के उपबंधों के अनुसार अवधारित दायित्व की परिसीमा उन सभी दावों के संकलन को लागू होगी, जो किसी सुभिन्न अवसर पर उदभूत होते हैं,--

(क) व्यक्ति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ; या

(ख) उस पोत से उद्धारण सेवाएं प्रदान करने वाले पोत स्वामी और उद्धारणकर्ता या उद्धारणकर्ताओं के विरुद्ध, जो ऐसे पोत से प्रचालन कर रहे हैं तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ; या

(ग) उस पोत से उद्धारण सेवाएं प्रदान न करने वाले उद्धारणकर्ता या उद्धारणकर्ताओं के विरुद्ध, जो ऐसे पोत से एकमात्र रूप से प्रचालन कर रहे हैं या जिसके संबंध में उद्धरण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ।

(2) धारा 159 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उत्तरदायित्व की परिसीमा उसके अधीन रहते हुए सभी दावों के संकलन को लागू होगी, जो पोत स्वामी के विरुद्ध किसी सुभिन्न अवसर पर उस धारा में निर्दिष्ट पोत के संबंध में और कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं, लागू होंगी ।

परिसीमा निधि का गठन किए बिना दायित्व की परिसीमा ।

161. (1) इस बात के होते हुए भी दायित्व की परिसीमा का अवलंब लिया जा सकेगा कि धारा 162 में यथावर्णित परिसीमा निधि का गठन नहीं किया गया है ।

(2) जहां किसी दावे को प्रवृत्त करने के लिए कोई कार्रवाई लाई गई है तो परिसीमा के अधीन रहते हुए दायी कोई व्यक्ति दायित्व को परिसीमित करने के अधिकार का अवलंब केवल तब ले सकेगा जब यदि किसी परिसीमन निधि का इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार गठन किया गया है या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार जब दायित्व को परिसीमित करने के अधिकार का अवलंब लिया जाता है तब गठित की गई है ।

परिसीमन निधि का गठन ।

162. (1) दायी होने के लिए कथित कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के पास निधि का गठन कर सकेगा, जिसमें परिसीमन के अधीन रहने वाले दावों के संबंध में विधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ।

(2) निधि का गठन उन दावों को, जिनके लिए व्यक्ति दायी है, लागू धारा 158 या धारा 159 के उपबंधों के अनुसार, जो उन दावों को लागू होती हैं, के लिए ऐसी रकमों की राशियों में उनको दायित्व उत्पन्न होने की तारीख से निधि के गठन की तारीख तक उस पर ब्याज के साथ किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में,--

(क) उच्च न्यायालय के पास धारा 158 या धारा 159 के अधीन संगणित रकम को जमा किया जाएगा ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्वीकार्य गारंटी को प्रस्तुत करके और जिसे न्यायालय द्वारा पर्याप्त समझा जाए ।

(4) इस प्रकार गठित निधि केवल उन दावों के संबंध में संदाय के लिए उपलब्ध होगी, जिनके संबंध में दायित्व के परिसीमन का अवलंब लिया जा सकेगा ।

(5) धारा 161 में निर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति या उसके बीमाकंक द्वारा गठित निधि को उस

धारा में वर्णित सभी व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया समझा जाएगा ।

निधि का संवितरण ।

163. (1) धारा 158 और धारा 159 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निधि का संवितरण दावाकर्ताओं में निधि के विरुद्ध उनके साबित दावों के अनुपात में किया जाएगा ।

(2) यदि निधि का संवितरण करने से पूर्व दायी व्यक्ति या उसके बीमाकंक ने निधि के विरुद्ध किसी दावे का निपटान कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदत्त की गई रकम तक प्रत्यासीन के माध्यम से उन अधिकारों को अर्जित करेगा, जिनका इस प्रकार प्रतिदाय किए गए व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के अधीन उपभोग किया जाता ।

(3) उपधारा (2) में प्रत्यासीन के लिए उपबंधित अधिकारों का उपयोग उसमें वर्णित व्यक्तियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर की किसी रकम के संदर्भ में, जिनका उन्होंने संदाय कर दिया है, किया जा सकेगा किंतु केवल उस परिमाण तक जिस तक ऐसा प्रत्यासीन किया जाना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञात है ।

(4) जहां दायी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे प्रतिदाय की किसी संपूर्ण रकम या भागत: रकम को ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो उपधारा 2 और उपधारा 3 के अनुसरण में प्रत्यासीन के अधिकार उपयोग करता यदि निधि के संवितरण करने से पूर्व प्रतिकर का संदाय कर दिया होता, के लिए किसी पश्चातवर्ती तारीख को संदाय करने के लिए विवश किया जाएगा, उच्च न्यायालय जहां निधि का गठन किया गया है, आदेश दे सकेगा कि पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से अलग रखी जाए ताकि ऐसे व्यक्ति को ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को निधि के विरुद्ध उसके दावे को प्रवृत्त करने में समर्थ बनाया जा सके ।

अन्य कार्रवाई का वर्जन ।

164. (1) जहां धारा 162 के अधीन किसी निधि का गठन किया गया है, किसी व्यक्ति को निधि के विरुद्ध दावा करने पर ऐसे दावे के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा या जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है, अन्य आस्तियों के विरुद्ध ऐसे दावे में किसी अधिकार का उपयोग करने से वर्जित किया जाएगा ।

(2) धारा 162 के अधीन किसी निधि का गठन किए जाने के पश्चात् किसी व्यक्ति के किसी पोत या अन्य संपत्ति, जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है या जिसकी किसी दावे के लिए कुर्की की गई है, जो किसी निधि के विरुद्ध या किसी दी गई प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा, को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निर्मुक्त किया जा सकेगा और ऐसी निर्मुक्ति का हमेशा आदेश किया जाएगा, यदि निधि का गठन निधि को प्रशासित करने वाले उच्च न्यायालय के पास किया गया है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध तभी लागू होंगे, जब दावाकर्ता निधि को प्रशासित करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष दावा करेगा और निधि वास्तव में उपलब्ध है और मुक्त रूप से उस दावे के संबंध में अंतरणीय है ।

आवेदन का स्कोप ।

165. (1) इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे जब कभी धारा 155 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष दायित्व को परिसीमित करने की वांछा करता है या किसी पोत या अन्य संपत्ति को उपाप्त करने की वांछा करता है या भारतीय अधिकारिता के भीतर किसी प्रतिभूति को उन्मोचित करने की वांछा करता है :

परंतु कोई व्यक्ति, जिसने उस समय जब इस अध्याय के अधीन उपबंधों का किसी उच्च न्यायालय के समक्ष अवलंब लिया था, का भारत में उसका प्रायिक निवास नहीं है या उसके कारबार का भारत में प्रधान स्थान नहीं है या कोई पोत जिसके संबंध में परिसीमन के अधिकार का अवलंब लिया गया है या जिसकी निर्मुक्ति की ईप्सा की गई है और जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट समय पर उस देश के ध्वज का आरोहण नहीं करता है, जो एलएलएमसी अभिसमय का एक पक्षकार नहीं है, को

इस अध्याय के उपबंधों का अवलंब लेने से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के उपबंध वायु कुशन यान या प्लवमान मंच, को लागू नहीं होंगे, जिनका संनिर्माण समुद्र तल या उसकी उप मृदा प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण या दोहन करने के प्रयोजन के लिए किया गया है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

166. (1) केन्द्रीय सरकार, एलएलएमसी अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) उन मामलों में दायित्व की, परिसीमाएं जहां एलएमएमसी अभिसमय के उपबंध धारा 158 के परंतुक के अधीन लागू नहीं होते हैं ;

(ख) धारा 159 के अधीन किसी पोत के यात्रियों को जीवन हानि या वैयक्तिक उपहति के लिए स्वामी के दायित्व की परिसीमा की रकम ;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

अध्याय 3

तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

इस अध्याय का लागू होना ।

167. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होगा--

(क) निम्नलिखित द्वारा कारित प्रदूषण नुकसान,--

(i) भारतीय पोत जहां कहीं भी वह हो ; और

(ii) भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत जब वह भारत में किसी पत्तन या किसी स्थान पर है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या उससे संलग्न किसी समुद्री क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है या इसके पश्चात् अधिकारिता हो सकती है; 1976 का 80

(ख) ऐसे प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय जहां कहीं भी किए गए हैं ।

परिभाषाएं ।

168. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "घटना" से कोई ऐसी घटना या घटना की आवली अभिप्रेत है जिनका उद्गम स्थल एक ही है, और जिनसे प्रदूषण नुकसान कारित होता है या ऐसा नुकसान कारित होने की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है ;

(ख) "तेल" से कोई विद्यमान हाइड्रोकार्बन खनिज तेल जैसे कच्चा तेल, ईंधन तेल, भारी डीजल तेल और स्नेहक तेल अभिप्रेत है चाहे उसे किसी पोत के किसी फलक पर स्थोरा के रूप में या ऐसे पोत के बंकरों में वहन किया जाता है ;

(ग) "स्वामी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) पोत के स्वामी के रूप में कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ; या

यक् रजिस्ट्रीकरण के अभाव में, पोत का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति ; या

(iii) किसी देश के स्वामित्वाधीन पोत और उस देश की किसी कंपनी द्वारा प्रचालित पोत के मामले में, ऐसे पोत के प्रचालक के रूप में उस देश में रजिस्ट्रीकृत

व्यक्ति ;

(घ) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि या भागीदारी या कोई लोक निकाय या प्राइवेट निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसके अंतर्गत कोई राज्य या उसके संघटक उप प्रभागों में से कोई उप प्रभाग भी है, अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रदूषण नुकसान" से निम्नलिखत अभिप्रेत है,--

(i) पोत से तेल के निकलने या निस्सारण के परिणामस्वरूप संदूषण द्वारा पोत के बाहर कारित हानि या नुकसान, जहां कहीं ऐसा तेल निकलता हो या उसका निस्सारण होता हो :

परंतु पर्यावरण के ह्रास के लिए प्रतिकर ऐसे ह्रास से लाभ या हानि से भिन्न, वस्तुत: प्रत्यावर्तन के किए गए या किए जाने वाले युक्तियुक्त उपायों के खर्च तक ही सीमित होगा ; और

(ii) निवारक उपायों का खर्च और ऐसे उपायों द्वारा कारित अतिरिक्त हानि या नुकसान ;

(च) "निवारित उपाय" से ऐसा कोई युक्तियुक्त उपाय अभिप्रेत है जो प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए घटना के घटित होने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं ;

(छ) "पोत" से खुला स्थोरा के रूप में तेल के वहन के लिए संनिर्मित या अनुकूलित, किसी भी प्रकार का, चाहे वह जो भी हो, कोई समुद्रगामी जलयान और समुद्री क्राफ्ट अभिप्रेत है :

परंतु यह कि तेल और अन्य स्थोराओं के वहन के योग्य पोत को पोत के रूप में केवल तभी समझा जाएगा जब वह खुले स्थोरा के रूप में वस्तुत: तेल का वहन कर रहा है और ऐसा वहन करने के पश्चात् किसी समुद्री यात्रा के दैरान जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उसमें फलक पर भारी मात्र में तेल के ऐसे वहन का कोई अवशिष्ट नहीं है ;

(ज) "पोत की रजिस्ट्री का राज्य" से रजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में पोत के रजिस्ट्रीकरण का राज्य और अरजिस्ट्रीकृत पोतों के संबंध में वह राज्य जिसका ध्वज पोत पर लगा हुआ है, अभिप्रेत है ।

स्वामी का दायित्व ।

169. (1) इस धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, घटना के समय पोत का स्वामी या जहां घटना आवलियों से मिलकर बनी है वहां ऐसी घटना के प्रथम बार घटने के परिणामस्वरूप पोत द्वारा कारित किसी प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान के लिए कोई दायित्व स्वामी से संलग्न नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान--

(क) किसी युद्धकार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विपल्व या किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ख) तृतीय पक्षकार द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप द्वारा पूर्णतया कारित हुआ था ।

(3) जहां स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या तो पूर्णत: या भागत: उस व्यक्ति द्वारा जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ वहां स्वामी को ऐसे व्यक्ति के प्रति

उसके दायित्व से पूर्णत: या भागत: विमुक्त किया जा सकेगा ।

(4) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा इस अध्याय के उपबंधों अनुसार ही स्वामी के विरुद्ध किया जा सकेगा अन्यथा नहीं ।

(5) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा,--

(क) सेवकों या स्वामी के अभिकर्ताओं या कर्मीदल के सदस्यों ;

(ख) पायलट या किसी अन्य व्यक्ति, जो कर्मीदल का सदस्य न होते हुए, पोत के लिए सेवाएं निष्पादित करता है ;

(ग) पोत का कोई चार्टर (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके अंतर्गत अनावृत्त नौका भी है), प्रबंधक या प्रचालक ;

(घ) स्वामी की सहमति से या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी के अनुदेशों पर उद्धारण की संक्रियाओं का निष्पादन करने वाले किसी व्यक्ति ;

(ङ) निवारित उपाय करने वाले किसी व्यक्ति ;

(च) खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित सभी सेवकों या व्यक्तियों के अभिकर्ताओं,

के विरुद्ध तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा नुकसान उसके ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से या बिना सोचे विचारे और यह जानते हुए कि ऐसा नुकसान होने की अधिक संभावना हो, कारित न किया गया हो ।

(6) इस अध्याय में की कोई बात तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध स्वामी के अवलंब के किसी अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

पोतों के लिए संयुक्त और पृथक् दायित्व ।

170. जब कोई घटना जिसमें दो या दो से अधिक पोत अंतवर्लित हैं, घटती है और उससे प्रदूषण नुकसान होता है तो संबद्ध सभी पोतों के स्वामी जब तक की उन्हें धारा 169 की उपधारा (3) के अधीन विमुक्त न कर दिया जाए, तब तक वे ऐसे सभी नुकसान, जो युक्तियुक्त रूप से पृथक्करणीय नहीं है, के लिए संयुक्तत: और पृथकत: दायी होंगे ।

दायित्व की परिसीमा ।

171. (1) स्वामी किसी घटना के संबंध में इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को 1992 दायित्व परिसीमा के उपबंधों के अनुसार कुल रकम तक परिसीमित कर सकेगा ।

(2) स्वामी इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को परिसीमित करने के लिए हकदार नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि प्रदूषण नुकसान उसके वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप हुआ है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से बिना सोचे विचारे या यह जानते हुए कि इससे ऐसा नुकसान होने की संभावना है, कारित किया गया है ।

परिसीमा निधि का गठन ।

172. (1) (क) कोई स्वामी, जो धारा 171 के अधीन अपने दायित्व की परिसीमा के फायदे का लाभ लेने की वांछा करता है, उच्च न्यायालय में दायित्व की उसकी परिसीमाओं को व्यपदिष्ट करने वाली कुल राशि के लिए परिसीमा निधि (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निधि कहा गया है) का गठन करेगा ।

(ख) ऐसी निधि या तो उच्च न्यायालय में राशि जमा करके या बैंक गारंटी या ऐसी अन्य प्रतिभूति, जो उच्च न्यायालय की राय में समाधानप्रद हो, प्रस्तुत करके, गठित की जा सकेगी ।

(2) (क) स्वामी को वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाला कोई बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति

उपधारा (1) के अधीन निधि के गठन के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार गठित की गई किसी निधि का वही प्रभाव होगा जैसे कि मानो वह स्वामी द्वारा गठित की गई हो;

(ख) ऐसी निधि उन मामलों में भी गठित की जा सकेगी जहां धारा 171 की उपधारा (2) लागू होती है किंतु किसी ऐसी दशा में निधि के गठन का निधि में जमा की गई या प्रतिभूत रकम से अधिक पूर्ण प्रतिकर के लिए स्वामी के विरुद्ध किसी दावाकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निधि में जमा या प्रतिभूत किए जाने वाले विशेष आहरण अधिकार में रकम निधि के गठन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित विशेष आहरण अधिकारों के रुपए में शासकीय मूल्य के आधार पर रुपए में संपरिवर्तित की जाएगी।

प्रत्यासन द्वारा प्रतिकर के लिए अधिकार का अर्जन ।

173. (1) जहां, निधि के वितरित किए जाने से पूर्व, उसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले स्वामी, या उसके किसी सेवक या अभिकर्ता या किसी व्यक्ति ने घटना के परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय किया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उस रकम तक जो उसने संदत्त की है, प्रत्यासन द्वारा उन अधिकारों को अर्जित करेगा जिनका इस प्रकार प्रतिधारित व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन प्रयोग किया हो ।

(2) जहां स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे प्रतिकर की किसी ऐसी रकम का पूर्णतया या भागत: किसी पश्चातवर्ती तारीख को संदाय किए जाने के लिए विवश किया जा सकेगा जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन प्रत्यासन के अधिकार का प्रयोग किया हो, यदि प्रतिकर निधि के वितरित किए जाने से पूर्व संदत्त कर दिया गया होता, तो उच्च न्यायालय, जहां निधि का गठन किया गया है, वहां यह आदेश कर सकेगा कि पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को ऐसे व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए अनंतिम रूप से अलग रख दी जाएगी जिससे कि निधि के विरुद्ध उसके दावे को प्रवृत्त किया जा सके ।

दावों का समेकन और निधि का वितरण ।

174. (1) उच्च न्यायालय निधि के विरुद्ध सभी दावों जिनके अंतर्गत धारा 173 के अधीन उद्भूत होने वाले दावे भी हैं, का समेकन करेगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए स्वामी द्वारा स्वेच्छया युक्तियुक्त रूप से उपगत खर्चों या उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से किए गए त्याग के संबंध में कोई दावा निधि के विरुद्ध अन्य दावों के समान होगा ।

(3) धारा 173 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय सभी दावाकर्ताओं में निधि की रकम को उनके साबित दावों के अनुपात में वितरित करेगा ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रत्याभूति ।

175. (1) स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक तेल ले जाने वाला प्रत्येक पोत का स्वामी, ऐसे पोत के संबंध में 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए इस अध्याय के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व को आच्छादित करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, जारी किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी विदेशी पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के बनाए रखने से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य के पेश किए जाने के संबंध में ऐसे विदेशी पोत के संबंध में उपधारा (2) के अधीन प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए ऐसी फीस, प्रभारित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

भारत से बाहर जारी किए गए प्रमाणपत्र का प्रतिग्रहण ।

176. भारत से बाहर के किसी देश में उस देश में रजिस्ट्रीकृत पोत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र या किसी ऐसे देश जो, किसी ऐसे पोत के लिए, जहां कहीं भी वह रजिस्ट्रीकृत है, 1992 दायित्व अभिसमय का पक्षकार है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र भारत में किसी पत्तन या स्थान पर इस प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया था ।

प्रमाणपत्र के बिना भारतीय पत्तन में प्रवेश करने या उसे छोड़ने पर रोक।

177. (1) कोई भारतीय पोत, जिसमें स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक तेल फलक पर है, भारत में किसी पत्तन या स्थान में प्रवेश तब नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने या उसे छोड़ने का प्रयास तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास धारा 175 की उपधारा (2) के अधीन जारी प्रमाण पत्र या धारा 176 के अधीन प्रतिगृहीत प्रमाण पत्र फलक पर न हों ।

(2) स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक के तेल का वहन करने वाले भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत चाहे वह कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, भारत में किसी पत्तन या स्थान में प्रवेश तब नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने या उसे छोड़ने का प्रयास तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास धारा 175 की उपधारा (3) के अधीन जारी प्रमाण पत्र या धारा 176 के अधीन प्रतिगृहीत प्रमाण पत्र फलक पर न हों ।

(3) कोई उचित अधिकारी किसी ऐसे पोत को, जिसको, यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है तब तक आंतरिक प्रवेश या बाह्य निकासी मंजूर नहीं करेगा जब तक कि उसका मास्टर इन उपधाराओं के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

178. (1) प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी के दायित्व हेतु वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला कोई बीमाकर्ता या कोई व्यक्ति ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में किसी दावे के लिए सीधे ही दायी हो सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति, यदि स्वामी धारा 171 के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं है, तो वह स्वयं उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट दायित्व की ऐसी परिसीमाओं का लाभ ले सकेगा ।

(3) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी के दायित्व के संबंध में वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधे ही लाया जा सकेगा और ऐसे मामलों में वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति भले ही स्वामी धारा 171 के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं है, उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट दायित्व की ऐसी परिसीमाओं का लाभ स्वयं ले सकेगा ।

(4) वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला कोई बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति उन प्रतिवादों का (स्वामी की शोधन अक्षमता या परिसमापन से भिन्न) का स्वयं अतिरिक्त ऐसा लाभ ले सकेगा जिनका स्वामी अवलंब लेने का हकदार हुआ हो और प्रतिवादी स्वयं प्रतिवाद का लाभ ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान स्वयं स्वामी के जान बूझकर किए गए अवचार के कारण हुआ है किंतु प्रतिवादी किसी ऐसे अन्य प्रतिवाद का स्वयं लाभ नहीं उठा सकेगा जिसका वह उसके विरुद्ध स्वामी द्वारा की गई कार्रवाइयों में अवलंब लेने का हकदार हुआ होता ।

(5) वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति को किसी भी दशा में कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए स्वामी से अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।

(6) धारा 175 की उपधारा (1) के अनुसार बनाए रखे गए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति द्वारा प्रदान की गई कोई राशि इस अध्याय के अधीन दावों की पुष्टि के लिए अनन्य रूप से उपलब्ध होगी ।

परिसीमा अवधि ।

179. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के अधिकार तब तक निर्वापित नहीं होंगे जब तक कि नुकसान होने के समय की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है :

परंतु उस घटना, जिससे नुकसान कारित हुआ है, की तारीख से छह वर्ष के पश्चात् प्रतिकर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(2) यदि घटना, घटनाओं की आवली से मिलकर बनी है, तो छह वर्ष की अवधि प्रथम घटना की तारीख से आरंभ होगी ।

सरकारी पोत ।

180. इस अध्याय की कोई बात युद्ध के किसी पोत या वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी देश की सरकार द्वारा तत्समय प्रयोग किए जा रहे किसी पोत को लागू नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

181. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 175 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप और उसमें दी जाने वाली विशिष्टियां ;

(ख) धारा 175 की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

अध्याय 4

बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

इस अध्याय का लागू होना ।

182. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होता है,--

(क) प्रत्येक भारतीय पोत से और भारतीय पोत से भिन्न प्रत्येक पोत से बंकर तेल के निकास या निस्सारण के कारण कारित प्रदूषण नुकसान जब वह,--

(i) राज्यक्षेत्र के, जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र भी है ; या

(ii) भारत में किसी पत्तन या किसी स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या उससे संलग्न किसी समुद्री क्षेत्र के भीतर जिस पर भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न-तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकती है;

1976 का 80

(ख) ऐसे प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय, जहां कहीं भी किए गए हों :

परंतु यह अध्याय ऐसे युद्धपोतों, नौसैनिक सहायक या अन्य जलयानों को लागू नहीं होगा जो सरकार के स्वामित्वाधीन हैं या उसके द्वारा प्रचालित किए जाते हैं और तत्समय केवल सरकार के

गैर वाणिज्यिक सेवा के रूप में लाए जाते हैं:

परंतु यह और कि यह अध्याय इस भाग के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रदूषण नुकसान को लागू नहीं होगा ।

परिभाषाएं ।

183. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बंकर अभिसमय" से बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय 2004 अभिप्रेत है;

(ख) "बंकर तेल" से किसी पोत के प्रचालन या नोदन के उपयोग के लिए उपयोग किए गए या किए जाने के लिए आशयित हाइड्रो कार्बन खनिज तेल, जिसके अंतर्गत स्नेहक तेल भी है और ऐसे तेल के कोई अपशिष्ट अभिप्रेत हैं ;

(ग) "सिविल दायित्व अभिसमय" से तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992 अभिप्रेत है;

(घ) "घटना" से ऐसी कोई घटना या घटनाओं की आवली अभिप्रेत है जिनका उद्गम स्थल एक ही है और जिनसे प्रदूषण नुकसान कारित होता है या ऐसा नुकसान कारित होने की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है;

(ङ) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि या भागीदारी या कोई लोक निकाय या प्राइवेट निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके अंतर्गत कोई राज्य या उसके कोई संघटक उप प्रभाग भी है, अभिप्रेत है ;

(च) "प्रदूषण नुकसान" से अभिप्रेत है,--

(i) पोत से बंकर तेल के निकलने या निस्सारण से हुए संदूषण के परिणामस्वरूप पोत के बाहर कारित हानि या नुकसान अभिप्रेत है चाहे कहीं भी ऐसा तेल निकला हो या उसका निस्सारण हुआ है :

परंतु पर्यावरण के ह्रास के लिए प्रतिकर, ऐसे ह्रास से लाभ या हानि से भिन्न, प्रत्यावर्तन के वस्तुत: किए गए युक्तियुक्त उपायों के खर्च तक ही सीमित होंगे ; और

(ii) निवारण उपायों का खर्च और ऐसे उपायों द्वारा कारित अतिरिक्त हानि या नुकसान ;

(छ) "निवारक उपाय" से ऐसा कोई युक्तियुक्त उपाय अभिप्रेत है जो घटना के होने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा, प्रदूषण नुकसान के निवारण के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण के न होने पर वह या वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो पोत का स्वामी है या हैं और किसी पोत का स्वामित्व राज्य के पास होने और उसका परिचालन ऐसी किसी कंपनी द्वारा, जो उस राज्य में पोत परिचालन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, किए जाने की दशा में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत होगी ;

(झ) "पोत" से चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, कोई समुद्रगामी जलयान और समुद्री क्राफ्ट अभिप्रेत है;

(ञ) "पोत स्वामी" से स्वामी, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वामी भी है, पोत का अनावृत्त नोका चार्टरर, प्रबंधक और परिचालक अभिप्रेत है;

(ट) "पोत की रजिस्ट्री का राज्य" से, किसी रजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, पोत के

रजिस्ट्रीकरण का राज्य और अरजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, वह राज्य अभिप्रेत है, जिस राज्य का ध्वज वह पोत पर लगाने का हकदार है ;

बंकर तेल प्रदूषण के लिए दायित्व ।

184. (1) धारा 186 में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,--

(क) जहां प्रदूषण नुकसान फलक पर बंकर तेल के निस्सारण या निकलने या किसी जलयान से ही निकलने के कारण होता है वहां पोत का स्वामी--

(i) किसी प्रदूषण नुकसान ;

(ii) ऐसे किसी प्रदूषण नुकसान के, जो इस प्रकार कारित किया गया है या जिसके कारित किए जाने की संभावना है, निवारण या उसे कम करने के प्रयोजन के लिए किए गए किन्हीं युक्तियुक्त उपायों के खर्च के लिए ; और

(iii) जहां इस प्रकार किए गए ऐसे किन्हीं निवारक उपायों द्वारा कारित किसी नुकसान के लिए,

दायी होगा:

परंतु जहां किसी घटना में घटनाओं की आवलि अंतर्वलित है, जिसका उद्गम स्थल एक ही है, वहां दायित्व ऐसी घटनाओं में से प्रथम घटना के समय पोत स्वामी पर होगा जहां एक से अधिक व्यक्ति दायी हैं वहां दायित्व संयुक्ततः और पृथकतः होगा ;

(ख) जहां किसी पोत के बाहर कारित किए जाने पर नुकसान की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है, वहां पोत का स्वामी ऐसे किन्हीं उपायों के खर्च के लिए, जो ऐसे किसी नुकसान को रोकने या उसे कम करने के लिए युक्तियुक्त रूप से किए गए थे, दायी होगा ।

(2) जहां, ऐसी कोई घटना, जिसमें दो या अधिक पोत अंतर्वलित हों, होती है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान होता है, वहां उस घटना में अंतर्वलित सभी जलयान, जब तक कि नुकसान युक्तियुक्त रूप से पृथक्करणीय न हो, ऐसे नुकसान के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे ।

(3) ऐसे पोतों के संबंध में, जो सरकार या किसी देश की सरकार के स्वामित्वाधीन हैं और जिनका उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, सरकार या ऐसे प्रत्येक देश की सरकार इस अध्याय के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होगी ।

दायित्व से छूट ।

185. (1) प्रदूषण के लिए कोई दायित्व किसी पोत के स्वामी द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा नुकसान,--

(क) किसी युद्ध-कार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुआ है; या

(ख) पूर्णतः स्वामी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप के कारण हुआ था ।

(2) यदि पोत का स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या तो पूर्णतः या भागतः उस व्यक्ति द्वारा, जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा के कारण हुआ है वहां उसे उस व्यक्ति के प्रति उसके दायित्व से, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः विमुक्त कर दिया जाएगा ।

दायित्व की परिसीमा के प्रति स्वामी का अधिकार ।

186. (1) पोत स्वामी और बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला व्यक्ति इस भाग के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार किसी एक या अधिक घटना के संबंध में इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार होगा ।

(2) पोत स्वामी अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं होगा यदि यह साबित हो

जाता है कि प्रदूषण नुकसान कारित करने वाली घटना उसके ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप हुई है जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से या बिना सोचे विचारे और यह जानते हुए कि ऐसा नुकसान होने की अधिसंभावना है, कारित किया गया है ।

दायित्व की परिसीमा का अवधारण ।

187. (1) जहां किसी पोत के स्वामी पर धारा 184 के अधीन किसी दायित्व के उपगत होने का अभिकथन किया गया है या उसका बीमाकर्ता वहां वह अपने दायित्व की परिसीमा के अवधारण के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उच्च न्यायालय पोत स्वामी के दायित्व की रकम का अवधारण कर सकेगा और, यथास्थिति, पोत स्वामी या उसके बीमाकर्ता को वह रकम उच्च न्यायालय के पास जमा कराने का निदेश दे सकेगा ।

दावों का समेकन और रकम का वितरण ।

188. उच्च न्यायालय पोत के ऐसे स्वामी के विरुद्ध जिसने धारा 187 के अधीन रकम जमा कराई है या उसके बीमाकर्ता के विरुद्ध सभी दावों का समेकन कर सकेगा और दावाकर्ताओं के बीच रकम का वितरण कर सकेगा ।

दावों के अधिकार का निर्वापण ।

189. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा यदि ऐसा दावा नुकसान होने की घटना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है :

परंतु किसी भी दशा में, ऐसा दावा उस घटना की, जिससे ऐसा नुकसान कारित हुआ था, तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसी घटनाओं में घटनाओं की श्रखंला अंतर्वलित हो वहां छह वर्ष की अवधि ऐसी प्रथम घटना की तारीख से आरंभ होगी ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखना ।

190. ऐसा रजिस्ट्रीकृत पोत का स्वामी, जिसका सकल टन भार एक हजार से अधिक का है, इस अध्याय के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व के प्रयोजन के लिए, एलएलएमसी अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा तक अनिवार्य बीमा रक्षण या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखेगा ।

वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

191. (1) प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी के दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाला बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में किसी दावे के लिए दायी हो सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति, यदि स्वामी धारा 184 के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं है, दायित्व की ऐसी परिसीमाओं का, जो विहित की जाएं, स्वयं लाभ ले सकेगा ।

(3) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर संबंधी किसी दावे को प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के प्रदूषण नुकसान संबंधी दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लाया जा सकेगा और ऐसे किसी मामले में बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति उन प्रतिवादों का (जो स्वामी की शोधन क्षमता या उसकी परिसीमा से भिन्न हो) अवलंब ले सकेगा जिनका पोत स्वामी अवलंब लेने का, जिसके अंतर्गत धारा 187 के अनुसरण में दायित्व की परिसीमा भी है, हकदार हुआ होता:

परंतु जहां पोत का स्वामी धारा 187 के अधीन दायित्व की परिसीमा का हकदार नहीं है, वहां बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की उस रकम के जो उपधारा (1) के अधीन बनाए रखी जानी अपेक्षित है, बराबर रकम तक दायित्व को परिसीमित कर सकेगा :

परंतु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति परिवाद का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण

नुकसान पोत स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिणामस्वरूप हुआ है परंतु ऐसे किसी प्रतिवाद का अवलंब नहीं लेगा जिसका ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध पोत स्वामी द्वारा की गई कार्रवाइयों में अवलंब लेने का हकदार हुआ होता :

परंतु यह भी कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति पोत स्वामी को ऐसी कार्रवाइयों के पक्षकार के रूप में बना सकता है ।

प्रमाणपत्र जारी करना ।

192. (1) ऐसे प्रत्येक पोत के संबंध में जो धारा 190 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखता है, ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियों से युक्त और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के संदाय पर, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को उसके अवसान के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसी फीस का संदाय करने पर नवीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

प्रमाणपत्र के बिना पत्तन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक ।

193. (1) कोई भी पोत ऐसे किसी पत्तन या स्थान में, जिसको यह अध्याय लागू होता है, प्रवेश तब तक नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने का प्रयास या उसे छोड़ने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास फलक पर धारा 192 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र न हो ।

(2) भारत के बाहर किसी देश में के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस देश में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत को जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या ऐसे किसी देश में के, जो बंकर अभिसमय का एक संविदाकारी पक्षकार है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोत को, वह जहां कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, जारी किया गया प्रमाणपत्र भारत में किसी पत्तन या स्थान पर उसी प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया है ।

(3) कोई भी पत्तन अधिकारी ऐसे किसी पोत के भीतर प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक पोत का मास्टर उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

अवलंबन का अधिकार ।

194. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात पोत स्वामी के अवलंबन के ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो कि उसे अपने दायित्व के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है ।

न्यायालय के विनिश्चय की मान्यता और उसका प्रवर्तन ।

195. (1) किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया विनिश्चय भारत में वहां के सिवाय मान्य होगा, जहां कि--

(क) निर्णय कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो ; या

(ख) पोत स्वामी या वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति को, जो उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने की युक्तियुक्त सूचना और उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बंकर अभिसमय के उपबंध के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा पारित कोई निर्णय भारत में जैसे ही उस देश में प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दिया गया है, प्रवर्तनीय होगा :

परंतु ऐसी प्रक्रिया मामले के गुणागुण के आधार पर उसे पुन: आरंभ किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

196. (1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित ऐसे सभी विषयों या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 191 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के दायित्व की परिसीमाएं ;

(ख) प्रमाणपत्र का प्ररूप, ऐसी विशिष्टियां, जो धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शर्तों और फीस सहित उसमें अंतर्विष्ट हों ;

(ग) धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और उसके लिए फीस ;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

अध्याय 5

अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि

लागू होना ।

197. यह अध्याय राज्यक्षेत्र में कारित कोई प्रदूषण नुकसान को जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय सागरखंड अथवा उससे संलग्न किसी समुद्री क्षेत्र जिसके भीतर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर खंड महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकती है और ऐसे नुकसान को रोकने अथवा कम करने के लिए निवारक उपायों, जहां कहीं भी किए गए हों, को लागू होता है । 1976 का 80

परिभाषाएं ।

198. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अभिदायी तेल" से कच्चा तेल और ईंधन तेल अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए कच्चे तेल से,--

(i) "कच्चा तेल" भूमि में प्राकृतिकत: होने वाला कोई तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण है चाहे उसे परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया हो या नहीं इसके अंतर्गत ऐसा कच्चा तेल भी सम्मिलित है जिससे से कतिपय आसवन टुकड़ों को हटाया गया है (जिन्हें कभी-कभी इसमें ऊपरी सतह का कच्चा तेल कहा गया है) या जिसमें कुछ आसवन टुकड़ों को मिलाया गया है (जिन्हें कभी- कभी इसमें "कीलदार" या "पुनर्गठित" कच्चा तेल कहा गया है)।

(ii) "ईंधन तेल" से भारी आसवन या ईंधन तेल से अवशेष या के लिए "संख्या चार ईंधन तेल (पदाभिधान डी 396-69) के लिए परीक्षण और सामग्री विनिर्देश अमरीका सोसाइटी" के समतुल्य क्वालिटी की ऊष्मा या शक्ति के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आशयित ऐसी सामग्रियों का मिश्रण से भारी आसवक या अवशिष्ट या अधिक भारी आसवक या अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ख) "निधि" से निधि अभिसमय के अनुच्छेद 2 द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि, 1992 अभिप्रेत है;

(ग) "निधि अभिसमय" से तेल प्रदूषण नुकसान संबंधी प्रतिकर अभिसमय 1992 अभिप्रेत है;

(घ) "प्रत्याभू" 1992 दायित्व अभिसमय के अनुच्छेद 7 पैरा 1 के अनुसरण में स्वामी के दायित्व को आच्छादित करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने

वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "घटना", "तेल", "संगठन", "स्वामी", "व्यक्ति", "प्रदूषण नुकसान", "निवारक उपाय" या "पोत" के वही अर्थ होंगे जो उनके 1992 के दायित्व अभिसमय में हैं ;

(च) "पोत टन भार" का वही अर्थ होगा जो उसका दायित्व अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 5 के पैरा 10 में है ;

(छ) "सीमांत प्रतिष्ठान" से भारी मात्रा में तेल के भंडारण के लिए कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है जिसमें जलधारी परिवहन से तेल प्राप्त किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अपतट पर स्थित और ऐसे स्थल से संबद्ध कोई सुविधा भी है ;

(ज) "टन" से तेल के संबंध में मिट्रिक टन अभिप्रेत है ।

निधि में अभिदाय ।

199. (1) भारत में पत्तनों या सीमांत प्रतिष्ठानों में समुद्री मार्ग द्वारा वहन किए गए अभिदायी तेल के संबंध में निधि में अभिदाय निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अनुसार संदेय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे चाहे अभिदायी तेल आयात किया जाता है या नहीं और इसके होते हुए भी कि किसी पूर्व समुद्री यात्रा पर उसी अभिदात्री तेल के वहन के संबंध में अभिदाय निधि में संदेय है ।

(3) अभिदाय, तेल के संबंध में निधि में उस समय भी संदेय होंगे जब किसी ऐसे देश में जो निधि अभिसमय देश नहीं है, किसी पत्तन या सीमांत प्रतिष्ठान में अभिदायी तेल समुद्री मार्ग द्वारा वहन किए जाने और निस्सारित किए जाने के पश्चात् भारत के किसी प्रतिष्ठान में पहली बार प्राप्त किया जाता है ।

(4) निधि में अभिदायों का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति--

(क) अभिदायी तेल के मामले में जिसे भारत में आयात किया जा रहा है, आयातकर्ता होगा ; या

(ख) किसी अन्य मामले में व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके द्वारा तेल भारत में प्राप्त किया जाता है ।

(5) कोई व्यक्ति किसी वर्ष में उसके द्वारा आयातित या प्राप्त अभिदायी तेल के संबंध में निधि में अभिदाय संदाय करने का दायी नहीं होगा यदि वर्ष में इस प्रकार आयातित या प्राप्त अभिदायी तेल की मात्रा पंद्रह हजार टन से अधिक नहीं है या जैसा निधि अभिसमय में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण--इस धारा की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, "निधि अभिसमय देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें तत्समय निधि अभिसमय प्रवृत्त है ।

निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय अभिदाय ।

200. (1) किसी वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निधि में संदेय अभिदाय,--

(क) ऐसी रकम होगी जो निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अधीन निधि की सभा द्वारा अवधारित की जाए ;

(ख) ऐसी किश्तों में होगा जो ऐसी तारीखों को देय होती हैं जैसी अधिसूचित की जाएं और यदि ऐसे व्यक्ति से ऐसी तारीख से देय कोई रकम उस तारीख के पश्चात् जिसको वे देय हो जाती हैं असंदत्त रहती हैं तो यह उस तारीख से देय होगी जिस पर उसके संदाय किए जाने तक उक्त सभा द्वारा अवधारित दर पर ब्याज लगता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों से जो धारा 197 के अधीन निधि में अभिदायों का संदाय

करने के लिए दायी हैं या दायी हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार या निधि में अभिदायों के संदायों के लिए वित्तीय प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

निधि का दायित्व ।

201. (1) जहां प्रदूषण नुकसान से ग्रस्त कोई व्यक्ति, 1992 दायित्व अभिसमय के अधीन नुकसान के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रतिकर अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहा है वहां निधि ऐसे व्यक्ति को प्रदूषण नुकसान के प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा, यदि,--

(क) 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नुकसान के लिए कोई दायित्व उद्भूत नहीं होता है ;

(ख) 1992 दायित्व अभिसमय के अधीन नुकसान के लिए दायी स्वामी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में वित्तीय रूप से अक्षम है और ऐसी वित्तीय प्रतिभूति, जिसका अभिसमय के अधीन उपबंध किया जाए, नुकसान के लिए प्रतिकर के दावों को आच्छादित नहीं करती है या उनको चुकाने के लिए अपर्याप्त है ;

(ग) नुकसान, 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन उसके अनुसरण में यथा परिसीमित स्वामी के दायित्व से अधिक है ।

(2) प्रदूषण नुकसान को रोकने के लिए या कम करने के लिए स्वामी द्वारा स्वेच्छतया उपगत खर्चे या किए गए त्याग इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रदूषण नुकसान के रूप में माने जाएंगे ।

(3) निधि उपधारा (1) के अधीन कोई बाध्यता उपगत नहीं करेगी,--

(क) यदि वह यह साबित कर देती है कि प्रदूषण नुकसान युद्धकार्य, संघर्ष, गृह युद्ध या विप्लव के परिणामस्वरूप हुआ था या ऐसे तेल द्वारा कारित हुआ था जो राज्य के स्वामित्वाधीन युद्धपोत या अन्य पोत या उसके द्वारा प्रचालित पोत से निकला है या निस्सारित किया हुआ है और जिसे सरकारी गैर वाणिज्यिक सेवा में भी घटना के समय प्रयोग में लाया गया है ; या

(ख) दावाकर्ता यह साबित नहीं कर सकता है कि घटना के परिणामस्वरूप हुए नुकसान में एक या अधिक जलयान अंतवर्लित हैं ।

(4) यदि निधि यह साबित कर देती है कि प्रदूषण नुकसान ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप पूर्णत: या आंशिक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा जिसने नुकसान उठाया है, नुकसान कारित करने के आशय से हुई है या उस व्यक्ति की उपेक्षा से हुई है तो निधि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए अपनी बाध्यता से पूर्णत: या आंशिक रूप से विमुक्त कर सकेगी ।

(5) निधि किसी भी दशा में उस विस्तार तक विमुक्त की जाएगी कि पोत स्वामी को 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विमुक्त कर दिया गया हो :

परंतु निवारक उपायों के संबंध में निधि की ऐसी कोई विमुक्ति नहीं होगी ।

सूचना की मांग करने की शक्ति ।

202. (1) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों के, जो धारा 197 के अधीन प्रत्येक वर्ष निधि में अभिदाय करने के दायी हैं, के नाम और पते निधि में पारेषित करने के प्रयोजन के लिए और उस अभिदायी तेल की मात्रा, जिसके संबंध में वे दायी हैं, सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी सूचना, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना उस रीति को, जिसमें और वह समय जिसमें ऐसी सूचना का अनुपालन किया जाना है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(3) धारा 197 के अधीन देय किसी रकम को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि द्वारा कार्रवाइयों में, निधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारेषित किसी सूची में अंतर्विष्ट विशिष्टियां, जहां तक वे विशिष्टियां इस धारा के अधीन अभिप्राप्त सूचना पर आधारित हैं, सूची में कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी; और जहां तक ऐसी विशिष्टियां, जो ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां की जाती हैं, द्वारा की गई जानकारी के आधार पर इस प्रकार ग्राह्य हैं, तो वे विशिष्टियां तत्प्रतिकूल साबित कर दिए जाने तक सही मानी जाएंगी ।

(4) कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूचना का प्रकटीकरण नहीं करेगा जिसे इस धारा के अधीन उसके द्वारा तब तक प्रस्तुत या अभिप्राप्त नहीं किया गया है, जब तक कि प्रकटीकरण,--

(क) ऐसे व्यक्ति, जिससे सूचना अभिप्राप्त की गई थी, की सहमति से किया जाता है;

(ख) इस धारा के अनुपालन के संबंध में किया जाता है:

(ग) इस धारा के कारण या ऐसी कार्यवहियों की किसी रिपोर्ट के कारण उद्भूत होने वाली किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के विधिक प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

(5) कोई व्यक्ति जो,--

(क) इस धारा के अधीन सूचना का अनुपालन करने से इंकार करता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है ; या

(ख) इस धारा के अधीन सूचना के अनुपालन में कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई कथन करता है जिसकी उसे तात्विक विशिष्टि के रूप में मिथ्या होने की जानकारी है या बिना सोच विचार के ऐसा कोई कथन करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी होगा ।

निधि के विरुद्ध दावे और न्यायालयों की अधिकारिता ।

203. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के लिए निधि के विरुद्ध कोई दावा निधि के समक्ष सीधे ही लाया जाएगा ।

(2) निधि के विरुद्ध किसी दावे के लिए कार्रवाई उच्च न्यायालय के समक्ष की जाएगी ।

(3) जहां प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में कोई कार्रवाई उच्च न्यायालय के समक्ष स्वामी या उसके प्रत्याभू के विरुद्ध की गई है वहां कार्रवाइयों का प्रत्येक पक्षकार कार्यवाहियों के बारे में निधि को अधिसूचित कर सकेगा ।

(4) निधि को स्वामी या उसके प्रत्याभू के विरुद्ध उच्च न्यायालय में संस्थित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के एक पक्षकार के रूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा ।

(5) जहां कार्रवाइयों की ऐसी सूचना निधि को दे दी गई है वहां कार्रवाइयों में दिया गया कोई निर्णय उसके अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाने पर, इस आशय के लिए कि निर्णय में तथ्य और साक्ष्य निधि द्वारा इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं हो सकेंगे, कि उसने कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं किया है, निधि पर आबद्ध कर होगा ।

दावों का निर्वापण ।

204. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन निधि के विरुद्ध दावे को प्रवृत्त करने की कोई कार्रवाई किसी उच्च न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि,--

(क) प्रवृत्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं कर दी जाती है ; या

(ख) उसी प्रदूषण नुकसान के संबंध में स्वामी या उसके प्रत्याभू के विरुद्ध कोई दावा प्रवृत्त करने की कार्रवाई की सूचना नुकसान के होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निधि को नहीं दे दी जाती है :

परंतु दावा प्रवृत्त करने की कोई कार्रवाई ऐसी घटना की, जिससे ऐसा नुकसान कारित हुआ है, तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

प्रत्यासन और अवलंब का अधिकार

205. यथास्थिति, भारत में या निधि में लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि के संबंध में वह प्राधिकारी या निधि किन्हीं ऐसे अधिकारों को, जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस प्रकार प्रतिकर दिया गया है, निधि अभिसमय के अधीन प्रयोग किया गया हो, प्रत्यासन द्वारा अर्जित करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

206. केन्द्रीय सरकार, ऐसे नियम बना सकेगी जो निधि अभिसमय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित हों ।

भाग 10

अन्वेषण और जांच

सामुद्रिक दुर्घटनाएं और उनकी रिपोर्ट ।

207. (1) इस भाग के अधीन अन्वेषणों और जांचों के प्रयोजनों के लिए, सामुद्रिक दुर्घटना या घटनाओं का अनुक्रम, जो निम्नलिखित में से किसी के कारण हुई हैं और भारतीय जलयान तथा भारतीय जलयानों से भिन्न जलयानों की संक्रियाओं के द्वारा या उनके संबंध में प्रत्यक्षत: तब हुई समझी जाएंगी जब--

(क) भारत के तट पर या उसके निकट कोई जलयान खो जाता है, परित्यकत कर दिया जाता है, उत्कूलित हो जाता है या तात्विक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है ;

(ख) भारत के तट पर या उसके निकट कोई जलयान किसी अन्य जलयान को हानि या तात्विक रूप से नुकसान पहुंचाता है

(ग) भारत के तट पर या उसके निकट किसी जलयान को या उसके फलक पर किसी दुर्घटना के कारण या अन्यथा जीवन की कोई हानि हो जाती है या जीवन की हानि हुई मानी जाती है;

(घ) विश्व में कहीं भी किसी भारतीय जलयान के फलक पर भारतीय राष्ट्रिक को किसी दुर्घटना के कारण या अन्यथा जीवन की कोई हानि हो जाती है या जीवन की हानि हुई मानी जाती है;

(ङ) किसी स्थान में किसी भारतीय जलयान को या उसके फलक पर कोई ऐसी हानि परित्यजन, उत्कूलन, तात्विक रूप से हुए नुकसान या ऊपर उल्लिखित जैसी दुर्घटना हो जाती है और भारत में उसका कोई सक्षम साक्षी उपलभ्य है;

(च) कोई भारतीय जलयान खो जाता है या उसके बारे में यह माना जाता है कि वह खो गया है और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें पोत समुद्री यात्रा पर अग्रसर हुआ था या उसके बारे में अंतिम बार सुना गया था भारत में कोई साक्ष्य उपलब्ध है;

(छ) राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अनन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के भीतर किसी स्थान पर प्रदूषण या पर्यावरण के लिए जलयान को ऐसे प्रदूषण की संभाव्य आशंका या पर्यावरण के लिए भारी नुकसान या पर्यावरण को भारी नुकसान की संभावना होती है । 1976 का 80

(ज) जब ऐसा जलयान भारत के तट पर या उसके निकट है तब विश्व में कहीं भी किसी भारतीय जलयान में आग लग जाती है या उसमें विस्फोट हो जाता है या भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान में आग लग जाती है या उसमें विस्फोट हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित मामलों में जलयान का स्वामी प्रबंधक, प्रचालक, कंपनी,

पायलट, बंदरगाह, मास्टर या यथास्थिति भारसाधक अन्य व्यक्ति, या सामुद्रिक दुर्घटना के समय प्रत्येक जलयान का भारसाधक (जहां दो जलयान संबंधित हैं), घटना के चौबीस घंटों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी को सामुद्रिक दुर्घटना की सूचना देगा ।

(3) जब कभी कोई ऐसा अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सामुद्रिक दुर्घटना की सूचना प्राप्त करता है तो वह तुरंत केन्द्रीय सरकार को लिखित में रिपोर्ट करेगा और सामुद्रिक दुर्घटना में प्रारंभिक जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा घटना में स्वतंत्र जांच के पूरे हो जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा अभिसमय के अनुसार समुद्री सुरक्षा अन्वेषण संचालित करने के लिए निकाय नियुक्त कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त निकाय, सामुद्रिक दुर्घटना का आरंभिक मूल्यांकन करेगा और उसके कारणों तथा परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा अन्वेषण संचालित करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस भाग के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" शब्द का वही अर्थ है जो धारा 111 के खंड (क) में उसका है

केन्द्रीय सरकार की कार्यवाहियां आरंभ करने की शक्ति ।

208. धारा 207 की उपधारा (5) के अधीन रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर, या अन्यथा, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति द्वारा की गई असक्षमता, किया गया अवचार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन विद्यमान है तो वह--

(क) प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ कर सकेगी ; और

(ख) ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को, जो किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों पर, अधिकारिता रखता है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध के अनुसार अपेक्षित हो, को निदेश दे सकेगी ।

समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रमाणपत्र को रद्द करने, निलंबित करने आदि की शक्ति ।

209. केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी,--

(क) यदि जांच रिपोर्ट या अन्वेषण रिपोर्ट यह प्रकट करती है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक सक्षम है या कदाचार का दोषी रहा है;

(ख) टक्कर के मामले में समुद्र यात्रा वृत्तिक सहायता प्रदान में असफल रहा है ;

(ग) यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या भारत में या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किए गए किसी अजमानतीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(घ) समुद्र यात्रा वृत्तिक के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण दुर्घटना, यदि कोई हो, कारित की गई हो ;

(ङ) यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक जिसको इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन देने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

पुन: सुनवाई ।

210. जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण या जांच की गई है तो केन्द्रीय सरकार मामले की या तो साधारणतया या उसके किसी भाग की पुन: सुनवाई किए जाने के लिए

आदेश कर सकेगी और ऐसा आदेश करेगी,--

(क) यदि नया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जो अन्वेषण के समय पेश किया जा सकता था, प्रकट किया गया है ; या

(ख) यदि किसी अन्य कारण से, उसकी राय में न्याय की हत्या हुई है ।

भाग 11

ध्वंसावशेष और उद्धारण

अध्याय-1

ध्वंसावशेष

इस अध्याय का ध्वंसावशेषों को लागू होना ।

211. यह अध्याय भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर या उससे संलग्न किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अधीन अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो, अवस्थित ध्वंसावेशों को लागू हो: 1976 का 80

परंतु यह भाग निम्नलिखित को लागू नहीं होगा--

(क) तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र पर मध्यक्षेप से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अधीन किए गए उपाय;

(ख) वाणिज्येतर सेवा के लिए सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा परिचालित कोई युद्धपोत या अन्य जलयान ।

परिभाषाएं ।

212. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभावित देश" से वह देश अभिप्रेत है जिसके अभिसमय क्षेत्र में ध्वंसावशेष अवस्थित है ;

(ग) "अभिसमय" से यथा संशोधित ध्वंसावशेष निवारण संबंधी नैरोबी अभिसमय 2007 अभिप्रेत है ;

(घ) "अभिसमय क्षेत्र" से किसी राज्य पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थापित अनन्य आर्थिक क्षेत्र या यदि किसी राज्य पक्षकार द्वारा ऐसा क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है तो उस राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार अवधारित उस राज्य के राज्यक्षेत्रीय सागर से परे और उससे जुड़ी तथा उस आधार रेखा से, जिससे उसके राज्यक्षेत्रीय सागर की चौड़ाई मापी जाती है, दो सौ समुद्री मील से अनधिक की सीमा तक का क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ड) "परिसंकट" से ऐसी कोई दशा या आशंका अभिप्रेत है--

(i) जिससे नौपरिवहन के लिए खतरा या अड़चन पैदा होती है; या

(ii) जिसके परिणामस्वरूप युक्तियुक्त रूप से भारत के या किसी अन्य देश के सामुद्रिक पर्यावरण के भारी अपहानिकर परिणाम सामने आने, उसके तटीय रेखा या संबंधित हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है;

(च) "सामुद्रिक दुर्घटना" से पोतों की कोई टक्कर, नौपरिवहन का उत्कूलन या अन्य घटना अथवा पोत के फलक पर या उसके बाहर अन्य घटना अभिप्रेत है जिसके

परिणामस्वरूप किसी पोत या उसके स्थोरा को तात्विक नुकसान होता है या तात्विक नुकसान होने की आसन्न आशंका उद्भूत होती है;

(छ) "पोत के परिचालक" से पोत का स्वामी या ऐसा कोई अन्य संगठन या व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रबंधक या अनावृत्त नौका चार्टरर भी है, अभिप्रेत है जिसने पोत के परिचालन का उत्तरदायित्व पोत के स्वामी से लिया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व लेने पर, यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध संहिता के अधीन स्थापित सभी कर्तव्यों को करने और उत्तरदायित्वों को निभाने का करार किया है;

(ज) "ध्वंसावशेष का प्रापक" से धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण न होने की दशा में सामुद्रिक दुर्घटना के समय पोत का स्वामित्व रखने वाला या वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं :

परंतु ऐसे किसी पोत की दशा में, जिसका स्वामी कोई राज्य है या उसका परिचालन उस कंपनी द्वारा किया गया है जो उस राज्य में पोत के परिचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत होगी;

(ञ) "संबंधित हित" से किसी ध्वंसावशेष से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित या संकटग्रस्त भारत के हित, अभिप्रेत है,--

(i) सामुद्रिक तटीय, पत्तन और सागर संगमीय क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत मत्स्य क्रियाकलाप भी हैं, जो संबंधित व्यक्तियों की जीविका के अनिवार्य साधन के रूप में हैं;

(ii) संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन आकर्षण और अन्य आर्थिक हित ;

(iii) तटीय जनसंख्या का स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्र की भलाई जिसके अंतर्गत समुद्री जीवन स्रोत और वन्य जीवन का संरक्षण भी है ; और

(iv) अपतटीय और जल के नीचे की अवसंरचना ;

(ट) "हटाए जाने" से किसी ध्वंसावशेष से पैदा हुए परिसंकट के निवारण, शमन या विलोपन का कोई रूप अभिप्रेत है और "हटाना", "हटाया गया" और "हटाया जाना" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) "पोत" से किसी भी प्रकार का कोई भी समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफोइल नोकाएं, एयरकुशन यान, निमज्जक, तरुण-यान या तरुण प्लेटफार्म भी हैं, सिवाय उस दशा के जब ऐसे प्लेटफार्म समुद्रतल खनिज संपदा की खोज, विदोहन या उत्पादन में लगे अवस्थान पर हों,;

(ड) "पोत की रजिस्ट्री का राज्य" से--

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में पोत के रजिस्ट्रीकरण का देश, और

(ii) अरजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में, वह देश, जिसका ध्वज वह पोत लगाने का हकदार है, अभिप्रेत है;

(ढ) "ध्वंसावशेष" से सामुद्रिक दुर्घटना के संबंध में से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) निमग्न या उत्कूलित पोत ;

(ii) किसी निमग्न या उत्कूलित पोत का कोई भाग, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु या माल या स्थोरा भी है जो ऐसे किसी पोत के फलक पर है या रहा है ;

(iii) ऐसी कोई वस्तु या माल या स्थोरा, जो किसी पोत से समुद्र में गुम हो गया है और जो समुद्र में उत्कूलित है, निमग्न है या बह रहा है ;

(iv) ऐसा कोई पोत जो संकट में है या जो डूबने या उत्कूलिक होने वाला है या जिसके युक्तियुक्त रूप से डूबने या उत्कूलिक होने की संभावना है, जहां पोत को या खतरे में की किसी संपत्ति को सहायता पहुंचाने के लिए पहले से कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं ; या

(v) ऐसा परित्यक्त पोत जिसके वापस मिलने की आशा या वापस लेने का आशय नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, इस बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कि क्या पोत या खतरे में की किसी संपत्ति को सहायता पहुंचाने के लिए अंगीकृत उपाय प्रभावपूर्ण रूप से किए जा रहे हैं अथवा नहीं, महानिदेशक द्वारा किया जाएगा ।

ध्वंसावशेष के प्रापक ।

213. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ध्वंसावशेष को प्राप्त करने और उस पर कब्जा लेने तथा उससे संबंधित ऐसे कर्तव्यों का ऐसी परिसीमा के भीतर, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पालन करने के लिए, जो इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित हैं, ध्वंसावशेष के प्रापक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

(2) ध्वंसावशेष का प्रापक उसके संबंध में सभी शक्तियों सहित जिसके अंतर्गत इस अध्याय में यथा उपबंधित ध्वंसावशेष के निपटान या विक्रय की शक्ति, सूचनाएं देने की शक्ति, जलयान के स्वामी, प्रचालक, बीमाकर्ता द्वारा बाध्यताओं के पालन को प्रवृत्त करने की शक्ति भी हैं, ध्वंसावशेष को प्राप्त करेगा और उसका कब्जा लेगा तथा ऐसी कार्रवाई करेगा जो अति व्यवहारिक, और उपलब्ध त्वरित साधनों द्वारा और जो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षा की बातों से संगत हो, ध्वंसावशेष को हटाने के लिए अपेक्षित है ।

ध्वंसावशेषों की रिपोर्ट देने का कर्तव्य ।

214. (1) जब कोई भारतीय पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह अध्याय लागू होता है, कोई ध्वंस होता है तो पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट ध्वंसावशेष के प्रापक को और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देगी ।

(2) जब कोई भारतीय पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश के अभिसमय क्षेत्र में कोई ध्वंस हो जाता है तो उस पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट प्रभावित देश को ऐसी रीति से, जैसी उस देश द्वारा अपेक्षित है, अविलंब देगा और उस घटना की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भी देगा ।

(3) जब भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में, जिसको यह अध्याय लागू होता है, ध्वंस हो जाता है तो पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट ध्वंसावशेष के प्रापक को और केन्द्रीय सरकार को अविलंब देगा ।

परिसंकट का अवधारण ।

215. इस बात का अवधारण करने के लिए कि क्या कोई ध्वसांवशेष परिसंकट प्रस्तुत करता है अथवा नहीं, निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ध्वसांवशेष की किस्म, आकार और संरचना ;

(ख) क्षेत्र में जल की गहराई ;

(ग) क्षेत्र में ज्वारीय रेंज और प्रवाह ;

(घ) संरक्षित क्षेत्रों, जिनके अंतर्गत मूंगा चट्टानें और सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य क्षेत्र भी हैं, से निकटता

(ङ) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अभिहित और पहचान किए गए और यथा उपयुक्त विशिष्ट रूप से संवेदनशील समुद्रीक्षेत्र या ऐसे किसी अनन्य आर्थिक जोन में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र जहां समुद्री विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 की अपेक्षाओं के अनुसार विशेष आज्ञापक उपायों को अंगीकृत किया गया है ;

(च) पोत परिवहन मार्गों या स्थापित यातायात पथों से निकटता ;

(छ) यातायात घनत्व और प्रायिकता ;

(ज) यातायात की किस्म ;

(झ) ध्वसांवशेष के पोत भार की प्रकृति और परिमाण, ध्वसांवशेष के फलक पर तेल (जैसे कि बंकर तेल और स्नेहक तेल) का परिमाण और किस्म और विशेष रूप से ऐसा संभावित नुकसान, जो यदि पोत भार या तेल को समुद्री पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप कारित हो सकता है ;

(ञ) पत्तन और पत्तन प्रसुविधाओं की भेद्यता ;

(ट) विद्यमान मौसम विज्ञान संबंधी और जलराशि संबंधी परिस्थितियां ;

(ठ) क्षेत्र की अंत:समुद्री स्थलाकृति ;

(ड) निम्नतम खगोलीय ज्वार के समय जल की सतह से ऊपर या नीचे ध्वंसावशेष की ऊचांई ;

(ढ) ध्वंसावशेष के ध्वनिक और चुंबकीय प्रोफाइल ;

(ण) अपतटीय प्रतिष्ठापनों, पाइपलाइनों, दूरसंचार तारों और समान प्रकार की संरचनाओं से निकटता ;

(त) पर्यटन स्थलों और विरासत अवस्थानों से निकटता ; और

(थ) ऐसे कोई अन्य परिस्थितियां, जो ध्वंसावशेष के हटाए जाने को आवश्यक बनाती हों ।

ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाना और उसे चिन्हित करना ।

216. (1) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो ध्वंसावशेष के किसी प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रकाश स्तंभ या पत्तन प्राधिकरण या किसी समुद्री बोर्ड या भारतीय तटरक्षक का महानिदेशक भी है, उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर ध्वंसावशेष का पता लगाने या उसे चिन्हित करने या दोनों कार्य करने के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) जहां किसी ध्वंसावशेष को परिसंकटमय के रूप में अवधारित किया गया है, वहां ऐसे जलयान के स्वामी या प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह,--

(क) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसकी स्वयं की लागत पर तुरंत ध्वंसावशेष को चिन्हित करे ;

(ख) ऐसे चिन्हांकन को तब तक बनाए रखे जब तक कि ध्वंसावशेष को हटा नहीं दिया

जाता ।

3. जलयान के स्थान का पता लगाने और उसे चिन्हित करने की लागत का वहन ऐसे किसी जलयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा किया जाएगा या उससे उसकी वसूली की जाएगी ।

आसन्न क्षेत्रों से गुजरने की शक्ति ।

217. (1) जब कभी किसी जलयान का ध्वंस हो जाता है या वह भूग्रस्त हो जाता है या किसी संकट में होता है तो वहां सभी व्यक्ति, पोत को सहायता प्रदान करने या ध्वस्त हुए पोत पर के व्यक्तियों के जीवन को बचाने के या जलयान के पोत भार या उपस्कर को बचाने के प्रयोजन के लिए, जब तक कि समान रूप से सुविधापूर्ण गुजरने और पुन:गुजरने, चाहे वह यानों या पशुओं सहित हो अथवा उनके रहित हो, कोई सार्वजनिक सड़क न हो, तब तक वे आसन्न भूमियों से, उनके स्वामी या अधिभोगियों द्वारा बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से गुजर सकेंगे, जिससे कि यथासंभव रूप से कम नुकसान कारित हो और वे परिस्थिति के अनुसार जलयान से निकाले गए किसी स्थोरा या अन्य वस्तु को उन भूमियों पर रख सकेंगे ।

(2) इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी स्वामी या कब्जाधारी को हुआ कोई नुकसान ऐसे जलयान, स्थोरा या वस्तुओं पर प्रभार होगा, जिनके संबंध में या जिनके द्वारा नुकसान कारित हुआ है और किसी विवाद की दशा में ऐसे किसी नुकसान के संबंध में संदेय रकम का अवधारण किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर किया जाएगा ।

ध्वंसावशेष के संबंध में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध ।

218. कोई भी व्यक्ति–

(क) मास्टर की अनुमति के बिना किसी ऐसे जलयान के फलक पर तब तक सवार नहीं होगा या सवार होने का प्रयास नहीं करेगा, जो कि ध्वस्त या भूग्रस्त हो गया है या जो संकट में है, जब तक कि वह व्यक्ति ध्वंसावशेष का प्रापक न हो या उसकी कमान के अधीन कार्य न कर रहा हो ; या

(ख) किसी भी प्रकार से किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसे यह अध्याय लागू होता है, किसी भूग्रस्त जलयान को या ऐसे जलयान को, जिसके भूग्रस्त होने का खतरा है या जो अन्यथा संकटग्रस्त है, या स्थोरा के किसी भाग या जलयान के किसी उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष को बचाने के कार्य में बाधा नहीं डालेगा या रुकावट नहीं डालेगा या बाधा या रुकावट डालने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करेगा; या

(ग) किसी ध्वंसावशेष को छिपा कर नहीं रखेगा या उस पर लगे किसी चिन्ह को विकृत नहीं करेगा या उसे नहीं मिटाएगा ; या

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में जिसे यह अध्याय लागू होता है, किसी भूग्रस्त जलयान के या ऐसे जलयान के जिसके भूग्रस्त होने का खतरा है या जो अन्यथा संकटग्रस्त है, किसी भाग या स्थोरा के किसी भाग या जलयान के किसी उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष को सदोष दूर नहीं ले जाएगा या उसे वहां से नहीं हटाएगा ।

ऐसी दशा में तलाशी वारंट जहां ध्वंसावशेष अंतर्वलित है ।

219. जहां ध्वंसावशेष के किसी प्रापक को यह संदेह होता है या उसे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि ध्वंसावशेष को छिपाया गया है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जो उसका स्वामी नहीं है या यह कि ध्वंसावशेष के साथ अन्यथा अनुचित रूप से कार्यवाही की गई है तो वह यथास्थिति निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या किसी महानगर मजिस्ट्रेट को तलाशी वारंट के लिए आवेदन कर सकेगा और यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसा वारंट मंजूर करने की शक्ति होगी तथा ध्वंसावशेष का प्रापक ऐसे वारंट के कारण किसी गृह या किसी अन्य स्थान में, चाहे वह कहीं भी स्थित हो और साथ ही किसी जलयान में भी प्रवेश कर सकेगा और ध्वंसावशेष के लिए तलाशी ले सकेगा और इस प्रकार पाये गए किसी ध्वंसावशेष का अभिग्रहण कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा ।

ध्वंसावशेष को

220. (1) जब इस बात का अवधारण किया जाता है कि कोई ध्वंसावशेष परिसंकटमय है तो

हटाने को सुकर बनाने के लिए उपाय ।

ध्वंसावशेष का प्रापक केंद्रीय सरकार को ब्यौरेवार सूचना प्रदान करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर–

(क) जलयान रजिस्ट्रीकरण के देश की सरकार और जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सूचित करेगी ; और

(ख) जलयान रजिस्ट्रीकरण के देश की सरकार और ऐसे अन्य देशों के साथ, जो ध्वंसावशेष के कारण प्रभावित हुए हैं, ऐसे ध्वंसावशेष के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श करेगी ।

(3) यथास्थिति, जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या जलयान का प्रचालक ऐसे किसी ध्वंसावशेष को हटाएगा, जिसका परिसंकटमय के रूप में अवधारण किया गया है :

परंतु जहां इस बारे में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई ध्वंसावशेष परिसंकट गठित करता है अथवा नहीं, वहां केंद्रीय सरकार का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(4) जब किसी ध्वंसावशेष के बारे में यह अवधारण किया गया है कि वह परिसंकट को गठित करता है, वहां, यथास्थिति जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या कोई हितबद्ध व्यक्ति केंद्रीय सरकार या ध्वंसावशेष के प्रापक को, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रखे गए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का साक्षय प्रस्तुत करेगा ।

(5) ध्वंसावशेष का प्रापक, परिसंकट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी समयसीमा नियत करेगा, जो जलयान के स्वामी या उसके प्रचालक द्वारा ध्वंसावशेष को हटाने के लिए विहित की जाए ।

(6) यदि जलयान का स्वामी या उसका प्रचालक, उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ध्वंसावशेष को नहीं हटाता है तो ध्वंसावशेष का प्रापक, ऐसे स्वामी या प्रचालक के व्यय पर, और सर्वाधिक व्यवहार्य और उपलब्ध त्वरित उपायों द्वारा जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए संगत हों, ध्वंसावशेष को हटाएगा और ऐसा ध्वंसावशेष या उसके विक्रय से उदभूत कोई आगम केंद्रीय सरकार की संपत्ति हो जाएंगे ।

(7) जहां तुरंत कार्रवाइ करना अपेक्षित है और ध्वंसावशेष के प्रापक ने तदनुसार जलयान के स्वामी या प्रचालक को सुचना दे दी है, वहां वह ऐसे स्वामी या प्रचालक के व्यय पर और सर्वाधिक व्यवहार्य और उपलब्ध त्वरित उपायों द्वारा जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए संगत हों, ध्वंसावशेष को हटाएगा ।

स्वामी का दायित्व ।

221. (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी तब तक इस भाग के अधीन ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाने, उसे चिन्हित करने और उसे हटाने की लागत के लिए दायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह समुद्री दुर्घटना, जिसके कारण पोत ध्वस्त हुआ था, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप घटित हुई थी,--

(क) किसी युद्ध की कार्रवाई, शत्रुकार्य, सिविल युद्ध, विप्लव के कारण या किसी अपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य स्वरूप की किसी प्राकृतिक घटना के कारण ; या

(ख) पूर्ण रूप से किसी तृतीय पक्षकार द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी करण या लोप के कारण ; या

(ग) लाइटों या अन्य नौ परिवहन सहायक सामग्रियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण के, उस कृत्य के निर्वाहन में की गई किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्रवाई के कारण ।

(2) इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात रजिस्ट्रीकृत स्वामी के धारा 155 के उपबंधों के

अनुसरण में उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(3)) इस भाग में अंतर्विष्ट कोई बात रजिस्ट्रीकृत स्वामी को किसी तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उपलब्ध किसी अधिकार का अवलंब लेने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।

बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों को बनाए रखना ।

222. (1) तीन सौ या अधिक के सकल टन भार वाले किसी भारतीय पोत का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी, इस भाग के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अनिवार्य बीमा कवर या ऐसी कोई अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा, जो विहित की जाए ।

(2) तीन सौ या अधिक के सकल टन भार वाले किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक, जब कभी वह जलयान ऐसे क्षेत्र में हो जिसे यह भाग लागू होता है, अभिसमय के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा कवर या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा और फलक पर यह अनुप्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र रखेगा कि ऐसा बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन में है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को,--

(क) किसी भारतीय जलयान की दशा में प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा ;

(ख) भारत से भिन्न किसी अभिसमय देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान को उस देश की सरकार के प्राधिकरण के द्वारा या उसके अधीन जारी किया जाएगा ; और

(ग) ऐसे किसी जलयान की दशा में जो किसी ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है जो कोई अभिसमय देश नहीं है , किसी अभिसमय देश द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी या प्रमाणित किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई जलयान प्राधिकरण द्वारा निरुद्ध किए जाने का दायी होगा ।

(5) इस भाग के अधीन उद्भूत होने वाले लागतों संबंधी किसी दावे को प्रत्यक्ष रूप से बीमाकर्ता या रजिस्ट्रीकृत स्वामी के दायित्वों के लिए वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लाया जाएगा और उस दशा में, बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रतिरक्षाओं (रजिस्ट्रीकृत स्वामी के दिवाले या परिसमापन से भिन्न) का अवलंब ले सकेगा, जिनका अवलंब लेने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी हकदार होता और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा उपबंधित दायित्व की परिसीमा भी है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत स्वामी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायित्व की परिसीमा के लिए हकदार नहीं है, वहां बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति दायित्व को ऐसी रकम तक सीमित कर सकेगा जो उपधारा (1) के अधीन बनाए रखने के लिए अपेक्षित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की रकम के बराबर हो :

परंतु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति इस प्रतिरक्षा का अवलंब ले सकेगा कि समुद्री दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत स्वामी के सदोष अवचार के परिणामस्वरूप घटित हुई है किंतु उस समय वह किसी अन्य प्रतिरक्षा का अवलंब नहीं लेगा, जिसका अवलंब लेने के लिए ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा उसके विरुद्ध लाई गई कार्यवाहियों में हकदार होता :

परंतु यह भी कि बीमाकर्ता या ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी को ऐसी कार्यवाहियों में संयोजित किया जाए ।

दायित्व का अपवाद ।

223. (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी इस अध्याय के अधीन उस समय और उस सीमा तक, धारा 222 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट लागतों की पूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा यदि ऐसी लागतों के लिए दायित्व निम्नलिखित से विरोधाभासी है,--

(क) इस अधिनियम के किसी अन्य अध्याय या उपबंधों ;

(ख) नाभकीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के उपबंधों ; या 2010 का 38

(ग) किसी अन्य लागू या बाध्यकर ऐसी अंतरराष्ट्रीय विधिक लिखत, जिसे भारत अंगीकृत करता है ।

(2) जहां इस भाग के अधीन कोई उपाय किए गए है, वहां उस सीमा तक, जिस तक ऐसे उपायों को धारा 229 के उपबंधों के अधीन उद्धारण समझा जाता है, उक्त धारा 229 के उपबंध उद्धारकों को संदेय पारिश्रमिक या प्रतिकर के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंधों का, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के साथ सामंजस्य पूर्ण अर्थान्वयन किया जाएगा और किसी संदिग्धता या विरोध की दशा में उक्त अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे । 1908 का 15

ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे ।

224. (1) प्रापक के कब्जाधीन ध्वंसावशेष का स्वामी उस तारीख से जिसको ध्वंसावशेष प्रापक के कब्जे में आया है, एक वर्ष के भीतर प्रापक के समाधानप्रद रूप से अपना दावा स्थापित करने पर और उद्धारण तथा अन्य प्रभारों का संदाय करने पर, ध्वंसावशेष को प्राप्त करने का या उसके आगमों का उसे परिदान किए जाने का हकदार होगा ।

(2) जहां किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी ध्वस्त जलयान को या उसकी भागरूप कोई वस्तुएं या स्थोरा किसी ऐसे क्षेत्र पर पाई जाती हैं, जिसे यह अध्याय लागू होता है, या भारत में किसी पत्तन में लाई जाती हैं तो उस देश का कौंसलीय आफिसर, जिसमें जलयान रजिस्ट्रीकृत है या स्थोरा की दशा में , स्थोरा के स्वामी के देश का कौंसलीय आफिसर, स्वामी और मास्टर अथवा स्वामी के अन्य अभिकर्ता की अनुपस्थिति में, वस्तुओं की अभिरक्षा और व्ययन के संबंध में, स्वामी का अभिकर्ता समझे जाएंगे ।

(3) यदि ध्वंसावशेष का स्वामी विक्रय की तारीख से एक वर्ष के भीतर हाजिर नहीं होता और विक्रय के आगमों के बकाया का दावा नहीं करता तो उक्त बकाया केंद्रीय सरकार की संपत्ति हो जाएगा ।

लागतों की वसूली के दावों के अधिकार का निर्वापन ।

225. धारा 214 की उपधारा (2) के अधीन किसी जलयान के स्थान का पता लगाने और उसे चिन्हित करने की लागतों की वसूली के लिए कोई दावा, परिसंकट के अवधारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु कोई दावा उस तारीख से, जिसको समुद्री दुर्घटना घटित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पोत ध्वस्त हुआ था, छह वर्षों के पश्चात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां समुद्री दुर्घटना में घटनाओं की कोई श्रृंखला अंतर्वलित है वहां छह वर्ष की अवधि पहली घटना की तारीख से प्रारंभ होगी ।

अध्याय 2

उद्धारण

इस अध्याय का उद्धारण को लागू होना ।

226. (1) यह अध्याय किसी जलयान या किसी अन्य संपत्ति के संबंध में उद्धारण प्रचालनों से संबंधित ऐसी न्यायिक या माध्यस्थम कार्यवाहियों को लागू होता है, जिन्हें भारत में संस्थित किया गया है :

परंतु यह अध्याय स्थिर या प्लवमान मंचों या चल अपतटीय बर्माना इकाइयों को लागू नहीं होगा, जब ऐसे मंच या इकाइयां उस अवस्थान पर समुद्र तल में स्थित खनिज संसाधनों की खोज, दोहन या उत्पादन में लगी हैं :

परंतु यह और कि यह अध्याय सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा प्रचालित युद्धपोतों या अन्य गैर वाणिज्यिक जलयानों को लागू नहीं होगा, जो उद्धारण प्रचालनों के समय संप्रभु

उन्मुक्ति के लिए हकदार हैं ।

(2) यह अध्याय इस बात के होते हुए भी कि उद्धारण प्रचालन करने वाला जलयान उसी जलयान के स्वामी का है, लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

227. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "पर्यावरण को नुकसान" से तटीय क्षेत्रों या अंतर्देशीय जलों या इनके आसन्न क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य या संसाधनों के समुद्री जीवन को प्रदूषण, संदूषण, अग्नि, विस्फोट या अन्य समान प्रकार की प्रमुख घटनाओं द्वारा कारित सारवान भौतिक नुकसान अभिप्रेत है ;

(ख) "संदाय" से उद्धारण अभिसमय के अधीन कोई पुरस्कार, पारिश्रमिक या शोध्य प्रतिकर अभिप्रेत है ;

(ग) "संपत्ति" से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है जो अस्थायी रूप से और आशयपूर्वक तट रेखा से जुड़ी है और इसके अंतर्गत जोखिम पर मालभाड़ा भी है ;

(घ) "उद्धारण अभिसमय" से उद्धारण संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1989 अभिप्रेत है ;

(ङ) "उद्धारण प्रचालन" से ऐसा कोई कार्य या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसे किन्हीं नौ परिवहनीय जलों या ऐसे अन्य जलों में, जिन्हें यह अध्याय लागू होता है, संकट में फंसे किसी जलयान या किसी अन्य संपत्ति की सहायता करने के लिए किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(i) किसी ऐसे जलयान को जो डूब गया है, ध्वस्त, भूग्रस्त हो गया है या जिसका परित्याग कर दिया गया है, ढाने, हटाने, नष्ट करने या उसे अहानिकर बनाने, जिसके अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु भी है, जो ऐसे जलयान के फलक पर विद्यमान है या रही है ;

(ii) किसी जलयान के स्थोरा को हटाना या नष्ट करना या उसे अहानिकर बनाना ;

(iii) किसी जलयान या उसके स्थोरा या दोनों को होने वाली हानि का निवारण करने या उसे न्यूनतम करने के लिए किए गए उपाय ; और

(iv) ऐसी कोई अन्य उद्धारण सेवाएं ;

(च) "उद्धारकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उद्धारण प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रहा है ;

(छ) "जलयान" से ऐसा कोई पोत या यान या कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो नौपरिवहन की क्षमता रखती है ।

उद्धारण पुरस्कार ।

228. ऐसे प्रत्येक मास्टर को जो समुद्र में खो जाने का जोखिम रखने वाले किसी व्यक्ति या संपत्ति को सहायता प्रदान करता है, ऐसी सहायता के लिए उद्धारण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ।

जलयान, स्थोरा ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।

229. (1) जहां--

(क) भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र के भीतर किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए पूर्णतया या भागत: या कहीं अन्यत्र भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए ;

(ख) किसी ऐसे स्थान पर, जिसको धारा 226 में यथाविनिर्दिष्ट रूप से यह अध्याय लागू होता है, ध्वस्त या उत्कूलित या संकट में पड़े हुए जलयान को सहायता देने या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को बचाने के लिए ;

(ग) किसी ध्वंसावशेष को बचाने के लिए ध्वंसावशेष के प्रापक से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा,

सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहां जलयान, स्थोरा, उपस्कर के स्वामी द्वारा उद्धारकर्ता को, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उद्धारण के लिए एक युक्तियुक्त राशि देय होगी ।

(2) जब जलयान के स्वामी द्वारा जीवन के परिरक्षण के संबंध में कोई उद्धारण राशि देय है तो उसे उद्धारण के अन्य सभी दावों पर पूर्विकता प्रदान की जाएगी ।

सरकार या पत्तन और लोक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित उद्धारण प्रचालन ।

230. जहां उद्धारण प्रचालन, यथास्थिति, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या भारतीय नौसेना या तटरक्षक के किसी जलयान द्वारा या किसी ऐसे जलयान के कमांडर या कर्मीदल द्वारा या पत्तन प्राधिकारियों या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, वहां वह उद्धारण राशि और इस अध्याय के अधीन उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के लिए संदाय का हकदार होगा और उन सेवाओं के संबंध में उसे वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो किसी अन्य उद्धारकर्ता को प्राप्त हैं ।

उद्धारण संविदाएं ।

231. (1) धारा 232 में अंतर्विष्ट उपबधों के अधीन रहते हुए यह अध्याय किसी उद्धारण प्रचालन को, उस सीमा तक के सिवाय, जहां तक संविदा में अभिव्यक्त रूप से या विवक्षा द्वारा अन्यथा उपबंधित है, लागू होंगे ।

(2) मास्टर के पास जलयान के स्वामी की ओर से उद्धारण प्रचालनों के लिए संविदाओं को निष्पादित करने का प्राधिकार होगा ।

(3) जलयान के मास्टर या स्वामी के पास जलयान के फलक पर संपत्ति के स्वामी की ओर से ऐसी संविदाओं को निष्पादित करने का प्राधिकार होगा ।

उद्धारकर्ता, स्वामी और मास्टर के कर्तव्य ।

232. (1) किसी उद्धारकर्ता के, जलयान के स्वामी या किसी संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) उद्धारण प्रचालनों को सम्यक सावधानी से करना ;

(ख) उद्धारण प्रचालनों के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण या उसे न्यूनतम करने के लिए सम्यक सावधानी बरतना ;

(ग) जब परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें तो अन्य उद्धारकर्ताओं, जिनके अंतर्गत पत्तन प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी भी है, से सहायता लेना ; और

(घ) जब जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से ऐसा अनुरोध किया जाए तो अन्य उद्धारकर्ताओं के हस्तक्षेप को स्वीकार करना :

परंतु यदि यह पाया जाता है कि ऐसा अनुरोध अनुचित था तो वह ऐसे उद्धारकर्ता के पुरस्कार की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(2) जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी के उद्धारकर्ता के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) उद्धारण प्रचालनों के अनुक्रम के दौरान उद्धारकर्ता के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करना ;

(ख) उद्धारण प्रचालनों के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण या उसे न्यूनतम करने के लिए सम्यक सावधानी बरतना ;

(ग) जब जलयान या अन्य संपत्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर लाया गया है तो

उद्धारकर्ता द्वारा युक्तियुक्त रूप से ऐसा अनुरोध किए जाने पर उसके पुन: प्रदाय को स्वीकार करना ; और

(घ) किसी दावे, जिसके अंतर्गत उद्धारण प्रचालनों के लिए उद्धारकर्ता का ब्याज और लागतें भी हैं, के संबंध में उद्धारकर्ता के अनुरोध पर संतोषप्रद प्रतिभूति उपलब्ध कराना ।

उद्धारण प्रचालनों के संबंध में केंद्रीय सरकार के अधिकार और कर्तव्य ।

233. (1) केंद्रीय सरकार, प्रदूषण या किसी समुद्री दुर्घटना से उदभूत होने वाले प्रदूषण के खतरों या ऐसी किसी दुर्घटना से संबंधित ऐसे कार्यों जिसके परिणामस्वरूप कोई प्रमुख हानिप्रद परिणाम सामने आ सकते हैं, से अपनी तट रेखा या संबद्ध हितों की संरक्षा हेतु विहित किए जाने वाले उपायों को कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, किन्हीं उद्धारण प्रचालनों के संबंध में किसी संबद्ध जलयान के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या किसी पत्तन प्राधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे निदेश देगी जो वह उचित समझे ।

(3) केंद्रीय सरकार, दक्ष और प्रभावी उद्धारण प्रचालनों, संकटग्रस्त जीवन या संपत्ति को बचाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण करने के प्रयोजनों के लिए, संबद्ध जलयान के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या पत्तन प्राधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी जलयान को, जिसे सहायता की आवश्यकता है, सहायता देने, संकटग्रस्त या सहायता की आवश्यकता रखने वाले जलयान को पत्तनों में प्रवेश देने या उद्धारकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहयोग की ईप्सा करेगी।

उद्धारकर्ताओं के अधिकार ।

234. (1) किसी उद्धारकर्ता को उसके द्वारा उद्धारण प्रचालनों के संबंध में दी गई सेवाओं के लिए संदाय का अधिकार होगा :

परंतु ऐसा कोई संदाय वहां नहीं किया जाएगा, जहां किसी संकटग्रस्त जलयान के स्वामी या मास्टर या किसी अन्य संपत्ति के स्वामी की ओर से कोई अभिव्यक्त और युक्तियुक्त प्रतिषेध है ।

(2) पुरस्कारों का दावा करने के लिए मानदंड, पुरस्कारों की राशि नियत करने की रीति, विशेष प्रतिकर के संदाय, उद्धारकर्ताओं के बीच संदाय के प्रभाजन, व्यक्तियों के उद्धारण, संविदा के अधीन संदाय, संविदा के अधीन न आने वाली अतिरिक्त सेवाओं के लिए संदाय की रीति और पुरस्कार प्राप्त करने पर या इस अध्याय के अधीन कोई संदाय प्राप्त करने पर उद्धारकर्ताओं के अवचार का प्रभाव ऐसा होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) उद्धारकर्ता के पास, किसी जलयान के स्वामी या मास्टर या संकटग्रस्त किसी अन्य संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध उस समय अपने समुद्री धारणाधिकार को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके दावे, जिसके अंतर्गत ब्याज और लागतें भी हैं, के लिए संतोषप्रद प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

विवादों का न्यायनिर्णयन ।

235. (1) इस भाग के अधीन दावों से संबंधित किसी विवाद का अवधारण, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कोई विवाद है कि वे इस धारा के अधीन उद्धारण रकम के लिए हकदार हैं, वहां उच्च न्यायालय इस विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि एक से अधिक व्यक्ति ऐसी रकम के हकदार हैं तो उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के बीच उस रकम का प्रभाजन करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों की ओर उनसे आनुषंगिक लागतें उच्च न्यायालय के विवेकानुसार होंगी और उच्च न्यायालय के पास यह अवधारण करने कि पूर्ण शक्ति होगी कि किसके द्वारा और किस संपत्ति में से और किस सीमा तक ऐसी

लागतों का संदाय किया जाना है और उसके पास पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की शक्ति भी होगी ।

(4) उच्च न्यायालय, किसी अंतरिम आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उद्धारकर्ता को ऐसी रकम का संदाय किया जाएगा, जो उसे उचित और न्याय संगत प्रतीत हो और ऐसा संदाय ऐसे निबंधनों, जिनके अंतर्गत प्रतिभूति से संबंधित निबंधन भी हैं, के अनुसार किया जाएगा, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक, उचित और न्याय संगत प्रतीत हों ।

दावों का निर्वापन ।

236. इस अध्याय के अधीन संदाय से संबंधित कोई कार्रवाई उस समय निर्वापित हो जाएगी, यदि ऐसे किसी दावे के संबंध में उद्धारण प्रचालनों के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है ।

व्यावृत्तियां ।

237. इस अध्याय की कोई बात--

(क) किसी अन्य देश के साथ भारत या अन्य देश के तटों पर ध्वंसावशेषों के आगमों के व्ययन के प्रतिनिर्देश से की गई किसी संधि या ठहराव पर, जिसमें भारत एक पक्षकार है, प्रभाव नहीं डालेगी ; या

1908 का 15

(ख) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 29 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी या उस धारा के उल्लंघन में कांटा घसीट कर या महाजाल डालकर निकाली गई किसी संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के उद्धारण को प्रभावित नहीं करेगी ।

ध्वंसावशेष और उद्धारण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति ।

238. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 216 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन ध्वंसावशेष को चिन्हित करने की रीति ;

(ख) धारा 220 की उपधारा (5) के अधीन ध्वंसावशेष को हटाने की समय सीमा ;

(ग) धारा 222 की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूति ;

(घ) धारा 233 की उपधारा (1) के अधीन तटरेखा से संबंधित हितों को प्रदूषण या प्रदूषण के खतरे से संरक्षित करने हेतु किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) पुरस्कारों का दावा करने के लिए मानदंड, पुरस्कार नियत करने की रीति, विशेष प्रतिकर का संदाय, उद्धारकर्ताओं के बीच संदाय का प्रभाजन, व्यक्तियों का उद्धारण, संविदा के अधीन संदाय, संविदा के अधीन न आने वाली अतिरिक्त सेवाओं के लिए संदाय और धारा 234 की उपधारा (2) के अधीन उद्धारकर्ताओं के अवचार का पुरस्कार या संदाय पर प्रभाव ;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 12

तटीय व्यापार में लगे भारतीय जलयानों और विदेशी जलयानों का नियंत्रण

भाग का लागू होना ।

239. यह भाग सभी जलयानों को लागू होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय जलयानों से भिन्न जलयान भी हैं ।

जलयानों का

240. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान से भिन्न कोई जलयान,

उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय, भारत के तटीय व्यापार में या भारत के तटीय जलों में खोज, दोहन या अनुसंधान के कार्य में नहीं लगेगा । अनुज्ञापन ।

(2) भारत के किसी नागरिक या किसी कंपनी या किसी सहकारी सोसायटी द्वारा चार्टर किए गए किसी अन्य जलयान को, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान से भिन्न है, इस धारा के अधीन महानिदेशक द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय भारत के भीतर या बाहर किसी पत्तन या स्थान से समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा ।

(3) भारत द्वारा नियंत्रित टन भार वाले किसी जलयान को, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति--

(क) कोई साधारण अनुज्ञप्ति हो सकेगी ;

(ख) भारत के संपूर्ण तटीय व्यापार या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति हो सकेगी ; या

(ग) किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समुद्रयात्रा के लिए अनुज्ञप्ति हो सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और वह ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो विहित की जाए और वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा जलयानों के किसी वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी ।

अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या उपांतरण ।

241. (1) यदि मामले की परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है तो महानिदेशक किसी भी समय धारा 240 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकेगा ।

(2) कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन तब तक प्रतिसंहृत या उपातंरित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसे प्रतिसंहृण या उपांतरण के विरुद्ध व्यपदेशन करने का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

(3) जब धारा 240 के अधीन मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति विधिमान्य नहीं रह जाती है, तब वह व्यक्ति, जिसे वह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, बिना किसी अनुचित विलंब के उसे महानिदेशक को वापस कर देगा या वापस करा देगा ।

जब तक अनुज्ञप्ति पेश न की जाए तब तक पत्तन निकासी न देना ।

242. कोई समुचित अधिकारी किसी जलयान को, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जिसके संबंध में इस भाग के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, तब तक पत्तन निकासी नहीं देगा जब तक कि ऐसे जलयान के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति पेश नहीं कर दी जाती है ।

निदेश देने की शक्ति ।

243. (1) यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या भारतीय पोत परिवहन के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा,--

(क) ऐसे जलयान की दशा में, जिसे धारा 240 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, निम्नलिखित सभी विषयों या उन में से किसी के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझता है, अर्थात् :--

(i) भारत के भीतर या बाहर ऐसे पत्तन या स्थान, जहां के लिए और ऐसे मार्ग, जिनसे होकर जलयान किसी विशेष प्रयोजन के लिए अग्रसर होगा ;

(ii) किसी जलयान का किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक हटाया जाना ;

(iii) यात्रियों या स्थोरा के ऐसे वर्ग, जिनका वाहन पोत पर किया जा सकेगा ;

(iv) वह पूर्विकता क्रम, जिसके अनुसार यात्रियों या स्थोरा को भारत के भीतर या बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए ले जाया जा सकेगा या जहां उन्हें जलयान से उतारा जा सकेगा ।

(ख) ऐसे जलयान की दशा में, जिसे धारा 240 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उस पूर्विकता क्रम के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे और जिस क्रम में उस जलयान पर भारत के किसी पत्तन या स्थान से, जहां से वह भारत के किसी ऐसे पत्तन या स्थान के लिए जिसे वह अपनी समुद्र यात्रा के अनुक्रम में स्पर्श करेगा, अग्रसर होने वाला है, यात्रियों या स्थोरा को ले जाया जा सकेगा ।

(2) महानिदेशक सूचना द्वारा--

(क) ऐसे किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता को, जिसके संबंध में धारा 240 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है ; या

(ख) किसी ऐसे जलयान के स्वामी मास्टर या अभिकर्ता को, जिसके संबंध में उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, निम्नलिखित के संबंध में सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं या दिए जा सकेंगे–

(i) यात्रियों और स्थोरा के ऐसे वर्ग, जिनका वहन जलयान करने वाला है या वहन करने का सामर्थ्य रखता है या उसने किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका वहन किया है ;

(ii) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(3) तत्समय प्रवृत विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार लोकहित में लिखित आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जिसे वह किसी जलयान को भारत में किसी पत्तन, लंगर स्थान या अपतटीय प्रसुविधा में प्रवेश करने से वर्जित करने के लिए उपयुक्त समझे, ।

अनुचित विदेशी हस्तक्षेपों से भारतीय पोतों के हितों की संरक्षा करने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां ।

244. (1) यदि केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि--

(क) किसी विदेशी राज्य द्वारा या उसकी किसी विधि के अधीन ऐसे निबंधनों या शर्तों को विनियमित करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए जिन पर माल या यात्रियों का वहन समुद्र द्वारा किए जाने के लिए या उनके इस प्रकार वहन किए जाने के संबंध में संविदाओं या ठहरावों के निबंधनों या शर्तों के लिए उपाय किए गए हैं ; और

(ख) ऐसे उपाय जहां तक वे भारत में विधिपूर्ण व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर की गई या की जाने वाली बातों को लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता का अतिलंघन करते हैं, जो भारत की है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि यह धारा, उन उपायों को या तो पूर्ण रूप से या विस्तार तक, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू होगी ।

(2) जहां किसी उपाय के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश प्रवृत्त है, वहां भारत के ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो समुद्र द्वारा माल या यात्रियों के वहन से संबद्ध या संबंधित कारबार करता है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा या प्रतिषेध की सूचना जो, जहां तक यह धारा उसे लागू होती है, ऐसे उपायों के अनुसार उस पर अधिरोपित किया गया है या जिसके अधिरोपित किए जाने के लिए धमकी दी गई है, जिसमें उसके अधीन किसी संविदा या

अन्य दस्तावेज का अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करने की कोई अपेक्षा सम्मिलित है, केंद्रीय सरकार को दे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है या जहां यह विश्वास करने का आधार है कि कोई सूचना प्राप्त होने की संभावना है, वहां केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी किसी अपेक्षा या प्रतिषेध के अनुपालन को प्रतिषिद्ध करते हुए ऐसा निदेश दे सकेगी, जो भारत की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए वह उचित समझती है ।

(4) यदि केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भारत में किसी व्यक्ति से किसी विदेशी न्यायालय या प्राधिकरण को ऐसा वाणिज्यिक दस्तावेज, जो उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नहीं है, पेश या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है या ऐसी किसी वाणिज्यिक जानकारी को ऐसे दस्तावेजों से संकलित किया जाना है, जो उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नहीं है तथा ऐसी अपेक्षा ऐसी अधिकारिता का अतिलंघन करती है या करेगी, जो भारत की है, तो केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने से प्रतिषिद्ध करते हुए निदेश दे सकेगी, सिवाय उस विस्तार तक या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

नियम बनाने की शक्ति ।

245. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 240 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्ररूप और उस अनुज्ञप्ति के विधिमान्य होने की अवधि ;

(ख) धारा 243 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन कोई अन्य विषय है ;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 13

चलत, मछली पकड़ने वाले और अन्य जलयान

इस भाग का लागू होना ।

246. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह भाग निम्नलिखित वर्णन वाले जलयानों को लागू होगा, अर्थात् :--

(क) चलत जलयान ;

(ख) मछली पकड़ने वाले जलयान ;

(ग) नोदन के यांत्रिक साधन न रखने वाले जलयान ;

(घ) ऐसे जलयान जिनका शुद्ध टन भार 15 से कम है और जो एकमात्र रूप से भारत के तटीय व्यापार में लगे हैं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध टनभार" शब्दों से किसी जलयान की उपयोगी क्षमता का ऐसा मापमान अभिप्रेत है, जिसे इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया गया है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 10, भाग 14 और इस भाग में अंतर्विष्ट से भिन्न उपबंध, उपधारा (1) के अधीन जलयानों को लागू नहीं होंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई

अन्य उपबंध, ऐसी शर्तों, अपवादों और उपातंरणों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे जलयानों को भी लागू होंगे ।

इस संबंध में विनिश्चय कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है ।

247. यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है तो उसका विनिश्चय महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और उस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण और बीमा के लिए अपेक्षाएं ।

248. (1) इस भाग के अधीन आने वाले प्रत्येक जलयान के फलक से ऐसे संचालित किया जाएगा और वह जलयान संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण के लिए ऐसी फिटिंग, सामग्री, साधनों और साधित्रों को वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) इस भाग के अधीन आने वाले जलयान का प्रत्येक स्वामी, ऐसे जलयान के कर्मीदल के सदस्यों के रूप में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए, उनके नियोजन के अनुक्रम में होने वाली किसी दुर्घटना द्वारा कारित मृत्यु या शारीरिक क्षति के विरुद्ध ऐसी रकम के लिए बीमा की पालिसी उपलब्ध कराएगा, जो उस रकम से कम नहीं होगी, जो अधिसूचित की जाए ।

(3) कोई जलयान तब तक समुद्र में नहीं चलेगा या अग्रसर नहीं होगा, जब तक कि वह उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उपबंधों का पालन नहीं करता है ।

किसी जलयान का विधिमान्य प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना

249. (1) कोई जलयान तब तक समुद्र में नहीं चलेगा या अग्रसर नहीं होगा जब तक कि उस जलयान के संबंध में इस भाग के अधीन मंजूर किए जाने वाले विहित प्रमाणपत्र प्रवर्तन में न हो और यह उस समुद्र यात्रा को भी लागू होगा, जिस पर ऐसा जलयान जाने वाला है या अग्रसर होने वाला है ।

(2) प्रत्येक प्रमाणपत्र को ऐसी रीति में जारी किया जाएगा और वह ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त होगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां कोई जलयान प्रमाणपत्र के अवसान के समय पर पत्तन पर नहीं है, वहां उस जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर, केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना देगा और वह प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात उसके अगले पत्तन पर प्रथम बार पहुंचने तक विधिमान्य बना रहेगा ।

जलयानों के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखना ।

250. (1) किसी जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर, जलयान के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखेगा या उसे बनवाएगा, जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य से संबंधित निम्नलिखित विवरण ऐसे रूप में अंतर्विष्ट होगा, जो विहित किया जाए, अर्थात् :--

(क) उसका नाम ;

(ख) उसे संदेय मजदूरी ;

(ग) उसके निकटतम संबंधियों के नाम और पते ;

(घ) उसके नियोजन के प्रारंभ की तारीख ; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(2) जलयान के कर्मीदल में प्रत्येक परिवर्तन की प्रविष्टि उपधारा (1) के अधीन रखे गए विवरण में की जाएगी ।

(3) ऐसे विवरण की और उसमें प्रविष्ट किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति यथासंभव शीघ्र पोत परिवहन मास्टर को संसूचित की जाएगी ।

स्थोरा के माल

251. (1) यदि किसी समुद्री यात्रा के अनुक्रम में किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या टिंडल

या स्कीपर ने असामान्य मौसम संबंधी दशाओं या किसी अन्य कारण से जलयान के संपूर्ण स्थोरा या उसके किसी भाग का माल प्रक्षेपण किया है या ऐसा माल प्रक्षेपण करने का दावा किया है तो वह जलयान के भारत में किसी पत्तन या अन्य स्थान में पहुंचने के तुरंत पश्चात् समुचित अधिकारी को ऐसे माल प्रक्षेपण की सूचना देगा और ऐसी सूचना में प्रक्षेपित किए गए स्थोरा और उन परिस्थितियों की जिनके अधीन माल प्रक्षेपण किया गया था, पूर्ण विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । प्रक्षेपण की जांच ।

(2) जहां समुचित अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है वहां वह तुरंत लिखित में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा और मामले की जांच करने के लिए प्रक्रिया कर सकेगा ।

समुचित अधिकारी द्वारा जलयान को निरुद्ध करना ।

252. (1) निर्मुक्त फलक चिन्हांकनों के बिना समुद्र में चलने या अग्रसर होने का प्रयास करने वाले किसी जलयान या किसी ऐसे जलयान को, जिसमें इस प्रकार लदाई की गई है कि ऐसे चिन्ह डूब गए हैं या ऐसे जलयान को, जो प्रमाणित क्षमता से अधिक व्यक्तियों का वहन कर रहा है, समुचित अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा, जब तक कि वह जलयान इस निमित्त बनाए नियमों का अनुपालन नहीं करता है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के प्रयोजनों के लिए कोई समुचित अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर जलयान के फलक पर जा सकेगा और जलयान और उसके किसी भाग, फलक पर स्थित किसी संरचना, उपस्कर, फिटिंग, व्यवस्थाओं, सामग्रियों, प्रणालियों, कड़ियों, स्थोरा, रसद, भंडारों, जलयान के प्रमाणपत्रों या फलक पर मौजूद उसके कर्मीदल के प्रमाणपत्रों का निरीक्षण या संपरीक्षा कर सकेगा :

परंतु समुचित अधिकारी जलयान के प्रचालन में अयुक्तियुक्त रूप से बाधा नहीं डालता है या अयुक्तियुक्त रूप से उसे निरुद्ध नहीं करेगा या किसी समुद्रयात्रा पर निकलने के लिए उसे देरी नहीं करेगा ।

(3) जलयान का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या प्रत्येक अधिकारी समुचित अधिकारी को सर्वेक्षण या संपरीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जलयान तथा उसके किसी भाग, फलक पर स्थित किसी संरचना, उपस्कर, फिटिंग, व्यवस्थाओं, सामग्रियों, प्रणालियों, कड़ियों, स्थोरा, रसद, भंडारों, जलयान के प्रमाणपत्रों या फलक पर मौजूद उसके कर्मीदल के प्रमाणपत्रों के संबंध में ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगा जिसकी समुचित अधिकारी युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करता है ।

समुद्र में न जाने योग्य जलयानों को निरुद्ध करना ।

253. (1) यदि इस भाग के अधीन कोई जलयान भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचता है या वहां से समुद्र में न जाने योग्य किसी परिस्थिति में प्रस्थान करता है या इस प्रकार प्रस्थान करता है, जिसके कारण भारतीय तटों या अपतटीय प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तो ऐसे यान को तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि स्वामी, मास्टर या टिंडल या स्कीपर जलयान की समुद्र में जाने संबंधी योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय नहीं करता है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस प्रकार समुद्र में जाने की योग्यता न होने या इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन भारतीय तटों या अपतटीय प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के प्रति खतरे के संबंध में जलयान के प्रभारी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।

छूट देने की शक्ति ।

254. (1) इस भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो , जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझती है, किसी जलयान या जलयान के टिंडल, स्कीपर या कर्मीदल के किसी सदस्य या उनके किसी वर्ग को, इस अधिनियम के अनुसरण में उसमें अंतर्विष्ट या विहित किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकेगी या यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा को सारवान रूप से पूरा कर दिया गया है या किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति देना आवश्यक है तो वह

उस दशा में, किसी जलयान या जलयान के टिंडल या स्कीपर या कर्मीदल के किसी सदस्य या उनके किसी वर्ग को ऐसी अपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए कोई छूट मंजूर की जाती है वहां उनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन को, अन्य किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

255. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन मल्लाह तैनात करने और किसी भारतीय जलयान द्वारा फलक पर वहन की जाने वाली फिटिंगों, सामग्री, साधनों और साधित्रों का मापमान ;

(ख) धारा 249 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र में चलने या अग्रसर होने के लिए किसी जलयान द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र ;

(ग) धारा 249 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र मंजूर करने की रीति और उक्त, प्रमाणपत्र अवधि ;

(घ) धारा 250 की उपधारा (1) के अधीन जलयान के कर्मीदल का विवरण बनाए रखने के लिए प्ररूप ; और

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है ।

भाग 14

शास्तियां और प्रक्रिया

शास्तियां ।

256. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसके किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य है, अपराध का दोषी होगा ।

(2) यथास्थिति, ऐसे अपराध के संदर्भ से उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित विस्तार से निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अपराध दंडनीय होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसके किसी ऐसे उपबंध की अनुपालन करने में असफल रहता है जिसकी अनुपालन करना उसका कर्तव्य है, अपराध का दोषी होगा और यदि किसी ऐसे अपराध के लिए कोई शास्ति उपधारा (2) में विशेष रूप से उपबंधित नहीं की गई है तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) मुख्य अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश लेखबद्ध करने के द्वारा, अधिरोपित कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा कोई भी व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे रूप या रीति में महानिदेशक के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(6) महानिदेशक, दोनों पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आदेश प्राप्त

करने की तारीख से तीस दिन के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा जो कि अंतिम होगा तथा सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा ।

सारणी

क्रम सं0	अपराध	इस अधिनियम की वह धारा जिसमें अपराध के प्रतिनिर्देश हैं	शास्तियां	वह जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है और शास्तियां अधिरोपित की जाती हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	यदि कोई व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी जलयान को समुद्र की ओर अग्रसर करता है ।	14(1)	छह मास तक कारावास या दो लाख रूपए तक जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
2.	यदि किसी भारतीय जलयान का स्वामी धारा 17 की उपधारा (1) की अनुपालन करने में असफल होता है या उल्लंघन करता है ।	17(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
3.	यदि कोई व्यक्ति धारा 20 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	20(2)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
4.	यदि स्वामी धारा 22 के अधीन यथा अपेक्षित रजिस्ट्री प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में असफल रहता है ।	22	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
5.	यदि कोई व्यक्ति धारा 24 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है ।	24(1)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
6.	यदि कोई स्वामी धारा 35 के अधीन नए जलयान के रजिस्ट्रीकरण या किसी जलयान के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करवाने हेतु आवेदन करने में असफल रहता है ।	35	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना और उसके अतिरिक्त दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
7.	यदि राष्ट्रीय रंगों से भिन्न कोई रंग धारा 40 की उपधारा	40(1)	दो लाख रूपए तक का	न्यायालय

	(1) के अधीन घोषित रंगों के सिवाय भारतीय जलयान द्वारा फलक पर फहराया जाता है ।		जुर्माना ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	यदि कोई व्यक्ति धारा 40 की उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य करता है ।	40(2)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
9.	यदि कोई व्यक्ति धारा 40 की उपधारा (4) का उल्लंघन करता है ।	40(4)	दो वर्ष तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
10.	यदि कोई स्वामी या मास्टर धारा 41 का उल्लंघन करता है ।	41	दो वर्ष तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
11.	यदि कोई व्यक्ति किसी घोषणा की दशा में जिसे वह भाग 4 के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष करता है या उसे प्रस्तुत करता है या किसी दस्तावेज में या ऐसे रजिस्ट्रार को उपलब्ध अन्य साक्ष्य में,-- (i) किसी जलयान में किसी हिस्से या जलयान में विद्यमान हित या जलयान के हक या स्वामी से संबंधित कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करने या करने में सहायता या करवाने में उपाप्ति करता है ; या (ii) किसी घोषणा या दस्तावेज जिसमें कोई ऐसी मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है जिसके मिथ्या होने की जानकारी है को उच्चारित, प्रस्तुत या उसका प्रयोग करता है ।	साधारण	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	न्यायालय
12.	यदि भारतीय चार्टर धारा 49 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचना देने में असफल रहता है ।	49(7)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
13.	यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 51 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से नियुक्त होने पर ऐसा अधिकारी जो उस	51(2)	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय

धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र धारित किए बिना समुद्र में जाता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	यदि कोई व्यक्ति धारा 53 की उपधारा (2) के उल्लंघन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करता है ।	53(2)	दो वर्ष तक का कारावास या बीस लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
15.	यदि कोई व्यक्ति धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को रोकता है ।	53(3)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
16.	यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान या मत्स्य जलयान को बिना अपेक्षित प्रमाणपत्रित कार्मिक के समुद्र में जाने के लिए कारित करता है ।	साधारण	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
17.	यदि कोई मास्टर धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन अपेक्षा की अनुपालन करने में असफल रहता है ।	55(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना और उसके अतिरिक्त दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रूपए तक जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
18.	यदि कोई व्यक्ति धारा 63 की उपधारा (4) का उल्लंघन करता है ।	63(4)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
19.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	66(2)	एक वर्ष तक का कारावास या पांच लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
20.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (3) का उल्लंघन करता है ।	66(3)	धारा 66(3) के उल्लंघन में लिप्त प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
21.	यदि कोई व्यक्ति,--			
	(i) धारा 66 की उपधारा (5) के उल्लंघन में समुद्र का कार्य करता है ; या	66(5)	धारा 66(5) के उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
	(ii) धारा 66 की उपधारा (5) के उल्लंघन में जलयान पर किसी भी हैसियत	66(5)	धारा 66(5) के उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए	मुख्य अधिकारी

	से कार्य में उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा दिए गए		पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मिथ्या अभ्यावेदन से लगा हुआ है कि तरूण व्यक्ति उस आयु का है जिससे कि ऐसा वचनबंध उस धारा का उल्लंघन नहीं करता है ।			
22.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (6) का उल्लंघन करता है ।	66(6)	धारा 66(6) के उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
23.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (7) का उल्लंघन करता है ।	66(7)	धारा 66(7) के उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
24.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (8) का उल्लंघन करता है ।	66(8)	प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक जिसके संदर्भ में अपराध किया गया है, के लिए दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
25.	यदि कोई व्यक्ति धारा 66 की उपधारा (9) का उल्लंघन करता है ।	66(9)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
26.	यदि कोई मास्टर, स्वामी या उसका अभिकर्ता धारा 67 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक क समुद्र में ले जाता है ।	67(1)	प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक जिसके संदर्भ में अपराध किया गया है, के लिए पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
27.	यदि कोई व्यक्ति,--			
	(क) कूटरचना करता है या किसी उन्मोचन प्रमाणपत्र या समुद्र यात्रा वृत्तिक के तौर पर कार्य का प्रमाणपत्र या निरंतर उन्मोचन प्रमाणपत्र या ऐसे किसी प्रमाणपत्र की प्रति में कपटपूर्वक परिवर्तन करता है ;	सामान्य	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
	या			
	(ख) उन्मोचन प्रमाणपत्र या समुद्र यात्रा वृत्तिक के तौर पर कार्य का प्रमाणपत्र या निरंतर			

	उन्मोचन प्रमाणपत्र या ऐसे किसी प्रमाणपत्र की प्रति जो			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कि कूटरचित है या परिवर्तित है या उससे संबंधित नहीं है का कपटपूर्वक प्रयोग करता है ।			
28.	यदि कोई मास्टर, स्वामी धारा 73 की उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य करता है ।	73(2)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
29.	यदि कोई मास्टर धारा 73 की उपधारा (5) के उल्लंघन में कार्य करता है ।	73(5)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
30.	यदि मास्टर, धारा 74 के अधीन यथा अपेक्षित संपत्ति भारसाधन करने या उससे संबंधित उचित प्रविष्टियों को अधिकृत लॉग बुक में करने या संदाय या ऐसी संपत्ति के परिदान के संदर्भ में इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालन करने में असफल रहता है ।	धारा 74	संपत्ति के मूल्य का तीन गुना तक का जुर्माना यदि उसका कोई लेखा नहीं है या यदि ऐसा मूल्य भी अभिनिश्चित नहीं हुआ तो बीस हजार रूपए	मुख्य अधिकारी
31.	यदि कोई व्यक्ति धारा 78 के अधीन किसी अपेक्षा की अनुपालन किसी युक्तियुक्त कारण के बिना करने में असफल रहता है ।	78	पच्चीस हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
32.	यदि कोई व्यक्ति धारा 83 की उपधारा (9) के अधीन किसी अधिनिर्णय के किसी निबंधन को भंग करता है, जो कि उस पर आबद्धकर है ।	83(9)	एक मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
33.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक धारा 83 की उपधारा (14) के खंड (क) का उल्लंघन करता है या धारा 83 की उपधारा (14) के खंड (ख) का उल्लंघन करता है ।	83(14)(क) 83(14)(ख)	एक मास तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
34.	(क) यदि जलयान की दशा में धारा 88 की किसी अपेक्षा की अनुपालन नहीं की गई है ।	88	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि अननुपालना उसी असावधानी, उपेक्षा या	मुख्य अधिकारी

			जानबूझकर व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई थी ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) यदि कोई व्यक्ति, पोत मास्टर सर्वेक्षक या समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी, भारतीय कौंसलीय अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी को धारा 88 के अधीन उसके कर्तव्य के निर्वहन करने में बाधा करता है ।	88	एक लाख रूपए तक का जुर्माना जब तक कि वह यह साबित न कर सके कि बाधा उसके ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना कारित हुई है ।	मुख्य अधिकारी
35.	यदि कोई मास्टर धारा 90 की अनुपालन किसी युक्तियुक्त कारण के बिना करने में असफल रहता है ।	90	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
36.	यदि कोई व्यक्ति धारा 92 के प्रतिकूल जलयान के फलक पर जाता है ।	92	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
37.	यदि मास्टर या समुद्र यात्रा वृत्तिक धारा 93 का उल्लंघन करते हैं ।	93	दो वर्ष तक का कारावास या पांच लाख रूपए तक का जुर्माना	न्यायालय
38.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक,-			
	(क) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसके जलयान का अभित्यजन करता है ।	94(1)(क)	वह फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा जब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो भारत में नहीं है तो ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह किसी अन्य ऐसे जलयान पर जिस पर उसे उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगी और वह जलयान के मास्टर और स्वामी द्वारा उसके स्थान पर नियोजित किए गए प्रतिस्थानी को मजदूरी की उस दर से उच्चतर दर पर देनी पड़े जिस दर पर संदाय	मुख्य अधिकारी

			करने के लिए अनुबंध किया गया था ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (ख) का उल्लंघन करता है ।	94(1)(क)	यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो वह जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि या ऐसे कोई व्यय जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाए, उसकी मजदूरी में से समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे ।	मुख्य अधिकारी
39.	यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक निम्न में विनिर्दिष्ट अपराध के दोषी हैं,--			
	(i) धारा 95 का खंड (क)	95(क)	एक मास के वेतन से अनधिक राशि की मजदूरी में से समपहरण	मुख्य अधिकारी
	(ii) धारा 95 का खंड (ख)	95(ख)	दो दिन के वेतन से अनधिक राशि की मजदूरी में से समपहरण	मुख्य अधिकारी
	(iii) धारा 95 का खंड (ग)	95(ग)	एक मास का कारावास और ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा चलते रहने के दौरान प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए उसकी मजदूरी में से छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि का अथवा ऐसे किन्हीं व्ययों को जो उसके प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, समपहरण भी	न्यायालय
	(iv) धारा 95 का खंड (घ) और (ङ)	95(घ) और 95(ङ)	तीन मास तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना जो एक मास के वेतन तक हो	न्यायालय

सकता है या दोनों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(v) धारा 95 का खंड (च)	95(च)	उसकी मजदूरी में से उतनी राशि का समपहरण जो उठाई गई क्षति के समतुल्य हो और तीन मास तक कारावास भी ।	न्यायालय
	(vi) धारा 95 का खंड (छ)	95(छ)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना परन्तु किसी अन्य उपचार, जो किसी व्यक्ति को अन्यथा संविदा के भंग होने पर या अग्रिम राशि के प्रतिदाय या अन्यथा के होने पर उपलब्ध होंगे, को इसमें कोई भी नहीं, छीनेगा ।	मुख्य अधिकारी
40.	यदि कोई मास्टर धारा 98 की अनुपालन करने में असफल रहता है ।	98	एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों	मुख्य अधिकारी
41.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक नियुक्त होने पर या उससे पूर्व जानबूझकर और कपटपूर्वक अपने पिछले जलयान या अभिकथित के नाम के बारे में मिथ्या कथन करता है या जानबूझकर और कपटपूर्वक अपने नाम के बारे में मिथ्या कथन करता है ।	साधारण	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
42.	यदि कोई व्यक्ति,--			
	(क) धारा 104 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है ।	104(1)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
	(ख) धारा 104 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	104(2)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
43.	यदि कोई व्यक्ति धारा 105 की उपधारा (1) के विपरीत किसी जलयान में समुद्र में जाता है ।	105(1)	एक मास तक का कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना	न्यायालय
44.	यदि मास्टर धारा 106 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को परिदत्त करने में	106(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी

असफल रहता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	यदि कोई व्यक्ति किसी अभित्याजक को जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, संश्रय देता है या छिपाता है कि उसने अभित्यजन किया है ।	साधारण	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
46.	यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अधिकृत लॉग बुक में किसी प्रविष्टि को नष्ट या विरुपित करता है या उसे अपाठ्य बना देता है या अधिकृत लॉग बुक में जानबूझकर कोई मिथ्या या कपटपूर्वक प्रविष्टि करता है या प्रविष्टि का लोप करता है या करने में सहायता देता है ।	साधारण	एक वर्ष तक का कारावास	न्यायालय
47.	यदि जलयान धारा 112 का उल्लंघन करता है ।	112	जलयान का स्वामी या मास्टर जुर्माने के लिए दंडनीय होगा, जो पन्द्रह लाख रूपए तक हो सकेगा और जलयान भी निरुद्ध किया जा सकता है ।	मुख्य अधिकारी
48.	यदि मास्टर बिना युक्तियुक्त कारण के,--	113(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
	(क) धारा 113 की उपधारा (1) की अनुपालन करने में असफल रहता है ।			
	(ख) धारा 113 की उपधारा (2) की अनुपालन करने में असफल रहता है ।	113(2)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना	मुख्य अधिकारी
49.	यदि कोई व्यक्ति धारा 116 का उल्लंघन करता है ।	116	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान भी निरुद्ध किया जा सकता है ।	मुख्य अधिकारी
50.	यदि कोई जलयान धारा 117 द्वारा अपेक्षित सूचना को फलक पर ले जाए बिना समुद्र के लिए अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयत्न करता	117	जलयान का मास्टर जुर्माने के लिए दंडनीय होगा जो कि एक लाख रूपए तक का हो सकता है ।	मुख्य अधिकारी

है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51.	यदि भाग 6 के अधीन जलयान से भिन्न कोई जलयान धारा 118 की उपधारा (1) के उल्लंघन में लादा जाता है ।	118(1)	जलयान का मास्टर और स्वामी जुर्माने के लिए दंडनीय होंगे जो चार लाख रूपए तक का हो सकेगा और इसके अतिरिक्त जलयान पर प्रत्येक ओर की समुचित भार रेखाएं जहां तक डूब जाएं या यदि लवण जल में होता है तो, भार रेखाएं जहां तक डूब जाती है, उस भाग के प्रत्येक इंच या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रूपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा जितना मुख्य अधिकारी जलयान की अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए या भार रेखाओं के डूब जाने के कारण उसकी अर्जन क्षमता जितनी बढ़ जाती है उसको ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना ठीक समझे : परन्तु मास्टर या स्वामी के लिए यह साबित करना अच्छा प्रतिवाद होगा कि उल्लंघन का एक मात्र कारण, मार्ग परिवर्तन या देरी था जो मौसम की खराबी या ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण थी जिन्हें मास्टर या स्वामी या चार्टरर, यदि कोई है, रोक नहीं सकता था या उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता था ।	मुख्य अधिकारी
52.	यदि जलयान धारा 119 के उल्लंघन में यात्रियों को ले जाता है ।	119	स्वामी और मास्टर जुर्माने से दंडनीय होंगे जो दो लाख रूपए तक का हो	मुख्य अधिकारी

सकता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	यदि विशेष साधारण व्यापार यात्री जलयान का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, भाग 6 में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् कपटपूर्वक कुछ करता है या मजबूरन करना पड़ता है, जिससे जलयान या विशेष साधारण व्यापार यात्री जलयान के अन्य विषय जिनसे प्रमाणपत्र संबंधित है की परिवर्तित स्थिति के लिए प्रमाणपत्र अप्रयोज्य बन जाता है ।	साधारण	छह मास तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
54.	यदि कोई व्यक्ति धारा 120 का उल्लंघन करता है ।	120	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकता है ।	मुख्य अधिकारी
55.	यदि कोई व्यक्ति धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दोषी है ।	121(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना	न्यायालय
56.	यदि कोई व्यक्ति धारा 122 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी है ।	122(1) या 122(2)	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
57.	यदि कोई व्यक्ति धारा 123 के उल्लंघन में किसी जलयान को भेजता है या भेजने का प्रयत्न करता है ।	123	एक वर्ष तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
58.	यदि कोई स्वामी धारा 124 के उल्लंघन में किसी जलयान को अयोग्य परिस्थिति में समुद्र में जाने के लिए कारित करता है ।	124	एक वर्ष तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों	न्यायालय
59.	यदि धारा 131 के उल्लंघन में तेल या तेलीय मिश्रण या किसी अन्य दूषित पदार्थ का उन्मोचन करता है ।	131		
	(क) जहां ऐसा उन्मोचन समुद्र में कहीं भी किसी भारतीय टैंकर से होता है ।	131	छह मास तक का कारावास और टैंकर का स्वामी या मास्टर जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस लाख रूपए	मुख्य अधिकारी

			तक हो सकेगा ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) जहां ऐसा उन्मोचन भारत के तटीय जल के भीतर कहीं भी किसी विदेशी टैंकर से होता है ।	131	पच्चीस लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
60.	यदि कोई व्यक्ति धारा 133 का उल्लंघन करता है ।	133	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
61.	यदि किसी जलयान का मास्टर धारा 134 द्वारा यथा अपेक्षित अभिलेखों या अनुरक्षण करने में असफल होता है या धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है ।	134	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
62.	यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति धारा 136 के अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने और उपायों को पालन करने में विफल रहता है ।	136	एक लाख पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
63.	यदि किसी भारतीय जलयान का स्वामी धारा 137 के अधीन जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है ।	137	छह मास तक का कारावास या जो पांच लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों की शास्ति से दंडनीय होगा और यदि अपराध जारी रहने वाला है तो अपराधी और जुर्माने से जो पचास हजार रूपए प्रति दिन प्रत्येक उस सप्ताह के लिए जब दोषसिद्धि के पश्चात् भी अपराध जारी रहता है से दंडनीय होगा ।	मुख्य अधिकारी
64.	यदि कोई व्यक्ति धारा 140 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र कब्जा रखने में असफल रहता है ।	140	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
65.	यदि पोत का मास्टर धारा 140 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है ।	140(1)	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकता है ।	मुख्य अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66.	यदि कोई व्यक्ति धारा 207 की उपधारा (2) के अधीन सूचना देने में विफल रहता है ।	207(2)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना और संदाय के व्यतिक्रम में तीन मास तक का साधारण कारावास ।	न्यायालय
67.	यदि कोई व्यक्ति धारा 214 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट करने में विफल रहता है ।	214(1) 214(2) 214(3)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना और संदाय के व्यतिक्रम में तीन मास तक का साधारण कारावास ।	न्यायालय
68.	यदि कोई व्यक्ति धारा 216 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	216(2)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना और संदाय के व्यतिक्रम में तीन मास तक का साधारण कारावास ।	न्यायालय
69.	यदि कोई व्यक्ति धारा 240 की उपधारा (1) या उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	240(1)या 240(2)	छह मास तक का कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
70.	यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 240 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, धारा 240 की उपधारा (5) के अधीन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है ।	240(5)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	न्यायालय
71.	(क) यदि धारा 243 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेश या पालन नहीं किया जाता है ; या	243(1)	छह मास तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
	(ख) यदि कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता जिस पर धारा 243 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील की गई है विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है या सूचना देते समय कोई ऐसा कथन करता है जिसे वह जानता है यह कि सामग्री विशेष के लिए मिथ्या है ।	243(2)	छह मास की अवधि तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72.	यदि कोई व्यक्ति धारा 244 की उपधारा (3) का उल्लंघन करता है ।	244(3)	छह मास की अवधि तक का कारावास या जुर्माना पसाच हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों ।	न्यायालय
73	यदि कोई स्वामी धारा 248 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है ।	248(2)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
74.	यदि कोई व्यक्ति धारा 249 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है ।	249(1)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
75.	यदि कोई स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर धारा 250 की उपधारा (1) का पालन करने में असफल रहता है ।	250(1)	पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
76.	यदि कोई स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर धारा 251 की उपधारा (1) का पालन करने में असफल रहता है ।	251(1)	तीन मास तक का कारावास या पचास हजार रूपए तक का जुर्माना ।	न्यायालय
77.	(क) यदि कोई व्यक्ति धारा 263 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी है ।	263(2)	छह मास तक का कारावास या दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	न्यायालय
	(ख) यदि कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता धारा 263 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध का दोषी है ।	263(3)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	न्यायालय
78.	यदि कोई व्यक्ति धारा 270 की उपधारा (2) का उल्लंघन में कृत्य करता है ।	270(2)	दो लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी
79.	यदि कोई व्यक्ति धारा 272 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में कृत्य करता है ।	272(2)	पांच लाख रूपए तक का जुर्माना और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।	मुख्य अधिकारी
80.	यदि कोई व्यक्ति धारा 274 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी है ।	274(2)	एक लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.	यदि कोई जलयान इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है जिसके लिए कोई जुर्माना उपबंधित नहीं है ।	साधारण	पन्द्रह लाख रूपए तक का जुर्माना ।	मुख्य अधिकारी

विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।

257. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध करने वाले व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह व्यक्ति पाया जाए या ऐसे किसी न्यायालय में जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे अथवा किसी ऐसे न्यायालय पर किया जा सकेगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसका विचारण किया जा सकता है ।

दंड की बाबत विशेष उपबंध ।

258. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे । 1974 का 2

अपराधों का संज्ञान ।

259. विशेष व्यापार जलयान के मास्टर और स्वामी धारा 256 के अधीन जिन शास्तियों के दायित्वाधीन हैं वे केवल इस निमित्त समुचित अधिकारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर प्रवृत्त की जाएंगी ।

कंपनी द्वारा अपराध ।

260. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय उसके कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन की दोषी समझी जाएगी तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने की भागी होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तथा यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "कंपनी" के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदर अभिप्रेत है ।

जब साक्षी को पेश न किया जा सके तब अभिसाक्ष्यों का साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना ।

261. (1) जब भी भारत में किसी स्थान पर साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा अथवा साक्षियों की सहमति से प्राधिकृत महानगर मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय का प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी व्यक्ति के समक्ष, इस अधिनियम के अधीन संस्थापित किसी विधिक कार्यवाही के अनुक्रम में, किसी विषय के संबंध में, किसी साक्षी का परिसाक्ष्य अपेक्षित है और प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसा करने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् साक्षी को न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत

व्यक्ति के समक्ष पेश नहीं करता है तो उस साक्षी द्वारा उसी विषय के संबंध में किसी न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारत के किसी अन्य स्थान पर, अथवा महानगर मजिस्ट्रेट या किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष, अन्यत्र, उससे पूर्व दिया गया कोई अभिसाक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य होगा यदि,--

(क) अभिसाक्ष्य किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कौंसलीय आफिसर के हस्ताक्षर से प्राधिकृत है जिसके समक्ष परिसाक्ष्य दिया गया है ;

(ख) प्रतिवादी या अभियुक्त को स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर है ;

(ग) कार्यवाही दांडिक है तो, यह सबूत पेश किया जाता है कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था ।

(2) किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसे अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर किए गए प्रतीत होते हैं; और ऐसे व्यक्ति का यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर था, तथा वह अभिसाक्ष्य, यदि वह किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया है तो, अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था, तब तक जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस बात का साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर था और वह अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था ।

नुकसान करने वाले विदेशी जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

262. (1) जब भी भारत की सरकार या भारत के किसी नागरिक या कंपनी की संपत्ति को भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान द्वारा विश्व के किसी भी भाग में कोई नुकसान पहुंचाया जाता है और तत्पश्चात् किसी भी समय वह जलयान भारतीय अधिकारिता के भीतर पाया जाता है तो, ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर जो यह अभिकथित करता है कि नुकसान जलयान के मास्टर या जलयान के कर्मीदल में से किसी सदस्य के अवचार या कौशल के अभाव के कारण पहुंचा था, उच्च न्यायालय किसी समुचित अधिकारी को या आदेश में नामित अन्य अधिकारी को यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि जलयान को तब तक के लिए निरुद्ध रखा जाए जब तक जलयान का स्वामी, मास्टर या परेषिती, नुकसान से संबंधित किसी दावे की पुष्टि नहीं कर देता है या उन सब खर्चों और नुकसानियों के संदाय के लिए जो किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जो नुकसानी के संबंध में संस्थित की जाएं, अधिनिर्णीत की जाएं, उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति नहीं दे देता है तथा ऐसा अधिकारी जिसको वह आदेश निर्देशित किया गया है जलयान को तद्नुसार निरुद्ध रखेगा ।

(2) जब भी यह प्रतीत होता है कि इसके पूर्व कि इस धारा के अधीन आवेदन किया जाए वह जलयान जिसके संबंध में आवेदन किया जाने वाला है भारत से या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र से रवाना हो जाएगा तो कोई भी समुचित अधिकारी जलयान को उतने समय के लिए निरुद्ध रख सकेगा जितने समय में आवेदन किया जा सके और उसका परिणाम जलयान को निरुद्ध रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया जा सके, तथा वह अधिकारी ऐसे निरोध के संबंध में तब तक किन्हीं खर्चों या नुकसानियों के लिए दायी नहीं होगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि जलयान को बिना किन्हीं युक्तियुक्त आधार के निरुद्ध रखा गया था ।

(3) उपरोक्त प्रकार की किसी नुकसानी के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति प्रतिवादी बनाया जाएगा और ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस जलयान का स्वामी है जिसने नुकसान पहुंचाया है ।

जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

263. (1) जहां किसी जलयान को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसा आदेश दिया जाता है वहां भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल का कोई कमीशन्ड आफिसर या कोई पत्तन अधिकारी पाइलट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन संरक्षक या

सीमाशुल्क कलक्टर जलयान को समुचित अधिकारी के निर्देश के अधीन निरुद्ध रख सकेगा ।

(2) यदि कोई जलयान निरोध के पश्चात् या ऐसे निरोध को किसी सूचना या आदेश की मास्टर पर तामील किए जाने के पश्चात् और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस जलयान को निर्मुक्त किए जाने के पूर्व समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है तो जलयान का मास्टर इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि समुद्र यात्रा के लिए इस प्रकार अग्रसर होने वाला जलयान तब जब जलयान को निरुद्ध रखने या उसका सर्वेक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए उस जलयान के फलक पर है समुद्र यात्रा पर चल देता है तो ऐसे जलयान का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति को समुद्र पर ले जाने और उसके आनुषंगिक सब व्ययों के संदाय का दायी होगा और उस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी भी होगा ।

(4) जब कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता उपधारा (3) के अधीन अपराध का सिद्धदोष ठरहाया जाता है तब सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय या मानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा इस उपधारा के अधीन व्ययों के मद्दे संदेय रकम के बारे में जांच कर सकेगा और उसका अवधारण कर सकेगा तथा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी रकम उससे उसी रीति में वसूल की जाएगी जिस रीति में जुर्माने की वसूली के लिए उपबंध किया गया है ।

जंगम संपत्ति या जलयान के करस्थम् द्वारा मजदूरी आदि का उद्ग्रहण ।

264. (1) जब किसी न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी मजदूरी या अन्य धनराशि के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश दिया जाता है और वह धनराशि निर्दिष्ट समय पर और रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो आदेश में उल्लिखित राशि, ऐसी अतिरिक्त राशि सहित जैसी खर्चे के रूप में अधिनिर्णीत की जाए, उस व्यक्ति की न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले वारंट के अधीन उस राशि का संदाय करने का निदेश दिया जाता है, जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी ।

(2) जहां किसी न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन यह शक्ति है कि वह किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी, जुर्माने या अन्य धनराशि का संदाय करने का निदेश देने का आदेश दे सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय करने का निदेश दिया गया है जलयान का मास्टर स्वामी या अभिकर्ता है और आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय पर अथवा रीति में उसका संदाय नहीं किया जाता है तो वह न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या अधिकारी या प्राधिकारी, किसी ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने के अतिरिक्त जो उसे, संदाय करने के लिए वारंट द्वारा विवश करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त है, यह निदेश दे सकेगा कि वह रकम, जिसका संदाय नहीं किया गया है, जलयान और उसके उपस्कर के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जाए ।

विदेशी जलयान की बाबत की गई कार्यवाहियों का कौंसलीय प्रतिनिधि को सूचना देना ।

265. यदि भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जाता है, या किसी ऐसे जलयान के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है तो उस देश के, जिसमें जलयान रजिस्टर किया गया है, कौंसलीय आफिसर पर उसकी सूचना तुरन्त उस पत्तन पर या उसके निकटतम पत्तन पर तामील की जाएगी जहां जलयान तत्समय है, तथा ऐसी सूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिन पर जलयान को निरुद्ध रखा गया है या कार्यवाहियां की गई हैं ।

दस्तावेजों की तामील ।

266. जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर कोई दस्तावेज तामील की जानी है तो ऐसी दस्तावेज--

(क) किसी भी मामले में उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की जानी है, उसकी प्रति वैयक्तिक रूप से परिदत्त करके या उसे उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, अथवा डाक द्वारा, तामील की जा सकेगी ;

(ख) यदि दस्तावेज की तामील जलयान के मास्टर पर, यदि कोई है, अथवा जलयान के किसी व्यक्ति पर की जानी है, तो वहां दस्तावेज को ऐसे मास्टर या व्यक्ति के लिए उस जलयान के फलक पर उस व्यक्ति के पास छोड़कर, जो जलयान का समादेश करता है या उसका प्रभारी है या समादेश करने वाला या प्रभारी प्रतीत होता है, तामील की जा सकेगी ; और

(ग) यदि दस्तावेज की तामील जलयान के मास्टर पर की जानी है और उसका कोई मास्टर नहीं है तथा जलयान भारत में है तो दस्तावेज की तामील जलयान के स्वामी पर की जा सकेगी या, यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है तो, स्वामी के भारत में निवास करने वाले किसी अभिकर्ता पर की जा सकेगी या यदि कोई ऐसा अभिकर्ता ज्ञात नहीं है या नहीं मिलता है तो दस्तावेज की एक प्रति जलयान के मास्टर को तामील करके या पुल पर उपयुक्त स्थान पर चिपका कर उसकी तामील की जा सकेगी ।

भाग 15

प्रकीर्ण

यात्रा के दौरान जलयान फलक पर व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु ।

267. किसी यात्रा के संचालन करने वाले जलयान का मास्टर अगले पत्तन पर या पहुंच के स्थान पर पहुचने पर यात्रा के दौरान होने वाली किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की तारीख और मृत्यु का कारण या अन्य कोई सुसंगत विवरण, जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समुचित अधिकारी को संसूचित करेगा ।

जलयान पर मृत्यु के कारण के बारे में या भारतीय जलयान से लापता व्यक्ति के बारे में जांच ।

268. (1) यदि फलक पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कोई व्यक्ति किसी भारतीय जलयान से लापता है, मास्टर महानिदेशक और पत्तन के या पहुंच के अगले पत्तन के समुचित अधिकारी को तुरन्त सुचित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी के कारण की जांच करेगा और उसका पृष्ठांकन अधिकृत लॉग बुक में करेगा कि या तो उसकी राय में बुक में मृत्यु का कारण सही है या जांच के परिणाम उसके विपरीत है ।

(3) यदि ऐसी किसी जांच के अनुक्रम में समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जलयान के फलक पर मृत्यु हिंसा के कारण या अन्य अनुचित साधन से हुई है तो वह उस विषय को या तो महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा अथवा, यदि मामले की अत्यावश्यकता के कारण ऐसा अपेक्षित है तो, अपराधी के विचारण के लिए अविलम्ब कार्रवाई करेगा ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना ।

1860 का 45

269. निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, अर्थात् :--

(क) प्रत्येक सर्वेक्षक ;

(ख) भाग 10 के अधीन पोत परिवहन अपघटनाओं के बारे में इत्तिला की रिपोर्ट करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(ग) कोई अन्वेषण या जांच करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक किया गया प्रत्येक व्यक्ति और वे सब व्यक्ति जिनका वह अपनी सहायता के लिए आह्वान करता है ;

(घ) जलयान पर कोई विस्फोट होने या आग लगने के बारे में अन्वेषण करने के लिए निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इसके अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक अन्य अधिकारी या व्यक्ति ।

अन्वेषण, आदि करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों की शक्तियां ।

270. (1) अन्वेषण या जांच करने के लिए या जलयान पर चढ़ने या उसका सर्वेक्षण या निरीक्षण करने या उसे निरुद्ध रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त प्रत्येक व्यक्ति--

(क) किसी जलयान के फलक पर जा सकेगा और उस पोत या उसके किसी भाग या किसी मशीन, उपस्कर या उसके फलक पर की किसी वस्तु अथवा ऐसे मास्टर या अन्य अधिकारी के, जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंध लागू हैं प्रमाणपत्रों का जलयान के समुद्री यात्रा पर अग्रसर होने में अनावश्यक निरोध या विलंब किए बिना, निरीक्षण कर सकेगा तथा यदि जलयान की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से ऐसी करना आवश्यक समझा जाए तो जलयान को निरीक्षण या सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए डाक में ले जाने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) किन्हीं ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा जिनमें प्रवेश करना और जिनका निरीक्षण करना उपरोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;

(ग) स्वहस्ताक्षरित समन द्वारा ऐसे सब व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा जिन्हें वह अपने समक्ष बुलाना ठीक समझे और उपरोक्त प्रयोजन के लिए उनका परीक्षण कर सकेगा तथा किन्हीं ऐसी पूछताछों के, जैसी पूछताछ करना वह ठीक समझता है, उत्तरों या विवरणियों की अपेक्षा कर सकेगा ;

(घ) सब सुसंगत बहियों, कागजपत्रों या दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और पेश करा सकेगा ;

(ङ) शपथ दिला सकेगा या शपथ लेने या शपथ दिलाने के स्थान पर उस व्यक्ति से, जिसका वह परीक्षण करे, उसके परीक्षण के दौरान उसके द्वारा दिए गए विवरणों की सत्यता की घोषणा करने की और उन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकेगा ; या

(च) किसी जलयान के कर्मीदल की हाजिरी ले सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या व्यक्ति को किसी जलयान के फलक पर जाने से प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसमें बाधा नहीं डालेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी शक्तियों के प्रयोग में अन्यथा अड़चन नहीं डालेगा ।

वैकल्पिक उपबंध और व्यवस्था को अनुज्ञात करने की शक्ति ।

271. जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि उपबंध या व्यवस्था के अधीन बाध्यता को पूरा करना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार, या अपने न्याचार या अपने संशोधन पर आधारित या परीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् उतनी ही प्रभावपूर्ण हैं जितनी कि अपेक्षित है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी अन्य उपबंध या व्यवस्था का उपयोग करने या उपलब्ध कराने का अनुज्ञा दे सकेगा ।

परमाणु जलयान का नियंत्रण और सुरक्षा उपाय ।

272. (1) कोई भी ऐसा जलयान जो परमाणु विद्युत संयंत्र से उपबंधित है भारत में किसी बन्दरगाह या किसी अन्य स्थान पर इसके अन्तर्गत इसका जलीय क्षेत्राधिकार भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना आगे नहीं बढ़ेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसा सुरक्षा उपाय करने के लिए जो आवश्यक हो जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

विदेशी और भारतीय जलयानों को छूट ।

273. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध सरकार के जलयानों को या ऐसे जलयानों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

छूट देने की शक्ति ।

274. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा या ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, जलयान या टिंडल या समुद्र यात्रा वृत्तिक को इस अधिनियम में सम्मिलित या इसके अनुसरण में विहित की गई किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या किसी जलयान या टिंडल या समुद्र यात्रा वृत्तिक की दशा में किसी ऐसी अध्यपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा का तात्विक रूप से अनुपालन कर दिया गया है या अपेक्षा के अनुपालन से उस मामले की परिस्थितियों में अभिमुक्ति प्रदान की जाए या की जानी चाहिए :

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी जो सुरक्षा अभिसमय प्रदूषण निवारण अभिसमय द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है वहां उन शर्तों में से किसी व्यतिक्रम की बाबत यह समझा जाएगा कि वह, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन अपराध है ।

नियम बनाने की साधारण शक्ति ।

275. इस अधिनियम में अन्यत्र सम्मिलित नियम बनाने की किसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियमों की बाबत उपबंध ।

276. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहेंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उनका कोई व्यतिक्रम के अधीन बनाए गए किसी नियम की दशा में, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दंडनीय होगा और यदि व्यतिक्रम जारी रहने वाला है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस अवधि के दौरान जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी किया की गई आदेश या अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना नहीं जारी की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या अधिसूचना निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किंतु नियम या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

277. किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

अन्य देशों के साथ करार ।

278. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अन्य देशों या संगठनों के साथ करार कर सकेगी ।

कठिनाइयों का निराकरण ।

279. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम

के उपबंधों से असंगत न हो प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

भाग 16

निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और व्यावृत्ति ।

280. (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और तटीय जलयान अधिनियम, 1838 को निरसित किया जाता है । 1958 का 44 1838 का 19

(2) उपधारा (1) द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी—

(क) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या छूट, तब तक जब तक वह प्रतिसंहृत नहीं की जाती है, वैसे ही प्रभावी रहेगी मानों वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई थी ;

(ख) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय नियुक्त किया गया कोई अधिकारी और निर्वाचित या गठित कोई निकाय जारी रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित, सृजित, नियुक्त या निर्वाचित या गठित किया गया था ;

(ग) किसी दस्तावेज में, निरसित किसी अधिनियमिति के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रति या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश है ;

(घ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन उद्गृहीत किसी जुर्माने को वैसे ही वसूल किया जा सकेगा मानों वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था ;

(ङ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए वैसे ही अभियोजन या दंड दिया जाएगा मानो वह अपराध इस अधिनियम के अधीन किया गया था ;

(च) निरसित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्टर किए गए किन्हीं जलयानों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम केअधीन रजिस्टर किए गए हैं ; 1958 का 44

(छ) निरसित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन भारत में किसी पत्तन पर रखी गई किसी रजिस्टर बही में अभिलिखित किए गए किन्हीं जलयानों के किन्हीं बंधकों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन रजिस्टर बहीं में अभिलिखित किए गए हैं ; 1958 का 44

(ज) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, क या ख प्रमाणपत्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र, अर्हित प्रमाणपत्र, सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, छूट प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज के बारे में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवृत्त है, यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, बनाए गई या मंजूर की गई है और वह सिवाय तब जब उसे इस

अधिनियम के अधीन रद्द कर दिया जाए, उस प्रमाणपत्र का दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी ;

(झ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विरचित या निपटारा किया जा सकेगा ;

(ञ) इस अधिनियम के प्रारंभ के अधीन विद्यमान अधिकारी ऐसे ही बने रहेंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है ;

(ट) किसी निरसित अधिनियम के अधीन या उसके कारण नियुक्त ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या इसके कारण उस पद पर नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा ;

(ठ) किसी निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच किए जाने का आदेश उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे ऐसे निरीक्षण, अन्वेषण या जांच किए जाने का आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया है ।

(3) इस धारा में किन्हीं विशिष्ट विषयों के उल्लेख से यह नहीं समझा जाएगा कि वह, निरसनों के प्रभाव की बाबत, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 को विकास प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के सर्वोत्तम अनुकूल रीति में दक्ष अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड तथा पोत परिवहन विकास निधि की स्थापना करने के लिए, भारतीय पोतों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए तथा साधारणतया वाणिज्यिक पोत परिवहन से संबंधित विधि के संशोधन और समेकन के लिए अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया है और अब उसमें 560 से अधिक धाराएं हैं ।

2. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य पोत परिवहन उद्योग में हाल के वर्षों में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं । नई चुनौतियों को पूरा करने और 'कारबार करने में सुगमता' को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय ध्वज के अधीन टन भार और भारतीय समुद्र यात्रा वृत्तिकों के अंश में वृद्धि करने के लिए, समुद्र यात्रा वृत्तिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए, जलयानों और समुद्र में जीवन की सुरक्षा में वृद्धि के लिए, सामुद्रिक प्रदूषण को रोकने के लिए, सामुद्रिक दायित्वों और प्रतिकरों का उपबंध करने के लिए तथा भारतीय तटीय पोत परिवहन और व्यापार के विकास आदि करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है ।

3. तटीय जलयान अधिनियम, 1838 ब्रिटिश युग का विधान है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ की सीमित अधिकारिता के लिए यंत्र रहित नोदित जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है । चूंकि वाणिज्य पोत परिवहन की विधि के अधीन सभी समुद्रगामी जलयानों के रजिस्ट्रीकरण को अधिकारिता में लाने का विनिश्चय किया गया है । इसलिए तटीय जलयान अधिनियम, 1838 अनावश्यक हो जाएगा ।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि के पुराने और अनावश्यक उपबंधों के स्थान पर समकालीन उपबंध किए जाते हैं, वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने का विनिश्चय, ऐसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और सामुद्रिक संधियों के अधीन, जिनका भारत एक पक्षकार है, देश की बाध्यता की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के सर्वोत्तम अनुकूल रीति में दक्ष अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ।

5. पूर्वोक्त दृष्टिकोण से, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और तटीय जलयान अधिनियम, 1838 को निरसित करना तथा समकालीन, भविष्यानुकूल और गत्यात्मक विधान अर्थात् वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 के लिए उपबंध करना आज्ञापक हो गया है ।

6. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :--

(क) सभी समुद्रगामी जलयानों को रजिस्टर करना, चाहे नोदित हो या नहीं, जिसके अंतर्गत किसी कानून के अधीन नहीं आने वाले जलयानों के कतिपय अवशिष्ट प्रवर्ग भी हैं ;

(ख) भारतीय अस्तित्वों द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण (बीबीसीडी) संविदा पर सारभूत रूप से स्वामित्व वाले जलयानों और चार्टर पर लिए गए जलयानों को पृथक् प्रवर्ग के रूप में भारतीय नियंत्रित टन भार को मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय ध्वज वाले जलयानों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अनुज्ञात करना और तटीय प्रचालनों के लिए भारतीय ध्वज वाले जलयानों को अनुज्ञप्ति जारी करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति

प्रदान करना, जिससे भारतीय टन भार के संवर्धन को और तटीय पोत परिवहन की प्रोन्नति को सुकर बनाया जा सके ;

(ग) भारतीय पोत परिवहन उद्योग की सुविधा के लिए जलयानों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रणाली को, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के विभिन्न भागों में फैली हुई है, एक साथ रखकर सरल और समेकित करना ;

(घ) अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के उपबंधों के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सामुद्रिक शिक्षा को मानीटर करना या भावी समुद्र यात्रा वृत्तिकों को अन्यथा क्वालिटी शिक्षा प्रदान करना और भारतीय समुद्र यात्रा वृत्तिकों का, अपने-अपने प्रमाणपत्र और अर्हता के साथ जलयानों के फलक पर कार्य करना, सुकर बनाना ;

(ङ) जलदस्युओं की बंदी स्थिति में रखे गए समुद्र यात्रा वृत्तिकों को उनको बंदी स्थिति से छोड़ने और सुरक्षित रूप से घर पहुंचने तक मजदूरी का हकदार बनाना, जिससे समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके ;

(च) जलयानों पर नियुक्त कर्मीदल के लिए, जिसके अंतर्गत मत्स्य, चलत या गैर नोदित जलयान तथा ऐसे जलयान भी हैं, जिनका टन भार 15 से कम है और जो भारत में केवल तटीय व्यापार में लगे हुए हैं, जलयान के स्वामी द्वारा बीमा करने को अनिवार्य बनाना ;

(छ) पोत परिवहन मास्टर के समक्ष कर्मीदल द्वारा करार के अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना, जिससे समुद्र यात्रा वृत्तिकों के शीघ्र नियोजन को सुकर बनाया जा सके ;

(ज) जलयानों की बाबत सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के लिए उपबंध करना, जिससे पहचान की समर्थता होगी और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ;

(झ) अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठनों के साथ अभिसमयों, अर्थात्, (i) दि इंटरवेंशन कन्वेंशन, 1969, (ii) दि सर्च एंड रेस्क्यु कन्वेंशन, 1979, (iii) दि अनेक्स VI टू दि इंटरनेशनल कन्वेंशन आन प्रिवेंशन आफ पोल्युशन फ्राम शिप्स, (iv) दि कन्वेंशन फार कन्ट्रोल एंड मैनेजमेंट आफ शिप्स बलास्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स, 2004, (v) दि नैरोबी रेक रिमूवल कन्वेंशन, 2007, (vi) दि साल्वेज कन्वेंशन, 1989 एंड (vii) दि इंटरनेशनल कन्वेंशन फार बंकर आयल पोल्युशन डैमेज, 2001 को प्रभावी बनाने के लिए उपबंध करना ;

(ञ) तटीय जलयान अधिनियम, 1838 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 को निरसित करना ।

(7) विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 दिसंबर, 2016

नितिन गडकरी

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

खंड 2--यह खंड विधेयक को लागू करने के लिए उपबंध करता है । यह रजिस्ट्रीकृत जलयानों, रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित जलयानों और दो प्रवर्गों की प्रक्रिया से भिन्न जलयानों को विधेयक के लागू होने के लिए विनिर्दिष्ट करता है । यह भारतीय नियंत्रित टन भार जलयानों को विधेयक के लागू होने की सीमा भी विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 3--इस खंड में, विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है । यह विभिन्न पदों जैसे "तट", "भारत का तटीय व्यापार", "अभिसमय", "कष्टप्रद समुद्र यात्रा वृत्तिक", "कुटुंब", "भारतीय नियंत्रित टन भार जलयान", "रजिस्ट्री का पत्तन", "चलित जलयान", "पोत", "विशेष व्यापार", "जलयान" और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों को परिभाषित करता है ।

खंड 4--यह खंड राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है । यह बोर्ड की संरचना जैसे संसद् के छह सदस्य ; केन्द्रीय सरकार द्वारा छह सदस्यों की नियुक्ति ; पोत स्वामियों और समुद्र यात्रा वृत्तिकों का पोत परिवहन बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए समान संख्या में सम्मिलित होंगे ; और इसके सदस्यों की पदावधि, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने की इसकी शक्ति और अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 5--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण का संवर्द्धन करने के लिए इसमें यथा उपबंधित उपायों पर सलाह देने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करता है ।

खंड 6--यह खंड विधेयक के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां, प्राधिकार या कर्तव्यों के प्रयोग या निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, पोत परिवहन के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने को केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है । यह खंड केन्द्रीय सरकार को महानिदेशक की शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए भी सशक्त करता है और वह अपनी शक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी महा निदेशक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

खंड 7--यह खंड केन्द्रीय सरकार को ऐसे पत्तनों या स्थानों पर सर्वेक्षक नियुक्त करने को सशक्त करता है जिन्हें वह आवश्यक समझे । यह केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को स्थोरा जलयानों के मामलें में सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत करने को सशक्त करता है ।

खंड 8--यह खंड केन्द्रीय सरकार को रेडियो संचार से संबंधित रेडियो निरीक्षकों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 9--यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोच्चि, कांडला और भारत में ऐसे अन्य पत्तनों या स्थानों पर वाणिज्यिक सामुद्रिक विभाग के कार्यालय की स्थापना और उनको बनाए रखने के लिए सशक्त करता है । यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोच्चि, कांडला और यथा अधिसूचित ऐसे अन्य पत्तनों या स्थानों पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालयों के मुख्य अधिकारी के भार साधक होगा और किसी अन्य पत्तन या स्थान पर ऐसा अधिकारी प्रभारी होगा जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार नियुक्त करें ।

खंड 10--यह खंड केन्द्रीय सरकार को पोत परिवहन कार्यालय स्थापित करने और परिवहन मास्टर तथा अन्य अधिकारियों जिन्हें वह आवश्यक समझे, नियुक्त करने को सशक्त करता है । यह उपबंध करता है कि यदि किसी ऐसे स्थान पर जहां पोत परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं है वहां या तो वाणिज्यिक सामुद्रिक विभाग या पत्तन अधिकारी या कोई अन्य कार्यालय पोत परिवहन कार्यालय कारबार संचालित कर सकेंगे । यह और उपबंध करता है कि उप पोत परिवहन मास्टर, सहायक पोत परिवहन मास्टर या पोत परिवहन कार्यालय में कोई अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है उसका वहीं प्रभाव होगा यदि वह पोत परिवहन मास्टर द्वारा किया जाता ।

खंड 11--यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक पत्तन पर एक समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय की स्थापना करने और जिसमें एक निदेशक और उतने उप निदेशकों तथा सहायक निदेशकों को नियुक्त करने के लिए, जितने वह आवश्यक समझे, सशक्त करता है । यह उपबंध करता है कि उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा किए गए सभी कृत्य वहीं प्रभाव रखेंगे यदि निदेशक द्वारा स्वयं किए जाते है । यह भी उपबंध करता है कि यदि कुछ पत्तनों पर समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय उपलब्ध नहीं है तब ऐसे स्थानों पर केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालयों के कृत्यों को करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय समुद्र यात्रा वृत्तिक रोजगार कार्यालय समझे जाएंगे ।

खंड 12--यह खंड केन्द्रीय सरकार को भारत से बाहर किसी पत्तन या किसी स्थान में समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है । इसमें विनिर्दिष्ट कर्तव्य जो समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी को पालन करने के लिए प्रगणित हैं । यह और उपबंध करता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी भारत के बाहर किसी पत्तन पर नियुक्त है उसे किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर को समनुदेशित कृत्यों का पालन करना होगा ऐसे कृत्यों का वही प्रभाव होगा यदि वे किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा उनका पालन किया जाता है ।

खंड 13--यह खंड विधेयक के भाग 3 के लागू होने का उपबंध करता है । यह रजिस्ट्रीकृत जलयानों के प्रयोजन के लिए सभी चलित जलयानों को भाग 3 के लागू होने का उपबंध करता है ।

खंड 14--यह खंड प्रत्येक जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए बाध्यताओं को अधिरोपित करता है । यह उपबंध करता है कि प्रत्येक भारतीय जलयान भाग 3 के अधीन ऐसे पत्तन या रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए । यह और उपबंध करता है कि जो जलयान, तटीय जलयान अधिनियम, 1838 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है जिसे इस विधेयक द्वारा निरसित करने के लिए प्रस्ताव है, प्रस्तावित विधान के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर इस विधेयक के उपबंधों के अधीन पुनः रजिस्ट्रीकृत होंगे और विद्यमान अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए समझे जाएंगे । यह भी उपबंध है कि भारतीय नौसेना भारतीय तटरक्षक, कस्टम प्राधिकारियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों, तटीय पुलिस और अन्य पुलिस अभिकरणों से भिन्न जलयान, सरकार के सभी जलयान इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत होंगे ।

इस खंड का उपखंड (2) भारत से बाहर किसी भारतीय जलयान के नियमों द्वारा की गई शर्तों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण करने को समर्थ बनाता है । उपखंड (3) उपबंध करता है कि कोई जलयान भारतीय जलयान या कोई भारतीय नियंत्रित टनभार जलयान नहीं होगा कि जब तक कि ऐसा जलयान इसमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा सारतः स्वामित्व में नहीं है । उपखंड (4) यह आदेशात्मक है कि कोई भारतीय जलयान किसी रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना

समुद्र में नहीं जाएगा, उसे निरुद्ध कर दिय जाएगा जब तक कि वह ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

खंड 15--यह खंड भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार को नियुक्त करता है । यह उपबंध करता है कि किसी पत्तन पर वाणिज्यिक पोत परिवहन विभाग का मुख्य अधिकारी उक्त पत्तन पर भारतीय जलयानों का रजिस्ट्रार होगा और भारत में किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त स्थान पर भारतीय जलपोतों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करें । यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक रजिस्ट्रार एक रजिस्ट्रीकरण बही रखेगा और उस बही में प्रविष्टियां करेगा और इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के अभिलेखों को बनाए रखेगा तथा उनका अनुरक्षण ऐसी रीति में करेगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

खंड 16--यह खंड रजिस्ट्री के आवेदन के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप और रीति में होंगे, जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाए ।

खंड 17--यह खंड रजिस्ट्रीकरण से पूर्व जलयानों के चिन्हांकन, सर्वेक्षण और माप के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रत्येक भारतीय जलयान का स्वामी रजिस्ट्रीकरण से पूर्व ऐसे जलयान का चिन्हांकन, सर्वेक्षण और माप किसी सर्वेक्षक द्वारा कराएगा तथा जलयान का टन भार का ऐसी रीति में अभिनिश्चय कराएगा जो विहित की जाए तथा सर्वेक्षक नियमों द्वारा विहित रीति में जलयान के टन भार और उसके निर्माण और ऐसी अन्य विशिष्टियों के वर्णन को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा तथा रजिस्ट्री से पहले रजिस्ट्रार को सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र परिदत्त करेगा ।

खंड 18--यह खंड इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने वाले किसी भारतीय जलयान के हक के संबंध में जांच करने को रजिस्ट्रार को सशक्त करता है । यह उपबंध करता है कि जहां रजिस्ट्रार को प्रतीत होता है कि किसी भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी भारतीय जलयान के हक के रूप में कोई शंका उत्पन्न होती है वह अपने समाधान के लिए साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि रजिस्ट्रार को समाधानप्रद रूप में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो ऐसा जलयान समपहरण के लिए दायी होगा ।

खंड 19--यह खंड रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र दिए जाने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण पूर्ण हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया जाएगा । यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विरूपित हो जाने या विकृत हो जाने या खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में टन भार प्रमाणपत्र जारी करने और नए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र दिए जाने का भी उपबंध करता है ।

खंड 20--यह खंड प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र का जलयान के विधिपूर्ण नौ परिवहन के लिए केवल उपयोग होगा और सदैव जलयान के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा ; किसी हक, धारणाधिकार, प्रभार या हित इनमें से किसी आधार द्वारा किसी स्वामी, बंधकदार या अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसका दावा करता है, द्वारा रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र की मांग पर हकदार व्यक्ति को उसे परिदत्त करेगा । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अवैध कब्जा एक अपराध के रूप में उपबंध किए जाने का और उपबंध करता है ।

खंड 21--यह खंड स्वामित्व के परिवर्तन के प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन पर उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है, भारतीय जलयान का स्वामित्व का संरक्षण के पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री

का प्रमाणपत्र देगा जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में पृष्ठांकन करेगा, जो विहित की जाए ।

खंड 22--यह खंड किसी भारतीय जलयान के खो जाने या भारतीय पोत न रहने पर प्रमाणपत्र का परिदत्त किए जाने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी भारतीय जलयान के वास्तव में या अन्यानविक रूप से खो जाने, शत्रु द्वारा ले जाने या जल जाने या किसी कारण से भारतीय पोत न रहने की दशा में या किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता है, ऐसे जलयान का प्रत्येक स्वामी घटना की जानकारी प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् यदि ऐसी सूचना रजिस्ट्रार को पूर्व में नहीं दी गई है, रजिस्ट्रार को उसकी सूचना देगा । इस प्रकार रजिस्ट्रार तद्नुरूप अपने अभिलेखों में प्रविष्ट कर सकेगा ।

खंड 23--यह खंड भारतीय जलयान के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रार, भारतीय कौंसलीय आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति छह मास की अवधि के लिए जिसे स्थायी रजिस्ट्रीकरण की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त तीन मास की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है, अनंतिम प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और ऐसा अनंतिम प्रमाणपत्र निरस्तीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रदत्त करने की अपेक्षा होगी, जहां से किसी जलयान को स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है ।

खंड 24--यह खंड उन शर्तों के लिए उपबंध करता है जहां केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आपात के दौरान किसी भारतीय जलयान के अंशों का अंतरण होने की संभावना नहीं है, की दशाओं का उपबंध करता है । यह किसी भारतीय जलयान के अंतरण या अर्जन जैसे बंधक के समाधान, भाड़े की कानूनी फीस की दशाओं का और उपबंध करता है । यह भी उपबंध करता है कि अंतरण की लिखित में अपेक्षित विशिष्टियां लिखित में होंगी ।

खंड 25--यह खंड अंतरण के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रत्येक भारतीय जलयान या उसके किसी भाग के अंतरण के लिए प्रत्येक लिखत जब वह सम्यक् रूप से निष्पादित होगा, उसकी रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा और रजिस्ट्रार, रजिस्टर बही में अंतरिती का नाम, यथास्थिति, जलयान या अंश के स्वामी के रूप में उसे प्रविष्ट करेगा और लिखत पर उसे पृष्ठांकित करेगा । उक्त प्रविष्टि करने के तथ्य की तारीख और उसका समय भी अंकित करेगा तथा ऐसा प्रत्येक लिखत रजिस्ट्रार को उसे प्रस्तुत करने के क्रम में रजिस्टर बही में प्रविष्ट होगा ।

खंड 26--यह खंड मृत्यु, दिवाला आदि पर भारतीय जलयान से संपत्ति के पारेषण के लिए उपबंध करता है । यह किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु या दिवाला होने की दशा में या इस विधेयक के अधीन से भिन्न किसी विधिपूर्ण साधन से किए गए किसी अंतरण पर अंतरित हुए किसी जलयान में जिसे वह संपत्ति गई है, व्यक्ति द्वारा पूर्ण किए गए कतिपय कार्रवाई के लिए उपबंध करता है रजिस्ट्रार, रजिस्टर बही में प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसे पारेषण के कारण जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है, रजिस्ट्रार को रजिस्टर पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

खंड 27--यह खंड, अन्य बातों के साथ, यदि जहां कोई जलयान भारतीय जलयान नहीं रह जाता है, वहां ऐसे जलयान का भारत के किसी नागरिक या किसी कंपनी या निकाय या सहकारी सोसाइटी को विक्रय करने हेतु निदेश के लिए किसी उच्च न्यायालय को आवेदन करने हेतु उपबंध करने के लिए है और रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार द्वारा, उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए जिनमें ऐसा यान भारतीय यान नहीं रह गया है, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी उपबंध करने के लिए है ।

खंड 28--यह खंड न्यायालय के आदेश द्वारा विक्रय पर किसी जलयान के अंतरण के लिए

उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि कोई न्यायालय किसी जलयान के विक्रय या न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति में निहित किसी घोषणा से उसके अंश के विक्रय के लिए आदेश पारित कर सकेगा और वह व्यक्ति जलयान या अंश का उसी रीति में तथा उस सीमा तक यदि वह उसका रजिस्ट्रीकृत स्वामी होता, हकदार होगा ।

खंड 29--यह खंड जलयान या उसके अंश के बंधक के लिए जिसमें किसी ऋण या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रतिभूति करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 30--यह खंड बंधकदार के अधिकारों का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां किसी जलयान या अंश के बंधकदार केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है, वह उच्च न्यायालय में अनुरोध के बिना बंधक जलयान या उसके अंश के विक्रय द्वारा बंधक अधीन शोध्य रकम की वसूली का हकदार होगा । यह और उपबंध करता है कि जहां किसी जलयान के या उसके अंश के दो या दो से अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है वहां वह उच्च न्यायालय में बंधक के अधीन शोध्य रकम के वसूली के हकदार होंगे ।

खंड 31--यह खंड उपबंध करता है कि जलयान या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक पर बंधक अभिलिखित किए जाने की तारीख के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा किए गए दिवालिएपन के किसी कृत्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

खंड 32--यह खंड किसी लिखत द्वारा किसी व्यक्ति को बंधकों या अंशों के अंतरण का उपबंध करता है और ऐसी लिखत के पेश किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार, रजिस्टर बही में उसके ब्यौरे अभिलिखित करेगा ।

खंड 33--यह खंड कतिपय परिस्थितियों में बंधक हितों के अंतरण के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां किसी जलयान या अंश के किसी बंधकदार के हित का अंतरण मृत्यु या दिवालियापन या इस विधेयक के अधीन विधिपूर्ण साधनों से भिन्न किया गया है वहां अंतरिम ऐसे व्यक्ति की घोषणा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जिसको हित का अंतरण किया गया है और व्यक्ति जिसको स्वत: का अंतरण किया गया है उसके साथ उसका कथन तथा उसका साक्ष्य होगा ।

खंड 34--यह खंड जलयान की पहचान के प्रयोजन के लिए उसका नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या वर्णित करेगा कि वह भारतीय जलयान है, का उपबंध करता है ।

खंड 35--यह खंड उपबंध करता है कि जब किसी जलयान में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है जो रजिस्टर बही में अंतर्विष्ट उसकी टन भार या वर्णन से संबंधित विशिष्टियों के समरूप नहीं हैं तब रजिस्ट्रार परिवर्तन के पश्चात् ऐसे जलयान के पहले पत्तन पर आने पर परिवर्तन की विशिष्टियों को अधिकथित करते हुए स्वामी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर या तो रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन कराएगा या जलयान के नए रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्देश देगा ।

खंड 36--यह खंड जलयान के नए रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां को रजिस्ट्रार, रजिस्टरी के जलयान पत्तन का रजिस्ट्रार नहीं होने के कारण किसी जलयान के परिवर्तन के बारे में आवेदन पर जलयान के नए रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निदेश देता है वहां वह या तो जलयान को परिवर्तित किए जाने के लिए वर्णन के साथ अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या विद्यमान प्रमाणपत्र पर परिवर्तन की विशिष्टियों को पृष्ठांकित करेगा ।

खंड 37--यह खंड उपबंध करता है कि जहां किसी भारतीय जलयान के स्वामित्व में परिवर्तन है, पत्तन का रजिस्ट्रार जिस पर वह जलयान रजिस्ट्रीकृत है जलयान के स्वामी के आवेदन पर इस

विधेयक के अधीन नए जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

खंड 38--यह खंड रजिस्ट्री के अंतरण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि किसी जलयान की रजिस्ट्री को रजिस्ट्री के एक पत्तन से रजिस्टर में जलयान के हितबद्ध स्वामियों या बंधकदारों के रूप में प्रकट सभी व्यक्तियों की लिखित में की गई घोषणा द्वारा विद्यमान पत्तन के रजिस्ट्रार को किए गए आवेदन पर दूसरे रजिस्ट्री पत्तन को अंतरित किया जाएगा किंतु ऐसा अंतरण उन सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी के अधिकारों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा और वे अधिकार सभी प्रकार से उसी रीति में जारी रहेंगे मानों ऐसा कोई अंतरण प्रभावी नहीं हुआ था ।

खंड 39--यह खंड परित्यक्त जलयानों के पुन:रजिस्ट्रीकरण पर निर्बंधन करता है । यह उपबंध करता है कि जहां कोई जलयान ध्वस्त या परित्यक्त हो जाने या शत्रु द्वारा पकड़े जाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाने से विरत हो जाता है, जलयान को तब तक पुन: रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के व्यय पर किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया जाता है और उसे समुद्री यात्रा के योग्य प्रमाणित नहीं किया जाता है ।

खंड 40—यह खंड केंद्रीय सरकार को सभी भारतीय जलयानों के लिए उचित राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के जलयानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न ध्वजों को घोषित करने की शक्तियां प्रदान करने हेतु सशक्त करने के लिए है । यह विधेयक भारतीय निधि या भारतीय तटरक्षक दल के कमीशंड आफिसर, सर्वेक्षक को इस विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल बोर्ड पर ध्वजों को आरोहित करने पर ध्वज को अभिगृहीत करने के लिए सशक्त करता है । यह किसी जलयान को, जो भारतीय जलयान नहीं है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह जलयान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ठहराने के लिए प्रतिबंध भी अधिरोपित करता है ।

खंड 41—यह खंड उपबंध करता है कि किसी भारतीय जलयान का स्वामी या मास्टर जानबूझकर जलयान के किसी भारतीय स्वरूप को छुपाने के आशय से उसकी जांच करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा हकदार किसी व्यक्ति से जलयान के लिए किसी भारतीय स्वरूप को ग्रहण किए जाने के आशय से या इस प्रकार हकदार किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने के आशय से कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा या कोई कागज-पत्र या दस्तावेज नहीं ले जाएगा या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

खंड 42—यह खंड उपबंध करता है कि कोई भारतीय जलयान किसी विशेषाधिकार प्रसुविधाओं, सहलूतियों और संरक्षण, जो कि सामान्यत: भारतीय जलयानों को प्राप्त हैं या भारतीय जलयानों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वजों के उपयोग को या भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण करने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसे जलयान को भारतीय जलयान के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और ऐसे जलयान को शोध्य देय, जुर्माने के दायित्व और जलयान के फलक पर कारित किसी अपराध के लिए संपहरण और दंड के लिए ऐसे जलयान के साथ सभी प्रकार से उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा मानो वह मान्यताप्राप्त भारतीय जलयान था ।

खंड 43--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई जलयान भाग 3 के अधीन पूर्णत: या उसके किसी अंश के बारे में संपहरण के अध्यधीन हो जाता है, वहां भारतीय नौसेना का कमीशन्ड आफिसर, भारतीय तटरक्षक दल का कोई भी अधिकारी, कोई भी भारतीय कौंसलीय आफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जलयान को अभिगृहीत या निरुद्ध कर सकेगा और उसे न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष ला सकेगा ।

खंड 44--यह खंड स्वामियों के दायित्व का उपबंध करने के लिए है । इसमें यह उपबंध है कि

जहां कोई व्यक्ति, स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान या जलयान के अंश में बंधक से भिन्न किसी रीति के तौर पर फायदाप्रद रूप में हितबद्ध है, वहां ऐसे हितबद्ध व्यक्ति के साथ ही साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी, इस बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि ऐसी किन्हीं शास्तियों के प्रवर्तन की कार्यवाहियां, उक्त दोनों पक्षकारों या उनमें से किसी के विरुद्ध संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से की जा सकेंगी, इस विधेयक या किसी अन्य अधिनियम द्वारा जलयान या उसमें के अंश के स्वामियों पर अधिरोपित सभी धनीय शास्तियों के अध्यधीन होंगे ।

खंड 45--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रार को आवेदन करके किसी रजिस्ट्री बही का निरीक्षण कर सकेगा और रजिस्ट्री बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा और प्रमाणित प्रति के साक्ष्यिक महत्व का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 46--विधेयक का यह खंड किसी भारतीय जलयान के स्वामी को अपनी रजिस्ट्री बंद करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए है, बशर्ते उसके रजिस्टर में किसी अतुष्ट बंधक की प्रविष्टि नहीं है और मजदूरी की बाबत जलयान के मास्टर या समुद्र यात्रा वृत्तिक के कोई ऐसे बकाया दावे नहीं है, जिनकी सूचना दी गई हो ।

खंड 47--यह खंड विधेयक के भाग 3 के अध्याय 2 के आवेदन का उपबंध करने के लिए है । इसमें यह उपबंध है कि यह अध्याय भारत से भिन्न किसी देश की विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण संविदा पर चार्टर पर लेने वाले किसी भारतीय द्वारा चार्टर पर लिए हुए किसी जलयान को लागू होगा ।

खंड 48--इस खंड में इस विधेयक के अध्याय 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों की परिभाषाएं अन्तर्विष्ट हैं ।

खंड 49--यह खंड अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर पर लिए गए जलयान के रजिस्ट्रीकरण हेतु उपबंध करने के लिए है और अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और जिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता, भारतीय झंडे को फहराने की शक्ति सहित उसका बंद किया जाना आदि हेतु उपबंधों का भी उपबंध करने के लिए है ।

खंड 50--विधेयक का यह खंड विधेयक के भाग 3 के अधीन समाविष्ट प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 51--यह खंड यह आज्ञापक बनाने के लिए है कि प्रत्येक भारतीय जलयान में नियमों तथा अपेक्षाओं द्वारा उपबंधित कर्मीदल मापमान के अनुसार समुद्र यात्रा वृत्तिक उपलब्ध कराए जाएंगे और समुद्र यात्रा वृत्तिक ग्रेड के अनुसार ऐसे प्रमाणपत्र धारण करेंगे तथा यह जलयानों की भिन्न-भिन्न किस्मों पर तैनात किए जाने के लिए ऐसी अर्हताओं सहित व्यक्तियों की संख्या का भी उपबंध करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि विदेशी सक्षमता प्रमाणपत्रों को धारण करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय या विदेशी सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए भारतीय जलयानों के फलक पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

खंड 52--यह खंड केंद्रीय सरकार को, एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसार ऐसी फीस के संदाय पर सेवा, आयु-सीमा, चिकित्सक दृष्टया योग्यता, प्रशिक्षण, अर्हताएं और परीक्षा की बाबत अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के अध्यधीन सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 53--यह खंड महानिदेशक को सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और निर्धारण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और मानीटरी

करने के लिए तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संचालित करने की रीति का अनुमोदन के लिए तथा ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सशक्त करता है और उसे निरीक्षण करने और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने की शक्ति भी प्रदान करता है ।

खंड 54--यह खंड प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षाओं का उपबंध करने के लिए है । यह केंद्रीय सरकार को ऐसे प्रमाणपत्रों के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अर्हता की परीक्षा करने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है । यह परीक्षाएं संचालित करने की रीति तथा परीक्षकों द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाने वाली फीस का और उपबंध करता है । यह ऐसे आवेदकों को प्रमाणपत्र प्रदान करने का उपबंध भी करता है जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है । यह केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रमाणपत्र, उस दशा में, जब यह मिथ्या या गलत सूचना के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया है या यदि व्यक्ति कदाचार का दोषी है तो उस वापस लेने, निलंबित करने और रद्द करने के लिए भी सशक्त करता है । इसमें नियमानुसार ऐसी फीस के संदाय पर खो जाने इत्यादि की दशा में प्रमाणपत्र पुन: जारी करने का उपबंध भी है ।

खंड 55--यह खंड जलयान के मास्टर पर, समुचित अधिकारी को कर्मीदल की सूची सहित समुद्र यात्रा वृत्तिकों के सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सूची प्रस्तुत करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है । यह सर्वेक्षक को जलयान के फलक पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के जाने के लिए भी सशक्त करता है कि फलक पर समुद्र यात्रा वृत्तिकों के पास एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसार प्रमाणपत्र हैं ।

खंड 56--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि भारत विदेशी सक्षमता प्रमाणपत्रों और प्रवीणता प्रमाणपत्रों को समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगा यदि वे ऐसी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे ऐसे मानक, जो भारतीय प्रमाणपत्रों के धारकों से कम नहीं है तथा इस भाग में भारतीय प्रमाणपत्रों की मान्यता उनके देश में है और समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र पृष्ठांकन के प्रमाणपत्र के साथ जारी किए जा सकेंगे और पृष्ठांकन के प्रमाणपत्र को रखने वाले व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्रमाणपत्रित समझा जाएगा ।

खंड 57--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विदेशी जलयान समुचित प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों की अपेक्षित संख्या के बिना भारत के किसी पत्तन या स्थान से समुद्र में नहीं जाएगा और यह सर्वेक्षक को जलयान के फलक पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु जाने के लिए सशक्त करता है कि प्रमाणपत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिकों को वास्तविक रूप से नियुक्त किया गया है और वास्तविक रूप से उपस्थित हैं और वे पत्तन और समुद्र में कर्तव्यों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में हैं । यह केंद्रीय सरकार को कमी पाए जाने की दशा में सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर विदेशी जलयान को निरुद्ध किए जाने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 58--यह खंड कतिपय प्रमाणपत्र धारकों की आपात की उद्घोषणा के दौरान या संविधान के उपबंधों के अनुसार भारत की सुरक्षा को खतरा होने पर सरकार या भारतीय जलयान में सेवा करने की बाध्यता का उपबंध करता है ।

खंड 59--यह खंड भाग 4 के उपबंधों के लिए केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 60--यह खंड भाग 5 के लागू होने का उपबंध करता है । यह प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक, भर्ती और नियोजन सेवा तथा पोत के स्वामियों को लागू होता है ।

खंड 61--यह खंड कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है जो इस भाग में विनिर्दिष्ट हैं ।

खंड 62--यह खंड केंद्रीय सरकार को विभिन्न प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों के वर्गीकरण, न्यूनतम मापमान और पोतों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मापमान तथा किसी पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में नियोजित या लगे हुए समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 63--यह खंड इस विधेयक के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों के सामुद्रिक श्रम मानकों और उन पोतों के सिवाय पोतों के लागू होने का उपबंध करता है जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग में या ऐसे परिरक्षित जलमार्गों या क्षेत्रों के भीतर या निकट पार्श्वस्थ, जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि लागू होती है, के भीतर जलमार्गों में चलते हैं ; मछली पकड़ने के कार्याकलापों में लगे पोत ; परंपरागत रूप से बनाए गए पोत जैसे ढो और जंग या नौसेना सहायक पोत । इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार को इस खंड के उपबंध को किसी प्रवर्ग के पोतों तक और सामुद्रिक श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रमाणपत्र रखने वाले पोतों तक विस्तारित करने के लिए महानिदेशक को सिफारिश करने की शक्ति होगी तथा यह प्रमाणपत्र रखे बिना पोतों को समुद्र में जाने से प्रतिषिद्ध भी करता है ।

खंड 64--यह खंड पोत परिवहन मास्टरों के कर्तव्य को प्रगणित करता है ।

खंड 65--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिकों के नियोजन कार्यालय के कारबार को प्रगणित करने के लिए है । जैसे भर्ती और स्थानन सेवाओं को अनुज्ञप्ति जारी किया जाना और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किन्हीं अन्य कृत्यों का पालन करना ।

खंड 66--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिकों को अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा और भारतीय जलयानों के स्वामियों द्वारा लगाए जाने का उपबंध करने के लिए है । यह जलयान के स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति के बिना भर्ती और नियोजन सेवा के कारबार करने से प्रतिषिद्ध करता है । समुद्र यात्रा वृत्तिकों को निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र और पहचान दस्तावेज रखे बिना लगाए जाने से और सोलह वर्ष से कम के किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं के बिना लगाए जाने से या किसी भी हैसियत से कार्य करने के लिए समुद्र में ले जाए जाने से प्रतिषिद्ध करता है । यह समुद्र यात्रा वृत्तिक को चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र रखे बिना पोत पर लगाए जाने से भी प्रतिषिद्ध करता है और यह भी उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक के हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है, समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में नियोजन चाहने वाले किसी व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी व्यक्ति से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक से या समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में व्यक्ति के नियोजन के कारण इस विधेयक के उपबंधों द्वारा प्राधिकृत फीस से भिन्न किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या संदान या फीस या अनिवार्य अभिदाय की मांग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा ।

इस खंड में यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी फीस नियत कर सकेगी जो समुद्र यात्रा वृत्तिक के लगाए जाने और सेवोन्मुक्ति पर संदेय होंगे तथा उसके उल्लंघन में लगाए गए समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सेवाओं को भाग 4 के अधीन प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी ।

खंड 67--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृत्तिक को लगाए जाने के प्रयोजन के लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक के साथ एक करार अनुच्छेद करेगा और ऐसे करार की एक प्रति पोत परिवहन मास्टर को प्रस्तुत करेगा । इसमें किसी ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को लगाए जाने के लिए उसमें कतिपय उपबंध विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, जो भारत का नागरिक नहीं है । यह उस समय को और विनिर्दिष्ट करता है, जब मजदूरी और रसद आरंभ होंगे और यह उपबंध करता है कि किसी भी करार में पोत पर धारणाधिकार का

समपहरण नहीं किया जाएगा या समुद्र यात्रा वृत्तिक को मजदूरी की वसूली के उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा तथा इस विधेयक के उपबंधों से असंगत कोई भी उपबंध शून्य होगा ।

खंड 68--यह खंड केंद्रीय सरकार को समुद्र यात्रा वृत्तिकों के नियोजन या सामुद्रिक श्रम अभिसमय के अधीन किन्हीं अन्य अपेक्षाओं से संबंधित मामलों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 69--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिकों को पोत के ध्वंश हानि या परित्याग की दशा में चीजबस्त की हानि के लिए प्रतिकर या उसके समुद्री यात्रा पर जाने के लिए उसकी अयोग्यता या असमर्थता के लिए इस विधेयक के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाणपत्र के अधीन भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी समुद्री किनारे पर उसको छोड़े जाने के कारण मजदूरी प्राप्त करने का हकदार बनाने के लिए है और यह उपबंध करने के लिए है कि वह मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह उपेक्षा के कारण दीन या हीन समुद्र यात्रा वृत्तिक के रूप में अनुतोष के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने में असफल होता है । इसमें यह भी उपबंध है कि प्रतिकर की रकम समुद्र यात्रा वृत्तिक को या उसके मृत होने की दशा में उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को और यदि उसके द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या नामनिर्देशन शून्य हो गया है तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को संदाय करने के लिए भारत में उसकी नियुक्ति पत्तन पर पोत परिवहन मास्टर के पास जमा किया जाएगा ।

खंड 70--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक, छुट्टी के बिना अनुपस्थिति आदि के लिए मजदूरी का हकदार नहीं होगा ।

खंड 71--यह खंड मास्टर, स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा समुद्र यात्रा वृत्तिक को देय मजदूरी के अतिरिक्त समयपूर्व सेवोन्मुक्ति के कारण हुई नुकसानी के लिए प्रतिकर का उपबंध करने के लिए है और इसमें ऐसे प्रतिकर की सीमा भी विहित की गई है ।

खंड 72--यह खंड किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को शोध्य मजदूरी की बाबत कतिपय निर्बंधनों का उपबंध करने के लिए है । जैसे किसी न्यायालय के आदेश द्वारा कुर्की से, उसके प्रोद्भूत होने से पहले किया गया उसका कोई समनुदेशन उसे करने वाले व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगा । इसके अधीन रहते हुए यह लागू नहीं होगा यदि ऐसा समनुदेशन सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन है ।

खंड 73--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवोन्मुक्ति की रीति का उपबंध करने के लिए है । इसमें यह उपबंध है कि यदि किसी भारतीय पोत को उस समय अंतरित या व्ययनित किया गया है, जब वह भारत के बाहर किसी पत्तन के लिए समुद्र यात्रा पर है या पत्तन पर है, तो उस पोत से संबंधित प्रत्येक समुद्र यात्रा वृत्तिक को तब तक उस पत्तन पर सेवोन्मुक्त किया जाएगा, जब तक वह पोत की समुद्र यात्रा, यदि चालू है तो उसे पूरी करने के लिए लिखित में सहमत नहीं हो जाता है । इसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवोन्मुक्ति की कतिपय शर्तें और मजदूरी की हकदारी इत्यादि के भी उपबंध हैं ।

खंड 74--यह खंड इस आदेश के लिए है कि मास्टर लॉग बुक में समुद्र यात्रा वृत्तिक को उस समय, जब वह पीछे छोड़ दिया गया या फलक से गायब हो गया या मर गया है, मजदूरी और उसकी संपत्ति की बाबत रकम का एक विवरण प्रविष्ट करेगा ।

खंड 75--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक की सेवा बिना सहमति के और संविदा की समाप्ति से पहले समाप्त की जाती है तो पोत के मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृत्तिक को उसके रैंक और रेटिंग के अनुसार और उस समुद्र यात्रा

वृत्तिक को समुचित पत्तन पर लौटने के लिए पर्याप्त रसद प्रदान करेगा । इसमें यह भी उपबंध है कि यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता युक्तियुक्त कारण के बिना भरण-पोषण और उचित वापसी पत्तन तक यात्रा के लिए खर्चे प्रदान करने में असफल होता है, तो यदि वे समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा चुकाए गए हैं तो उसे देय मजदूरी के रूप में वसूलनीय होंगे और यदि भारतीय कौंसलीय कार्यालय द्वारा चुकाए गए हैं, तो उन्हें खंड 86 के उपबंध के भीतर आने वाले खर्चों के रूप में लिया जाएग ।

खंड 76--इस खंड में यह उपबंध है कि पोत परिवहन मास्टर के पास मजदूरी का संदाय करने के लिए जमा या उसके द्वारा वसूल की गई रकम अदावाकृत रहती है तो पोत परिवहन मास्टर ऐसी अवधि के पश्चात्, जो छह वर्ष से कम नहीं होगी, उस धन का उपयोग समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण के लिए ऐसी रीति में कर सकेगा जो केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

खंड 77--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि मास्टर, स्वामी या उसके अभिकर्ता तथा किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के बीच करार के अधीन किसी विवाद को पोत परिवहन मास्टर के पास भेजा जाएगा और वह भेजे गए विवाद का विनिश्चय करेगा और एक अधिनिर्णय पारित करेगा जो निश्चायक होगा । इसमें यह उपबंध और है कि अधिनिर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्रधान अधिकारी के समक्ष अपील करेगा और यदि कोई व्यक्ति प्रधान अधिकारी के अधिनिर्णय से व्यथित है तो महानिदेशक को द्वितीय अपील करेगा । इसमें यह भी उपबंध है कि इस धारा के अधीन किए गए अधिनिर्णय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रवृत्त किया जाएगा और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध पोत परिवहन मास्टर को भेजे गए किसी मामले को लागू नहीं होंगे ।

खंड 78--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि पोत परिवहन मास्टर स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता या किसी मेट या कर्मीदल के किसी अन्य सदस्य से उसके कब्जे में लाग बुक, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उनकी उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकेगा

खंड 79--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि मजदूरी की कार्यवाहियां किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा संचालित की जाएगी ।

खंड 80--यह खंड किसी सिविल न्यायालय में मजदूरी के लिए वादों के संस्थित करने को उस दशा के सिवाए वर्जित करता है, जहां पोत का स्वामी दिवालिया घोषित कर दिया गया है, पोत को बंदी बना लिया गया है या न्यायालय के प्राधिकार से बेच दिया गया है और प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ने दावों को न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया है ।

खंड 81--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक की समुद्री यात्रा भारत में समाप्त होती है तो वह मजदूरी के लिए भारत से बाहर किसी न्यायालय में तभी वाद करने का हकदार होगा, जब उसकी सेवोन्मुक्ति विधेयक के उपबंधों के अधीन यथापेक्षित ऐसी मंजूरी के साथ और मास्टर की लिखित सहमति से की गई है या वह मास्टर की ओर से या मास्टर के प्राधिकार से दुर्व्यवहार को साबित कर देता है जिससे यदि वह फलक पर रहता है तो उसके जीवन को खतरा होने की युक्तियुक्त आशंका हो जाती है ।

खंड 82--यह खंड पोत मास्टर के रोगग्रस्त हो जाने या बीमारी के कारण असमर्थ हो जाने के कारण किसी पोत के मास्टर की मजदूरी की वसूली के लिए उन्हीं अधिकारों, धारणाधिकारों और उपचारों का उपबंध करने के लिए है, जो किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के होते हैं और किसी कार्यवाहक मास्टर के भी वही अधिकार होते हैं । यह ऐसी मजदूरी, संवितरणों की बाबत किसी मास्टर के दावों

को निपटाने वाले न्यायालय को उस समय बकाया के लिए उद्भूत होने वाले सभी खातों का निपटारा करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 83--यह खंड केंद्रीय सरकार को समुद्र यात्रा वृत्तिक और उनके नियोक्ता के बीच किसी विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 84--यह खंड केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी आधिकारी को, ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक को पोत के मास्टर या स्वामी या उसके अभिकर्ता से देय मजदूरी और प्रतिकर वसूल करने के लिए सशक्त करता है, जो ऐसे पोत के साथ नष्ट हो गया है, जिससे उसका संबंध है ।

खंड 85--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक अपनी ओर से किसी व्यक्ति या उसके कुटुंब के किसी सदस्य का नामनिर्देशन कर सकता है, तथापि यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक का ऐसे किसी नामनिर्देशन के पश्चात् कुटुंब हो जाता है, तो नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा और नामनिर्देशन का प्ररूप तथा नामनिर्देशन से संबंधित विषय केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित होंगे ।

खंड 86--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के कष्टग्रस्त स्थिति में हो जाने पर भारतीय कौंसिलीय आफिसर उस स्थान पर या उसके आसपास, जहां समुद्र यात्रा वृत्तिक कष्टग्रस्त है, कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा उसको किए गए आवेदन पर उस समुद्र यात्रा वृत्तिक को समुचित वापसी पत्तन पर लौटने तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार व्यवस्था करेगा तथा उक्त समुद्र यात्रा वृत्तिक के लिए ऐसे पत्तन पर पहुंचने तक आवश्यक कपड़े और भरणपोषण की व्यवस्था भी करेगा और ऐसे संप्रत्यावर्तन पर उपगत खर्चे पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा केंद्रीय सरकार को देय होंगे ।

खंड 87--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक को दिया जाने वाला प्रमाणपत्र इस विधेयक के अर्थांतर्गत इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि ऐसा समुद्र यात्रा वृत्तिक कष्टग्रस्त है ।

खंड 88--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कोई पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी, भारतीय कौंसलीय आफिसर उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन पोत के फलक पर प्रवेश कर सकेगा और ऐसे पोत का निरीक्षण कर सकेगा । इसमें यह भी उपबंध है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा में भारत के पास समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा होगी तथा इस विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल भारत में किसी पत्तन पर किसी पोत के फलक पर समुद्र यात्रा वृत्तिक को ले जाए जाने से रोकने के प्रयोजनों के लिए पोत परिवहन मास्टर और अन्य अधिकारी ऐसे पोत के फलक पर किसी भी समय प्रवेश कर सकेंगे, यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक को पोत पर ले जाया गया है । इसमें "समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा" और "अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा" को भी स्पष्ट किया गया है ।

खंड 89--यह खंड मुकदमेबाजी की दशा में समुद्र यात्रा वृत्तिकों को कतिपय विशेष संरक्षण का उपबंध करने के लिए है । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक इस भाग के प्रयोजनों के लिए कर्मीदल के साथ करार की तारीख को प्रारंभ होने वाली और उस तारीख के पश्चात्, जिसको समुद्र यात्रा वृत्तिक को ऐसे करार से अंतिम रूप से उन्मोचित किया गया है, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् तक सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक समझा जाएगा और इसमें यह भी उपबंधित है कि कलेक्टर यह प्रमाणित कर सकेगा कि कोई व्यक्ति विधिक

कार्यवाहियों के संचालन के प्रयोजन के लिए सेवारत समुद्र यात्रा वृत्तिक है ।

खंड 90--यह खंड समुद्र यात्रा वृत्तिक को, यदि पोत ऐसे स्थान पर है, जहां कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट है या जब पोत ऐसे स्थान पर पहुंचता है या जहां ऐसा मजिस्ट्रेट उपलब्ध है, मास्टर या कर्मीदल के किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत करने के लिए समर्थ बनाने के लिए है ।

खंड 91--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक को देय उद्धारण का उसके उद्धत होने के पूर्व किया गया कोई समनुदेशन, समनुदेशन करने वाले व्यक्ति को आबद्ध नहीं करेगा तथा किसी ऐसे उद्धारण की प्राप्ति के लिए कोई मुख्तारनामा या प्राधिकार अप्रतिसंहरणीय नहीं होगा ।

खंड 92--यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जब कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में नहीं है या इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, अनुज्ञा के बिना पोत के फलक पर जाता है, तो पोत का मास्टर ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकेगा और उसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिए तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा ।

खंड 93--इस खंड में उपबंधित है कि कोई भारतीय समुद्र यात्रा वृत्तिक जानबूझकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा, जिसकी प्रवृत्ति पोत को तुरंत हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करने या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की हो अथवा पोत के या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन को तुरंत खतरा या क्षति पहुंचाने की हो ; और पोत को तुरंत हानि होने, नष्ट होने या उसका गंभीर नुकसान होने से परिरक्षण के लिए या पोत की या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन की क्षति से परिरक्षण के लिए उसके द्वारा किए जाने के लिए उचित और अपेक्षित किसी विधिपूर्ण कार्य को करने से इंकार नहीं क्रेगा या उसका लोप नहीं करेगा ।

खंड 94--इस खंड में उपबंधित है कि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक छुट्टी के बिना या पर्याप्त कारण के बिना अपने पोत का अभित्यजन नहीं करेगा या उसकी उपेक्षा नहीं करेगा या अनुपस्थित नहीं रहेगा और यह तथ्य कि वह पोत, जिस पोत पर समुद्र यात्रा वृत्तिक नियुक्त है या जिसका वह है, समुद्र यात्रा के अयोग्य है, एक उचित कारण होगा । परंतु यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक ने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में असफल रहने या इंकार करने से पूर्व मास्टर को या पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय कौंसलीय आफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी पत्तन पर इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह सूचित किया हो कि पोत समुद्र यात्रा के अयोग्य है । इसमें यह और उपबंधित है कि यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक पर्याप्त कारण के बिना अपने पोत से अनुपस्थित रहता है या अपने पोत का अभित्यजन करता है और पोत परिवहन मास्टर का यह समाधान हो जाने पर वह महानिदेशक को इसकी रिपोर्ट करेगा, जो तदुपरि यह निदेश कर सकेगा कि समुद्र यात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज और चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र का उतनी अवधि के लिए, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिसंहृत किया जाए और यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक पोत का अभित्यजन करता है या अनुपस्थित रहता है तो मास्टर, मेट, स्वामी या अभिकर्ता ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो समुद्र यात्रा वृत्तिक के विरुद्ध इस विधेयक के अधीन की जा सकेगी, उतने बल का प्रयोग करा सकेगा, जितना मामले की परिस्थितियों में उचित हो । इसमें यह भी उपबंधित है कि यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, भारत के बाहर अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अपराध करता है या अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो मास्टर, मेट, स्वामी या अभिकर्ता तब वारंट के बिना ही उसे गिरफ्तार करेगा और किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को अनुचित या अपर्याप्त कारण से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा इसमें यह

भी उपबंधित है कि यदि मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे प्रवहरण के कारण उचित रूप से उपगत कोई खर्चे और व्यय अपराधी द्वारा संदत्त किए जाएं तो वह उसकी मजदूरी में से काटी जा सकती है ।

खंड 95--यह खंड अनुशासन संबंधी अनुल्लंघन की ऐसी सभी कार्यवाहियों को सूचीबद्ध करने के लिए है, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक किसी अपराध का दोषी है ।

खंड 96--इस खंड में उपबंधित है कि यदि समुद्र यात्रा वृत्तिक किसी माल की तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जिसके कारण पोत के मास्टर या स्वामी को हानि या नुकसान हो जाता है तो वह उस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त राशि, उसकी पूरी मजदूरी या उसके भाग से वसूल की जा सकती है और महानिदेशक तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराए गए ऐसे समुद्र यात्रा वृत्तिक का सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र या समुद्र यात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज रद्द कर सकता है ।

खंड 97--इस खंड में उपबंधित है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है अथवा अवचार का कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जिसके लिए अपराधी का करार जुर्माना अधिरोपित करता है तो अधिकृत लॉग बुक में उस अपराध या कार्य की प्रविष्टि की जाएगी और अपराधी को, यदि वह पोत में ही है और वह पोत के तद्न्तर किसी पत्तन पर पहुंचने वाला है तो उसे उस प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और उसे पढ़कर सुनाई जाएगी, वह तदुपरि उसका ऐसा उत्तर दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे और उसके पश्चात् प्रविष्टि की प्रति का इस प्रकार से दिए जाने और पढ़कर सुनाए जाने का विवरण तथा यदि अपराधी ने कोई उत्तर दिया है तो उसे उसी प्रकार प्रविष्ट किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

खंड 98--इस खंड में उपबंधित है कि किसी भारतीय पोत पर भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक यदि भारत में छुट्टी के बिना अभित्यजन करता है तो पोत का मास्टर ऐसे अभित्यजन या अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के अड़तालीस घंटे के भीतर उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, देगा ।

खंड 99--इस खंड में उपबंधित है कि भारतीय पोत के अभित्यजन की दशा में मास्टर, अधिकृत लॉग बुक को भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष पेश करेगा और वह अधिकारी तदुपरि प्रविष्टि की एक प्रति तैयार और प्रमाणित करेगा तथा ऐसी प्रमाणित प्रविष्टि की प्रति पोत परिवहन मास्टर को विधिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत करने के लिए संप्रेषित करेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति ऐसे अभित्यजन से संबंधित विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य होगी ।

खंड 100--इस खंड में उपबंधित है कि पोत से अभित्यजन साबित करने के लिए यह दर्शित करना होगा कि समुद्र यात्रा वृत्तिक को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था या वह पोत पर था, तथा उसने समुद्र यात्रा अथवा नियोजन पूर्ण होने के पूर्व पोत छोड़ दिया था और समुद्र यात्रा वृत्तिक के अभित्यजन की अधिकृत लाग बुक में सम्यक् रूप से प्रविष्टि की जाएगी । इसमें यह और उपबंधित है कि अभित्यजन, जहां तक उसका संबंध मजदूरी के समपहरण से है, तब तक साबित कर दिया गया समझा जाएगा जब तक समुद्र यात्रा वृत्तिक सेवोन्मुक्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है या न्यायालय को यह नहीं दर्शाता है कि उसके पास पोत छोड़ने के पर्याप्त कारण थे ।

खंड 101--इस खंड में उपबंधित है कि जहां कोई मजदूरी या अन्य संपत्ति पोत से अभित्यजन के लिए समपहृत की जाए, वहां उसका उपयोजन अभित्यजन के कारण मास्टर या

स्वामी या अभिकर्ता को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा और ऐसी प्रतिपूर्ति के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी । इसमें यह और उपबंधित है कि अभित्यजन के पश्चात् अर्जित मजदूरी को वसूल किया जा सकेगा ।

खंड 102--इस खंड में उपबंधित है कि समुद्र यात्रा वृत्तिक की मजदूरी के समपहरण या उनमें से कटौतियों से संबंधित कोई प्रश्न, उस मजदूरी की बाबत विधिक रूप से संस्थित की गई किसी कार्यवाही में अवधारित किया जा सकेगा ।

खंड 103—यह खंड, किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक पर अवचार के किसी कार्य के लिए करार के अधीन अधिरोपित जुर्माने की कटौती प्रक्रिया का और पोत परिवहन मास्टर द्वारा प्राप्त सभी जुर्माने के ऐसे आगमों का समुद्र यात्रा वृत्तिक के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 104—इस खंड में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने या समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने की उपेक्षा करने या इंकार करने या पोत का अभित्याग करने के लिए या उसे उसके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या ऐसा करने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिक को संश्रय देने या छिपाने के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास करने का प्रतिषेध किया गया है ।

खंड 105—इस खंड में उपबंधित है कि कोई व्यक्ति पोत में स्वयं को नहीं छिपाएगा और स्वामी, अभिकर्ता या मास्टरों या मेट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, जो सम्मति देने के लिए हकदार है, पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा । इसमें यह और उपबंधित है कि यदि मास्टर किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को पोत पर सवार करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह जब तक पोत पर रहेगा तब तक वह अनुशासन की विधियों के इस प्रकार अधीन होगा, मानो किसी सदस्य ने कर्मी दल के साथ हुए करार पर हस्ताक्षर किए हैं और मास्टर पोत पर पहुंचने पर यथासंभव शीघ्र समुचित अधिकारी को लिखित में सहमति के बिना किसी व्यक्ति के पोत पर समुद्र यात्रा पर चले जाने की रिपोर्ट करेगा ।

खंड 106--इस खंड में उपबंधित है कि यदि समुद्र यात्रा के दौरान भारतीय पोत के मास्टर को हटा दिया जाता है या अतिष्ठित कर दिया जाता है या वह पोत को छोड़ देता है और कमान किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो पोत के नौवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और उसके कर्मीदल को, जो उसकी अभिरक्षा में है, और सूचीबद्ध किए गए ऐसे दस्तावेजों को सौंपे जाने संबंधी टिप्पण को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगा और ऐसे दस्तावेज और सौंपे जाने संबंधी टिप्पण प्राप्त होने पर उत्तराधिकारी उस प्रभाव की अधिकृत लॉग बुक में प्रविष्टि करेगा, जिसे पूर्वाधिकारी द्वारा भी पृष्ठांकित किया जाएगा ।

खंड 107--इस खंड में उपबंधित है कि भारत के बाहर किसी देश की सरकार द्वारा भारतीय पोतों से उस देश में अभित्यजन करने वाले समुद्र यात्रा वृत्तिकों को बरामद करने या उन्हें पकड़ने के लिए सम्यक् सुविधाएं दी जाएंगी । इसमें यह और उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि यह खंड ऐसे देश के पोतों के समुद्र यात्रा वृत्तिकों को, ऐसी परिसीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू होगी और यदि किसी देश के पोत का कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक अभित्यजन करता है तो उस देश के कौंसलीय आफिसर के आवेदन पर, अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देगा और उस प्रयोजन के लिए, शपथ पर दी गई जानकारी पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा तथा अभित्यजन का सबूत दिए जाने पर उसका उसके पोत पर प्रवहण किए जाने का या उस पोत के मास्टर या मेट या स्वामी या उसके अभिकर्ता को अभित्याजक का इस प्रकार के प्रवहण किए जाने के लिए परिदत्त

किए जाने का आदेश देगा और कोई ऐसा वारंट या आदेश तदनुसार निष्पादित किया जा सकेगा ।

खंड 108--यह खंड दो सौ सकल टन भार से अधिक के पोत के लिए एक अधिकृत लॉग बुक रखने और प्रत्येक पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, जिसके लिए अधिकृत लॉग बुक का रखा जाना अपेक्षित है, द्वारा अधिकृत लॉग बुक, पोत परिवहन मास्टर को, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, परिदत्त करने संबंधी कर्तव्य का उपबंध करने के लिए है । इसमें यह और उपबंधित है कि अंतिम पत्तन पर पहुंचने से पूर्व हुई किसी घटना के संबंध में, अधिकृत लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी ।

खंड 109--यह खंड केंद्रीय सरकार को विधेयक के भाग 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 110--यह खंड भारतीय जलयानों और विदेशी जलयानों को सुरक्षा तथा सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षा पहलूओं पर पत्तन संबंधी विषयों पर तथा सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विषयों पर कंपनी को भाग 6 को लागू करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 111--यह खंड अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 112--यह खंड ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधियों के अधीन, जिनका भारत पक्षकार है, विभिन्न बाध्यताओं का अनुपालन करने हेतु उपबंध करने के लिए है । इसमें विनिर्दिष्ट इन संधियों में से प्रत्येक संधि में, राज्य के लिए, संधियों को पूर्ण और प्रभावी रूप से कार्यान्वित और प्रवृत्त करने हेतु उपयुक्त राष्ट्रीय विधान अधिनियमित करने की कतिपय बाध्यताएं अंतर्विष्ट हैं ।

खंड 113--यह खंड किसी जलयान के मास्टर पर, जलयान की सुरक्षा, फलक पर के व्यक्तियों की सुरक्षा, समुद्र में खतरनाक स्थोरा से होने वाली हानि, सुरक्षित नौपरिवहन को प्रभावित करने वाले विषयों, जलयानों आदि के परित्याग से संबंधित किसी घटना की केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है ।

खंड 114--यह खंड किसी भारतीय जलयान के मास्टर पर, जब उसे सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई संदेश प्राप्त हो, समुद्र में संकट की किसी परिस्थिति के लिए सहायता प्रदान करने की बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है । इसमें यह और उपबंधित है कि जब तक मास्टर इस कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वह सहायता उपलब्ध कराने के कर्तव्य से बाध्य होगा और इसमें अभिलेखों का आज्ञापक अनुरक्षण करने तथा उन परिस्थितियों के बारे में भी उपबंध है जिनमें मास्टर सहायता प्रदान करने में असमर्थ है ।

खंड 115--यह खंड अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय तलाशी और बचाव अभिसमय, 1979 और उससे संबंधित करार में यथा अपेक्षित भारत द्वारा समुद्र में तलाशी और बचाव की व्यवस्था करने तथा बचाव समन्वय केंद्रों और उपकेंद्रों की स्थापना करने के संबंध में है ।

खंड 116--यह खंड रेडियों संसूचना, संकट और सुरक्षा उपस्कर संबंधी अपेक्षाओं और पोतों पर अपेक्षित प्रमाणित प्रचालकों हेतु उपबंध करने के लिए है ।

खंड 117--इस खंड में यह आदेशित है कि प्रत्येक जलयान अपनी स्थिरत्व संबंधी जानकारी रखेगा और यह जलयान को हुए किन्हीं नुकसानियों के प्रभाव तथा जलयान की जलरोधी अखंडता को बनाए रखने के लिए सावधानियों के लिए आदेशित है ।

खंड 118--यह खंड लदाई नियमों के अनुसार जलयान की लदाई का उपबंध करने के लिए है और उसमें किसी ऐसे जलयान को, यदि उसमें ऐसे नियमों के अतिलंघन में लदाई की गई है, को समुद्र में जाने से निरुद्ध करने संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

खंड 119--इस खंड में प्रत्येक जलयान के लिए भारत में के पत्तनों या स्थानों के बीच या भारत में के किसी पत्तन या स्थान को या उससे भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से या उस तक यात्रियों का वहन करने के दौरान समुचित प्रमाणपत्र रखने को अनिवार्य बनाने का उपबंध करने के लिए है । इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा यात्रियों को वहन करते समय यात्री स्थान सुविधा, यात्रियों और कर्मीदल की सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करने तथा प्रत्येक जलयान के मास्टर द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा यथा उपबंधित जलयान पर के यात्रियों के बारे में कथन करने का और उपबंध किया गया है ।

खंड 120--इस खंड में यह उपबंधित है कि प्रत्येक जलयान, जब कभी समुद्र में प्रस्थान करे, खंड 112 में निर्दिष्ट अभिसमय या करार के अधीन यथाअपेक्षित विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाणपत्रों को अपने पास रखेगा ।

खंड 121--यह खंड ऐसे विभिन्न कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जिनसे अपराध गठित होते हैं ।

खंड 122--इस खंड में यह उपबंधित है कि कोई जलयान धारा 120 के उल्लंघन में स्थोरा का वहन नहीं करेगा या वहन का प्रयास नहीं करेगा या उस पर या उसके फलक पर या उसके किसी भाग पर ऐसे स्थोरा को नहीं रखेगा, जो जलयान द्वारा धारित प्रमाण-पत्र के अनुसार नहीं है । इसमें यह और उपबंधित है कि उल्लंघन के लिए मास्टर को दायी ठहराया जाएगा और उसके सक्षमता के प्रमाण-पत्र को ऐसी कालावधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट करे, रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा ।

खंड 123--इस खंड में उपबंधित है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति (स्वामी या कंपनी या मास्टर), जो समुद्र यात्रा अयोग्य किसी जलयान को समुद्र में भेजता है, अपराध का दोषी होगा और ऐसे व्यक्ति के अभियोजन के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य है ।

खंड 124--इस खंड में समुद्र यात्रा के लिए जलयान की समुद्र यात्रा योग्यता को सुनिश्चित करने और समुद्र यात्रा के दौरान उसकी समुद्र यात्रा के योग्य रखने की बाध्यता पोत के स्वामी, मास्टर या उसके अभिकर्ता पर सत्यक्त की गई है ।

खंड 125--यह खंड जलयान के बचाव और सुरक्षा प्रबंध का और ऐसी पत्तन सुविधाओं का, जहां जलयान का अंतरापृष्ठ है, कार्यान्वयन करने का उपबंध करने के लिए है । इसमें जलयानों और पत्तनों द्वारा किसी देश की सुरक्षा स्थिति पर निर्भर रहते हुए सुरक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों को बनाए रखने का भी उपबंध किया गया है ।

खंड 126—इस खंड में जलयानों का निरीक्षण और उस पर चढ़ने का, भाग 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन को सत्यापित करने और विधेयक के उपबंधों को प्रवृत्त करने और इसलिए विदेशी झंडे वाले जलयानों का निरीक्षण पत्तन राज्य नियंत्रण के अधीन किया जा सकता है, जो संधियों के अधीन एक बाध्यता है, का उपबंध करने के लिए किया गया है । इसमें प्रवर्तन मापदंडों के भागरूप निरोध जैसे मध्यक्षेप का और इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिए अन्य देशों या संगठनों के साथ करार करने का भी उपबंध किया गया है ।

खंड 127--यह खंड केंद्रीय सरकार को अनुचित निरोध या असम्यक् विलंब के लिए स्वामी या मास्टर को लागतों का संदाय करने हेतु दायी बनाने के लिए है । इसमें यह और उपबंधित है कि जलयान का स्वामी पोत के निरोध और सर्वेक्षण की और उनके आनुषंगिक खर्चों का केंद्रीय सरकार को संदाय करने के लिए दायी होगा तथा जलयान को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक ऐसे

खर्चों का संदाय और त्रुटियों को ठीक नहीं कर दिया जाता है ।

खंड 128--यह खंड केंद्रीय सरकार को बचाव और सुरक्षा पहलूओं से संबंधित भाग 6 के अधीन नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 129--यह खंड भाग 6 को लागू किए जाने को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह अन्य बातों के साथ प्रदूषण निवारण से संबंधित विषयों पर भारतीय जलयानों, पत्तनों और विदेशी जलयानों को लागू होगा ।

खंड 130--यह खंड उन पदों को परिभाषित करने के लिए है जो भाग 7 में विनिर्दिष्ट हैं ।

खंड 131--यह खंड अपहानिकर पदार्थों या ऐसे पदार्थों वाले मिश्रणों के बहिस्राव या उत्सर्जनों जैसे पोत से उत्पन्न प्रदूषण के निवारण के लिए है । यह केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पोतों के सन्निर्माण, सर्वेक्षण या उस पर लगाए जाने वाले उपस्करों के लिए आवश्यक नियम बनाने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त करता है । यह सर्वेक्षकों द्वारा जलयान के हल, उपस्कर या मशीनरी का सर्वेक्षण करने और ऐसी रीति का, जिसमें इस भाग के अधीन लागू प्रदूषण निवारण अपेक्षाओं के पालन को सत्यापित और प्रदर्शित करने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, उपबंध करने के लिए भी है । इसमें पोतों द्वारा समुद्र में अपशिष्टों और अन्य पदार्थों का जानबूझकर एकत्र करने पर नियंत्रण करने के लिए भी उपबंधित है ।

खंड 132--यह खंड, इसमें विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संधियों के अधीन समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के मद्दे विभिन्न बाध्यताओं को पूरा करने का उपबंध करने के लिए है । इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसे जलयान को, जिसको इसमें उल्लिखित अभिसमयों के उपबंध लागू होते हैं, ऐसी प्रदूषण निवारण अपेक्षाओं का पालन करना होगा, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं । यह सरकार को जलयानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए प्रदूषण निवारण के भिन्न-भिन्न नियम विहित करने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 133—इस खंड में उपबंधित है कि प्रत्येक जलयान (स्थोरा जलयान और यात्री जलयान) के पास, जब कभी वह समुद्र में अग्रसर हो, धारा 132 के अधीन विनिर्दिष्ट अभिसमय के अनुसार विधिमान्य प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र होगा ।

खंड 134—यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पोतों से जनित अपशिष्टों और व्ययन के अभिलेखों का आज्ञापक रूप से अनुरक्षण किया जाएगा और यह केंद्रीय सरकार को अभिलेखों के ब्यौरों, उसकी अभिरक्षा, वह रीति, जिसमें उनका अनुरक्षण किया जाएगा तथा ऐसे अन्य संबंधित विषयों हेतु नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 135—इस खंड में उपबंधित है कि पोतों से समुद्र में निस्सारण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए प्रत्येक पत्तन के पास पोतों से उत्पन्न विभिनन प्रकार के अपशिष्टों को प्राप्त करने की आवश्यक सुविधाएं होना अपेक्षित है । इसमें यह और उपबंधित है कि प्रत्येक ऐसे पत्तन या स्थान पर, जहां पोत का अंतरापृष्ठ है, लागू अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन अनिवार्यत: आवश्यक ग्रहण सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए । इसमें यह और उपबंधित है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जलयान के प्रचालन, मरम्मत और पुन:चक्रण के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों का संग्रहण, हथालन, उपचार और व्ययन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति में किया जाए और पत्तन प्राधिकरण को पोतों से निकलने वाले अपशिष्टों को ग्रहण करने हेतु ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त प्रभार अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जाए । यह केंद्रीय सरकार को उस दशा में निदेश देने के लिए भी सशक्त करता है, जब भारत में किसी

पत्तन या स्थान पर कोई ग्रहण सुविधा उपलब्ध न हो या ऐसे पत्तन या स्थान पर उपलब्ध सुविधाएं ऐसे पत्तन या स्थान पर बुलाए गए जलयान के प्रदूषण निवारण की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

खंड 136—यह खंड किसी जलयान के मास्टर को उस स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करने के लिए है जब कोई ऐसी घटना हो, जिसमें भाग 7 के अधीन या प्रदूषण नियंत्रण अभिसमय के अधीन आने वाले स्थोरा या अपहानिकर पदार्थ निकल रहे हैं या उनके निकलने की संभावना है और उससे भारत के तटों के किसी भाग या अपतटीय जल में वायु प्रदूषण कारित हो सकता हैं या होने की आशंका है और ऐसी रिपोर्ट करने में असफल रहने के लिए मास्टर के उत्तरदायित्व को नियत करने के लिए है । यह केंद्रीय सरकार को, जलयान के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर, चार्टरकर्ता, प्रचालक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देकर, उस दशा में जब प्रदूषण की कोई घटना घटित हो या घटित होने की संभावना हो, प्रदूषण निवारण या नियंत्रण के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देने हेतु सशक्त करता है और केंद्रीय सरकार को, जब कभी हानिकारक पदार्थों के छोड़े जाने से प्रदूषण हो या होने की संभावना हो या जब कभी प्रदूषण की घटना या प्रदूषण की आशंका से तटरेखा या उससे संबंधित भाग को कोई गंभीर और आसन्न संकट हो या होने की संभावना हो, तो प्रदूषण से होने वाले नुकसान या खतरे के निवारण, प्रशमन या दूर करने के लिए ऐसे उपयुक्त और समुचित उपाय, जो वह ठीक समझे, करने हेतु सशक्त करने के लिए भी है ।

खंड 137—यह खंड केंद्रीय सरकार को, भारतीय पोतों को, उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए युक्तियुक्त फीस का संदाय करने के अधीन रहते हुए, प्रदूषण का प्रतिरोध करने में सहायता देने के लिए निदेश देने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 138–यह खंड केंद्रीय सरकार को उसके अधीन आने वाले प्रदूषण निवारण परिप्रेक्ष्यों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 139–यह खंड बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है कि प्रत्येक जलयान, पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण, पोत विघटन प्रागंण और पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल का सर्वेक्षण किया जाएगा या विधेयक के अधीन अपेक्षाओं के सत्यापन के लिए संपरीक्षा की जाएगी । यह सर्वेक्षण या संपरीक्षा के समाधानप्रद रूप से पूरा करने के पश्चात् प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए उपबंध करता है और एक बार संपरीक्षा या सर्वेक्षण करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना कोई तात्विक परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे उपांतरणों के केंद्रीय सरकार को सूचित किए बिना किए जाने की दशा में ऐसे प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के दायी होंगे और किसी जलयान को आवश्यक प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों के बिना सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त छूट के समुद्र में जाने से निवारित किया जा सकेगा ।

खंड 140–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक जलयान नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विहित प्रमाणपत्रों को रखेगा ।

खंड 141–यह खंड सर्वेक्षक को यथाआवश्यक जलयान के निरीक्षण के लिए और कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए जलयान पर जाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 142–यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक जलयान, कंपनी, पत्तन सुविधा, पोत प्रागंण आदि का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन किया जाएगा ।

खंड 143–यह खंड जलयान के ध्वज प्राधिकारी द्वारा भारत से बाहर पोतो को जारी

प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 144–यह खंड भारतीय जलयानों को अन्य देशों में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समर्थ बनाने के साथ भारत में विदेशी जलयानों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए है ।

खंड 145–यह खंड केंद्रीय सरकार को भाग 8 के अधीन आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 146–यह खंड विधेयक के भाग 9 के इस अध्याय 1 के लागू होने को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह किसी भारतीय जलयान ; और किसी विदेशी जलयान को भारत में किसी पत्तन में होने या किसी स्थान पर होने के समय लागू होगा, जिसके अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है, को लागू होगा ।

खंड 147–यह खंड उत्तरदायित्व के विभाजन की विधि का उपबंध करने के लिए है, जब टक्कर, नुकसान या हानि किसी जलयान या जलयानों पर कारित होती है और पूर्ण उत्तरदायित्व उस जलयान का होता है, जिसकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है तथा कुल उत्तरदायित्व का प्रभाजन उस डिग्री के अनुपात के आधार पर किया जाता है, जिस पर प्रत्येक जलयान का दोष था तथा उत्तरदायित्व उनमें विनिर्दिष्ट तीन मानदंडों में से किसी एक के अधीन रहते हुए प्रभावित नहीं होता है । यह भी उपबंध करने के लिए है कि किसी जलयान की त्रुटि के कारण कारित नुकसान या हानि के कारण उद्धारण या अन्य व्यय के कारण लागत, जो किसी प्रवृत्त विधि के माध्यम से नुकसानी के माध्यम से वसूलनीय है, भी सम्मिलित होगी ।

खंड 148–यह खंड तब लागू होने के लिए है जब जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति की दशा में किसी प्रतिकर का संदाय किया जाता है ; जलयानों के स्वामियों का संयुक्त उत्तरदायित्व या उस जलयान के स्वामी का उत्तरदायित्व, जिसकी त्रुटि अवधारण किया गया है ; जब भी किसी जलयान के फलक पर किसी व्यक्ति को जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति होती है । यह किसी व्यक्ति को क्षति ग्रस्त व्यक्ति या ऐसी जीवन की हानि के संबंध में वाद लाने के हकदार किसी व्यक्ति या उस विशिष्ट मामले में किसी व्यक्ति के उसके उत्तरदायित्व को सीमित करने के अधिकार को प्रभावित करने के लिए उसके विरुद्ध किसी कार्रवाई में न्यायालय में बचाव करने के अधिकार से वंचित करने को निवारित करता है ।

खंड 149–यह खंड किसी एक जलयान द्वारा अंशदान से अधिक संदाय करने की दशा में, जो उसकी त्रुटि के अनुपात से अधिक है, अंशदान के विभाजन का उपबंध करने के लिए है, स्वामी अन्य जलयान या जलयानों के स्वामियों से अधिक रकम को अंशदान के माध्यम से उस सीमा तक, जिस तक क्रमश: वे जलयान त्रुटि पर थे, वसूल कर सकेगा और इस वसूली को वसूला जाएगा किंतु किसी रकम की दूसरी बार वसूली नहीं की जाएगी यदि प्रथमत: नुकसानी के रूप में उसकी कानूनी या संविदायी परिसीमन या उससे छूट, दायित्व के कारण वाद लाने के हकदार व्यक्ति द्वारा वसूली की गई है । यह भी उपबंध करता है कि उनमें निर्दिष्ट अभिदाय की वसूली करने के प्रयोजन के लिए प्रथमत: नुकसानी के लिए वाद लाने के हकदार व्यक्तियों के समान अधिकार और शक्तियां किसी अभिदाय के हकदार व्यक्ति को उपलब्ध हैं और यह वसूली तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उपबंधित किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त है ।

खंड 150–यह खंड किसी जलयान के मास्टर पर उसके जलयान, कर्मी दल और यात्रियों को खतरे में डाले बिना दो जलयानों के बीच टक्कर की दशा में दूसरे जलयान को सहायता प्रदान करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है । ये मास्टर से टक्कर द्वारा कारित किसी खतरे से अन्य जलयान को बचाने की और अन्य जलयान के नजदीक तब तक खड़े रहने की अपेक्षा करता है जब तक कि

दूसरे जलयान को और अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है तथा मास्टर से पोत के नाम, पोत की रजिस्ट्री के पत्तन, अंतिम पत्तन और अगले पत्तन, जहां को वह जाएगा, के नाम की सूचना का विनिमय करने की भी अपेक्षा करता है ।

खंड 151–यह खंड विवरण और उन परिस्थितियों, जिनके अधीन टक्कर हुई है, को प्रत्येक जलयान के मास्टर द्वारा लॉग पुस्तिका में अभिलिखित करने की अपेक्षा के लिए तथा ऐसी प्रविष्टि को मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित करने की अपेक्षा और वॉच आफिसर या किसी एक समुद्र यात्रा वृत्तिक द्वारा भी हस्ताक्षर करने की अपेक्षा के लिए है ।

खंड 152–यह खंड यह आज्ञापक बनाने के लिए है कि भारतीय जलयान की कोई दुर्घटना हुई है या उसमें कोई दुर्घटना कारित की है, जिसका परिणाम किसी व्यक्ति की जीवन की हानि या गंभीर क्षति के रूप में हुआ है या जलयान को तात्विक नुकसान हुआ है जिससे उसकी समुद्र यात्रा योग्यता या उसकी दक्षता पर उसके हल में प्रभाव हुआ है या उसकी मशीनरी के किसी भाग में इस प्रकार फेरफार होता है, जो इस विधेयक के अधीन जलयान को जारी किसी भी प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है तो स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता दुर्घटना या नुकसान होने के चौबीस घंटें के भीतर या तत्पश्चात् यथासंभवशीघ्र केंद्रीय सरकार को या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना या नुकसान की रिपोर्ट करेगा ।

खंड 153–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि भारतीय जलयान का स्वामी या अभिकर्ता जलयान के हाजिर न होने के कारण या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण यह अनुभव करता है कि जलयान पूर्णतया खो गया है, वे केंद्रीय सरकार को नुकसान और नुकसान के कारण सहित जलयान की विशिष्टियां, जैसे नाम, शासकीय संख्या, यदि कोई हो और उसके रजिस्ट्रीकरण के पत्तन आदि की सूचना भेजेगा ।

खंड 154–यह खंड समुदीय दावों के लिए उत्तरदायित्व के परिसीमन से संबंधित भाग 9 के अध्याय 2 के लागू होने को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह भारतीय पोतो और भारतीय पोत से भिन्न कोई अन्य पोत, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हो, जिसके अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय समुद्र या उससे संलग्न कोई सामुद्रिक क्षेत्र भी हैं, जिन पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है ।

खंड 155–यह खंड दावों के संबंध में पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता या व्यक्ति के लिए दावों, जो उसमें सूचीबद्ध हैं, के लिए उनके कृत्य, असावधानी या त्रुटि से उत्तरदायित्व की परिसीमा का उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि उत्तरदायित्व की परिसीमा तब भी लागू होगी जब किसी संविदा या अन्यथा के अधीन किसी अवलंब या क्षतिपूर्ति के माध्यम से लाई जाए । यह विभिन्न अन्य दावों को भी विनिर्दिष्ट करता है जहां उत्तरदायित्व की परिसीमा लागू नहीं होगी ।

खंड 156–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 155 के उपबंध उत्तरदायित्व को सीमित करने के लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं, यदि हानि किसी वैयक्तिक कृत्य या लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो ऐसी हानि या असावधानी के कारण और इस जानकारी के साथ कारित की गई है कि ऐसी हानि संभाव्यता होगी ।

खंड 157–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जब उत्तरदायित्व की परिसीमा समान कृति से बहु दावों को लागू करने के लिए रखी गई है, तब दावों का एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और अध्याय 2 के उपबंध शेष, यदि कोई हो, को लागू होंगे ।

खंड 158–यह खंड उत्तरदायित्व की परिसीमाओं को उपदर्शित करने के लिए है, जिनकी संगणना एलएलएमसी अभिसमय के उपबंधों और नियमों के अनुसार की जाएगी, जहां एलएलएमसी अभिसमय के उपबंध लागू नहीं होते हैं । इसमें आगे पदानुक्रम का वर्णन है, जिसमें दावों का संदाय किया जाना है ; अर्थात् इस क्रम का पहले अवधारण जीवन की हानि या वैयक्तिगत क्षति के संबंध में दावों द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात् बंदरगाह संकर्म, बेसिन, जलमार्गों और नौवहन सुविधाओं को नुकसान के संबंध में दावों द्वारा किया जाएगा । यह भी उपबंध करता है कि उद्धारणकर्ता, जो किसी जलयान से प्रचालन नहीं कर रहा है या कोई उद्धारणकर्ता जो एकमात्र रूप से किसी जलयान से प्रचालन कर रहा है, की दशा में उत्तरदायित्व की परिसीमा या उस संबंध में, जिसके लिए वह उद्धारण सेवाएं प्रदान कर रहा है, की संगणना 1,500 की समग्र टनधारिता के अनुसार की जाएगी ।

खंड 159–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी सुभिन्न अवसर पर किसी पोत के यात्रियों की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति से उदभूत दावों के लिए उस पोत के स्वामी के दायित्व की परिसीमा वह रकम होगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

खंड 160–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 158 में यथाअवधारित उत्तरदायित्व की परिसीमा दावों के संकलन को किसी सुभिन्न अवसर पर जैसा उनमें विनिर्दिष्ट है, लागू होगी । यह और उपबंध करता है कि यात्री दावों की परिसीमा के संबंध में यथावधारित उत्तरदायित्व की परिसीमा कुल मिलाकर उन दावों को लागू होगी, जो पोत स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उदभूत होते हैं, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ।

खंड 161–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि उत्तरदायित्व की परिसीमा का अवलंब तब भी लिया जा सकता है जब खंड 162 में यथावर्णित परिसीमा निधि का गठन नहीं किया गया है । यह और उपबंध करता है कि व्यक्ति उत्तरदायी परिसीमा का तब अवलंब ले सकता है जब परिसीमा निधि का गठन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किया गया है ।

खंड 162–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी व्यक्ति द्वारा, जिसका दायी होने का कथन किया गया है और जिसके विरुद्ध उन दावों के लिए विधिक कार्यवाहियां आरंभ की गई है, जो परिसीमन के अधीन हैं, द्वारा उच्च न्यायालय के पास परिसीमा निधि का गठन करने के लिए है और निधि का गठन खंड 158 या खंड 159 के उपबंधों के अनुसार रकमों की ऐसी राशियों में गठित किया जाएगा, जो उन दावों के लिए लागू हैं, जिनके लिए व्यक्ति को उन पर उत्तरदायित्व आरंभ होने की तारीख से निधि के गठन की तारीख तक ब्याज के साथ व्यक्ति दायी हो सकेगा । यह भी उपबंध करता है कि इस प्रकार गठित निधि की रकम को या तो जमा किया जाना है या उच्च न्यायालय में प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी है तथा इस प्रकार गठित निधि केवल उन दावों के संदाय के लिए उपलब्ध होगी जिनके लिए उत्तरदायित्व की एक परिसीमा का अवलंब लिया जा सकेगा तथा यह उपबंध करता है कि किसी एक व्यक्ति या उसके बीमाकर्ता द्वारा गठित निधि को खंड 161 में वर्णित सभी व्यक्तियों द्वारा गठित माना जाएगा ।

खंड 163–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि निधि का संवितरण दावाकर्ताओं के बीच निधि के विरुद्ध साबित दावों के विरुद्ध यथालागू खंड 158 या खंड 159 में यथाकथित उत्तरदायित्व की परिसीमा के आधार पर उस अनुपात में किया जाएगा और यदि व्यक्ति, जो दायी है या उसका बीमाकर्ता निधि का संवितरण करने से पूर्व किसी दावे का निपटान करता है तब संदत्त रकम से अधिकतम का दावाकर्ता का अधिकार उस व्यक्ति या बीमाकर्ता को अंतरित हो जाएगा । यह धारा में वर्णित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के अधिकारों के अंतरण के संबंध में आवेदन को अनुज्ञात करने का केवल विधि द्वारा उपबंधित स्तर तक अंतरण का भी उपबंध करता है । यह भी उपबंध

करता है कि उच्च न्यायालय अनंतिम रूप से पर्याप्त राशि को अलग रखने का आदेश कर सकेगा ताकि उत्तरदायी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति बाद की तारीख को इस निधि के विरुद्ध अपने दावे का प्रवर्तन कर सकेगा जब उत्तरदायी यह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे बाद की तारीख को पूर्णतया या भागत: प्रतिकर की ऐसी रकम का संदाय करने की आवश्यकता है, जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति ने उसमें यथा उपबंधित अधिकार के प्रत्याशीन का उपभोग किया होता ।

खंड 164–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि निधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कोई दावा करने के पश्चात् वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति या जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है की अन्य आस्तियों के विरुद्ध ऐसे दावे के संबंध में किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है और किसी व्यक्ति, जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है, से संबंधित कोई पोत या संपत्ति, जिसकी कुर्की की गई है या दावे के लिए गिरफ्तार किया गया है तब ऐसे पोत या संपत्ति को उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्मुक्त किया जा सकेगा । यह और उपबंध करता है कि इस खंड के उपबंध लागू होंगे यदि दावाकर्ता प्रशासन करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष निधि का दावा करता है और यदि निधि ऐसे दावे के लिए उपलब्ध और हस्तातंरणीय है ।

खंड 165–यह खंड उत्तरदायित्व के परिसीमन के उपबंधों के लागू होने के परिमाण को आज्ञापक बनाने के लिए है । यह उपबंध करता है कि इस खंड के उपबंध वायु कुशन यान या प्लवमान मंचों को और जब व्यक्ति का भारत में प्रायिक निवास नहीं है या उसका कारबार का प्रधान स्थान भारत में नहीं है या कोई पोत जिसके संबंध में परिसीमन के अधिकार का अवलंब लिया गया है या जिसको निर्मुक्त करने की ईप्सा की गई है और जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट समय पर उस देश के ध्वज का आरोहण नहीं कर रहा था, जो एलएलएमसी अभिसमय का पक्षकार है, लागू नहीं होते हैं ।

खंड 166–यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 9 के अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 167–यह खंड भाग 9 के अध्याय 3 के लागू होने को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह अध्याय भारतीय पोत द्वारा कारित तेल प्रदूषण नुकसान को लागू होता है ; और भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर है, जिसके अंतर्गत उसकी अधिकारिता के अधीन भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न-तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकारिता है । यह धारा तेल प्रदूषण नुकसान को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए निवारक उपायों को भी लागू होती है ।

खंड 168–यह खंड इस अध्याय के विनिर्दिष्ट कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 169–यह खंड किसी पोत द्वारा कारित प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी के उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है । यह स्वामी के उत्तरदायित्व से छूट का भी उपबंध करता है, यदि वह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान, युद्ध, संघर्ष, गृह युद्ध, आदि के कार्य का परिणाम है और इसे तृतीय पक्षकार द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप द्वारा पूर्णतया कारित किया गया है और नुकसान उस व्यक्ति द्वारा जिसे नुकसान हुआ है, द्वारा जानबूझकर या उस व्यक्ति की असावधानी से कारित किया गया है और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके विरुद्ध इस अध्याय के अधीन या अन्यथा प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जा सकता है ।

खंड 170–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि सभी पोतों के स्वामी संयुक्त और पृथक्

रूप से उस दशा में, जिसमें दो या अधिक पोत अंतवर्लित हों, प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होंगे ।

खंड 171–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि इस अध्याय के अधीन स्वामी किसी घटना के संबंध में अपने दायित्व को 1992 दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किसी समग्र तक सीमित कर सकेंगे, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रदूषण नुकसान उसके वैयक्तिक कार्य या लोप के परिणामस्वरूप हुआ है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से बिना सोचे विचारे या यह जानते हुए कि इससे ऐसा नुकसान होने की संभावना है, कारित किया गया है ।

खंड 172–यह खंड स्वामी, बीमाकर्ता या स्वामी को उच्च न्यायालय में राशि को जमा करके या बैंक गारंटी प्रस्तुत करके या वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराके किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी अन्य प्रतिभूति, जो उच्च न्यायालय की राय में समाधानप्रद हो, प्रस्तुत करके, गठित की जा सकेगी, का उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि निधि का गठन किसी दावाकर्ता के स्वामी के विरुद्ध निधि में जमा की गई या उसमें प्रतिभूत निधि से अधिक का पूर्ण प्रतिकर के दावे करने के अधिकार के प्रतिकूल नहीं होगा ।

खंड 173–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि निधि को वितरित किए जाने से पूर्व, उसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को उपलब्ध कराने वाले स्वामी या उसके किसी सेवक या अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति ने किसी घटना के परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय किया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उस रकम तक जो उसने संदत्त की है, प्रत्यासन द्वारा उन अधिकारों को अर्जित करेगा जिनका इस प्रकार प्रतिकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन प्रयोग किया हो और ऐसा स्वामी या बीमाकर्ता, उस दशा में जहां प्रतिकर का संदाय निधि के वितरण से पूर्व किया गया है, निधि के गठन के पश्चात् किसी पश्चातवर्ती तारीख को भी अपने दावे का प्रवर्तन कर सकता है ।

खंड 174–यह खंड उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदत्त करने का उपबंध करने के लिए है, जिससे निधि के विरुद्ध सभी दावों का समेकन किया जा सके और सभी दावाकर्ताओं के बीच, उनके स्थापित दावों के अनुपात में निधि की राशि का वितरण किया जा सके । यह खंड यह और उपबंध करता है कि स्वामी द्वारा प्रदूषण संबंधी नुकसान का निवारण या उसे न्यूनतम करने के लिए स्वैच्छिक रूप से तथा युक्तियुक्त रूप से उपगत व्ययों या युक्तियुक्त रूप से किए गए त्यागों के संबंध में कोई दावा, निधि के विरुद्ध अन्य दावों के साथ समतुल्य रैंक में रखा जाएगा ।

खंड 175–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रपुंज में 2000 टन से अधिक तेल का स्थोरा के रूप में वहन करने वाला कोई पोत, अध्याय 3 के भाग 9 के अधीन प्रदूषण संबंधी नुकसान के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए वर्ष 1992 के उत्तरदायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखेगा और ऐसी फीसों, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के संदाय पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक भारतीय पोत या किसी विदेशी पोत के स्वामी या अभिकर्ता को इस प्रभाव का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

खंड 176–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि भारत से बाहर के किसी ऐसे देश में, जो 1992 दायित्व अभिसमय का पक्षकार है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोत, वह जहां कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, को जारी कोई प्रमाणपत्र भारत में किसी पत्तन या स्थान पर उस प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानों वह इस विधेयक के उपबंधों के अधीन जारी किया गया था ।

खंड 177–यह खंड यह आज्ञापक करने के लिए है कि ऐसे पोतों को, जिसमें स्थोरा के रूप में प्रपुंज में 2000 टन से अधिक तेल फलक पर है, भारत में किसी पत्तन या स्थान में प्रवेश करने

की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तब कि उसके पास खंड 175 और खंड 176 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रमाणपत्र न हों । यह खंड यह और उपबंध करता है कि समुचित अधिकारी किसी पोत को केवल तभी अंदर प्रवेश करने या बाहर निकासी करने की अनुमति प्रदान करेगा जब उसका मास्टर यथा पूर्व उल्लिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ।

खंड 178–यह खंड प्रतिकर के संदाय के लिए वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले किसी बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष दायित्व का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति धारा 171 के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को सीमित कर सकेगा, परंतु यह कि स्वामी ने इस विकल्प का प्रयोग किया है या स्वयं ऐसी प्रतिरक्षाओं का फायदा लिया है, जिनका अवलंब लेने के लिए स्वयं स्वामी हकदार होता और प्रत्यर्थी इस प्रतिरक्षा का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण संबंधी नुकसान स्वयं स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिणामस्वरूप हुआ है, किंतु प्रत्यर्थी को ऐसी कोई अन्य प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, जिसका स्वामी द्वारा उसके विरुद्ध लाई गई कार्यवाहियों में वह अवलंब लेने के लिए हकदार होता ।

खंड 179–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि तेल प्रदूषण संबंधी नुकसान की तारीख से प्रतिकर का दावा करने की परिसीमा अवधि तीन वर्ष होगी या यदि ऐसी घटना श्रृंखलाबद्ध चरणों में हुई है तो यह अवधि छह वर्ष होगी ।

खंड 180–यह खंड युद्ध पोतों या सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी पोत को अध्याय 3 के भाग 9 को लागू होने से छूट प्रदान करने के लिए है ।

खंड 181–यह खंड केन्द्रीय सरकार को अध्याय 3 के भाग 9 के अधीन आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 182–यह खंड बंकर तेल प्रदूषण संबंधी नुकसान के लिए सिविल दायित्व से संबंधित भाग 9 के अध्याय 4 के लागू होने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 183–यह खंड इस अध्याय के विनिर्दिष्ट कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 184–यह खंड बंकर तेल के निस्सारण या निकलने के कारण हुए प्रदूषण के संबंध में ऐसे दायित्वों की किस्मों का उपबंध करने के लिए है, जिनके लिए पोत का स्वामी दायी होगा ।

खंड 185–यह खंड कतिपय परिस्थितियों में जैसे कि यदि युद्ध, संघर्ष, गृह युद्ध या किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण होने वाले प्रदूषण संबंधी नुकसान के लिए या यदि वह पूर्णतया, स्वामी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी करण या लोप के कारण हुआ था तो पोत के स्वामी को दायी होने से छूट देने के लिए है । यह खंड उस समय जब यह साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने, जिसे नुकसान हुआ है, आशयपूर्ण रूप से ऐसा नुकसान किया है या उसकी उपेक्षा के कारण तेल प्रदूषण संबंधी नुकसान हुआ है तब पोत के स्वामी को उसके दायित्व से वियुक्त करने का और उपबंध करता है ।

खंड 186–यह खंड भाग 9 के अध्याय 2 के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक घटनाओं के लिए उसके दायित्व को परिसीमित करने के संबंध में पोत स्वामी या बीमाकर्ता का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 187–यह उच्च न्यायालय द्वारा दायित्व की परिसीमा के अवधारण का उपबंध करने के लिए है और एक बार अवधारित की गई रकम को उच्च न्यायालय में जमा करना होता है ।

खंड 188–यह खंड सभी दावों को समेकित करने तथा दावेदारों के बीच रकम का वितरण करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त बनाता है ।

खंड 189–यह खंड बंकर तेल प्रदूषण नुकसान की तारीख से प्रतिकर का दावा करने के लिए तीन वर्ष की या छह वर्ष की परिसीमा अवधि को नियत करने के लिए है यदि घटना में घटनाओं की आवलियां सम्मिलित हैं ।

खंड 190–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि सकल हजार टन भार से अधिक के पोत के स्वामी को एलएमसी अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं तक अनिवार्य बीमा कवर या वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखना है ।

खंड 191–यह खंड बीमाकर्ता या वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाले अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई के प्राधिकार का उपबंध करने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति खंड 183 के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित कर सकेगा परंतु यह कि स्वामी ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है या ऐसे प्रतिवादों का स्वयं ने लाभ नहीं उठाया है जिनका अवलंब लेने के लिए स्वामी स्वयं हकदार हुआ होता । खंड यह और उपबंध करता है कि प्रतिवादी स्वयं ऐसे प्रतिवाद का लाभ उठा सकेगा कि प्रदूषण नुकसान स्वयं स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के कारण परिणत हुआ है, किंतु प्रतिवादी स्वयं किसी अन्य प्रतिवाद का लाभ नहीं उठा सकेगा जिसके लिए वह उसके विरुद्ध स्वामी द्वारा की गई कार्यवाहियों का अवलंब लेने के लिए हकदार होता ।

खंड 192–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगी जो ऐसी फीस, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, का संदाय किए जाने पर खंड 190 के उपबंधों का अनुपालन करता है तथा उसके पर्यवसान पर नवीकरण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 193–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि कोई पोत भारत में किसी पत्तन या स्थान पर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता या उसे छोड़ नहीं सकता है जब तक कि उसके पास खंड के 192 की अपेक्षा के अनुसार प्रमाणपत्र न हो और उचित अधिकारी ऐसे किसी पोत को केवल तभी अंत:प्रवेश या बर्हिगमन निकासी की मंजूरी देगा जब उसका मास्टर यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र पेश कर देता है ।

खंड 194–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि पोत स्वामी को उसके अपने दायित्व के लिए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर की मांग करने का अधिकार प्राप्त है ।

खंड 195–यह खंड न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन करने का प्राधिकार प्रदान करने के लिए है ।

खंड 196—यह खंड भाग 9 के अध्याय 4 के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 197–यह खंड राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और विनिर्दिष्ट रूप से राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार इसकी अधिकारिता के अधीन सामुद्रिक क्षेत्रों के भीतर कारित तेल प्रदूषण नुकसान को अध्याय 5 के लागू होने का और तेल प्रदूषण नुकसान को रोकने या न्यूनीकृत करने के लिए किए गए निवारक उपायों का भी उपबंध करने के लिए है ।

खंड 198–यह खंड अध्याय 5 के कतिपय विनिर्दिष्ट पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 199–यह खंड निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अनुसार भारत में पत्तनों या टर्मिनल संस्थापनों तक समुद्री मार्ग से वहन किए गए अभिदायी तेल के संबंध में आयातकर्ता या प्रापक द्वारा निधि में अभिदाय का उपबंध करने के लिए है और यह निधि अभिसमय में यथा विनिर्दिष्ट तेल आयात का प्रतिवर्ष 1,50,000 टन की न्यूनतम मात्रा, का भी अनुबंध करता है जिससे अधिक निधि का संदाय किया जाना है ।

खंड 200–यह खंड निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय न्यूनतम ऐसे अभिदाय की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए है जो निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अधीन निधि सभा द्वारा अवधारित किया जाता है और केन्द्रीय सरकार व्यक्तियों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे केन्द्रीय सरकार या निधि में अभिदायों के संदाय के लिए वित्तीय प्रतिभूति दें ।

खंड 201–यह खंड उन परिस्थितियों हेतु उपबंध करने के लिए है जहां निधि का अवलंब लिया जा सकता है और उसमें यथा विनिर्दिष्ट प्रतिकर का संदाय करने के लिए वह दायी हो सकती है । यह उन दशाओं का और उपबंध करता है जहां निधि, प्रतिकर का संदाय करने के लिए कोई बाध्यता नहीं रखती है ।

खंड 202–यह खंड केन्द्रीय सरकार को, विशिष्टतया ऐसे व्यक्तियों, जिनको खंड 197 के उपबंध लागू होंगे और प्रकटन करने वाले ऐसे व्यक्तियों जिन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों का और सूचना की शर्तों का पालन करने से इंकार करने की दशा में दंड के लिए व्यक्ति के दायित्व का पालन करना आवश्यक है, के नाम और पते की जानकारी मांगने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 203–यह खंड निधि के विरुद्ध दावों का उपबंध करने के लिए है और यह कथन करता है कि इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के लिए निधि के विरुद्ध कोई दावा निधि के समक्ष सीधे लाया जाएगा और खंड यह उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता निधि के विरुद्ध दावे के लिए किसी कार्रवाई के लिए लागू होगी । खंड यह और उपबंध करता है कि स्वामी या उसके प्रत्याभू के विरुद्ध उच्च न्यायालय में संस्थित किसी विधिक कार्रवाई के पक्षकार के रूप में हस्तक्षेप करने का निधि का अधिकार और उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम होने के रूप में, भले ही निधि ने अपनी कार्रवाइयों में हस्तक्षेप न किया हो, निधि का अधिकार होगा ।

खंड 204–यह खंड न्यूनतम तीन वर्ष की समय सीमा के भीतर निधि के विरुद्ध दावे के लिए परिसीमा अवधि नियत करने के लिए है और दावे को प्रवृत्त कराने के लिए कोई कार्रवाई ऐसी घटना जिसने ऐसा नुकसान कारित किया है, की तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं की जाएगी ।

खंड 205–यह खंड उस अधिकार के प्रत्याशन का उपबंध करने के लिए है जिसके प्रति व्यक्ति को इस प्रकार प्रतिपूरित किया गया है उसका निधि अभिसमय के अधीन उस समय प्रयोग किया गया होता जब निधि या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी राशि का संदाय कर दिया जाता है ।

खंड 206–यह खंड केन्द्रीय सरकार को निधि अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 207–यह खंड समुद्री दुर्घटना को परिभाषित करने के लिए है और स्वामी, प्रबंधक, प्रचालक, कंपनी और पायलट और बंदरगाह मास्टर, मास्टर या जलयान का भारसाधक अन्य व्यक्ति को आदेश देने के लिए है जिससे कि वह इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को ऐसी घटना के चौबीस घंटे के भीतर दुर्घटना के घटने की सूचना दी जा सके और ऐसा अधिकारी तुरंत केन्द्रीय सरकार को लिखित में जानकारी की रिपोर्ट करेगा और समुद्री दुर्घटना में प्रारंभिक जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा घटना में स्वतंत्र जांच के पूरे होने के संबंध में

रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा यह केन्द्रीय सरकार को और सशक्त करती है कि वह समुद्री दुर्घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए एक निकाय की नियुक्ति करे और उसके कारणों तथा परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा अन्वेषण संचालित करे और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करे ।

खंड 208–यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधि के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ करने या कार्रवाई के लिए निदेश पारित करने के लिए सशक्त करने हेतु है यदि खंड 207 के उपखंड (5) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, उसकी यह राय है कि प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति की ओर से अक्षमता, अवचार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन विद्यमान है ।

खंड 209–यह खंड केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है कि वह इस विधेयक के अधीन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक को अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र को आदेश के माध्यम से जांच रिपोर्ट के आधार पर या उस खंड के अधीन सूचीबद्ध समुद्र यात्रा वृत्तिक के किसी अन्य व्यतिक्रम के लिए रद्द या निलंबित करे ।

खंड 210–यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 10 के अधीन अन्वेषण या जांच के लिए या तो सामान्यत: या उसके किसी भाग की पुन: सुनवाई का आदेश करने के लिए सशक्त करता है और ऐसे नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य के मामले में जिसे अन्वेषण के समय पेश नहीं किया जा सका था, यह पाया गया है या किसी अन्य कारणवश, उसकी राय में न्याय की हत्या हुई है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी पुन: सुनवाई का आदेश करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध है ।

खंड 211–यह खंड भारत के राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह राज्यक्षेत्रीय समुद्र या सन्निकट कोई समुद्री क्षेत्र भी है जिस पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के अधीन अनन्य अधिकारिता है, के भीतर अवस्थित ध्वंसावशेष को भाग 11 का लागू किए जाने को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह और गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सरकार की यूनिटों या पोतों और तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं, 1969, जिसके लिए यह भाग लागू नहीं होता है, के मामलों में खुले समुद्रों में हस्तक्षेप के अनुसार तेल प्रदूषण में अंतवर्लित दुर्घटनाओं को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 212–यह खंड भाग 9 के विनिर्दिष्ट कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 213–यह खंड केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है कि वह ध्वंसावशेष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नियुक्त करे और उसे ध्वंसावशेष का कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत करे तथा अधिनियम के अधीन यथा विहित समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपलब्ध साधनों द्वारा निपटान या हटाए जाने के लिए कार्रवाई करे ।

खंड 214–यह खंड ऐसी घटना की, जिसका परिणाम ध्वंसावशेष है, रिपोर्ट किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए है । खंड यह उपबंध करता है कि भारतीय सागर खंड या अन्य देश के सागर खंडों में ध्वंसावशेष के परिणामस्वरूप होने वाली समुद्री दुर्घटना में अंतवर्लित भारतीय या विदेशी यान के प्रत्येक मास्टर या स्वामी या प्रचालक, जो अभिसमय का एक पक्षकार है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त देश के प्रापक और देश के प्रभावित प्राधिकारियों को ऐसी घटना की रिपोर्ट अविलंब करनी चाहिए ।

खंड 215–यह खंड संभव परिसंकटों के अवधारण के लिए मानदंड का उपबंध करने के लिए है और उसमें ऐसे विभिन्न पैरामीटरों को सूचीबद्ध करता है जो ऐसे परिसंकटों को अवधारित करते हैं ।

खंड 216–यह खंड केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है कि वह ध्वंसावशेष का पता

करने और उसे चिन्हित करने के लिए उसमें ध्वंसावशेष और अन्य विनिर्दिष्ट ध्वंसावशेष के प्रापक को यथा लागू निदेश दे और जलयान के स्वामी या प्रचालक के लिए यह अनिवार्य बनाए कि वह अपने खर्चे पर ध्वंसावशेष को तब तक चिन्हित न करे ध्वंसावशेष को नहीं हटा दिया जाता है और यह सुनिश्चित करे कि ध्वंसावशेष का पता लगाने और चिन्हित करने की लागत ध्वंसावशेष के स्वामी या प्रचालक द्वारा वहन की जाती है ।

खंड 217–यह खंड ध्वस्त पोत व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए पोत को सहायता प्रदान करने हेतु सभी व्यक्तियों को समीपस्थ भूमियों को, उसके स्थोरा और उसके उपस्कर को सौंपने की शक्ति प्रदान करने के लिए है और सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए यह अनिवाय बनाता है कि वे ऐसे ध्वस्त पोत से प्राप्त हुए ऐसे स्थोरा या किसी सामान के नुकसान को न्यूनीकृत करें जिसे भूमि पर जमा किया जा सकेगा तथा स्वामी या अधिभोगी द्वारा प्रत्याशित नुकसान से संबंधित विवाद मजिस्ट्रेट द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर विनिश्चित किए जाएंगे ।

खंड 218–यह खंड ध्वंसावशेष के मास्टर या प्रापक की अनुमति के बिना ध्वंसावशेष पोत पर चढ़ने या उसे छोड़ने या पोत स्थोरा उपस्कर को बचाने, विधेयक के उपबंधों के अधीन यथा अनुबंधित यान के चिन्हों या किसी भाग को हटाने की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास जैसे कार्यों के प्रतिषेध को विनियमित करने के लिए है ।

खंड 219–यह खंड तलाशी वारंट के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए प्रापक को शक्ति प्रदान करने के लिए है यदि प्रापक को यह संदेह है कि ध्वंसावशेष किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छिपाया जाता है और उसके कब्जे में होता है जिसका वह स्वामी नहीं है और न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ध्वंसावशेष का स्वामी नहीं है, रखे गए ध्वंसावशेष के लिए तलाशी करने हेतु प्रापक को प्राधिकृत करने वाला वारंट प्रदान करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 220–यह खंड ऐसे उपायों का उपबंध करने के लिए है जो ध्वसावशेषों के निराकरण को सुकर बनाते हैं और प्रापक को खंड 215 में यथा अनुबंधित संभव परिसंकटों के अवधारण पर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत जानकारी भेजने के लिए प्रापक को आदेश देता है । खंड केन्द्रीय सरकार को परिसंकटों, ध्वंसावशेष और ध्वंसावशेष को हटाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में संबद्ध सरकार, प्रभावित देश और जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सूचित करने के लिए सशक्त करता है और उसमें केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । यह ध्वंसावशेष जलयान के स्वामी को यह भी आदेश देता है कि वह केन्द्रीय सरकार को या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ध्वंसावशेष के प्रापक को वित्तीय प्रतिभूति या बीमा का साक्ष्य उपलब्ध कराए और ध्वंसावशेष को हटाने के लिए अवधि तय करने हेतु प्रापक को शक्ति प्रदान करे और स्वामी या प्रचालक के खर्चे पर समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा को सम्यकत: ध्यान में रखते हुए वास्तविक साधनों द्वारा ध्वंसावशेष को हटाने के लिए उसे सशक्त करता है ।

खंड 221–यह खंड ध्वंसावशेष का पता लगाने, उसका चिन्हांकन करने और उसे हटाने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा वहन की जाने वाली लागत के संबंध में स्वामी के दायित्व का उपबंध करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि स्वामी जैसे युद्ध, शत्रुता या संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा लाइटों या नौ परिवहन सहायताओं के अननुरक्षण का कोई कार्य जैसे ध्वंसावशेष के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्री घटना के घटने का साक्ष्य उपलब्ध करा सकेगा और ऐसे दायित्व के अंतर्गत विधेयक के खंड 155 के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सीमा आती है ।

खंड 222–यह खंड यह आदेश करने के लिए है कि तीन सौ टन या उससे अधिक के सकल टन भार के भारतीय पोत के प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी के पास विधिमान्य बीमा कवर या वित्तीय

प्रतिभूति होनी चाहिए और जलयान का स्वामी, चाहे वह भारतीय हो या अन्य देश का हो, जिसके पास प्रमाणपत्र नहीं है, प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध किए जाने का दायी होगा और इस भाग के अधीन उत्पन्न होने वाले खर्च के दावे सीधे ही ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध होने चाहिए जो सूचीबद्ध परिस्थितियों, जिनका बीमाकर्ता द्वारा प्रतिवाद का अवलंब लिया जा सकता है, के अनुसार वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराता है

खंड 223–यह खंड उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जहां रजिस्ट्रीकृत स्वामी इस भाग में यथा विहित लागत वहन करने का दायी नहीं हो सकेगा और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा वहन की गई खर्च की सीमा और अन्य लागू संधियों, लिखतों के अनुसार उसके अपवाद को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 224–यह खंड ध्वंसावशेष के लिए स्वामी के दावों और ऐसे ध्वंसावशेष के पृष्ठ भाग को रखने, जो ध्वंसावशेष के प्रापक के कब्जे में नहीं है, के लिए उसकी हकदारी की समय सीमा को विनिर्दिष्ट करने के लिए है और कौंसलीय आफिसर को या उस देश के स्थोरा स्वामियों को देश की ओर से जहां जलयान रजिट्रीकृत है, उक्त दावे के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए ध्वंसावशेष जलयान से सामान की अभिरक्षा और निपटान के लिए स्वामी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करे ।

खंड 225–यह खंड खर्चे की वसूली के लिए सीमा तय करने के लिए है और जलयानों के पता लगाने और चिन्हांकन करने के लिए समुद्री दुर्घटनाओं का अवधारण करने की तारीख से तीन वर्ष की समय अवधि को नियत करता है और यह उपबंध करता है कि ऐसी दुर्घटना की तारीख से छह वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

खंड 226–यह खंड भाग 11 के अध्याय 2 के लागू किए जाने के लिए उपबंध करने के लिए है जिसके अंतर्गत भारत में संस्थित उद्धारण संक्रियाओं से संबंधित न्यायिक माध्यस्थम् कार्रवाइयां भी हैं, और उसमें ऐसी यूनिटों पोतों और अन्य गैर वाणिज्यिक यानों, जिनको यह खंड लागू नहीं होगा, को इसमें विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 227–यह खंड भाग 11 के अध्याय 2 में के विनिर्दिष्ट कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 228–यह खंड जलयान के मास्टर द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उद्धारण पंचाट का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 229–यह खंड उन शर्तों, परिस्थितियों और अवस्थान, जब उद्धारण जीवन की रक्षा करने, स्थोरा या ध्वंसावशेष के लिए उद्धारक को संदेय है, को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

खंड 230–यह खंड उस समय जब सरकारी जलयानों जैसे भारतीय नौसेना द्वारा या तटरक्षक और पत्तन प्राधिकारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं तब उद्धारण संदायों की हकदारी का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 231–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि मास्टर को जलयान के फलक पर संपत्ति के स्वामी की ओर से उद्धारण संक्रियाओं के लिए संविदाओं को समाप्त करने का प्राधिकार प्राप्त है ।

खंड 232–यह खंड संकट में जलयान या अन्य संपत्ति के स्वामी के लिए उद्धारक के कर्तव्यों हेतु उपबंध करने के लिए है और जलयान के स्वामी, मास्टर या अन्य संपत्ति के स्वामी, जो संकट में हैं के उद्धारक के प्रति कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 233–यह खंड समुद्री दुर्घटना के घटने के पारिणामिक प्रदूषण की आशंका से अपनी तटरेखा की संरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों हेतु उपबंध करने के

लिए है और केन्द्रीय सरकार को स्वामी या मास्टर या उद्धारक तथा उद्धारण संक्रियाओं से सहबद्ध लोक प्राधिकारियों को निदेश जारी करने तथा संकटग्रस्त जलयान के लिए उद्धारण सेवाएं आरंभ करने के लिए उनके सहयोग की वांछा करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 234–यह खंड उद्धारकों को उनके द्वारा संकटग्रस्त जलयान के स्वामी या मास्टर या किसी अन्य संपत्ति के स्वामी द्वारा संदाय के इंकार किए जाने की दशा में उसके द्वारा उद्धारण संक्रियाओं में प्रदान की गई सेवाओं के लिए संदाय हेतु उनके अधिकारों हेतु उपबंध करने के लिए है और उद्धारक द्वारा परितोषिकों और समुद्री धारणाधिकारों के लिए मानदंड, परिस्थितियों और शर्तों को सूबीबद्ध करता है ।

खंड 235–यह खंड भाग 11 के उपबंधों के अधीन दावों से संबंधित विवादों के निपटारे का उपबंध करने के लिए है और उच्च न्यायालय को विवादकारी पक्षकार में से एक किसी भी पक्षकार से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, संदत्त किए जाने वाले खर्चों का अवधारण करने के लिए और ऐसे संदायों यदि सही और उचित समझे जाएं के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए, सशक्त करता है ।

खंड 236–यह खंड सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा दावा करने के लिए उद्धारण संक्रियाओं तथा उनकी कार्रवाइयों के पूरा किए जाने की तारीख से दो वर्ष की समय सीमा को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 237–खंड यह उपबंध करने के लिए है कि भाग 9 के अध्याय 2 में की कोई बात किसी बाहरी देश के साथ जिसका भारत उनके अपने अपने तटों पर ध्वंसावशेषों के निपटारे या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 29 के उपबंधों के प्रतिनिर्देश से पक्षकार है या इस धारा के उल्लंघन में खींचकर या सफाया करके प्राप्त हुई किसी संपत्ति के संबंध में उद्धारण करने वाले किसी व्यक्ति के साथ हुई किसी संधि या ठहराव को प्रभावित नहीं करेगी ।

खंड 238–यह खंड भाग 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 239–यह खंड सभी जलयानों, जिसके अंतर्गत भारतीय जलयानों से भिन्न जलयान भी हैं, को भाग 12 के लागू किए जाने के लिए उपबंध करने हेतु है ।

खंड 240–खंड यह निदेश देने के लिए है कि भारत के तटीय सागर खंडों में तटीय व्यापार, अन्वेषण या दोहन या अनुसंधान में लगे किसी जलयान से अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की जाएगी और खंड यह अनुबंध करता है कि भारतीय नागरिक कंपनी या सहकारी सोसायटी द्वारा कंपनी या सहकारी सोसायटी द्वारा भारत में या भारत से बाहर महानिदेशक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति के बिना पत्तन या स्थान पर ले जाने के लिए चार्टर्ड जलयान और भारतीय नियंत्रित टन भार को भी कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी । खंड यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार को इस खंड के उपबंध से साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी वर्ग के जलयान को छूट प्रदान करने की शक्ति होगी ।

खंड 241–यह खंड महानिदेशक को व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने और उसे उपांतरित करने के लिए सशक्त करता है और यह उपबंध करता है कि यदि अनुज्ञप्ति वैध नहीं रह जाती है तो वह व्यक्ति जिसे इसे अनुदत्त किया गया था, अविलंब महानिदेशक को वापस लौटाएगा ।

खंड 242–खंड यह निदेश देने के लिए है कि समुचित अधिकारी द्वारा विदेशी जलयान के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता को पत्तन अनापत्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक ऐसी

अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिसे इस भाग के अधीन जारी किया गया है ।

खंड 243–खंड लोकहित में या भारतीय पोत परिवहन के हित में उसमें अनुबंधित विषयों के लिए लिखित आदेश या सूचना देने के लिए महानिदेशक को सशक्त करने के लिए है और भारत में प्रवेश करने से भारत में लंगर डालने या अपतट सुविधा से किसी जलयान पर लोकहित में पाबंदी लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 244–यह खंड अनुचित बाहरी हस्तक्षेप से भारतीय पोत परिवहन के हित की संरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है और ऐसे किसी बाहरी देश द्वारा उन कतिपय अध्युपायों को नियत करता है जो भारत की अधिकारिता का उल्लंघन करते हैं, जिसे उस देश में कारबार करने वाले भारतीय नागरिक द्वारा केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया जा सकता है; केन्द्रीय सरकार बाद में भारतीय नागरिकों को ऐसे अध्युपायों का पालन करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए लिखित में आदेश दे सकेगी । खंड यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या किसी बाहरी देश के प्राधिकारी को वाणिज्यिक जानकारी देने से लिखित में आदेश द्वारा इंकार कर सकेगा और उक्त आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए विदेशी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा ऐसे किसी आदेश का अनुपालन करने से किसी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करती है ।

खंड 245–यह खंड भाग 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 246–यह खंड भाग 13 को लागू करने हेतु उपबंध करने के लिए है । यह खंड चलत जलयान, मछली पकड़ने वाले जलयान, नोदन के यांत्रिक साधन न रखने वाले जलयान और ऐसे जलयान जिनका शुद्ध टन भार 15 से कम है और जो एकमात्र रुप से भारत के तटीय व्यापार में लगे हैं, को और उस सीमा तक लागू होता है, जिस तक विधेयक के अन्य उपबंध ऐसे जलयान को लागू होते हैं ।

खंड 247–यह खंड महानिदेशक को इस बारे में विनिश्चय करने हेतु सशक्त करने के लिए है कि क्या जलयान भाग 13 के अधीन आता है अथवा नहीं और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम है ।

खंड 248–यह खंड नियमों द्वारा सुरक्षा, संरक्षा और प्रदूषण निवारण अपेक्षाओं का उपबंध करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है और साथ ही यह जलयान को तब तक समुद्र में जाने के लिए प्रतिषिद्ध करता है जब तक कि वह उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है ।

खंड 249–यह खंड जलयानों पर यह बाध्यता डालने के लिए है कि उसके पास समुद्र में जाने से पूर्व इस भाग में विनिर्दिष्ट सभी प्रमाणपत्र हैं और साथ ही यह खंड उस रीति का भी उपबंध करता है, जिसमें सुरक्षा प्रमाणपत्रों को जारी किया जाना है और यह इस प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा उपबंध करने की सरकार की शक्ति और प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता की अवधि के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 250–यह खंड यह बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है कि जलयान के कर्मीदल के संबंध में एक विवरण बनाए या बनवाए रखा जाए और कर्मीदल के संबंध में हुए परिवर्तनों का अभिलेख रखा जाए तथा उसकी संसूचना पोत परिवहन मास्टर को दी जाए ।

खंड 251–यह खंड इस बात को आज्ञापक बनाने के लिए है कि जब कभी जलयान से स्थोरा का माल प्रक्षेपण किया जाता है तो उसकी सूचना इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समुचित अधिकारी

को दी जाएगी और साथ ही यह समुचित अधिकारी को जांच करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 252–यह खंड ऐसे किसी जलयान को निरुद्ध करने का उपबंध करने के लिए है, जो उसकी प्रमाणिक क्षमता से अधिक भार या उससे अधिक संख्या में यात्रियों का वहन करके समुद्र में जा रहा है और यह समुचित अधिकारी को, जब कभी आवश्यक हो जलयान पर सवार होने और मास्टर, स्वामी और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को सर्वेक्षण या संपरीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करने हेतु भी है ।

खंड 253–यह खंड ऐसे किसी जलयान को निरुद्ध करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है जो समुद्र में जाने योग्य नहीं है या जिसके कारण पर्यावरण की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होता है । यह खंड इस प्रकार समुद्र में जाने योग्य न होने या भारतीय तटों या अपतटीय प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के प्रति खतरा होने के संबंध में इस विधेयक के किन्हीं उपबंधों के अधीन जलयान के प्रभारी व्यक्ति के दायित्व दायित्व के लिए उपबंध करता है ।

खंड 254–यह खंड केन्द्रीय सरकार को, उस समय जलयानों को किन्हीं लागू अपेक्षाओं से छूट देने हेतु सशक्त करने के लिए है, जब उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाओं का सारवान् रूप से अनुपालन कर दिया गया है या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षा के अनुपालन को समाप्त कर दिया जाए या समाप्त करना आवश्यक है ।

खंड 255–यह खंड भाग 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 256–यह खंड उसमें यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्तियों का उपबंध करने के लिए है । यह प्रधान अधिकारी को धनीय शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करता है, जिसके विरुद्ध महानिदेशक को अपील की जाएगी । तथापि, यह खंड यह और उपबंध करता है कि कारावास का दंड देने की क्षमता को केवल न्यायालय में ही निहित होगी और सारणी, अन्य बातों के साथ, किए गए उल्लंघन, अधिरोपित की जाने वाली शास्ति और शास्ति अधिरोपित करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है ।

खंड 257–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विधेयक के अधीन कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति का विचारण ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा, जहां वह पाया जाए या ऐसे किसी न्यायालय में किया जा सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निदिष्ट करे या ऐसे किसी न्यायालय में किया जा सकेगा, जिसमें उसका विचारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता था ।

खंड 258–यह खंड किसी मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को इस अधिनियमिति या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सिद्धदोष व्यक्ति के लिए इस विधेयक द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी दंडादेश को पारित करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 259–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 256 के अधीन विशेष व्यापार यात्री जलयानों के मास्टरों या स्वामियों के विरुद्ध शास्तियों का प्रवर्तन करने के लिए समुचित अधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित है ।

खंड 260–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि उस दशा में, जहां इस विधेयक के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए प्रभारी और उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वे उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंड

दिए जाने के लिए दायी होंगे और यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी तो ऐसे व्यक्ति को दंडाधीन करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध ऐसे व्यक्ति की अनुमति या मौनानुकूलता के कारण हुआ था या वह ऐसे व्यक्ति की किसी उपेक्षा के कारण कारित हुआ था तो ऐसे व्यक्ति को तद्नुसार उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा ।

खंड 261–यह खंड उस समय जब साक्षियों को पेश नहीं किया जा सकता, तब साक्षियों के अभिसाक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह उपबंध करता है कि विधिक कार्यवाहियों के दौरान साक्ष्य के प्रयोजन के लिए यदि विषय वस्तु के संबंध में किसी साक्ष्य का परिसाक्ष्य अपेक्षित है और, यथास्थिति प्रत्यर्थी या अभियुक्त व्यक्ति, उसे ऐसा करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करने के बाद भी किसी न्यायालय या मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं करता है, वहां उस विषय-वस्तु के संबंध में किसी साक्षी द्वारा किसी न्यायालय या मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या भारत में किसी स्थान पर या अन्यत्र किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष पूर्व में दिए गए किसी अभिसाक्ष्य को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसे अभिसाक्ष्य को किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर, जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया गया है, के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा और साथ ही यह उसमें उल्लिखित कतिपय अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा ।

खंड 262–यह खंड उच्च न्यायालय को ऐसे किसी विदेशी जलयान को निरुद्ध करने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिसने उस समय भारत की सरकार या उसके किसी नागरिक या उसकी किसी कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जब ऐसा जलयान भारतीय अधिकारिता के भीतर पाया जाता है और साथ ही यह खंड समुचित अधिकारी को उसे समय ऐसे किसी जलयान को निरुद्ध करने हेतु सशक्त करता है, यदि यह आशा की जाती है कि ऐसा जलयान वहां से प्रस्थान कर सकता है और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा उस जलयान को निरुद्ध करने हेतु उच्च न्यायालय को आवेदन किए जाने की अनुज्ञा भी दी जा सकेगी ।

खंड 263–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जब किसी जलयान को निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश किया गया है, वहां भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक का कोई कमीशन प्राप्त अधिकारी या कोई और अधिकारी, पायलेट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन संरक्षक या सीमा शुल्क कलक्टर, समुचित अधिकारी के अनुदेशों के अधीन जलयान को निरुद्ध कर सकेगा और निरोध आदेश या सूचना का कोई उल्लंघन भी एक अपराध होगा ।

खंड 264–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि किन्हीं मजदूरियों या अन्य धनराशियों के संदाय के लिए कोई आदेश किया गया है किंतु उनका संदाय नहीं किया गया है, तब ऐसे संदाय का उदग्रहण, उस व्यक्ति की, जिसे संदाय करने का निदेश दिया गया है, जंगम सम्पत्ति का, इस प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय या मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी किए जाने वाले किसी वारंट के अधीन करस्थम् और विक्रय किया जा सकेगा ।

खंड 265–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि उस दशा में, जहां किसी विदेशी जलयान को इस विधेयक के अधीन निरुद्ध किया जाता है या इस विधेयक के अधीन ऐसे किसी जलयान के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, वहां उस देश के, जिसमें ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है, कौंसलीय आफिसर या उस जलयान के निकटतम पत्तन को तुरंत एक

सूचना की तामील की जाएगी, जिसमें ऐसे निरोध या कार्यवाहियों के आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

खंड 266–यह खंड किसी व्यक्ति पर दस्तावेजों की तामील की रीति का उपबंध करने के लिए है जैसाकि निजी रूप से परिदत्त करना, उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर छोड़ना या डाक द्वारा परिदत्त करना और यदि ऐसा परिदान किसी जलयान के मास्टर को किया जाना है तो ऐसे दस्तावेज को जलयान की कमान रखने वाले फलक पर उपस्थित किसी व्यक्ति के पास छोड़ा जा सकेगा और यदि फलक पर कोई स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो उसे जलयान के किसी सहजदृश्य स्थान पर या पुल पर किसी समुचित स्थान पर चिपकाया जा सकेगा ।

खंड 267–यह खंड जलयान के मास्टर पर यह उत्तरदायित्व अधिरोपित करने के लिए है कि वह जन्म, मृत्यु और मृत्यु के कारण या अन्य ऐसे सुसंगत ब्यौरों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, की सूचना को आगामी पत्तन या घटनास्थल पर प्रस्तुत करेगा ।

खंड 268–यह खंड किसी भारतीय जलयान के मास्टर पर यह उत्तरदायित्व अधिरोपित करने के लिए है कि वह महानिदेशक और पत्तन या पहुंच के अगले पत्तन के समुचित अधिकारी को फलक पर किसी व्यक्ति के लापता या उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना दे । यह खंड यह उपबंध करता है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर समुचित अधिकारी मृत्यु के कारणों के संबंध में जांच करेगा और अधिकृत लॉग पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि करेगा तथा उस पर इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा कि क्या मृत्यु के कारण के संबंध में विवरण सत्य है अथवा नहीं या वह जांच के परिणाम के प्रतिकूल है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि यदि समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसी मृत्यु किसी हिंसा या किसी अन्य अनुचित कारण से हुई थी तो वह उसकी रिपोर्ट महानिदेशक को करेगा और अपात दशा में वह अपराधी का विचारण करने के लिए तुरंत उपाय करेगा ।

खंड 269–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि उसमें उल्लिखित कतिपय व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक होंगे ।

खंड 270–यह खंड अन्वेषण और जांच करने वाले किसी अधिकारी को किसी जलयान के फलक पर जांच करने या उसे निरुद्ध करने हेतु सवार होने के लिए सशक्त करने के लिए है, और यह खंड किसी व्यक्ति को, ऊपर निर्दिष्ट अधिकारी या व्यक्ति को किसी जलयान पर सवार होने में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने या अन्यथा उसके कृत्यों के निर्वहन या उसकी शक्तियों के प्रयोग को बाधित करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

खंड 271–यह खंड केन्द्रीय सरकार को ऐसे वैकल्पिक उपबंधों और ठहरावों की अनुमति देने के लिए सशक्त करता है, जिससे किसी सूचना के माध्यम से अभिसमय की अपेक्षा को पूरा किया जा सके ।

खंड 272–यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस बात के सशक्त करता है कि वह किसी नाभिकीय पोत को समुद्र में जाने की अनुमति प्रदान करे और केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को ऐसे सुरक्षा संबंधी उपाय करने के निदेश दे सकेगी, जिन्हें आवश्यक समझा जाए ।

खंड 273–यह खंड सरकार के जलयानों या ऐसे जलयानों के किसी वर्ग को इस विधेयक के लागू होने से छूट प्रदान करने के लिए है ।

खंड 274–यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह आदेश द्वारा किसी जलयान या टिंडल या समुद्र यात्रा वृत्तिक या उनके किसी वर्ग को, इस विधेयक में

अंतर्विष्ट या उसके अनुसरण में विहित किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा अधिरोपित करे या उससे छूट प्रदान करे या उस दशा में किसी जलयान या टिंडल या समुद्र यात्रा वृत्तिक या उनके किसी वर्ग को ऐसी किसी अपेक्षा का पालन न करने के लिए कह सके यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अपेक्षाओं का सारवान् रूप से अनुपालन किया गया है या ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन को मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया जाना आवश्यक है और ऐसा ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो सुरक्षा अभिसमय या प्रदूषण निवारण अभिसमय द्वारा प्रतिषिद्ध हैं और यह ऐसी किसी शर्त के उल्लंघन को अपराध बनाता है ।

खंड 275–यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए साधारण रूप से नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 276–यह खंड पूर्व प्रकाशन के अधीन रहते हुए नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए उपबंध करता है और नियमों के बनाए जाने के किसी उल्लंघन को भी दंडनीय बनाता है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

खंड 277–यह खंड सद्भावपूर्वक कार्रवाई करने वाले किसी व्यक्ति को किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ।

खंड 278–यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अन्य देशों या संगठनों से करार करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

खंड 279–यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध कर सकेगी और यह उक्त शक्ति को ऐसे आदेशों को इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर किए जाने पर निर्बंधित करता है और इस खंड के अधीन जारी ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने को आज्ञापक बनाता है ।

खंड 280–यह खंड वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और तटीय जलयान अधिनियम, 1838 का निरसन करने के लिए है । यह खंड उक्त अधिनियमितियों के अधीन उसमें यथाविनिर्दिष्ट की गई विभिन्न कार्रवाइयों की व्यावृति के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 केंद्रीय सरकार द्वारा, भारतीय पोत परिवहन, जिसके अंतर्गत उसका विकास भी है, से संबंधित मामलों पर उसको सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 केंद्रीय सरकार द्वारा, समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उपायों पर उसको सलाह देने के लिए समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 6 केंद्रीय सरकार को, विधेयक के उपबंधों के अधीन शक्तियों, प्राधिकारों या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पोत परिवहन महानिदेशक को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 7 केंद्रीय सरकार को ऐसे पत्तन या स्थान पर, जो वह आवश्यक समझे, सर्वेक्षक नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 8 केंद्रीय सरकार को रेडियो संसूचना से संबंधित रेडियो निरीक्षक नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 9 केंद्रीय सरकार को मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला के पत्तनों और ऐसे अन्य पत्तनों और स्थानों पर, विधेयक के उपबंधों के प्रशासन के लिए वाणिज्यिक समुद्री विभाग का कार्यालय स्थापित करने और उसके अनुरक्षण के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 10 केंद्रीय सरकार को पोत परिवहन कार्यालय स्थापित करने और ऐसे पोत परिवहन मास्टर और अन्य अधिकारी, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 11 केंद्रीय सरकार को प्रत्येक पत्तन पर समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजन कार्यालय स्थापित करने के लिए सशक्त करता है और वह उस पर निदेशक और इतने उपनिदेशक या सहायक निदेशक नियुक्त करेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

विधेयक का खंड 12 केंद्रीय सरकार को भारत से बाहर किसी पत्तन या स्थान पर समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 54 सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र चाहने वाले व्यक्तियों की अर्हता की परीक्षा करने के लिए नियुक्त परीक्षकों को संदत्त की जाने वाली फीस का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 115 समुद्र में तलाशी और बचाव के लिए इंतजाम करने और बचाव समन्वयक केंद्रों और उपकेंद्रों की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 135 पत्तन प्राधिकरण को अपशिष्ट प्राप्त करने की सुविधा, पोतों पर उत्पन्न अपशिष्टों के पब्लिक सेक्टर पत्तनों द्वारा पर्यावरण अनुकूल सुदृढ़ रीति में प्रबंध, अभिक्रिया और व्ययन की सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रभार अधिरोपित करने के लिए सशक्त करता है ।

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड के गठन, पोत

परिवहन महानिदेशक, सर्वेक्षक, रेडियो निरीक्षक की नियुक्ति, वाणिज्यिक समुद्री विभागों के कार्यालय में नियुक्ति और उनका अनुरक्षण, पोत परिवहन कार्यालय की स्थापना और पोत परिवहन मास्टर और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, प्रत्येक पत्तन पर समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजन कार्यालय की स्थापना और निदेशक, उप निदेशकों तथा सहायक निदेशकों की नियुक्ति, समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति, परीक्षकों को संदत्त की जाने वाली फीस पर व्यय की पूर्ति पोत परिवहन मंत्रालय के विद्यमान बजट आबंटनों में से ही जाएगी । समुद्र में तलाशी और बचाव के लिए इंतजाम तथा बचाव समन्वय केंद्रों और उपकेंद्रों की स्थापना पहले से ही है और उसमें कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं है । पत्तन या ऐसे स्थानों पर, जो पोतों के अंतरापृष्ठ हैं, अपशिष्टों को प्राप्त करने की सुविधाओं, प्राप्ति सुविधाओं तथा ऐसे अपशिष्टों का पब्लिक सेक्टर पत्तनों द्वारा पर्यावरण अनुकूल सुदृढ़ रीति में प्रबंध, अभिक्रिया और व्ययन की सुविधाओं की स्थापना के व्यय की पूर्ति उनके अपने बजट से और ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पोतों पर अधिरोपित प्रभारों में से की जाएगी ।

अत: विधेयक में, अधिनियमित किए जाने पर, आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 की उपधारा (7) केंद्रीय सरकार को पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, पोत परिवहन बोर्ड में रिक्तियों को भरने की रीति ; पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते और पोत परिवहन बोर्ड में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक के खंड 5 की उपधारा (2) कल्याण बोर्ड के गठन और उनके सदस्यों की पदावधि, कल्याण बोर्ड द्वारा कारबार के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कल्याण बोर्ड के सदस्यों को संदेय अन्य भत्ते, समुद्र यात्रा वृत्तिक को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के प्रयोजन के लिए जलयान के स्वामियों द्वारा संदेय फीस के उद्ग्रहण की दर और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण के लिए किए जाने वाले अन्य उपाय, प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई फीस, कोई अन्य फीस जिससे ऐसी फीस के आगमों के संग्रहण, वसूली और रीति की प्रक्रिया हो सकेगी ; संग्रहण की लागत की कटौती के पश्चात् उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 50 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के भाग 3 के उपबंधों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, निर्दिष्ट करता है । इनमें भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें, रजिस्टर बही रखने और उनमें प्रविष्टियां करने की रीति तथा इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान के अभिलेखों को रखने की रीति ; भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें, रजिस्टर, बही रखने और उनमें प्रविष्टियां करने की रीति तथा इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान के अभिलेखों को रखने की रीति ; भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और करने की रीति, जलयान के पहचान की वर्णनात्मक अन्य विशिष्टियां ; पृष्ठांकन करने की रीति, रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया ; बंधक का प्ररूप, अंतरण को प्रभाव देने वाली लिखत का प्ररूप, भारतीय जलयान के नाम परिचय संकेत, शासकीय संख्या के वर्णन की रीति, रजिस्ट्री बही के निरीक्षण और निरीक्षण बही की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के लिए फीस अनावृत्त नौका चार्टर सह पट्टांतरण पर चार्टर के लिए गए जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और अन्य विषय, जिसका किया जाना अपेक्षित हो या जो किया जा सकेगा ।

4. विधेयक का खंड 59 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के अध्याय 2 के भाग 4 के उपबंधों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करता है । इनमें नाविकों का कर्मीदल मापमान ; जलयान के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों, क्षेत्रों और प्रचालन के प्रकारों के मापमान, अपेक्षाएं तथा प्रमाणपत्र को प्रदान करना, इसकी फार्म फीस तथा उसकी वैध अवधि और प्रमाणपत्रों की प्रतियों को रखने की रीति ; सक्षमता या प्रवीणता के प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के संचालन की रीति, ऐसे प्रमाणपत्र को प्रदान करने की फीस और ऐसे अन्य विषय जिसका किया जाना अपेक्षित है या जो किया जा सकेगा, हैं ।

5. इस विधेयक के खंड 62 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को विभिन्न प्रवर्गों के नाविकों के वर्गीकरण, ऐसे प्रवर्गों के न्यूनतम कर्मीदल मापमान तथा पोतों के भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मापमान के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

6. विधेयक का खंड 68 केन्द्रीय सरकार को नाविक नियोजन अधिकारियों से संबंधित मामलों के लिए सामुद्रिक श्रम अभिसमय के उपबंधों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इनमें मजदूरी संदाय, कार्य तथा विश्राम के घंटे, छुट्टी की हकदारी, आवास, मनोरंजन, खाद्य और खानपान सुविधा, स्वास्थ्य संरक्षण, चिकित्सा प्रसुविधाएं कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण भी सम्मिलित हैं ।

7. खंड 86 का उपखंड (8) केंद्रीय सरकार को कष्टग्रस्त अवस्था में पाए गए समुद्र यात्रा वृत्तिक के अनुतोष, रखरखाव और समुचित पत्तन तक वापसी की बाबत, परिस्थितियां, जिसमें तथा उन शर्तों के अध्यधीन जिसमें समुद्र यात्रा वृत्तिक अवमुक्त हो सकेगा तथा कष्टग्रस्त समुद्र यात्रा वृत्तिक से संबंधित विधेयक के भाग 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

8. विधेयक का खंड 109 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अध्याय 2 के भाग 5 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, वर्णित करता है । इसमें सेवोन्मुक्ति का वर्तमान प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृत्तिक के पहचान दस्तावेज, समुद्र यात्रा वृत्तिक के नियोजन कार्यालयों के अन्य कृत्य और कर्तव्य, सेवान्मुक्ति के चालू प्रमाणपत्र के जारी करने, समुद्र यात्रा वृत्तिक के पहचान का प्ररूप, दस्तावेजों और ऐसे प्रमाणपत्र तथा दस्तावेज के लिए फीस, समुद्र यात्रा वृत्तिक की अर्हता, समुद्र यात्रा वृत्तिक के सेवोन्मुक्ति की रीति, पोत परिवहन मास्टर के पास जमा की गई या उसके द्वारा वसूल की गई धनराशि के उपयोजन के लिए निर्बन्धन और शर्तें, लाग बुक का प्ररूप और रखे जाने की रीति तथा अन्य विषय, जो अपेक्षित या जो किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

9. विधेयक का खंड 128 केन्द्रीय सरकार, जलयान, कंपनी या पत्तन सुविधा को इस विधेयक के भाग 4 के अधीन लागू बचाव और सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए नियम बना सकेगी । उसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, वर्णित करता है । इनमें विभिन्न वर्ग के जलयानों के लिए सुरक्षा और बचाव अपेक्षाएं घटनाओं की विशिष्टियों को रिपोर्ट की रीति और वह प्राधिकारी जिनको ऐसी विशिष्टयों की रिपोर्ट की जानी है ; संचार उपस्कर, विपत्ति और सुरक्षा उपस्कर जिनसे सुसज्जित किया जाना है और अनुरक्षण किया जाना है तथा उपबंध कराए जाने वाले प्रमाणीकृत प्रचालक, बचाव या सुरक्षा प्रबंधक की अपेक्षाएं, बीमा, वर्गीकरण और जलयान की दशा के संबंध में उपबंध तथा अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए, सम्मिलित है ।

10. विधेयक का खंड 131 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को भारतीय जलयान से ऐसे उपस्करों से सुसज्जित होने की और ऐसे जलयान के उपस्करों के और ढ़ाचे के सर्वेक्षण विधेयक के भाग 7 के अधीन प्रमाणपत्र को जारी करने से पहले शर्तें विनिर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

11. विधेयक का खंड 138, केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के भाग 4 के उपबंधों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, वर्णित करता है । इसमें उपबंधों को पूरा करने के लिए अनुपालन किया जाना है ; प्रदूषण निवारण अभिसमय अपेक्षाएं प्ररूप और रीति

तथा अभिलेख पुस्तिका को रखने से संबंधित अन्य विषय ग्रहण सुविधाओं, सर्वेक्षण ; पर्यवेक्षण मार्गनिर्देश, घटनाओं की रिपोर्ट किए जाने की रीति तथा प्राधिकारी, जिसे घटना को रिपोर्ट किया जाना है, कोई अन्य विषय, जिसका किया जाना अपेक्षित हो या जो किया जा सकेगा ।

12. विधेयक का खंड 143 केंद्रीय सरकार को भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान के संबंध में किसी देश की सरकार द्वारा, जिससे वह जलयान संबंधित है, को अभिसमय के अधीन जारी प्रमाणपत्र की मान्यता के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

13. विधेयक का खंड 145 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के भाग 8 के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करता है । इनमें जलयान कंपनी, पत्तन सुविधा, पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल के सत्यापन की अपेक्षाएं, अपेक्षाओं और जलयान, कंपनी, पत्तन सुविधा, पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधओं या टर्मिनल के सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन की रीति तथा प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का उपांतरण प्रतिसंहरण, निलंबन, रद्द करना या अभ्यर्पण, किसी जलयान कंपनी पत्तन सुविधा पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई, अपतट सुविधा या टर्मिनल द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण संपरीक्षा और प्रमाणन के अनुपालन की रीति और विभिन्न वर्गों, कंपनी पत्तन सुविधा, पोत प्रांगण, पोत विघटन प्रांगण, पोत मरम्मत इकाई अपतट सुविधाओं के सर्वेक्षण संपरीक्षा और प्रमाणन की अपेक्षाएं और रीति तथा अन्य विषय, जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा, अंतर्वलित हैं ।

14. विधेयक का खंड 166 केन्द्रीय सरकार को एलएमएमसी अभिसमय उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक के भाग 9 के अध्याय 2 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, का उपबंध करता है । ये उन मामलों के दायित्व की परिसीमाएं, जहां एलएमएमसी अभिसमय के उपबंध लागू नहीं होते, पोत के यात्रियों को जीवन हानि या वैयक्तिक उपहति के लिए स्वामी के दायित्व की परिसीमा की रकम है तथा अन्य कोई विषय, जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा ।

15. विधेयक का खंड 181 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के भाग 9 के अध्याय 3 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) नियम बनाए जाने का उपबंध करता है । ये प्रमाणपत्र का प्रारूप और उसमें दी जाने वाली विशिष्टियां, प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्रभारित फीस के मामलों से संबंधित और कोई अन्य विषय, जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा ।

16. विधेयक का खंड 196 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के भाग 9 में अध्याय 4 के उपबंधों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत बनाने का उपबंध करता है । ये वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के दायित्व की परिसीमा, प्ररूप का प्रमाणपत्र, उनमें दी जाने वाली विशिष्टियां, दशाओं सहित और प्रमाणपत्र जारी करने की फीस, प्रमाणपत्र का नवीकरण और उसकी फीस तथा अन्य विषय जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा ।

17. विधेयक का खंड 206 केन्द्रीय सरकार को निधि अभिसमय के उपबंधों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

18. विधेयक का खंड 238 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के भाग 11 के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इसका उपखंड (2) उन मामलों के बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे वर्णित करता है । ये ध्वंसावशेष को चिन्हित करने की रीति,

ध्वंसावशेष हटाने की समय सीमा, अन्य वित्तीय प्रतिभूति, तटरेखा से संबंधित हितों को प्रदूषण के खतरे से संरक्षित करने हेतु किए जाने वाले उपाय, पुरस्कारों का दावा करने के लिए मानदंड, पुरस्कार नियत करने की रीति, विशेष प्रतिकर का संदाय, उद्धारकर्ताओं के बीच संदाय का प्रभाजन, व्यक्तियों का उद्धारण, संविदा के अधीन संदाय, संविदा के अधीन न आने वाली उल्लिखित सेवाओं के लिए संदाय और उद्धारकर्ताओं के अवचार या पुरस्कारों या संदाय का प्रभाव से संबंधित मामलों तथा अन्य विषय जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा ।

19. विधेयक का खंड 245 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के भाग 12 के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) उन मामलों की बाबत जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, वर्णित करता है । उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुज्ञप्ति का प्ररूप और ऐसी अनुज्ञप्ति की वैध अवधि तथा ऐसे अन्य विषय जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा ।

20. विधेयक का खंड 255 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के भाग 13 के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उसका उपखंड (2) नियम बनाए जाने का उपबंध करता है । ये किसी भारतीय जलयान द्वारा फलक पर वहन की जाने वाली फिटिंगों, सामग्री, सामग्री साधनों और साधित्रों का मापमान, समुद्र में चलने या अग्रसर होने के लिए जलयान द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र जारी करने की रीति और वह अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रवर्तन में रहेंगे, जलयान में कर्मीदल का विवरण बनाए रखने का प्ररूप से संबंधित मामलों तथा अन्य विषय जिनको किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकेगा।

21. विधेयक का खंड 275 केंद्रीय सरकार को विधेयक में अन्यत्र अंतर्विष्ट मामलों के संबंध में विधेयक के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

22. विधेयक का खंड 276 उपबंधित करता है कि जो नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हैं वे पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अधीन रहेंगे और इस विधेयक के अधीन निर्मित या जारी अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का भी उपबंध करता है ।

23. विधेयक का खंड 279 केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंधों को बनाने और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों बनाने के लिए सशक्त करता है और प्रत्येक ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

24. ऐसे विषयों के संबंध में, जिनके लिए प्रस्तावित विधान के अधीन नियम बनाए गए है या जारी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, वे मामले प्रक्रिया के मामले या प्रशासनिक ब्यौरे के हैं तथा जिनको विधेयक में दिया जाना व्यावहारिक नहीं है । विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन इसलिए सामान्य प्रकृति का है ।

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)
i	37	अभिरक्षा ।	अभिरक्षा और उपयोग ।
ii	15	हित का अन्तरण	हित का पारेषण
iii	38	मास्टर द्वारा निरीक्षण	मास्टर द्वारा निरीक्षण आदि
iv	35	अतरण्य जलयान	जल यात्रा के अयोग्य जलयान
v	8	समुद्र में बहिस्राव या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।	समुद्र में परिसंकटमय पदार्थों के बहिस्राव या उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।
v	39	रिपोर्ट का	सूचना
v	42	लागू होना और परिभाषाएं ।	इस अध्याय का लागू होना ।
vi	12	स्कोप	विस्तार
vii	31 का लोप करें		
viii	10	जलयान	जीवन
viii	22	भाग का	इस भाग का
ix	16	यात्रा के दौरान	समुद्र यात्रा के दौरान
ix	23	भारतीय जलयानों	भारतीय लोक जलयानों
ix	27	संरक्षण	व्यक्तियों का संरक्षण
ix	15 के पश्चात्–		
			"भाग 15 प्रकीर्ण" पढ़ें
4	19	1996	1976
5	25	"निहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं	"विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं
12	38	1938	1838
13	3	1938	1838
14	19 पार्श्वशीर्ष	अभिरक्षा ।	अभिरक्षा और उपयोग ।
18	3	उपधारा (2)	उपधारा (1)
18	26 पार्श्वशीर्ष	हित का अन्तरण	हित का पारेषण
22	23	के लिए शर्तें	के रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें
22	35	उपधारा (1)	उपधारा (5)
22	37	खंड (ख)	खंड (क)
31	26	वह दीन या हीन समुद्र	वह कष्टग्रस्त या निराश्रित समुद्र
31	29	धारा 81	धारा 85
34	16	शासकीय	अधिकृत
40	11 पार्श्वशीर्ष	निरीक्षण ।	निरीक्षण आदि ।
40	21	धराल	धराई
54	1 पार्श्वशीर्ष	अतरण्य जलयान	जल यात्रा के अयोग्य जलयान
54	5	अतरण्य	जल यात्रा के अयोग्य
54	9	तरण्य	जल यात्रा के
56	35 पार्श्वशीर्ष	समुद्र में बहिस्राव या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।	समुद्र में परिसंकटमय पदार्थों के बहिस्राव या उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।

(1)	(2)	(3)	(4)
57	22	उस जलयान के पास	ऐसे जलयान के संबंध में
59	25	सरकार तब	सरकार द्वारा तब
61	8, 26 और 31	सज्जजाओं	सज्जाओं
65	2 पार्श्वशीर्ष	अधिकृत लॉग में	अधिकृत लॉग बुक में
65	18 पार्श्वशीर्ष	रिपोर्ट का	सूचना
65	22 पार्श्वशीर्ष	लागू होना और परिभाषाएं	इस अध्याय का लागू होगा ।
69	29 पार्श्वशीर्ष	स्कोप	विस्तार
80	34	"प्रत्याभू" 1992	"प्रत्याभू" से 1992
94	31 पार्श्वशीर्ष	जलयान	जीवन
97	33 पार्श्वशीर्ष	भाग का	इस भाग का
115	38	140(1)	193(1)
115	39	140	193
118	7	किसी नियम के	किन्हीं नियमों के
118	10	न्यायालय पर	न्यायालय में
118	16	व्यापार जलयान के मास्टर और	व्यापार यात्री जलयान के मास्टर या
119	18	भारत की सरकार	भारत सरकार
121	19 पार्श्वशीर्ष	यात्रा के दौरान	समुद्र यात्रा के दौरान
121	19	किसी यात्रा	किसी समुद्र यात्रा
121	26	अधिकारी के	अधिकारी मृत्यु के
122	38	अधिनियम के	अधिनियम के सभी या उनमें से कोई
122	39 पार्श्वशीर्ष	भारतीय जलयानों	भारतीय लोक जलयानों
123	19 और 20	कोई व्यतिक्रम के अधीन बनाए गए किसी नियम की दशा में, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दंडनीय होगा	कोई व्यतिक्रम जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा
123	24	की गई आदेश या	की गई
123	37 पार्श्वशीर्ष	संरक्षण	व्यक्तियों का संरक्षण
125	14	के प्रतिकूल	पर प्रतिकूल
127	26	एंड	और
128	10	"जलयान" और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों को	"जलयान" को
128	28	को सशक्त	को भी सशक्त
128	36	कांडला और यथा	कांडला और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा
152	18	अध्याय 3 के भाग 9 को	भाग 9 के अध्याय 3 को
152	19	अध्याय 3 के भाग 9 के	भाग 9 के अध्याय 3 के
155	20	अधिनियम के	अधिनियम, 1976 के
166	2	की उपधारा	के उपखंड
166	7	खंड 5 की उपधारा (2)	खंड 5 के उपखंड (2)
166	29	के अध्याय 2 के भाग 4	के भाग 4